सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		v
कार्यपालन सारांश		vii
अध्याय 1–विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	4
प्रतिवेदन संरचना	1.3	5
शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन	1.4	6
बजटीय प्रक्रियायें	1.5	8
वित्त के मुख्य बिंदु	1.6	9
राजकोषीय संतुलनः घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धियां	1.7	11
लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा	1.8	16
राज्य वित्त आयोग	1.9	17
अध्याय 2–राज्य के वित्त		
प्रस्तावना	2.1	19
2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन	2.2	19
निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.3	19
राज्य के संसाधन	2.4	21
राज्य की प्राप्तियां	2.5	21
राजस्व प्राप्तियां	2.6	22
चौदहवां/पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान	2.7	30
पूंजीगत प्राप्तियां	2.8	31
संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.9	31
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.10	32
लोक लेखा	2.11	48
ऋण प्रबंधन	2.12	51
ऋण संधारणीयता विश्लेषण	2.13	58
निष्कर्ष	2.14	64
अनुशंसाएं	2.15	65
अध्याय 3–बजटीय प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	67
विनियोग लेखे	3.2	69
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियां	3.3	71
अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	3.4	72
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग	3.5	73
बचतें	3.6	76
अनुदान/विनियोग जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था	3.7	80
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है	3.8	81
एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.9	81
योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान	3.10	83

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक निधियन	3.11	84
व्यय की अत्यधिकता	3.12	86
जेण्डर बजट	3.13	89
कृषि बजट	3.14	90
पर्यावरण बजट	3.15	91
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.16	91
निष्कर्ष	3.17	102
अनुशंसाएं	3.18	103
अध्याय 4–लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता		
प्रस्तावना	4.1	105
उपकर का लेखांकन	4.2	105
राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नही किया जाना (बजटेत्तर ऋण)	4.3	107
ब्याज वाली जमा राशियों के ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना	4.4	109
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि	4.5	109
एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में पड़ी राशि	4.6	110
स्थानीय निधियों का जमा	4.7	110
उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.8	111
अनुदानग्राही संस्थान का "अन्य" के रूप में अभिलेखन	4.9	113
व्यक्तिगत जमा खाते	4.10	113
लघु शीर्ष 800 का उपयोग	4.11	114
उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.12	116
लेखों का मिलान	4.13	118
रोकड़ शेष का मिलान	4.14	118
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.15	119
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.16	120
दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि	4.17	120
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.18	121
निष्कर्ष	4.19	122
अनुशंसाएं	4.20	123
अध्याय 5–राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन		
प्रस्तावना	5.1	125
सरकारी कंपनियों/निगमों की परिभाषा	5.2	125
लेखापरीक्षा अधिदेश	5.3	125
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान	5.4	126
सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा	5.5	127
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों मे निवेश और बजटीय सहायता	5.6	128
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल	5.7	130
ऋण सेवा	5.8	131
सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता	5.9	133
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि	5.10	136

विवरण	कंडिका	पृष्ठ क्रमांक
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका	5.11	138
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण	5.12	139
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की निगरानी– लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.13	140
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम	5.14	141
लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5.15	149
प्रबंधन पत्र	5.16	149
निष्कर्ष	5.17	150
अनुशंसाएं	5.18	151
परिशिष्ट	**153 से 233**	

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, वित्त के मुख्य बिंदु, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों का अनुपालन, प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय अधिशेष/घाटा, इत्यादि की प्रवृत्तियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन के **अध्याय 2** एवं **3** में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन के क्रमशः वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों की जाँच से उद्भूत तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन से, जहाँ भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।

अध्याय 4 वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

अध्याय 5 मध्य प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन और सांविधिक लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका के परिणामों की चर्चा करता है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (यथा संशोधित) की धारा 19क के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश के विधानमण्डल के समक्ष रखने के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार को प्रस्तुत किया जाता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मण्डलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गयी है।

कार्यपालन सारांश

कार्यपालन सारांश

1 प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्य प्रदेश शासन के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य शासन के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1 राज्य के वित्त

राज्य ने तीन मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों अर्थात् राजस्व अधिशेष को बनाये रखना, राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और कुल बकाया दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात को प्राप्त किया। वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य ने राजस्व अधिशेष (₹4,815 करोड़) दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व दोनों में वृद्धि हुयी। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण राजस्व की हानि के लिए राज्य ने क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की।

राज्य शासन द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में 2020–21 एवं 2021–22 के अंत में क्रमशः ₹18,069.32 करोड़ एवं ₹17,296.25 करोड़ निवेशित किये गये। रोकड़ शेष निवेश लेखे में ब्याज की न्यूनतम दर पर बड़ी राशि रखना जबकि ब्याज की उच्च दर पर उधारी लेना वित्तीय दुविधा है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 तक सांविधिक निगमों, कम्पनियों, सहकारी समितियों, इत्यादि में किए गए ₹41,058.88 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ (₹138.73 करोड़) वर्ष के दौरान, औसत उधारी लागत 6.13 प्रतिशत के विरूद्ध केवल 0.34 प्रतिशत था। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों (₹46,924 करोड़) पर प्राप्त ब्याज की दर भी केवल 3.05 प्रतिशत थी।

अनुशंसाएं: राज्य शासन को विभिन्न इकाइयों में अपने निवेशों एवं कर्जों अग्रिमों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं कर्जों पर प्रतिलाभ कम से कम शासकीय उधारी लागतों से साम्य रखें।

राज्य सरकार को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो भारी नुकसान उठा रहे हैं के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए और उनके पुनरुद्धार की रणनीति तैयार करें।

नए उधार लेने से पहले राज्य सरकार आवश्यकता–आधारित उधार लेने और मौजूदा नकदी शेष का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

(अध्याय 2)

2.2 बजटीय प्रबंधन

2021–22 के दौरान ₹2,82,779.61 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹2,42,993.35 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹39,786.26 करोड़ (14.07 प्रतिशत) की बचत हुई। बचतों में से राशि

₹19,756.35 करोड़ व्यपगत होने दिया गया तथा विभागों द्वारा ₹19,978.53 करोड़ (कुल समर्पित राशि ₹20,029.91 करोड़ का 99.74 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पित किया गया।

अनुशंसाएं: राज्य शासन द्वारा उचित कार्यान्वयन और बजट की निगरानी को लागू करने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बचतों में कटौती की जाती है, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचतें नियंत्रित होती हैं और प्रत्याशित बचतों की पहचान कर उसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पित कर दिया जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष 2011–21 के लिए 12 अनुदानों और सात विनियोगों से संबंधित ₹1,678.00 करोड़ के आधिक्य व्यय को अभी भी नियमित किया जाना था।

अनुशंसाएं: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विगत वर्षों में हुए अधिक व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र नियमित किया जाना चाहिए।

अनुपूरक अनुदान/विनियोग तथा निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन पर्याप्त औचित्य के बिना प्राप्त किया गया था जो वित्त और संबधित विभागों के मध्य समन्वय की कमीं को दर्शाता है।

अनुशंसाएं: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान और अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन/सर्मपण से बचा जाए।

कुल 3,937 उप–शीर्षों में से, 1,063 उप–शीर्षों में स्वीकृत बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के स्पष्टीकरण आवश्यक थे, परन्तु केवल 493 प्रकरणों (46.38 प्रतिशत) में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुए थे।

अनुशंसाएं: बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखा तैयार करने के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए नियंत्रक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत करने की आवश्यकता है।

(अध्याय 3)

2.3 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

2021–22 के दौरान, 2020–21 की तुलना में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतिम शेष 46.87 प्रतिशत से कम हुआ। आगे, 253 व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष था तथा 234 व्यक्तिगत जमा खाते ₹132.74 करोड़ (कुछ ऋणात्मक शेषों सहित) के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और सुनिश्चित करे कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शेषों को शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

अनुशंसाएं: राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय खातें में तत्काल अंतरित कर दिया गया है। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्तियों में लघु शीर्ष 800 के संचालन में पर्याप्त कमी आयी है। हालांकि, व्यय में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी।

अनुशंसाएं: राज्य शासन को वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता में सुधार के लिए सर्वग्राही लघु शीर्ष–800 का उपयोग हतोत्साहित करना चाहिए। सरकार को लेखा–पुस्तकों में लेन–देनों को

सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय–सीमा की रूपरेखा बनाना चाहिए।

विभागीय आंकड़ों का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान का कार्य संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा जुलाई 2020 में ऑनलाइन शुरू किया गया है और प्राप्तियों के संबंध में 87.59 प्रतिशत तथा व्यय के संबंध में 94.72 प्रतिशत की सीमा तक मिलान किया गया है।

अनुशंसाएं: आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है तथा शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय आंकड़ो का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान शत प्रतिशत होना चाहिये, चूंकि यह 2019–20 से शासकीय लेन–देन के लेखांकन में पारदर्शिता और सटीकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शुरू किया गया है।

(अध्याय 4)

2.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2022 तक, तीन सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 72 उपक्रम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 72 में से 40 उपक्रम निष्क्रिय थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम तीन से 32 वर्षों तक निष्क्रिय थे। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 32 उपक्रमों, जिन्होंने लेखापरीक्षा के लिये जानकारी/लेखे प्रस्तुत किये, पर वित्तीय प्रर्दशन के विश्लेषण के लिए विचार किया गया।

2021–22 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के इन 32 उपक्रमों ने ₹89,699.74 करोड़ का कारोबार दर्ज किया, जो कि मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 7.67 प्रतिशत के बराबर था। 2021–22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कारोबार में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान 98 प्रतिशत से अधिक था।

31 मार्च 2022 के अन्त तक राज्य शासन के अंश पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण के कुल निवेश ₹1,08,949.63 करोड़ के विरूद्ध, सार्वजनिक क्षेत्र के 72 उपक्रमों में ₹63,019.52 करोड़ का निवेश था। 31 मार्च 2022 तक सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का बकाया दीर्घावधि ऋण विगत वर्ष की तुलना में ₹31,820.52 करोड़ से ₹31,597.77 करोड़ तक घट गया।

अनुशंसाएं: मध्य प्रदेश शासन घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करे तथा उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 2020–21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹671.29 करोड़ के लाभ की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों द्वारा 2021–22 में ₹1,797.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (₹1,072.27 करोड़), मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन (₹301.15 करोड़) एवं मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (₹299.98 करोड़) द्वारा वृहद् लाभ का योगदान किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों द्वारा किए गए कुल नुकसान ₹6,523.12 करोड़ में से मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र

विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा भारी नुकसान किया गया।

अनुशंसाएं: सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के पृथक–पृथक उपक्रमों के लिए समय पर लेखों को प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और बकाया के समाशोधन की सख्ती से निगरानी करने और लेखों को अन्तिम रूप देने में बकाया राशि को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करे।

वर्ष 2021–22 के लिए, 72 में से 55 कंपनियों/निगमों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया (45 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी आठ अन्य कंपनियां तथा दो निगम) थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नही कर रहे थे। परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 55 उपक्रमों के 236 लेखे बकाया थे।

अनुशंसाएं: सरकार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों की समीक्षा करे तथा उनके पुनरूद्धार/समापन के लिये उचित निर्णय ले।

(अध्याय 5)

अध्याय 1

विहंगावलोकन

अध्याय 1–विहंगावलोकन

यह अध्याय राज्य की संक्षिप्त रूपरेखा और प्रतिवेदन के आधार को प्रस्तुत करता है। यह राज्य के सार्वजनिक वित्त, बजटीय प्रक्रिया, सरकारी खातों की संरचना, राज्य के वित्त और संतुलन का एक चित्रण, और घाटे के मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण विकास को भी रेखांकित करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य 3,08,245 वर्ग किमी (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38 प्रतिशत) के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 7.33 करोड़ व्यक्तियों (देश की जनसंख्या का छः प्रतिशत) का घर है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय (2012–2022) वृद्धि दर 15.82 प्रतिशत अखिल भारतीय वृद्धि दर 12.12 प्रतिशत से अधिक थी।

राज्य में 52 जिले हैं, जिन्हें 10 प्रशासनिक संभागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय[1] 2021–22 में ₹1,37,339 है जो कि अखिल भारतीय औसत ₹1,72,913 से कम है।

राज्य से संबंधित सामान्य और वित्तीय आंकड़े ***परिशिष्ट 1.1*** में दिए गए हैं।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गयी समयावधि में राज्य के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को लक्षित करता है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सांकेतिक) की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्तियों को **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रृंखला)	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	11.03	10.59	6.22	(-)1.36	19.51
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011–12 श्रृंखला)	7,26,284	8,31,024	9,38,602 (पी.ई.)	9,76,281 (क्यू.ई.)	11,69,004 (ए.ई.)
वर्तमान मूल्य पर पिछले वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	11.77	14.42	12.95	4.01	19.74

स्रोतः आर्थिक सलाहकार तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी।
पी.ई.–अनंतिम अनुमान; क्यू.ई.–त्वरित अनुमान; ए.ई.–अग्रिम अनुमान

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, कि 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद उच्च दर से बढ़ा। 2020–21 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों में मंदी होने से, मध्य प्रदेश सरकार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद विकास दर न्यूनतम थी, जबकि वर्ष 2021–22 में आर्थिक गतिविधियां सामान्य होने से

[1] राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रदाय जानकारी।

अर्थव्यवस्था संभली और मध्य प्रदेश सरकार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में अचानक बढ़ गई।

आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है। अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये क्षेत्रीय योगदान में बदलाव भी महत्वपूर्ण है।

2021–22 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मध्य क्षेत्रीय संघटको की तुलना नीचे **चार्ट 1.1** एवं **1.2** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1.1: भारत के सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्र-वार संघटन

(प्रतिशत में)

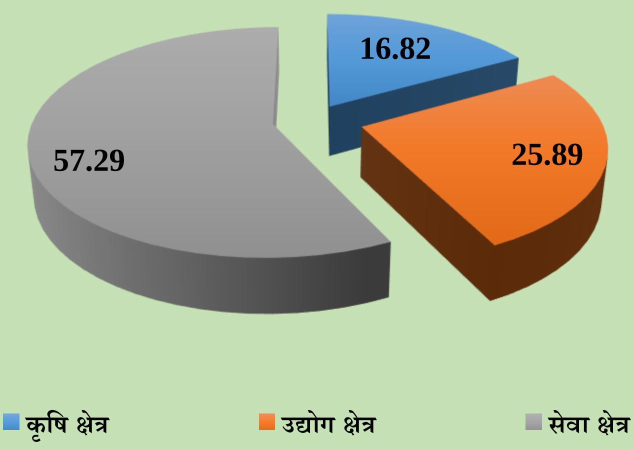

स्रोतः प्रेस विज्ञप्ति 31 मई 2022, भारत सरकार

चार्ट 1.2: मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्र-वार संघटन

(प्रतिशत में)

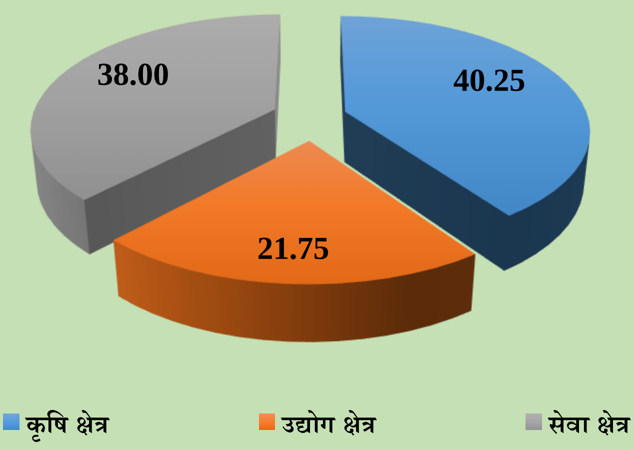

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश द्वारा प्रदाय जानकारी

मध्य प्रदेश अपने विस्तृत क्षेत्रफल के साथ, कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिये उपयुक्त जलवायु विविधता, मिट्टी की परिस्थितियों का उपभोग करता है। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैसा कि उपरोक्त चार्टों से देखा जा सकता है, कि 2021–22 के दौरान, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 40.25 प्रतिशत था, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में

कृषि क्षेत्र (16.82 प्रतिशत) के सापेक्ष हिस्सेदारी की तुलना में काफी महत्वपूर्ण और बहुत अधिक था जबकि, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 21.75 प्रतिशत एवं 38.00 प्रतिशत था, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र (25.89 प्रतिशत) एवं सेवा क्षेत्र (57.29 प्रतिशत) के सापेक्ष हिस्सेदारी की तुलना में कम था।

चार्ट 1.3 से परिलक्षित होता है कि अवधि 2017–18 एवं 2021–22 के दौरान, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि की सापेक्ष हिस्सेदारी 2017–18 में 37.74 प्रतिशत से 2021–22 में 40.25 प्रतिशत तक बढ़ी। इसी अवधि के दौरान, उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 2017–18 में 22.79 प्रतिशत से 2021–22 में 21.75 प्रतिशत तक एवं सेवा क्षेत्र में 2017–18 में 39.47 प्रतिशत से 2021–22 में 38.00 प्रतिशत तक मामूली कम हुयी। 2021–22 के दौरान, कृषि क्षेत्र के तहत फसलों में पिछले वर्ष की तुलना में 15.02 प्रतिशत से जबकि खनन और उत्खनन में 40.36 प्रतिशत से वृद्धि हुई, उद्योग क्षेत्र एवं व्यापार के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण में क्रमशः 23.39 प्रतिशत और 23.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं सेवा क्षेत्र के तहत व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां एवं परिवहन और भंडारण में क्रमशः 27.11 प्रतिशत और 27.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट 1.3: सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्र -वार योगदान में परिवर्तन (2017-18 एवं 2021-22)

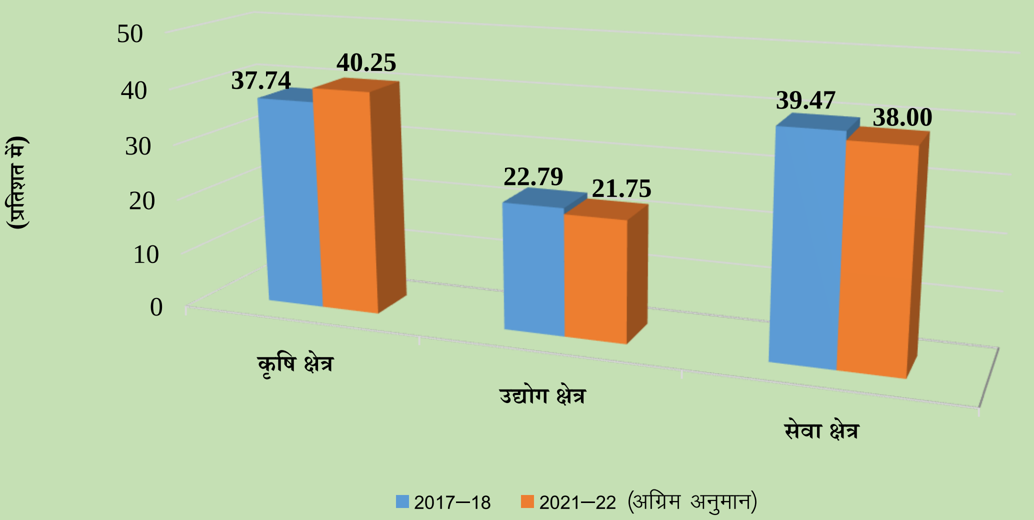

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में वर्ष–दर–वर्ष परिवर्तन नीचे **चार्ट 1.4** में दिया गया है:

चार्ट 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्र-वार योगदान में परिवर्तन (2017-18 से 2021-22)

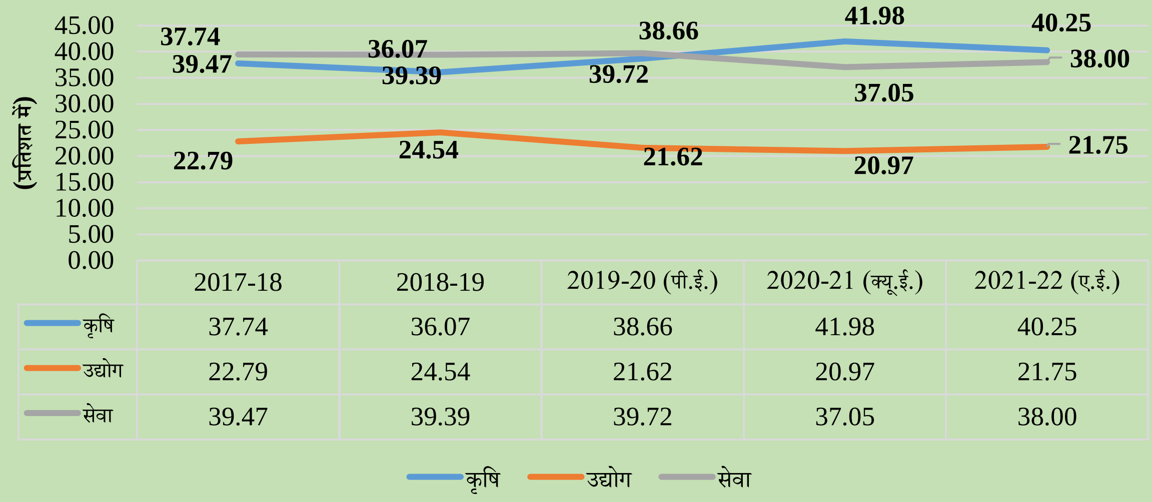

	2017-18	2018-19	2019-20 (पी.ई.)	2020-21 (क्यू.ई.)	2021-22 (ए.ई.)
कृषि	37.74	36.07	38.66	41.98	40.25
उद्योग	22.79	24.54	21.62	20.97	21.75
सेवा	39.47	39.39	39.72	37.05	38.00

स्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो उनको राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मध्य प्रदेश के राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राज्य शासन के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों एवं विभागों जो ऐसे लेखों को रखने के लिए उत्तरदायी है, के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणको, चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखो और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से राज्य के वार्षिक वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों का संकलन करता है। इन लेखों की स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा सत्यापित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन के लिए वर्ष 2021–22 के राज्य के वित्त एवं विनियोग लेखों के प्रमुख आंकड़े शामिल हैं। निम्नलिखित अन्य स्रोतों को भी शामिल किया गया है:

- वर्ष 2021–22 के लिए राज्य का बजट भी अनुमान के सापेक्ष राजकोषीय मापदण्डों और आवंटन प्राथमिकताओं दोनों का आंकलन करने के लिए आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अनुमान लगाता है;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय), मध्य प्रदेश वर्ष के दौरान राज्य सचिवालय के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर लेखापरीक्षा का परिणाम तैयार करता है;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों से प्राप्त अन्य आंकड़े;
- संचालनालय, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े और अन्य राज्य से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़े; एवं

- जैसा उपयुक्त है, 2017–22 के दौरान नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रासंगिक संदर्भ में विश्लेषण किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - 1	***विहंगावलोकन*** यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण, अंतर्निहित आंकड़े एवं शासकीय लेखों की संरचना का अवलोकन प्रस्तुत करता है, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतको के स्थूल राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।
अध्याय - 2	***राज्य के वित्त*** यह अध्याय राज्य के वित्त के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2017–18 से 2021–22 तक की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेन का राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विश्लेषण करता है।
अध्याय - 3	***बजटीय प्रबंधन*** यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है तथा राज्य शासन के विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 4	***लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता*** यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गये लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य शासन के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन के मुद्दो पर टिप्पणी करता है।
अध्याय - 5	***राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन*** यह अध्याय वर्ष 2021–22 के लिये मध्य प्रदेश शासन के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन में वर्णित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन, उनके वित्तीय विवरणों के साथ–साथ संबंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी से लिया गया है।

1.4 शासकीय लेखों की संरचना का विहंगावलोकन

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियुक्त नहीं किया जायेगा। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे–संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान, इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। उक्त निधि की प्रतिपूर्ति, व्यय को राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंक अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे – अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष है) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नही है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता (अनुच्छेद 202) है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, केंद्रीय कर/शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के सभी व्यय शामिल होते हैं जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो सकते हैं) पर किए गए खर्चों से संबंधित हैं।

पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

ऋण प्राप्तियां: बाजार कर्ज, बंध–पत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन, केंद्र सरकार से कर्ज और अग्रिम, इत्यादि;

ऋणेत्तर प्राप्तियां: विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज और अग्रिम की वसूलियां;

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य पक्षों को कर्ज और अग्रिम पर किया गया व्यय शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है, जिसका विवरण निम्न है:

विवरण	लेन–देन का प्रकार	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक द्वारा लेखों की मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मानकीकृत	कार्यः शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4 अंक)
	उप कार्य	उप–मुख्य शीर्ष (2 अंक)
	कार्यक्रम	लघुशीर्ष (3 अंक)
राज्य के लिए छोड़ा लचीलापन	योजना	उप शीर्ष (2 अंक)
	उप–योजना	विस्तृत शीर्ष (2 अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	उद्देश्य शीर्ष–वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2 अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण में आर्थिक श्रेणियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय की व्यवस्था करना, सरकारी लेनदेन को राजस्व और पूंजीगत (लोक ऋण, कर्ज और अग्रिम सहित) अनुभागों में अंतर करना, क्षेत्र जैसे अन्य राजस्व और सहायतानुदान से कर राजस्व, उप क्षेत्रों जैसे आय और व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाओं, इत्यादि शामिल है। व्यय पक्ष में भी, लेनदेन को क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे सामान्य सेवायें, आर्थिक सेवायें, सामाजिक सेवायें और सहायतानुदान एवं अंशदान तथा इनके क्षेत्रो को लेखाओं के मुख्य शीर्ष में उप विभाजित किया गया है। समेकित निधि में शमिल होने वाले लेखे के मुख्य शीर्ष सामान्यतः सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होते है, जैसे शिक्षा, जबकि मुख्य शीर्ष के अधीन लघुशीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए "कार्यक्रम" की पहचान करते है। एक कार्यक्रम में कई योजनाएं या गतिविधियां शामिल हो सकती हैं और ये आम तौर पर "लघु शीर्ष" के नीचे 'उप शीर्ष' के अनुरूप होते हैं। उप शीर्ष के नीचे 'विस्तृत शीर्ष', मुख्य रूप से व्यय पर नियंत्रण के मद के लिए होता है और 'वेतन', 'कार्यालय व्यय', 'सहायतानुदान' जैसे मदों के संदर्भ में किसी योजना के क्रियान्वयन पर व्यय की वस्तु या प्रकृति आदि को इंगित करता है।

शासकीय लेखों की संरचना का एक चित्रात्मक चित्रण **चार्ट 1.5** में दिया गया है:

चार्ट 1.5: शासकीय लेखों की संरचना का एक चित्रात्मक चित्रण

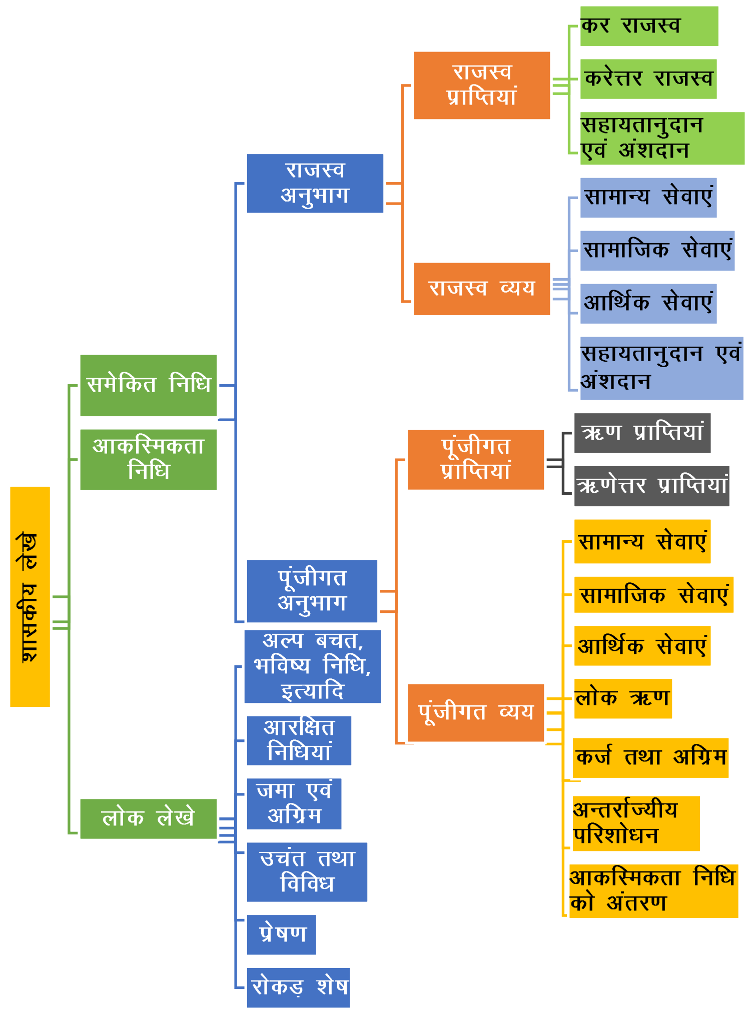

1.5 बजटीय प्रक्रियायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष 2021–22 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में रखा जाना है।

अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, उपर्युक्त अनुदान/विनियोजन के लिए 67 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया था, और इनके अनुमोदन के बाद, समेकित निधि से आवश्यक धन का विनियोग प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक को पारित किया गया था।

जैसा कि पूर्व में **कंडिका 1.2** में वर्णित है, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वित्त लेखों और विनियोग लेखों में उल्लिखित मुख्य आंकड़े शामिल हैं। ये लेखे वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए विभिन्न अंतर्शासकीय और अन्य समायोजन शामिल हैं। यह विचार करते हुए कि इन प्राप्तियों और व्यय का बजट में अनुमान और व्यय राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, 2021–22 के लिए राज्य के बजट का सूक्ष्मता से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमान के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश बजट नियमावली बजट तैयार करने, बजट निष्पादन और बजट निगरानी की प्रक्रिया का विवरण देता है। आगे, एक समेकित बजट के अलावा राज्य सरकार जेण्डर बजट और कृषि बजट जैसे उप–बजट भी तैयार करती है।

जेंडर बजटः राज्य का जेंडर बजट समग्र बजट का हिस्सा है और इसे महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। जेंडर बजट दस्तावेज के अनुसार, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था– (1) योजनाएँ जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं, और (2) योजनाएँ जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित हैं।

कृषि बजटः इस बजट में कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की गतिविधियों के हितों के साथ–साथ इन गतिविधियों पर खर्च की जानकारी भी शामिल है।

बजट नियमावली में यह भी उल्लेख किया गया था कि एक परिणामोन्मुखी बजट तैयार किया जाना चाहिए, जो वित्तीय परिव्यय से जुड़ी प्रत्येक योजना के तहत प्रस्तावित परिमाणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। वह योजना के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। हालांकि, भारत सरकार द्वारा योजना और योजनेत्तर योजनाओं के बीच विभेद को समाप्त[2] किये जाने से राज्य सरकार द्वारा 2015–16 से परिणामोन्मुखी बजट तैयार करना बंद कर दिया गया। वित्त विभाग द्वारा परिणामोन्मुखी बजट के तैयार न करने का कारण योजना और योजनेत्तर योजनाओं का बंद होना बताया (जनवरी 2021)।

बजट की लेखापरीक्षा जांच और राज्य शासन की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में विस्तृत रूप से दिये गये हैं।

1.6 वित्त के मुख्य बिंदु

2021–22 के बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ो के वित्तीय परिणामों के विवरण निम्न **तालिका 1.2** प्रदाय करती हैः

[2] महालेखा–नियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायतानुदान के वर्गीकरण को पुनरीक्षित किया, हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखाओं में यह पुनरीक्षण 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ।

तालिका 1.2: 2021–22 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	संघटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	वास्तविक से बजट अनुमान का प्रतिशत	वास्तविक से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1	**कर राजस्व (2+3)**	**1,01,372.67**	**1,35,778.84**	**1,17,160.67**	**115.89**	**11.61**
2	स्वंय के कर राजस्व	54,458.92	66,237.34	64,913.99	102.04	5.67
3	केन्द्रीय करों और शुल्कों का अंश	46,913.75	69,541.50	52,246.68	133.10	5.95
4	करेत्तर राजस्व	9,902.13	15,304.88	11,742.17	130.34	1.31
5	सहायतानुदान और अंशदान	35,101.99	34,792.13	35,774.61	97.25	2.98
6	**राजस्व प्राप्तियां (2+3+4+5)**	**1,46,376.79**	**1,85,875.85**	**1,64,677.45**	**112.87**	**15.90**
7	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	58.32	62.17	1,507.50	4.12	0.01
8	अन्य प्राप्तियां	14.46	1,597.70	--	--	0.14
9	उधार और अन्य देयतायें(अ)	59,707.87	36,444.27	49,769.30	73.23	3.12
10	**पूंजीगत प्राप्तियां (7+8+9)**	**59,780.65**	**38,104.14**	**51,276.80**	**74.31**	**3.26**
11	**कुल प्राप्तियां (6+10)**	**2,06,157.44**	**2,23,979.99**	**2,15,954.25**	**103.72**	**19.16**
12	**राजस्व व्यय**	**1,64,733.01**	**1,81,061.30**	**1,72,970.95**	104.68	15.49
13	ब्याज भुगतान	15,917.87	18,445.91	20,942.82	88.08	1.58
14	**पूंजीगत व्यय**	**31,586.09**	**43,961.80**	**44,152.23**	99.57	3.76
15	पूंजीगत परिव्यय	30,355.77	40,733.11	40,666.76	100.16	3.48
16	कर्ज तथा अग्रिम	1,230.32	3,228.69	3,485.47	92.63	0.28
17	**कुल व्यय (12+14)**	**1,96,319.10**	**2,25,023.10**	**2,17,123.18**	**103.64**	**19.25**
18	**राजस्व घाटा(–) /अधिशेष(+)**	**(-)18,356.22**	**4,814.55**	**(-)8,293.50**	**158.05**	**0.41**
19	**राजकोषीय घाटा**	**49,869.53**	**37,487.38**	**50,938.22**	**73.59**	**3.21**
20	**प्राथमिक घाटा**	**33,951.66**	**19,041.46**	**13,631.36**	**139.69**	**1.63**

स्रोत: वित्त लेखे और बजट पुस्तिकाएं 2021–22

(अ) उधार और अन्य देयतायें: निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल (प्राप्तियां-वितरण) लोक लेखा + निवल प्रारम्भिक एवं अंतिम रोकड़ शेष।

1.6.1 सरकार की सम्पत्ति और दायित्वों के मुख्य बिंदु

शासकीय लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसंपत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां शामिल हैं। परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम और रोकड़ शेष भी शामिल हैं। वर्ष 2021–22 में इस संदर्भ में राज्य की स्थिति को नीचे **तालिका 1.3** में देखा जा सकता है:

तालिका 1.3: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं				सम्पत्तियां			
	2020-21	**2021-22**	**वृद्धि(+)/ कमी (-) प्रतिशत में**		**2020-21**	**2021-22**	**वृद्धि (+)/ कमी(-) प्रतिशत में**
			संचित निधि				
आंतरिक ऋण	2,02,719.20	2,23,013.14	10.01	सकल पूंजीगत परिव्यय	2,72,754.80	3,13,487.91	14.93
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	30,522.71[3]	41,351.31[4]	35.48	कर्ज तथा अग्रिम	43,757.15	46,923.67	7.24
आकस्मिकता निधि	500.00	1,000.00	100.00				
			लोक लेखा				
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	19,894.09	19,310.64	(-)2.93	अग्रिम	3.48	3.48	0.00
जमा	20,333.41	19,182.08	(-)5.66	प्रेषण	--	--	--
आरक्षित निधियां	16,753.30	21,334.71	27.35	उचंत तथा विविध	--	--	--
उचंत तथा विविध शेष	(-)252.75	880.60	448.41				
प्रेषण	3,164.63	4,782.10	51.11	**रोकड़ शेष (उद्दिष्ट निधि में निवेश सहित)**	18,069.32	17,296.25	(-)4.28
				योग	**3,34,584.75**	**3,77,711.31**	**12.89**
				शासकीय लेखों में कमी	(-)40,950.16	(-)46,856.73	14.42
योग	**2,93,634.59**	**3,30,854.58**	**12.68**	**योग**	**2,93,634.59**	**3,30,854.58**	**12.68**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.7 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धियां

मध्य प्रदेश शासन ने राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने और कुल/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुंचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और मध्यम कालिक रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार करने के उद्देश्य से, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया। इस संदर्भ में, अधिनियम राज्य द्वारा घाटे के मापदण्डों और ऋण के स्तर का पालन करने के लिए मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

[3] भारत सरकार के ऋण और अग्रिम में वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में कमी के बदले में 2020–21 के लिए ₹4,542 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी शामिल है।

[4] भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे में कमीं के बदले में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त बैक टू बैक ऋण ₹11,553 करोड़ (2021–22 के लिए ₹7,011 करोड़ और 2020–21 के लिए ₹4,542 करोड़ के बैक टू बैक ऋण) भी शामिल है (31 मार्च 2022 तक)।

1.7.1 मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के मुख्य लक्ष्यों पर राजकोषीय मापदण्ड और उनकी उपलब्धियां

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था और उसके बाद राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था, 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक कम करना था एवं उसके बाद समान स्तर को बनाए रखना था। आगे, अधिनियम में यह भी परिकल्पित था कि राज्य शासन 31 मार्च 2015 तक कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 40 प्रतिशत तक सीमित कर देगी।

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2016–17 से 2019–20) के दौरान राज्यों के लिए अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया। अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो। वर्ष 2021–22 के दौरान पन्द्रहवे वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4.00 प्रतिशत पर सीमित किया जाए। वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों के आधार पर 0.50 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सुविधा का विस्तार करने का भी निर्णय लिया था। इसलिये, 2021–22 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लक्ष्य 4.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

2017–18 से 2021–22 तक की पांच साल की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/राज्य शासन के नियम के अन्तर्गत मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित पुनरीक्षित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां **तालिका 1.4** में दी गई हैः

तालिका 1.4: मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम/ मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियां (₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815
		✓	✓	✗	✗	✓
राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	संबधित वर्षों के अंतर्गत कोष्ठक में दिया गया है।	3.14 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50% से अधिक नहीं)	2.93 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24% से अधिक नहीं)	3.64 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.34% से अधिक नहीं)	5.44 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.99% से अधिक नहीं)	3.21 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.50% से अधिक नहीं)
		✓	✓	✗	✗	✓
कुल बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से		23.78 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 25.00%	24.01 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 26.34%	25.43 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से 24.43%	31.03[5] (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	26.71[6] (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से

[5] ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत की गणना कुल बकाया ऋण ₹2,89,298 करोड़ में से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक टू बैक लोन की राशि ₹4,542 करोड़ को छोड़कर कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर की गयी है।

[6] ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत की गणना कुल बकाया ऋण ₹3,23,218 करोड़ में से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक टू बैक लोन की राशि ₹11,553 करोड़ को छोड़कर एवं बजटेत्तर उधारी ₹576 करोड़ को शामिल कर कुल बकाया ऋण ₹3,12,241 करोड़ पर की गयी है।

अनुपात (प्रतिशत में)		से अधिक नहीं)	से अधिक नहीं)	से अधिक नहीं)	28.83% से अधिक नहीं)	28.52% से अधिक नहीं)
		✓	✓	✗	✗	✓

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य ने 2017–18, 2018–19 एवं 2021–22 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष प्राप्त किया, लेकिन 2019–20 एवं 2020–21 के दौरान इसे बरकरार नहीं रख सका। 2021–22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 26.98 प्रतिशत से वृद्धि के कारण राजस्व घाटा राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया (2020–21 में ₹1,46,377 करोड़ के सापेक्ष 2021–22 में ₹1,85,876 करोड़), जबकि 2021–22 के दौरान, राजकोषीय घाटे में भी 24.83 प्रतिशत से कमी आयी।

केंद्रीय कर अंतरण के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 में ₹22,628 करोड़ से वृद्धि के कारण 2020–21 की तुलना में 2021–22 में राजस्व प्राप्तियों में ₹39,499 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (₹5,909 करोड़ की वृद्धि), निगम कर (₹6,408 करोड़ की वृद्धि) और निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (₹6,077 करोड़ की वृद्धि) के अंतर्गत था। वर्तमान वर्ष के दौरान, करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,403 करोड़ की वृद्धि, मुख्य रूप से गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के अंतर्गत ₹1,623 करोड़ (35.62 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में ₹1,636 करोड़ (118.35 प्रतिशत) की वृद्धि और ब्याज प्राप्तियां ₹1,401 करोड़ (576.40 प्रतिशत) से थी।

2021–22 में करेत्तर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग (40.38 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति (19.72 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियां (10.74 प्रतिशत) थीं।

वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति, वस्तु एवं सेवा कर (राज्य के लिये क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2021–22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति (वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा राशि ₹3,094.90 करोड़ राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त की) के बदले में ₹7,011.17 करोड़ का बैक टू बैक ऋण प्राप्त किया जो राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जायेगा। यद्यपि, 31 मार्च 2022 तक कुल ऋण में ₹11,553.17 करोड़ में ₹7,011.17 करोड़ (2021–22 में प्राप्त) और ₹4,542 करोड़ (2020–21 में प्राप्त) का बैक टू बैक ऋण शामिल है, इसे व्यय विभाग, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाता है। राज्य सरकार का ₹4,814.55 करोड़ का राजस्व अधिशेष और ₹37,487.36 करोड़ का राजकोषीय घाटा, जैसा कि 2021–22 के वित्त लेखों में दर्शाया गया है, को राज्य के संसाधनों पर बिना पुनर्भुगतान दायित्व के वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के ₹7,011.17 करोड़ को बिना किसी ऋण के बैक–टू–बैक ऋण के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा वर्ष 2021–22 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले ₹7,011.17 करोड़ की ऋण प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए क्रमशः ₹11,825.72 करोड़ और ₹30,476.21 करोड़ होगा।

1.7.2 मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक वित्त वर्ष में, बजट के साथ मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा, जिसमें राज्य शासन के राजकोषीय उद्देश्यों और बजट के साथ पंचवर्षीय चलित लक्ष्य निहित होंगे।

तालिका 1.5 राज्य विधान सभा को 2021–22 के लिए वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए गए, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में 2021–22 के लिए किए गए अनुमानों तथा वर्ष के वास्तविक आंकड़ो के बीच परिवर्तन को इंगित करती है।

तालिका 1.5: 2021–22 के लिए मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय चर	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2021–22)	परिवर्तन (प्रतिशत में)
स्वयं के कर राजस्व	64,913.99	66,237.34	2.04
करेत्तर राजस्व	11,742.17	15,304.88	30.34
केन्द्रीय कर का अंश	52,246.68	69,541.50	33.10
भारत सरकार से सहायतानुदान	35,774.61	34,792.13	(-)2.75
राजस्व प्राप्तियां	1,64,677.45	1,85,875.85	12.87
राजस्व व्यय	1,72,970.95	1,81,061.30	4.68
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (–)/अधिशेष (+)	(-)0.73	0.41	156.16
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	4.50	3.21	(-)28.67
ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	28.52	26.71[7]	(-)6.35
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	23.38	19.74	(-)15.57

स्रोतः वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेज 2021–22

1.7.3 घाटा और अधिशेष

जब कोई सरकार राजस्व के माध्यम से एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो वह घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं, जैसा नीचे दिया गया है:

राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियां)	राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है। • जब सरकार राजस्व घाटा करती है, तो इसका अर्थ है कि सरकार अधिव्यय कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग करके इसके उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित कर रही है। • राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय को भी पूरा करने में सक्षम नहीं थीं। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था, पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए उस सीमा तक पूंजी संसाधनों की उपलब्धता को कम किया। • इस स्थिति का अर्थ है कि सरकार को न केवल अपने निवेश को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेना होगा, बल्कि इसके उपभोग की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और सरकार को आखिरकार खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर करता है। • यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियां, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याण निहितार्थ होगा।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष (कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियां + ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां	यह राजस्व प्राप्तियों और ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों (NDCR) और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है।

[7] ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत की गणना कुल बकाया ऋण ₹3,23,218 करोड़ में से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक टू बैक लोन की राशि ₹11,553 करोड़ को छोड़कर एवं बजटेत्तर उधारी ₹576 करोड को शामिल कर कुल बकाया ऋण ₹3,12,241 करोड़ पर की गयी है।

जो पूंजीगत प्राप्तियां बनती है)।	• राजकोषीय घाटा उधारियों को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। • ऋणेत्तर सृजन पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं, जो उधार नहीं हैं, और इसलिए, ऋण को उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ कर्ज की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से आय है। • राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे से चलती हैं और पूंजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्ति एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सके। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना विचारणीय है।

1.7.4 घाटा/अधिशेष की प्रवृत्तियां

राज्य, प्रमुख राजकोषीय मानकों के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान निर्दिष्ट लक्ष्यों के भीतर था। वर्ष 2021–22 के दौरान इसका राजकोषीय घाटा ₹37,487 करोड़ था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.21 प्रतिशत का और कुल व्यय के 16.66 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता था। 2020–21 में ₹33,952 करोड़ का प्राथमिक घाटा वर्तमान वर्ष के दौरान घटकर ₹19,041 करोड़ हो गया और 2020–21 में ₹18,356 करोड़ का राजस्व घाटा भी 2021–22 में ₹4,815 करोड़ के राजस्व अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2017–18 से 2021–22 तक की पांच साल की अवधि में अधिशेष और घाटे की प्रवृत्ति को **चार्ट 1.6** में दर्शाया है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष अधिशेष या घाटे की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 1.7** में दी गई है:

चार्ट 1.6: अधिशेष /घाटा में प्रवृत्तियां

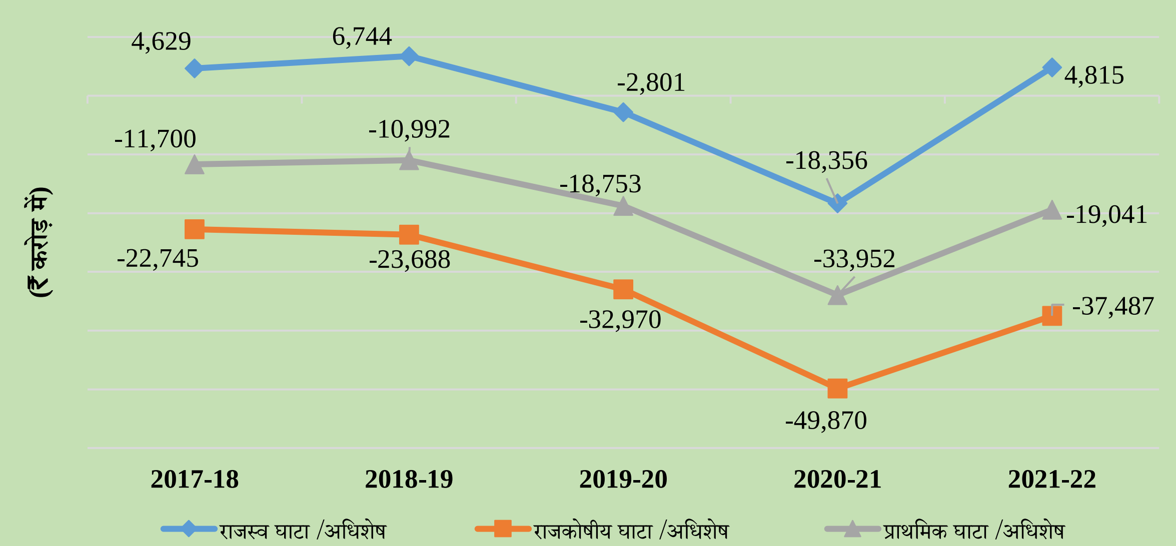

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

चार्ट 1.7: सकल घरेलू राज्य उत्पाद के सापेक्ष अधिशेष /घाटे की प्रवृत्तियां

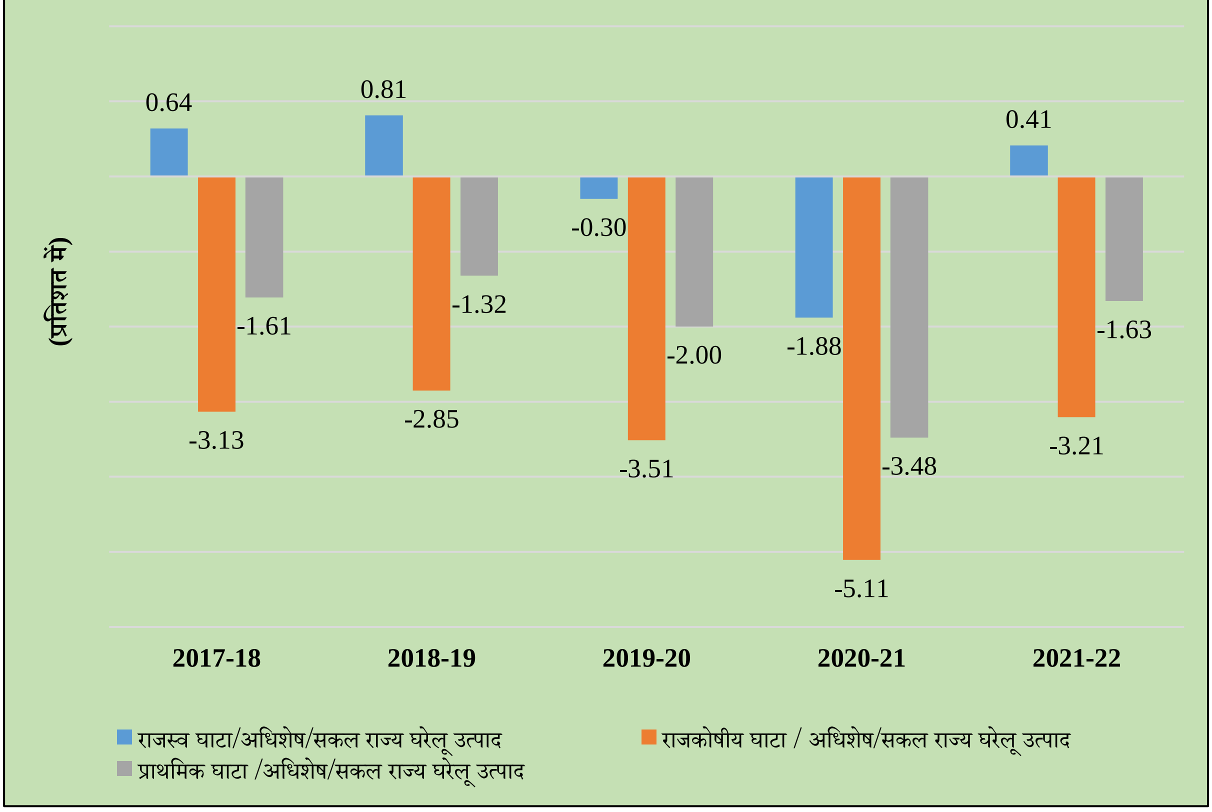

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

1.8 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

बजट घाटे पर काबू पाने के लिए अल्पकालिक उद्देश्यों पर अत्यधिक ध्यान घाटे को कम करने के उपायों को प्रोत्साहित कर सकता है। निम्न **तालिका 1.6** वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य शासन द्वारा निधियों और गलत वर्गीकरण/पुस्तांकन तथा निधियों के कम/गैर–अंशदान को लेखों में लेने के पश्चात् वास्तविक अधिशेष/घाटे का मूल्यांकन करती हैः

तालिका 1.6: वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (अत्युक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)
राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 3(ii), वित्त लेखे खंड–I)	2,199.14	--
ब्याज का गैर भुगतान (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 3(viii), वित्त लेखे खंड– I)	1.76	1.76
एन.एस.डी.एल/ट्रस्टी बैंक को अंशदान का कम अंतरण (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(i), वित्त लेखे खंड– I)	10.30	10.30
समेकित शोधन निधि में गैर अंशदान (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(ii)(B)(b), वित्त लेखे खंड– I)	1,446.49	1,446.49
उपकर/शुल्क/अधिभार का गैर हस्तांतरण (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(ii)(B)(b), वित्त लेखे खंड– I)	26.59	26.59

केन्द्रीय अनुदान का केन्द्रीय सड़क कोष से लोक लेखा में अंतरण न करना (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका संख्या 5(ii)(B)(b), वित्त लेखे खंड– I)	49.19	49.19
योग	**3,733.47**	**1,534.33**

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य में अत्युक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति क्रमशः ₹3,733.47 करोड़ और ₹1,534.33 करोड़ से थी। वित्त लेखों के अनुसार, राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹4,814.55 करोड़ और ₹37,437.38 करोड़ था, जो वास्तव में क्रमशः ₹1,081.08 करोड़ और ₹39,021.71 करोड़ होगा।

1.9 राज्य वित्त आयोग

संवैधानिक आवश्यकता की प्रतिक्रिया में, अनुच्छेद 243 (आई) और 243 (वाई) के तहत, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य ने मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम के तहत, 1995 में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन किया। आयोग ने जून 1999 में अपनी रिपोर्ट, पहली पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित और दूसरी नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित प्रस्तुत की और पहले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों में अप्रैल 1996 से मार्च 2001 तक की अवधि शामिल थी।

1.9.1 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थाएं एवं निधियों का हस्तांतरण

73वें और 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू होने के बाद, नगरीय स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ स्थानीय स्वशासन को पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार ने नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली[8] को संगठित किया।

1.9.2 पंचायती राज संस्थाओं को अनुदानों का हस्तांतरण

तृतीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में राज्य सरकार के विभाजनीय कोष[9] का चार प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं एवं एक प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना स्वीकार किया गया। 2017–2022 के दौरान वित्त विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग के अनुदान हस्तांतरित किये गये, जैसा कि **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाएं		कम जारी	नगरीय स्थानीय निकाय		कम/आधिक्य जारी
	हस्तांतरित की जाने वाली निधि	वास्तविक हस्तांतरित निधि		हस्तांतरित की जाने वाली निधि	वास्तविक हस्तांतरित निधि	
1	2	3	4 (2-3)	5	6	7 (5-6)
2017-18	1,278.43	1,099.96	178.47	319.61	326.65	-7.04
2018-19	1,284.41	923.68	360.73	321.10	309.22	11.88
2019-20	1,473.77	381.26	1,092.51	368.44	305.98	62.46
2020-21	1,711.37	329.62	1,381.75	427.78	300.79	126.99
2021-22	1,660.08	295.67	1,364.41	415.02	330.00	85.02

स्रोतः वित्त विभाग द्वारा प्रदाय जानकारी

[8] नगरीय स्थानीय निकायः बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका परिषदें और संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर परिषदें। पंचायती राज संस्थाएें: जिला स्तर पर जिला पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत।

[9] विभाजनीय निधि का अर्थ है, करों के संग्रह के लिए किये गये व्यय के दस प्रतिशत की कटौती, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकाय को सौंपे गए राजस्व को घटाने के बाद पिछले वर्ष का निवल राज्य कर राजस्व।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वित्त विभाग ने कोविड की दूसरी लहर और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर 2021–22 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों को क्रमशः ₹1,364.41 करोड़ और ₹85.02 करोड़ की कम निधि हस्तांतरित की।

अध्याय 2

राज्य के वित्त

अध्याय 2–राज्य के वित्त

यह अध्याय घाटे के अंतर्निहित कारणों को जानने का प्रयास करता है और राजकोष से संबंधित क्षेत्रों के साथ–साथ सकारात्मक बातों को निरूपित करने का प्रयास करता है।

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों पर आधारित राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य, और पिछले वर्ष के सापेक्ष होने वाले मुख्य राजकोषीय क्रांतिक परिवर्तनों, पाँच वर्ष की अवधि 2017–18 से 2021–22 के दौरान समग्र प्रवृत्तियां, राज्य की ऋण स्थिरता और मुख्य लोक लेखा लेन–देनों का विश्लेषण प्रदान करता है।

2.2 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान महत्वपूर्ण राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है:–

तालिका 2.1: 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	➢ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 26.98 प्रतिशत से बढ़ी। ➢ राज्य के स्वयं के कर की प्राप्तियां 21.63 प्रतिशत से बढ़ी। ➢ स्वयं की करेत्तर प्राप्तियां 54.56 प्रतिशत से बढ़ी। ➢ संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश 48.23 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ भारत सरकार से सहायतानुदान में 0.88 प्रतिशत से कमी आई ।
राजस्व व्यय	➢ राजस्व व्यय 9.91 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 3.29 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 4.20 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 25.22 प्रतिशत से बढ़ा।
पूंजीगत व्यय	➢ पूंजीगत व्यय 34.18 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 1.54 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 76.49 प्रतिशत से बढ़ा। ➢ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 19.50 प्रतिशत से बढ़ा।
कर्ज एवं अग्रिम	➢ कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां 6.90 प्रतिशत से बढ़ीं। ➢ ऋण और अग्रिम के संवितरण पर पूंजीगत व्यय 162.43 प्रतिशत से बढ़ा।
लोक ऋण	➢ लोक ऋण प्राप्तियां 28.98 प्रतिशत से कम हुई। ➢ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 18.85 प्रतिशत से बढ़ा।
लोक लेखा	➢ लोक लेखा प्राप्तियां 2.60 प्रतिशत से कम हुई। ➢ लोक लेखों का संवितरण 1.63 प्रतिशत से कम हुआ।
रोकड़ शेष	➢ रोकड़ शेष ₹773.07 करोड़ (4.28 प्रतिशत) से कम हुआ।

उपर्युक्त प्रत्येक संकेतकों का विश्लेषण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

2.3 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

तालिका 2.2 2021–22 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग की तुलना 2020–21 के आंकड़ों से करती है, जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2021–22 के दौरान संचित निधि में प्राप्तियां और उसमें से होने वाले व्यय का विवरण प्रतिशतता के संदर्भ में देते हैं।

तालिका 2.2: 2020–21 तथा 2021–22 के दौरान संसाधनों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि (+) / कमी (–) (प्रतिशत)
संसाधनों के संघटक	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रारंभिक रोकड़ शेष	7,060.93	18,069.31	155.91
	राजस्व प्राप्तियां	1,46,376.79	1,85,875.85	26.98
	पूंजीगत प्राप्तियां	14.46	1,597.70	10949.10
	कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां	58.32	62.17	6.60
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	52,413.20[1]	31,122.54[2]	-40.62
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	7,956.47	5,542.49	-30.34
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.02	1.14	5800.00
	योग	**2,13,880.15**	**2,42,271.20#**	13.27
संसाधनों के अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,64,733.01	1,81,061.30	9.91
	पूंजीगत व्यय	30,355.75	40,733.11	34.19
	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,230.32	3,228.69	162.43
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.25	1.20	580.00
	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अंतिम रोकड़ शेष	18,069.31*	17,296.25	-4.28
	योग	**2,14,388.14**	**2,42,320.55**	13.03

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

*भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद शेष अंतिम में पिछले वर्षों के ब्याज के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से प्रत्याभूति विमोचन निधि के अन्तर्गत प्राप्त ₹507.99 करोड़ शामिल हैं और उनका पुनर्मिलान नही किया गया है। इसलिए, वे मिलान नही करते हैं।

#अंतिम शेष में ₹49.35 करोड़ का अंतर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि पर ₹49.35 करोड़ के ब्याज के पुनर्निवेश के कारण है जिसका राज्य सरकार के साथ पुनर्मिलान नही किया गया है।

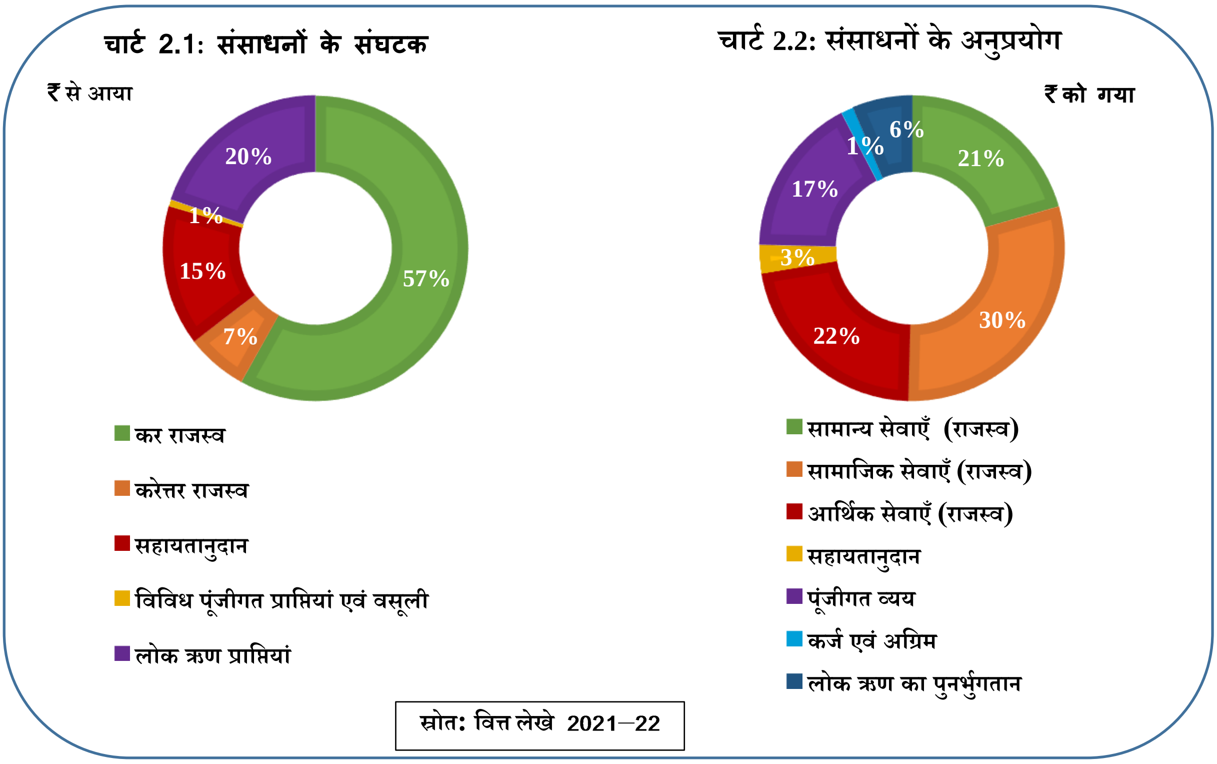

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

[1] वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में ₹4,542 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है।

[2] वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में ₹7,011 करोड़ का बैक टू बैक ऋण शामिल है।

2.4 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:–

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान शामिल हैं;

2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश की प्रक्रिया से, कर्ज एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थान/वाणिज्यिक बैंको से उधारियां) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम समाविष्ट है। राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की संचित निधि के भाग हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां**: निश्चित लेन–देनों के संदर्भ में प्राप्तियां एवं संवितरण जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाऐं, उचंत, प्रेषण, इत्यादि जो संचित निधि का भाग नहीं हैं। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधान सभा द्वारा मतदान के अधीन नही है। यहां, सरकार बैंकर की तरह कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.5 राज्य की प्राप्तियां

चार्ट 2.3 2021–22 के दौरान समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रदान करता है।

चार्ट 2.3: 2021–22 के दौरान कुल प्राप्तियों की संरचना

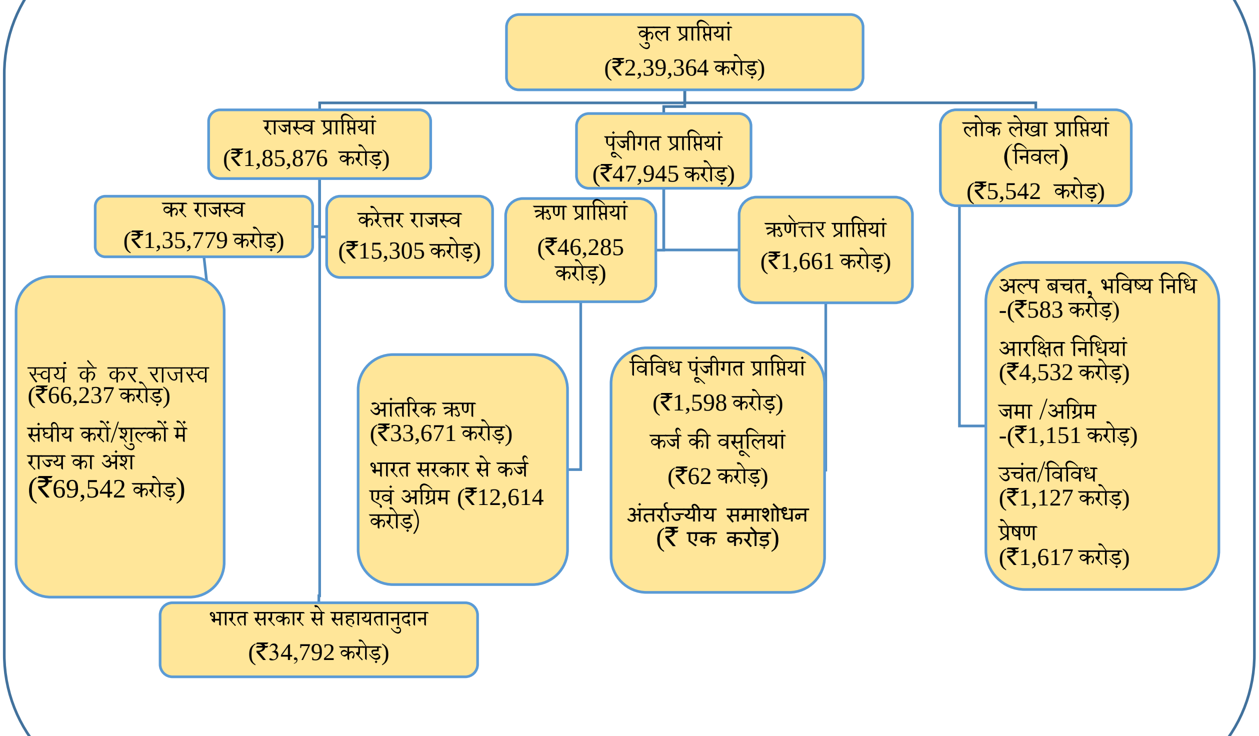

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

2.6 राजस्व प्राप्तियां

2.6.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और संवृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्षों की अवधि 2017–22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्तियां एवं संवृद्धि प्रदान करती है। आगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और राजस्व प्राप्तियों के संघटक क्रमशः **चार्ट 2.4** एवं **2.5** में दिये गये हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	**1,34,875**	**1,48,893**	**1,47,643**	**1,46,377**	**1,85,876**
राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	9.38	10.39	(-)0.84	(-)0.86	26.98
कर राजस्व (₹ करोड़ में)	**95,664**	**1,08,369**	**1,05,342**	**1,01,373**	**1,35,779**
स्वयं के कर राजस्व	44,811	50,882	55,824	54,459	66,237
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	50,853	57,487	49,518	46,914	69,542
स्वयं के करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	**9,061**	**11,899**	**10,349**	**9,902**	**15,305**
स्वयं के राजस्व की संवृद्धि दर (स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व) (प्रतिशत)	4.52	14.84	(-)3.81	(-)3.82	35.78
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	**7,26,284**	**8,31,024**	**9,38,602**	**9,76,281**	**11,69,004**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.77	14.42	12.95	4.01	19.74
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.57	17.92	15.73	14.99	15.90
उत्प्लावकता अनुपात[3]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.80	0.72	(-)0.06	(-)0.21	1.37
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता	0.51	0.92	(-)0.22	(-)0.94	1.72

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

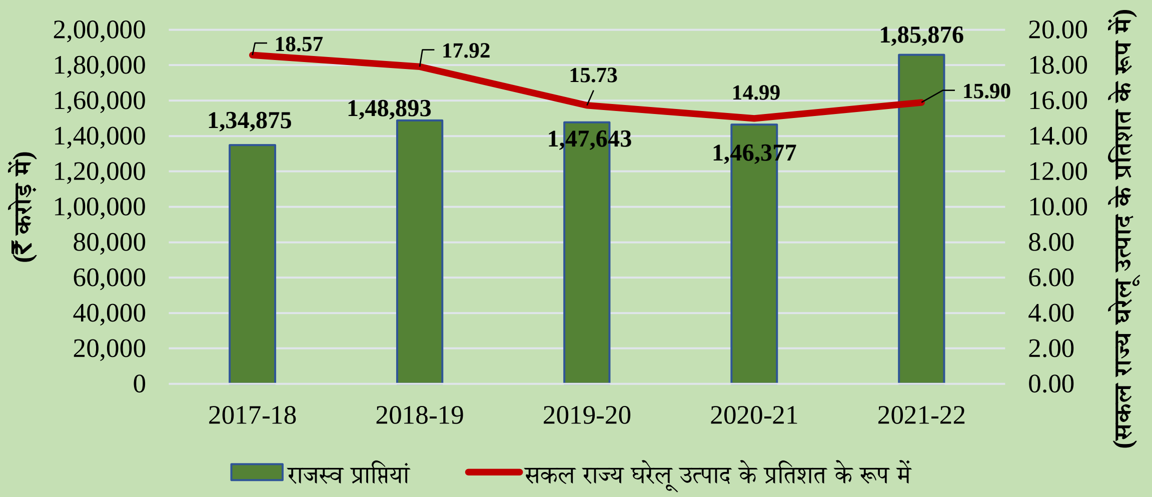

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

[3] उत्प्लावकता अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तनीयता की लोच या डिग्री की गतिशीलता को इंगित करता है। उदाहरण के लिए 1.85 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्पलावकता का अर्थ है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत से वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्ति में 1.85 प्रतिशत से वृद्धि होती है।

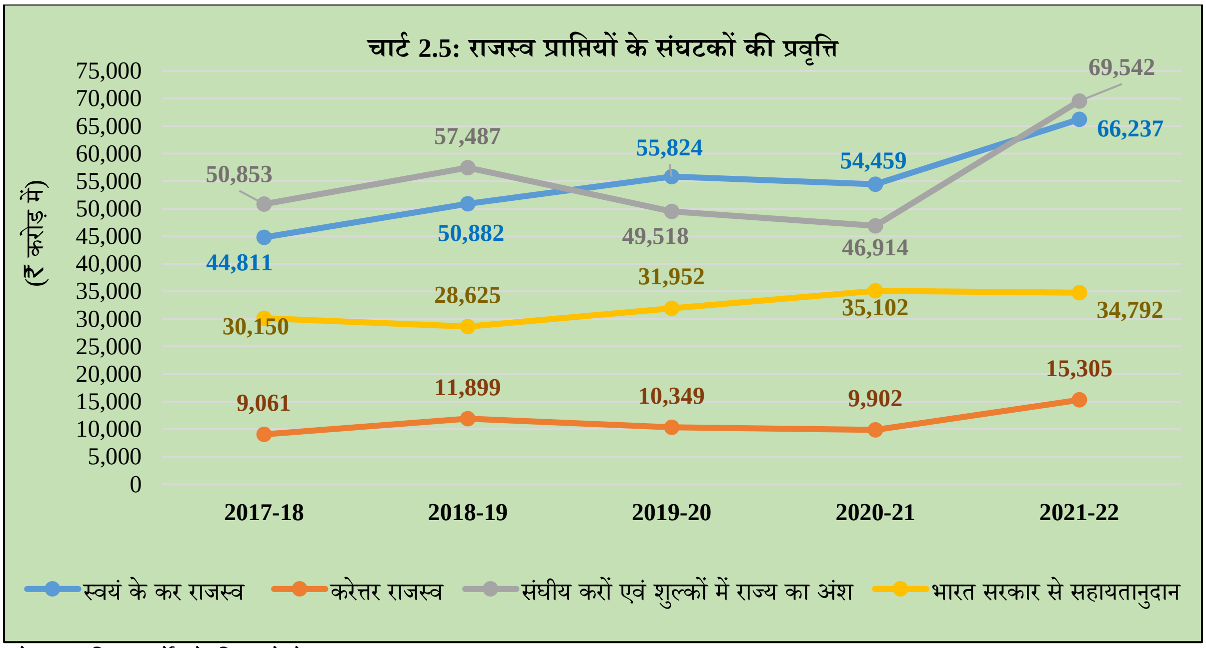

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की राजस्व प्राप्तियों से संबंधित सामान्य प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं:

- मध्य प्रदेश ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 26.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जो तेलंगाना (26.13 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (26.08 प्रतिशत) जैसे राज्यों[4] की तुलना में अधिक थी जबकि गुजरात (30.18 प्रतिशत) से वृद्धि दर कम थी।

- 2017–18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 71 प्रतिशत राज्य के कर राजस्व संसाधनों से आया, जबकि करेत्तर राजस्व और सहायतानुदान ने 29 प्रतिशत का योगदान दिया। वर्ष 2021–22 में, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 73 प्रतिशत राज्य के कर राजस्व संसाधनों से आया, और करेत्तर राजस्व और सहायतानुदान ने मिलकर 27 प्रतिशत का योगदान दिया।

2.6.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार से सहायतानुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की प्रमात्रा एवं योजनाओं के लिये प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता के द्वारा होता है। अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने में राज्य का प्रदर्शन इसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर एवं करेत्तर स्त्रोतो से राजस्व शामिल है के संदर्भ में आंकलित करना चाहिए।

2017–22 के दौरान मुख्य कर एवं करेत्तर राजस्व के संदर्भ में सकल संग्रहण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका सापेक्ष अंश ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है।

[4] तुलनात्मक विश्लेषण संबंधित राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित था। मांगे जाने के बावजूद (अक्टूबर 2022) सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य पड़ोसी राज्यों से तुलना नहीं की जा सकी।

2.6.2.1 स्वयं के कर राजस्व

पांच साल की अवधि 2017–22 के दौरान राज्य शासन का स्वयं के कर राजस्व **चार्ट 2.6** में दिया गया है:

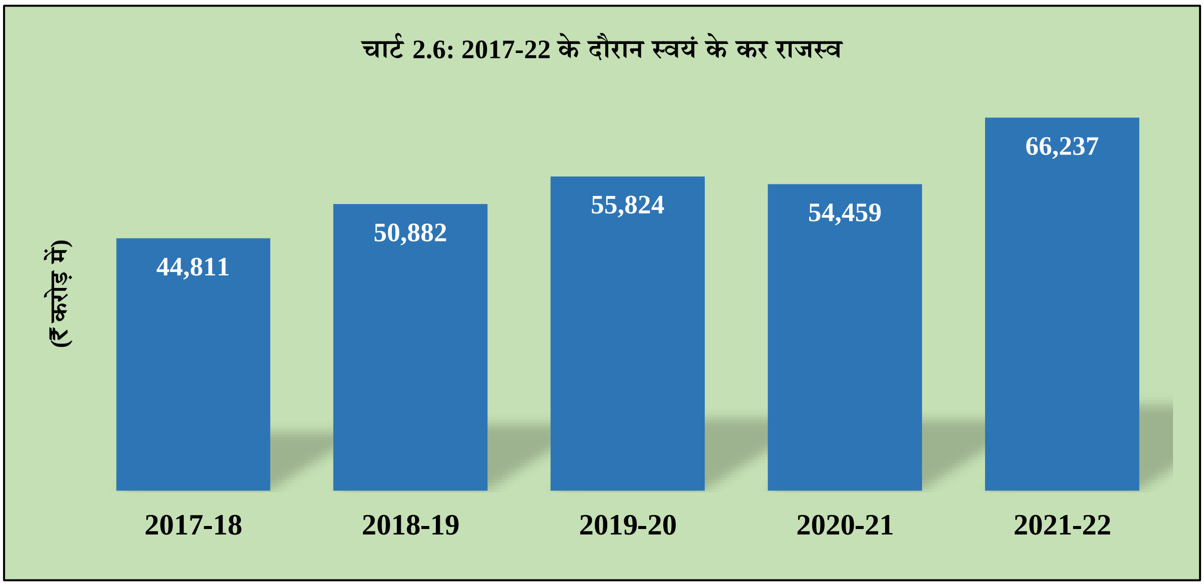

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017–22 के दौरान एकत्र किए गए स्वयं के कर राजस्व का घटक–वार विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया हैं:

तालिका 2.4: 2017–22 के दौरान घटक–वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	14,984	9,903	11,258	13,296	16,185
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,696	18,508	20,448	17,258	22,028
राज्य उत्पाद शुल्क	8,245	9,542	10,829	9,526	10,334
वाहन कर	2,692	3,008	3,251	2,749	3,029
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	4,789	5,278	5,569	6,817	8,098
भू–राजस्व	491	384	562	504	733
माल तथा यात्री पर कर	1,159	118	145	75	64
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,590	2,616	2,268	2,608	4,582
अन्य कर[5]	1,165	1,525	1,494	1,626	1,184
योग	**44,811**	**50,882**	**55,824**	**54,459**	**66,237**
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,26,284	8,31,024	9,38,602	9,76,281	11,69,004
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व (प्रतिशत में)	6.17	6.12	5.95	5.58	5.67

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017–22 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 47.81 प्रतिशत से वृद्धि हुई। स्वयं के कर राजस्व में 2019–20 में ₹55,824 करोड़ से 2020–21 में ₹54,459 करोड़ तक मामूली कमी आई थी। 2020–21 को छोड़कर पांच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व में लगातार वृद्धि हुई।

वर्तमान वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता राज्य वस्तु और सेवा कर (33.26 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर (24.43 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (15.60 प्रतिशत) थे।

[5] अन्य करों में कृषि भूमि के अलावा अचल संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर और वस्तुओं तथा सेवाओं पर शुल्क शामिल हैं।

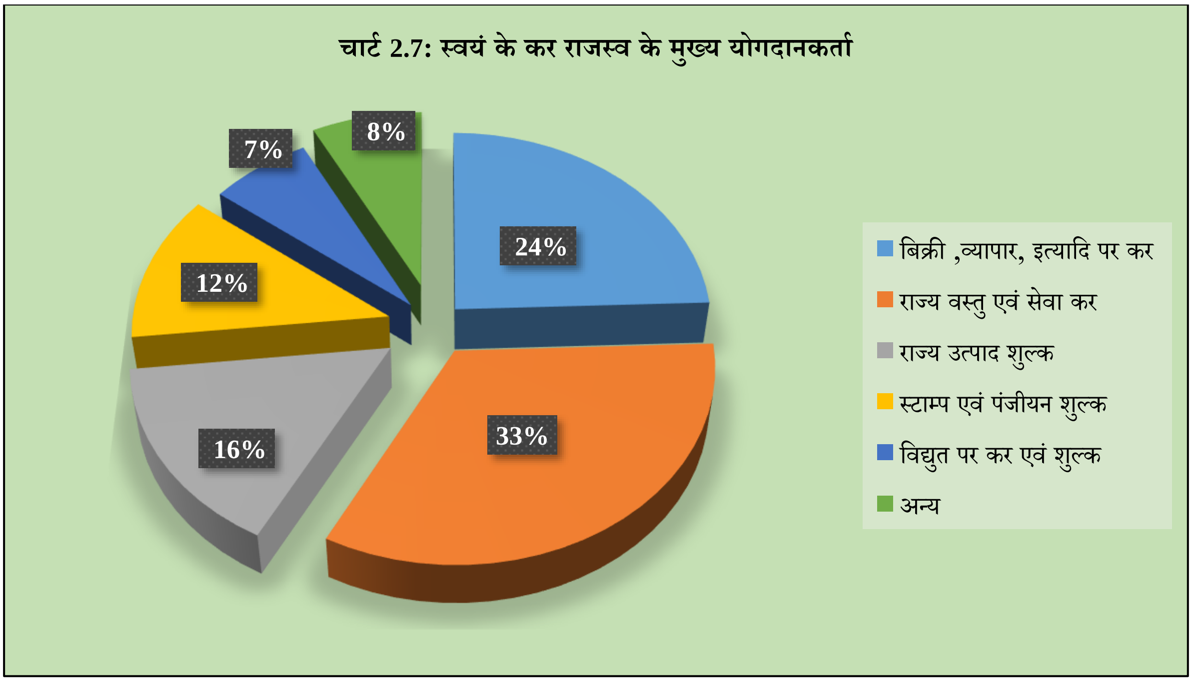

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.6.2.2 केंद्र से निधियों का अंतरण

केंद्र सरकार से धन का अंतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित होता है जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्र से अनुदान के रूप में होता है।

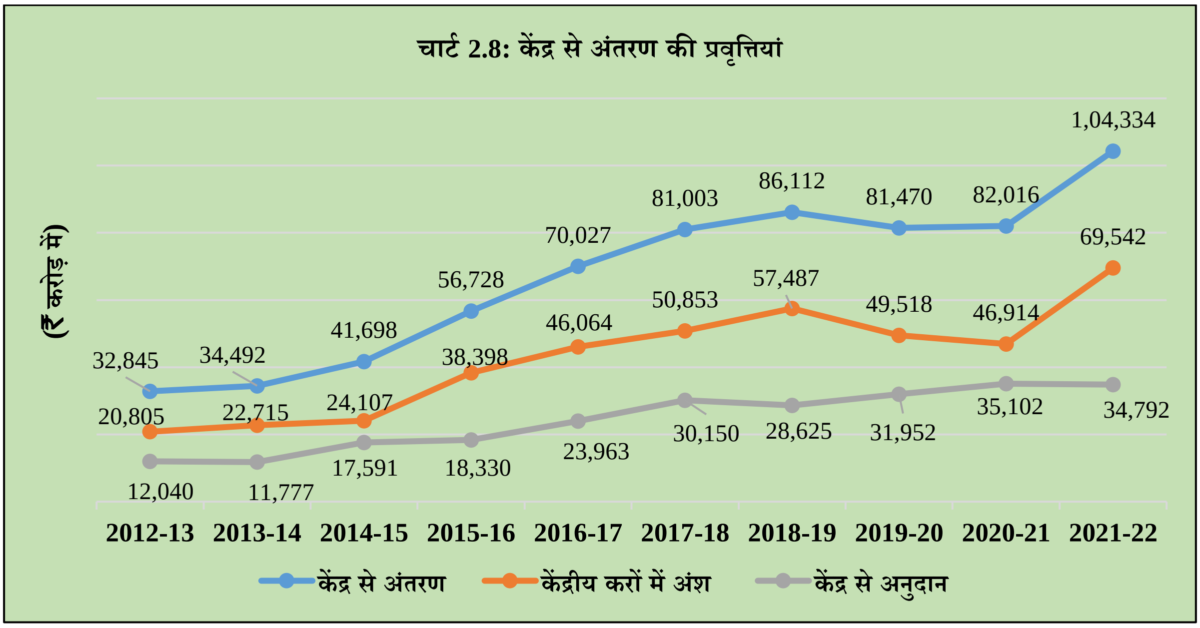

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चौदहवें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 2015–16 से 42 प्रतिशत निर्धारित किया, जो कि तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार पहले प्राप्त 32 प्रतिशत था। इसलिए, 2015–16 के बाद से केंद्र से धन के अंतरण में वृद्धि हुई, जैसा कि **चार्ट 2.8** में दिखाया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2020–21 से केंद्रीय करों के 41 प्रतिशत हिस्से की सिफारिश की।

केंद्रीय कर अंतरण

2017–22 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को किए गए हस्तांतरण का विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है:

तालिका 2.5: केंद्रीय कर अंतरण की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	716	14,188	14,052	13,947	19,855
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	5,132	1,132	-	-	-
निगम कर	15,569	19,990	16,884	14,155	20,563
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	13,147	14,722	13,229	14,512	20,589
सीमा शुल्क	5,131	4,075	3,139	2,495	4,950
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5,363	2,708	2,182	1,577	2,647
सेवा कर	5,795	531	-	203	863
सम्पत्ति पर कर	0	7	1	-	4
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0	30	31	25	71
आय और व्यय पर अन्य कर	0	104	-	-	-
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	**50,853**	**57,487**	**49,518**	**46,914**	**69,542**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत	10.40	13.05	(-)13.86	(-)5.26	48.23
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष केंद्रीय कर अंतरण का प्रतिशत	37.70	38.61	33.54	32.00	37.41

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

केंद्रीय कर अंतरण 2017–18 में ₹50,853 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में अंतर–वर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ ₹69,542 करोड़ तक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 में केंद्रीय कर अंतरण में ₹22,628 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (₹5,908 करोड़ की वृद्धि), निगम कर (₹6,408 करोड़ की वृद्धि) एवं निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर (₹6,077 करोड़ की वृद्धि) के तहत थी।

2.6.2.3 राज्य वस्तु और सेवा कर

वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। वस्तु और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधार वर्ष (2015–16) के राजस्व ₹15,329 करोड़ पर प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर लागू करते हुए वर्ष 2021–22 के लिए मध्य प्रदेश का अनुमानित राजस्व ₹33,647 करोड़ परिकलित किया गया था।

2021–22 के दौरान, राज्य शासन ने मुख्य शीर्ष–'0006 राज्य वस्तु और सेवा कर' के अन्तर्गत ₹22,028 करोड़ संग्रहित किए। भारत सरकार ने वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न हुयी राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में वर्ष के दौरान ₹3,095 करोड़ जारी किए। इस प्रकार राज्य शासन को भारत सरकार से राजस्व की अनुमानित हानि की क्षतिपूर्ति ₹8,524 करोड़ से कम प्राप्त हुई। इसके अलावा, राज्य शासन को 2021–22 के दौरान वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के कारण संसाधन अंतर को पूरा करने के लिये भारत सरकार से ₹7,011 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी प्राप्त हुआ।

2.6.2.4 कर अपवंचन

राजस्व विभागों द्वारा कर अपवंचन के प्रकरणों का पता लगाना, प्रकरणों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग उठाना राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के लिए किये गये प्रयासों के महत्त्वपूर्ण संकेतक

हैं। वापसी प्रकरणों के निस्तारण में तत्परता विभागीय संपादन का एक संकेतक है। वापसी के प्रकरणों का उच्च अवलंबन, लाल फीताशाही, निहित स्वार्थों, स्पीड मनी की व्यापकता, इत्यादि का संकेत हो सकते हैं।

31 मार्च 2022 तक खनन विभाग, और स्टांप एवं पंजीयन विभाग द्वारा प्रतिवेदित, कर अपवंचना के प्रकरणों की जांच, प्रकरणों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग को उठाने संबंधी विवरण नीचे **तालिका 2.6** में दिया गया है:

तालिका 2.6: कर अपवंचन जांच

राजस्व की प्रकृति	31.03.2021 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	2021–22 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया		31.03.2022 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
खनन	4,650	9,018	13,668	6,522	27.17	7,146
स्टांप एवं पंजीयन शुल्क	12,627	11,004	23,631	10,349	83.59	13,282
योग	**17,277**	**20,022**	**37,299**	**16,871**	**110.76**	**20,428**

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी

तालिका 2.7 वाणिज्य कर, स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क एवं आबकारी विभाग के वापसी प्रकरणों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.7: वापसी के प्रकरणों का विवरण

स. क्र.	विवरण	वाणिज्य कर		स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क		आबकारी विभाग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष 2021–22 के प्रारंभ में बकाया दावे	844	19.40	3,256	10.01	96	1.80
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	2,555	255.64	10,900	53.00	335	27.74
3	वर्ष के दौरान की गई वापसी	2,779	265.57	10,115	47.01	341	27.42
4	वर्ष के दौरान खारिज की गई वापसियां	0	0	0	0	0	0
5	वर्ष 2021–22 के अंत में बकाया शेष	620	9.47	4,029	15.20	80	2.11

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी

2.6.2.5 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2017–22 के दौरान एकत्र किए गए करेत्तर राजस्व का घटक–वार विवरण **तालिका 2.8** में दिया गया हैं:

तालिका 2.8: 2017–22 के दौरान घटक–वार करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अलौह खनन एवं धातु शोधन उद्योग	3,641	3,934	4,320	4,557	6,180
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,310	2,366	2,060	1,383	3,019
वानिकी एवं वन्य जीवन	1,112	1,043	833	1,240	1,406
ब्याज प्राप्तियां	639	880	443	243	1,644
लाभांश एवं लाभ	622	347	476	288	139

तालिका 2.8: 2017–22 के दौरान घटक–वार करेत्तर राजस्व					
					(₹ करोड़ में)
राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अन्य करेत्तर प्राप्तियां	1,737	3,329	2,217	2,191	2,917[6]
योग	**9,061**	**11,899**	**10,349**	**9,902**	**15,305**
राजस्व प्राप्तियां	**1,34,875**	**1,48,893**	**1,47,643**	**1,46,377**	**1,85,876**
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	6.72	7.99	7.01	6.76	8.23

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

करेत्तर राजस्व, जो अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ पाँच वर्षों की अवधि 2017–18 से 2021–22 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का सात से आठ प्रतिशत के मध्य था, 2021–22 के दौरान इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,403 करोड़ की वृद्धि हुई, करेत्तर राजस्व के प्रमुख योगदानकर्ता अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (40.38 प्रतिशत), शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (19.73 प्रतिशत) और ब्याज प्राप्तियां (10.74 प्रतिशत) थे।

चार्ट 2.9: करेत्तर राजस्व के मुख्य योगदानकर्ता

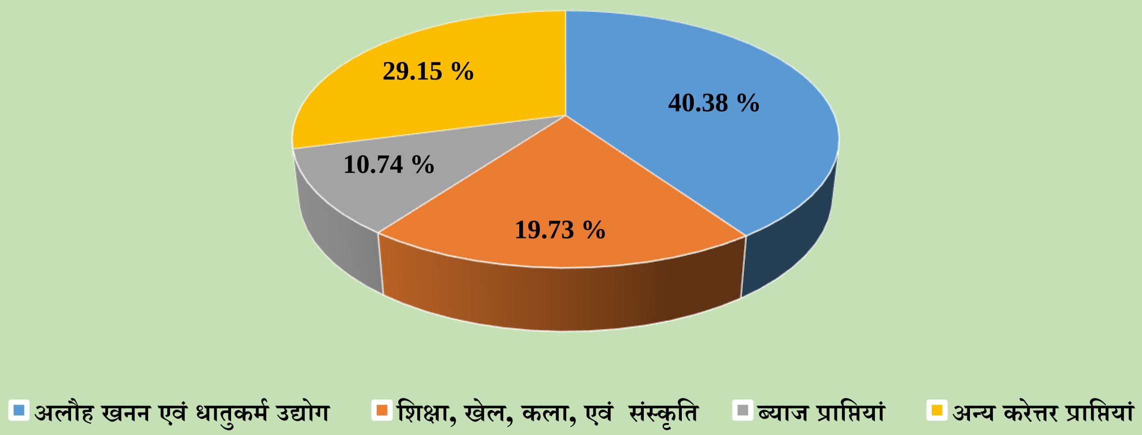

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.10: करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

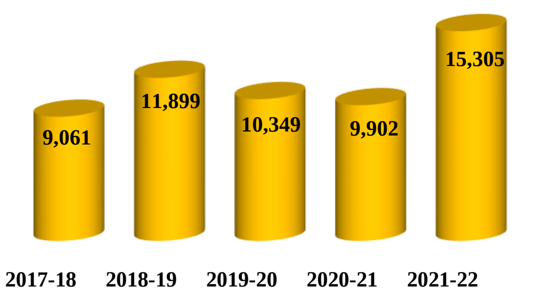

चार्ट 2.11: करेत्तर राजस्व की वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

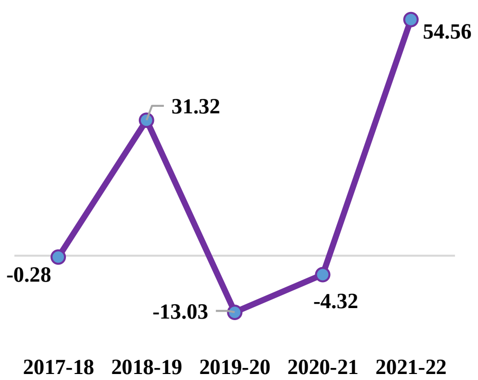

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[6] ऊर्जा (₹996.95 करोड़), मध्यम सिंचाई (₹243.10 करोड़), लघु सिंचाई (₹238.87 करोड़), पुलिस (₹221.44 करोड़), अन्य सामाजिक सेवाएं (₹194.47 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (₹194.43 करोड़), चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य (₹192.91 करोड़), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां (₹124.27 करोड़) और अन्य प्राप्तियां (₹510.56 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियां शामिल हैं।

2018–19 के दौरान, करेत्तर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹1,056 करोड़ से) के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्ति के गलत वर्गीकरण के कारण थी और वर्तमान वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत थी।

- "खनिज रियायत शुल्क, किराए और रॉयल्टी" में वृद्धि के कारण गैर–लौह खनन और धातुकर्म उद्योग में ₹1,623 करोड़ (35.62 प्रतिशत) से वृद्धि हुई।
- "प्रारंभिक शिक्षा" में वृद्धि के कारण शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति ₹1,636 करोड़ (118.35 प्रतिशत) से वृद्धि और,
- "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज" में वृद्धि के कारण ब्याज प्राप्तियों में ₹1,401 करोड़ (576.54 प्रतिशत) से वृद्धि हुई।

2.6.2.6 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशंसा पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के अंश प्राप्त करती है। राज्य को भारत सरकार से सहायतानुदान का विवरण नीचे **तालिका 2.9** में दिया गया है:

तालिका 2.9: भारत सरकार से सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण[7]	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आयोजनेत्तर अनुदान	4,408	4,921	-	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	23,164	20,821	-	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	67	17	-	-	-
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित योजनाएं	-	-	19,548	21,340	25,488
राज्यों को अन्य अनुदान (वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि एवं राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि में अंशदान के लिए योगदान की प्रतिपूर्ति के लिये)	2,511	2,866	6,327	7,185	3,695
वित्त आयोग अनुदान	-	-	6,078	6,577	5,609
योग	**30,150**	**28,625**	**31,953**	**35,102**	**34,792**
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत	25.82	(-)5.06	11.63	9.86	(-)0.88
राजस्व प्राप्तियां	1,34,875	1,48,893	1,47,643	1,46,377	1,85,876
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	22.35	19.23	21.64	23.98	18.72

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भारत सरकार से सहायतानुदान में 2017–18 में ₹30,150 करोड़ से 2021–22 में ₹34,792 करोड़ तक की वृद्धि हुई। आयोजना एवं आयोजनेत्तर वर्गीकरण को वित्त वर्ष 2019–20 से वार्षिक लेखों से समाप्त कर दिया गया था एवं भारत सरकार से दिया जाने वाला सहायतानुदान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, वित्त आयोग अनुदान एवं अन्य अनुदानों की निधियों के रूप में दिया गया।

2021–22 में भारत सरकार से सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹310 करोड़ (0.88 प्रतिशत) की मामूली कमी, मुख्यतः "अन्य हस्तांतरण/राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान" के अंतर्गत "वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के लिए क्षतिपूर्ति" में कमी के कारण थी। इसके अलावा, राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में 2021–22 के दौरान वस्तु और सेवा

[7] लेखा–महानियंत्रक ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी सहायता अनुदान के वर्गीकरण को पुनरीक्षित किया है। हालांकि, मध्य प्रदेश के लेखों में 1 अप्रैल 2019 से पुनरीक्षण प्रभावी किया गया।

कर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में ₹7,011.17 करोड़ का बैक टू बैक ऋण प्राप्त हुआ, जो अन्य प्रकार से भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में एक अंतरण होगा।

2.7 चौदहवां/पन्द्रहवां वित्त आयोग अनुदान

चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा मोचन निधि के लिए राज्यों को अनुदान प्रदान किया जाता है। स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं नगरीय स्थानीय निकायो) के लिए अनुदान, पहले भारत सरकार से राज्य के लिये अंतरित होते है और वही अनुदान तब राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अंतरित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में दिये गये अनुदानों का वर्णन **तालिका 2.10** में दिया गया है:

तालिका 2.10: अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी एवं अंतरित सहायतानुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशें			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			राज्य शासन द्वारा जारी		
	2017-21	2021-22	योग	2017-21	2021-22	योग	2017-21	2021-22	योग
(i) पंचायती राज संस्थानों को अनुदान	**13,784.29**	**2,944.00**	**16,728.29**	**12,991.13**	**2,944.00**	**15,935.13**	**12,991.13**	**2,944.00**	**15,935.13**
(अ) सामान्य मूलभूत अनुदान	12,694.49	2,944.00	15,638.49	12,694.49	2,944.00	15,638.49	12,694.49	2,944.00	15,638.49
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	1,089.80	-	1,089.80	296.64	-	296.64	296.64	0.00	296.64
(ii) नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदान	**5,706.90**	**1,450.00**	**7,156.90**	**5,104.35**	**1,445.20**	**6,549.55**	**5,104.35**	**1,445.20**	**6,549.55**
(अ) सामान्य मूलभूत अनुदान	2,956.60	-	2,956.60	2,956.60	-	2,956.60	2,956.60	0.00	2,956.60
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	832.30	-	832.30	229.75	-	229.75	229.75	0.00	229.75
(स) दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर	598.00	452.00	1,050.00	598.00	447.20	1,045.20	598.00	447.20	1,045.20
(द) दस लाख से कम आबादी वाले शहर	1,320.00	998.00	2,318.00	1,320.00	998.00	2,318.00	1,320.00	998.00	2,318.00
स्थानीय निकायों का योग	**19,491.19**	**4,394.00**	**23,885.19**	**18,095.48**	**4,389.20**	**22,484.68**	**18,095.48**	**4,389.20**	**22,484.68**
राज्य आपदा मोचन निधि*	**4,565.00**	**1,820.00**	**6,385.00**	**4,106.75**	**1,820.00**	**5,926.75**	**4,106.75**	**607.00**	**4,713.75**

स्रोतः वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

*** कुल अनुदान का राज्य का 25 प्रतिशत अंश भी शामिल है।**

2017–22 की अवधि के लिये चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों[8] के लिए ₹23,885.19 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा के विरूद्ध भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन को ₹1,400.51 करोड़ कम जारी किए।

इसके अलावा, चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग ने 2017–22 की अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹6,385.00 करोड़ की अनुशंसा की, जिसके विरूद्ध भारत सरकार ने राज्य को ₹458.25 करोड़ कम जारी किये।

[8] पंचायती राज संस्थानों के लिये ₹16,728.29 करोड़ और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए ₹7,156.90 करोड़।

2.8 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेश प्रक्रिया से प्राप्तियां, कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋणों, वित्त संस्थानों एवं वाणिज्यिक बैंकों से उधारियां) और भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल होती हैं।

पांच साल की अवधि 2017–22 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन की पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण नीचे **तालिका 2.11** में दिया गया है:

तालिका 2.11: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	19	13	14	14	1,598
2	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-	-	-	-	1
3	कर्जों और अग्रिमों की वसूली	5,070[9]	70	46	58	62
4	**ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)**	**5,089**	**83**	**60**	**72**	**1,661**
5	ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	539.32	(-)98.37	(-)27.71	20.00	2,206.94
6	आंतरिक ऋण	19,975	28,701	29,496	54,242	33,671
7	आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	(-)30.11	43.68	2.77	83.90	(-)37.92
8	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्ज और अग्रिम	1,917	3,796	4,868	10,929[10]	12,614[11]
9	केंद्र सरकार से प्राप्त कर्जों और अग्रिमों की वृद्धि दर	51.30	98.02	28.24	124.51	15.42
10	**लोक ऋण प्राप्तियां (6+8)**	**21,892**	**32,497**	**34,364**	**65,171**	**46,285**
11	**पूंजीगत प्राप्तियां (4+10)**	**26,981**	**32,580**	**34,424**	**65,243**	**47,946**
12	लोक ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)26.65	48.44	5.75	89.65	(-)28.98
13	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.77	14.42	12.95	4.01	19.74
14	पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)11.95	20.75	5.66	89.53	(-)26.51

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन की पूंजीगत प्राप्तियां 2020–21 में ₹65,243 करोड़ से 2021–22 में ₹47,946 करोड़ तक 26.51 प्रतिशत से कम मुख्यतः आंतरिक ऋण में 2020–21 में ₹54,242 करोड़ से 2021–22 में ₹33,671 करोड़ तक की कमी के कारण थी।

2.9 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के एकत्रीकरण में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में वर्ष 2021–22 के लिए स्वयं के कर और करेत्तर स्रोत शामिल कर किया जाता है।

[9] इसमें से ₹4,622 करोड़ 'बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण' की वसूली से संबंधित है।

[10] इसमें से ₹4,542 करोड़ वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैक टू बैक ऋण से संबंधित हैं।

[11] इसमें से ₹7,011 करोड़ वस्तु एवं सेवाकर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में बैक टू बैक ऋण से संबंधित हैं।

तालिका 2.12: अनुमान के सापेक्ष स्वयं के कर एवं करेत्तर प्राप्तियां					
					(₹ करोड़ में)
विवरण	पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक से भिन्नता का प्रतिशत	
				पन्द्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	58,138	64,914	66,237	13.93	2.04
करेत्तर राजस्व	15,443	11,742	15,305	(-)0.90	30.34
योग	**73,581**	**76,656**	**81,542**	**10.82**	**6.37**

स्रोतः वित्त लेख 2021–22, पन्द्रहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन और बजट अनुमान

तालिका 2.12 से, यह देखा जा सकता है कि राज्य शासन ने संसाधन जुटाने के लिए बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों को 6.37 प्रतिशत से अधिक कर दिया, जिसमें, प्रमुख योगदान करेत्तर राजस्व से था जहां वास्तविक बजट अनुमान ₹3,563 करोड़ (30.34 प्रतिशत) से अधिक था।

2.10 संसाधनों का अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के अन्तर्गत व्ययों को उठाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार में निहित है, जबकि उसी समय पर यह सुनिश्चित करना कि राज्य की चल रही राजकोषीय सुधार और समेकन की प्रक्रिया पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में किये गये व्यय की कीमत पर नहीं है। यह कंडिका, उप–कंडिकाओं के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है।

2.10.1 व्यय की संवृद्धि और संरचना

वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान कुल व्यय, इसकी संरचना एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनकी सापेक्ष हिस्सेदारी **तालिका 2.13** में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 2.13: कुल व्यय और इसके संघटक					
					(₹ करोड़ में)
मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय	**1,62,709**	**1,72,664**	**1,80,672**	**1,96,319**	**2,25,024**
राजस्व व्यय	1,30,246	1,42,149	1,50,444	1,64,733	1,81,061
पूंजीगत व्यय	30,913	29,424	29,241	30,356	40,733
कर्ज और अग्रिम	1,550	1,090	987	1,230	3,229
अंतर्राज्यीय समाशोधन	0	1	(-)0.62	(-)0.25	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,26,284	8,31,024	9,38,602	9,76,281	11,69,004
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.40	20.78	19.25	20.11	19.25
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	17.93	17.11	16.03	16.87	15.49
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4.26	3.54	3.12	3.11	3.48
कर्ज तथा अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.21	0.13	0.11	0.13	0.28

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य का कुल व्यय 2017–18 में ₹1,62,709 करोड़ से 2021–22 में ₹2,25,024 करोड़ तक 38 प्रतिशत से बढ़ा। 2021–22 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 14.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, 2017–22 के दौरान कुल व्यय 22.40 प्रतिशत से 19.25 प्रतिशत तक कम हुआ।

चार्ट 2.12 और **2.13**, 2017–22 की अवधि में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करते हैं जबकि **चार्ट 2.14** कुल व्यय में घटकों के हिस्सेदारी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

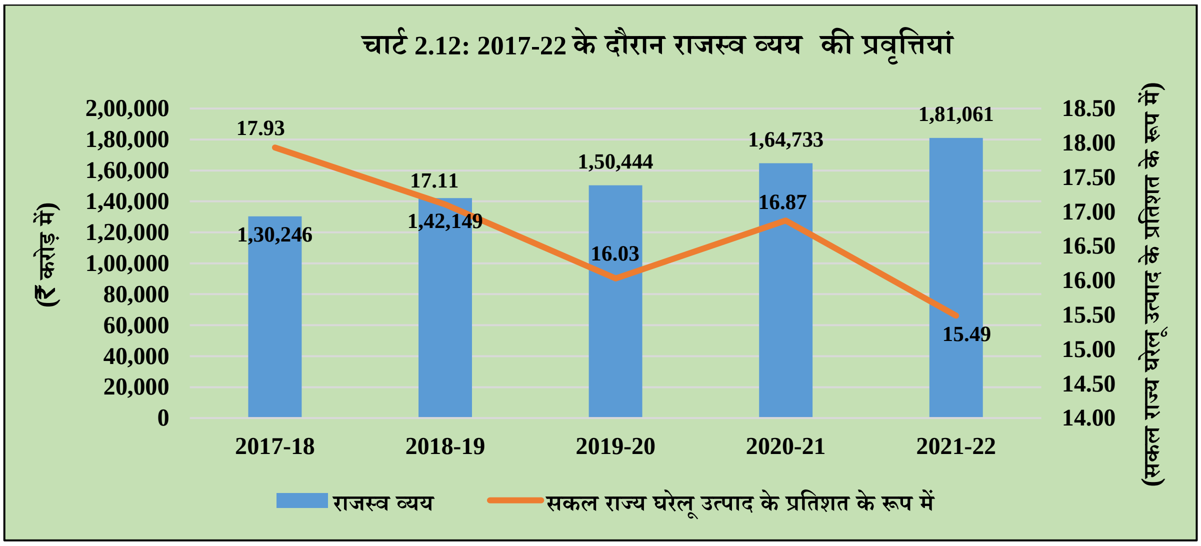

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

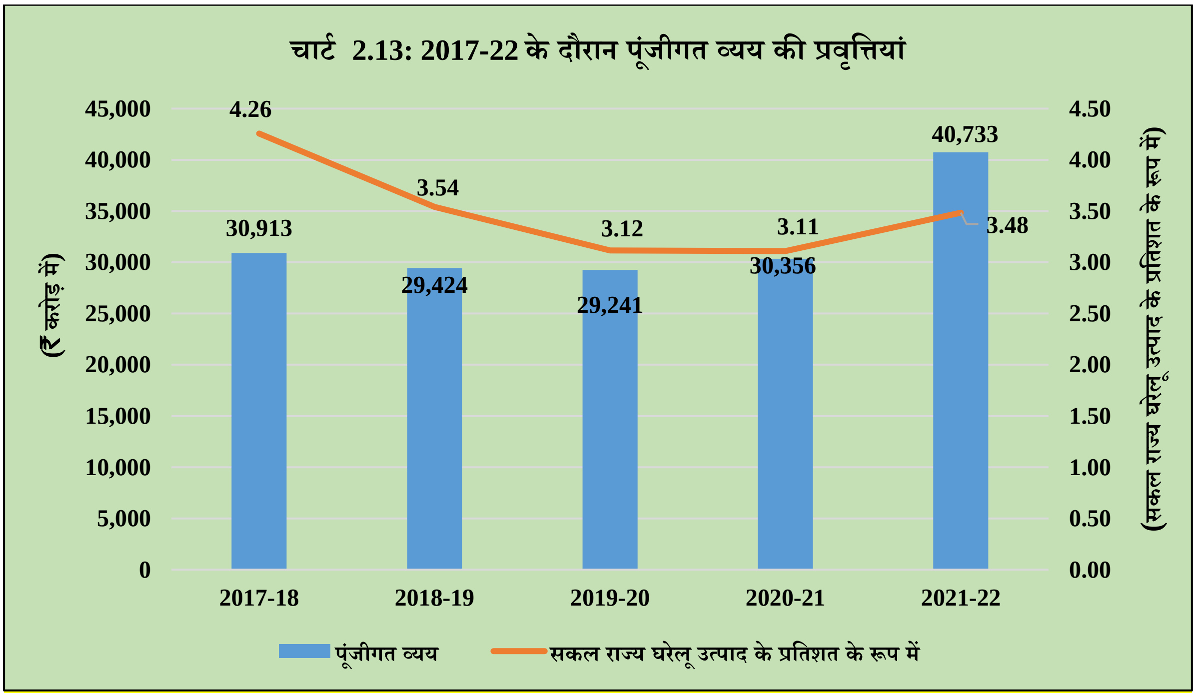

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त जानकारी

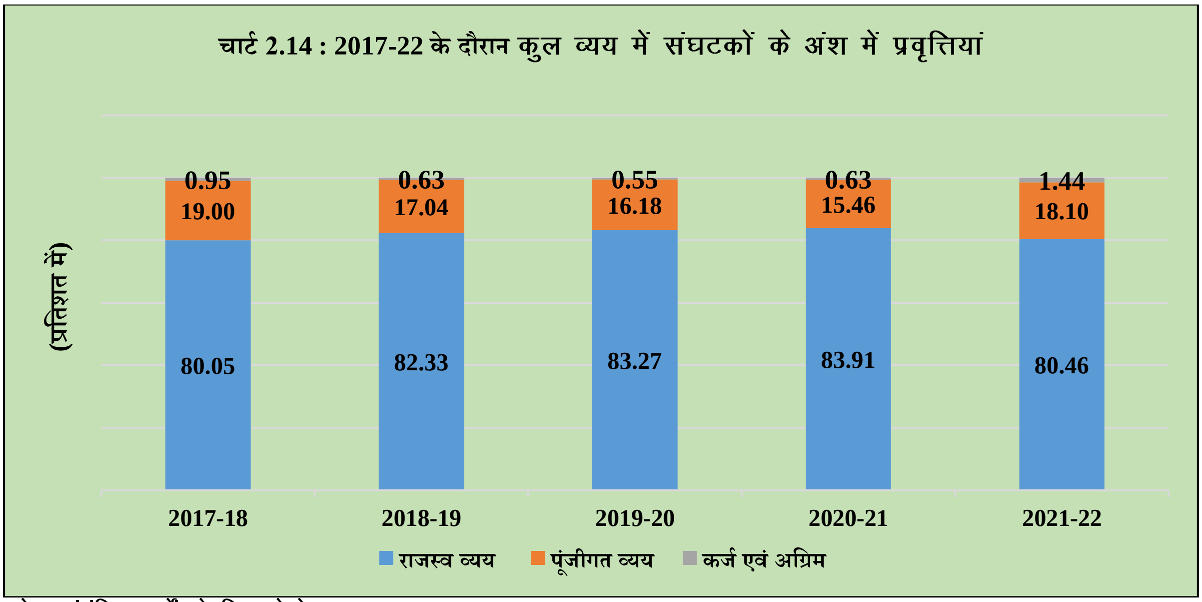

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूंजीगत व्यय जो 2017–18 में ₹30,913 करोड़ था 2021–22 में ₹40,733 करोड़ हो गया जिसमें 31.77 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 2017–18 में 4.26 प्रतिशत से 2021–22 में 3.48 प्रतिशत तक कम हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास (₹5,599 करोड़ की वृद्धि) के अंतर्गत वृद्धि के कारण पूंजीगत व्यय में ₹11,499 करोड़ (34 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय सामान्य सेवाओं, ब्याज भुगतान सहित, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय से अंगभूत हैं। 2021–22 के दौरान कुल व्यय ₹2,25,024 करोड़ (संदर्भ ***परिशिष्ट 2.1***) में इन घटकों का सापेक्ष हिस्सा **तालिका 2.14** में दिया गया है:

तालिका 2.14: व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष अंश

(प्रतिशत में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवाएं	20.19	22.49	22.59	24.88	22.42
सामाजिक सेवाएं	39.15	37.31	39.38	39.17	38.22
आर्थिक सेवाएं	35.37	35.12	34.22	32.32	34.76
अन्य (स्थानीय निकायों के लिये अनुदान और कर्ज एवं अग्रिम)	5.29	5.08	3.81	3.63	4.60

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के उपरोक्त घटकों के सापेक्ष अंशों से संकेत मिलता है कि कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं के अंश में पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान 2.44 प्रतिशत से वृद्धि हुई। हालांकि, ये बढ़ोत्तरी सामान्य सेवाओं और सामाजिक सेवाओं, के संबंधित हिस्से में कमी से प्रति संतुलित हुयी।

2021–22 के दौरान व्यय की संरचना **चार्ट 2.15** में चित्रित है।

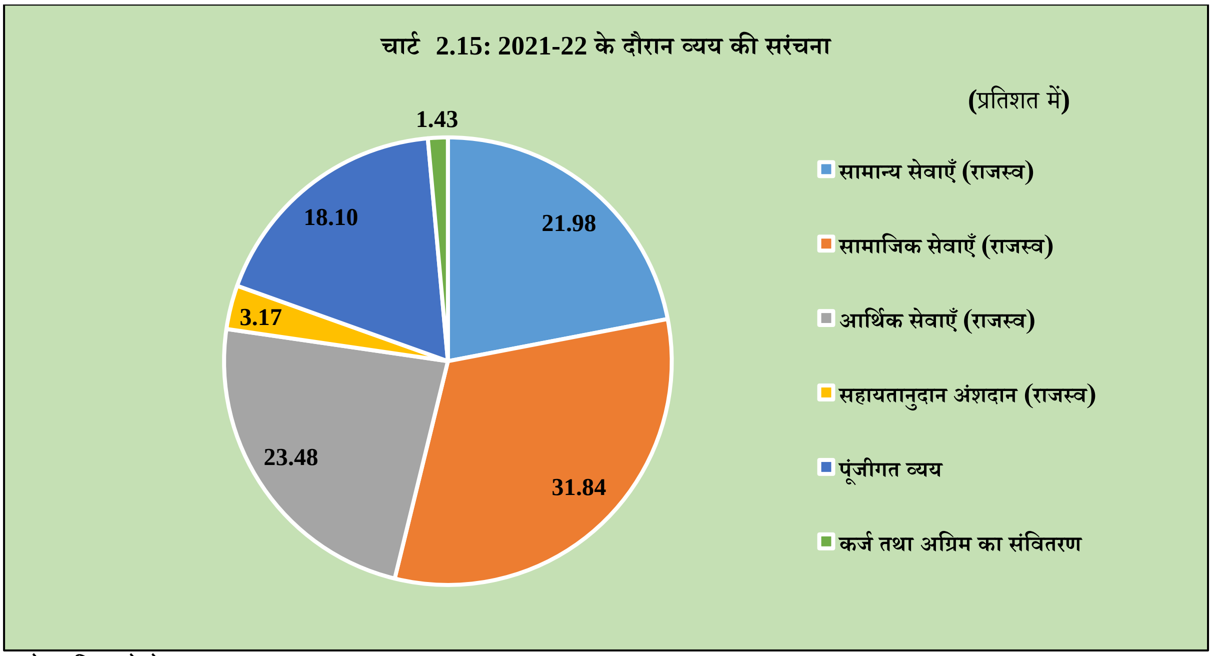

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

2.10.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिये एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिये राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, यह राज्य की अवसंरचना एवं सेवा संजाल में कोई इजाफा नहीं करता है।

पाँच वर्षो की अवधि 2017–22 के दौरान राजस्व व्यय की संवृद्धि दर ने व्यापक उतार–चढ़ाव प्रदर्शित किया। समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, इसका कुल व्यय से अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष उत्प्लावकता **तालिका 2.15** में प्रदर्शित है। 2021–22 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्र–वार वितरण **चार्ट 2.16** में दिया गया है:

तालिका 2.15: राजस्व व्यय–मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय	**1,62,709**	**1,72,664**	**1,80,672**	**1,96,319**	**2,25,024**
राजस्व व्यय	1,30,246	1,42,149	1,50,444	1,64,733	1,81,061
राजस्व व्यय की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	8.96	9.14	5.84	9.50	9.91
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	80.05	82.33	83.27	83.91	80.46
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,26,284	8,31,024	9,38,602	9,76,281	11,69,004
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	17.93	17.11	16.03	16.87	15.49
राजस्व प्राप्तियां	1,34,875	1,48,893	1,47,643	1,46,377	1,85,876
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	96.57	95.47	101.90	112.54	97.41
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	0.76	0.63	0.45	2.36	0.50
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.96	0.88	(-)6.95	(-)11.05	0.37

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ राजस्व प्राप्तियों (अनुपात) में पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 के दौरान 11.42 प्रतिशत से वृद्धि हुई।

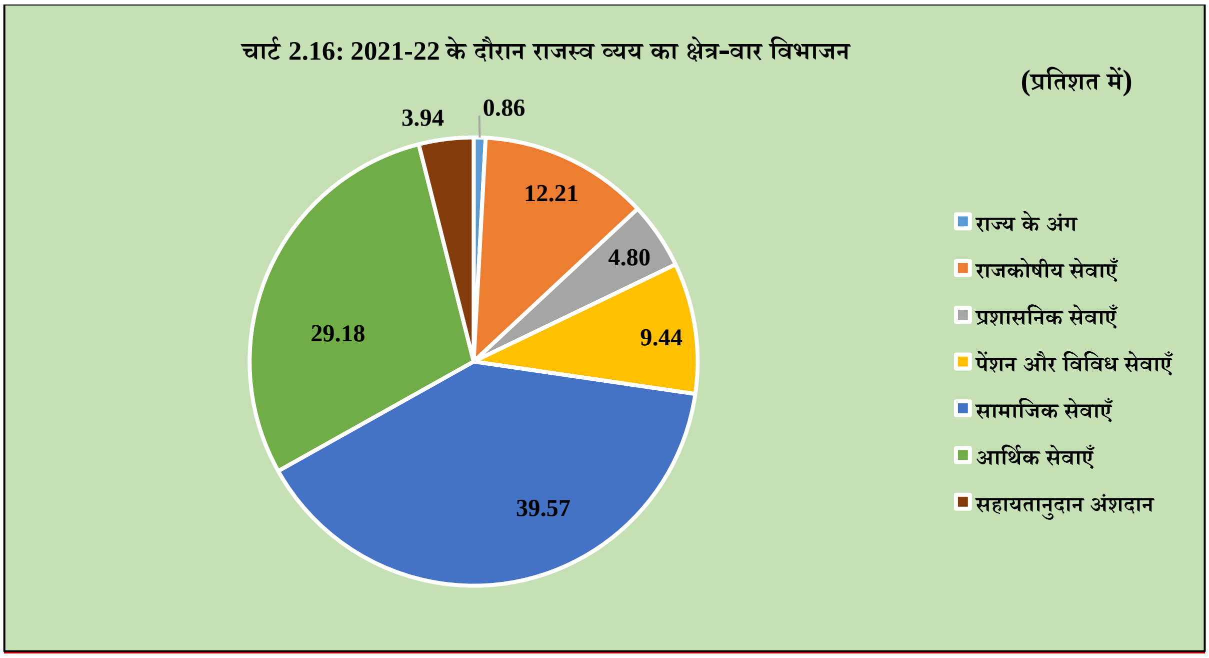

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

2021–22 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 1.38 प्रतिशत से कमी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ₹1,92,723 करोड़ से (19.74 प्रतिशत) वृद्धि के कारण आयी। इसके अलावा, मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (₹1,72,971 करोड़) में किए गए आंकलन की तुलना में राजस्व व्यय ₹8,090 करोड़ से अधिक हुआ।

2.10.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नता का विवरण **तालिका 2.16** में वर्णित है।

तालिका 2.16: 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा का मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	भिन्नता (प्रतिशत)
2029-भू राजस्व	2,436.27	1,002.28	-1,433.99(58.86)
2049-ब्याज भुगतान	15,917.87	18,445.91	2,528.04(15.88)
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ	14,670.70	17,042.13	2,371.43(16.16)
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	8,432.79	11,163.45	2,730.66(32.38)
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	4,944.37	2,771.83	-2,172.54(43.94)
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6,118.29	3,675.83	-2,442.46(39.92)
2801-बिजली	14,913.56	23,413.43	8,499.87(56.99)
2852-उद्योग	307.13	1,407.89	1,100.76(358.40)
3604-स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओ को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन	5,900.28	7,125.46	1,225.18(20.76)

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2801–बिजली के अन्तर्गत राजस्व व्यय में ₹8,500[12] करोड़ से वृद्धि, प्रथमत: "विद्युत मंडलो को सहायता" पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। आगे, 2021–22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर व्यय के अंतर्गत "अस्पताल तथा औषधालय"

12 वृद्धि मुख्य रूप से उदय योजना (₹1,388 करोड़), अटल गृह ज्योति योजना (₹4,660 करोड़), और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को राजसहायता का भुगतान (₹1,681 करोड़) के तहत कंपनी की हानि राशि के अधिग्रहण के कारण हुई है।

("शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी" के अंतर्गत) पर व्यय में वृद्धि के कारण थी। मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,442 करोड़ से कमी "ग्राम पंचायतों को सहायता" पर व्यय में कमी के कारण थी।

2.10.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राज्य सरकार के राजस्व लेखों पर प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी तथा पेंशन पर व्यय शामिल हैं। प्रतिबद्ध व्यय पर बढ़ती प्रवृत्ति सरकार को विकासात्मक क्षेत्र के लिए कम लचीलापन छोड़ती है।

तालिका 2.17 2017–22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.17: प्रतिबद्ध व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन एवं मजदूरी	24,026	27,256	31,160	37,759	41,096
पेंशन पर व्यय	9,290	11,984	12,053	14,671	17,042
ब्याज भुगतान	11,045	12,696	14,217	15,918	18,446
राजसहायताएं	19,381	21,222	12,642	13,669	19,285
योग	**63,742**	**73,158**	**70,072**	**82,017**	**95,869**
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	17.81	18.31	21.10	25.80	22.11
पेंशन पर व्यय	6.89	8.05	8.16	10.02	9.17
ब्याज भुगतान	8.19	8.53	9.63	10.87	9.92
राजसहायताएं	14.37	14.25	8.56	9.34	10.38
योग	**47.26**	**49.13**	**47.46**	**56.03**	**51.58**
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	18.45	19.17	20.71	22.92	22.70
पेंशन पर व्यय	7.13	8.43	8.01	8.91	9.41
ब्याज भुगतान	8.48	8.93	9.45	9.66	10.19
राजसहायताएं	14.88	14.93	8.40	8.30	10.65
योग	**48.94**	**51.47**	**46.58**	**49.79**	**52.95**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय 2017–18 में ₹63,742 करोड़ (राजस्व व्यय का 48.94 प्रतिशत) से 2021–22 में ₹95,869 करोड़ (राजस्व व्यय का 52.95 प्रतिशत) तक बढ़ा। हालांकि, 2020–21 की तुलना में 2021–22 में प्रतिबद्ध व्यय में ₹13,852 करोड़ (16.89 प्रतिशत) से वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं राजसहायताओं में 41.09 प्रतिशत और वेतन एवं मजदूरी में 8.84 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी।

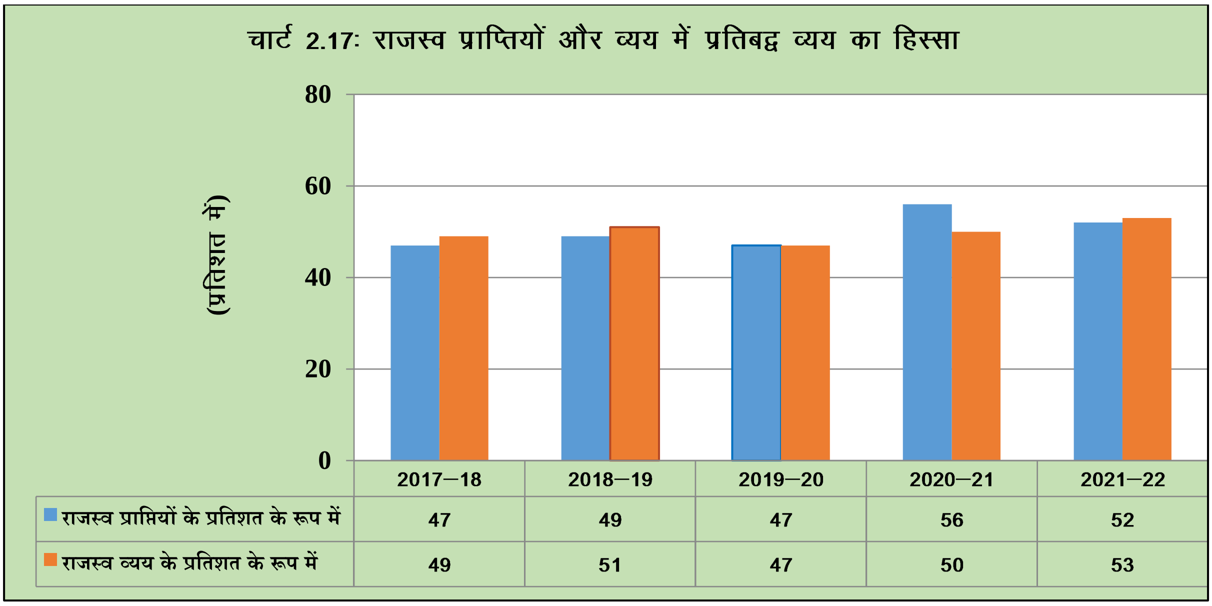

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2021–22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय (₹95,869 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹1,81,061 करोड़) का 52.95 प्रतिशत लेखांकित (**चार्ट 2.17**) था।

2.10.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान में अन–उन्मोचित दायित्व

2021–22 के दौरान पेंशन भुगतान पर व्यय ₹17,042.13 करोड़ था, जिसमें से ₹2,469.74 करोड़ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर व्यय हुआ जो 1 जनवरी 2005 या उसके बाद भर्ती हुये कर्मचारियों पर लागू होती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

नवीन पेंशन योजना को 1 जनवरी 2005 से प्रारंभ में शासकीय कर्मचारियो के लिये अभिकल्पित किया गया था। आगे इसे 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में पुनर्संरचित किया गया। योजना के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, जिसमें राज्य शासन द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से अंतरित की जाती है।

1 अक्टूबर 2009 से प्रभावी, मध्य प्रदेश शासन ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (सितम्बर 2008) द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों के अंशदान को शीर्ष 0071–01–500–'अन्य लघु शीर्ष को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां' के अंतर्गत एवं शासन के अंशदान को शीर्ष 2071–01–117–में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान से विकलित कर एवं उसके बाद शासकीय अंशदान को 0071–01–500 शीर्ष 'अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिए प्रतीक्षित प्राप्तियां' में अंतरण हेतु वर्गीकृत करना शुरू किया।

वित्त लेखों पर आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विश्लेषण

अवधि 2012–13 से 2021–22 से संबंधित वित्त लेखों पर आधारित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विश्लेषण **तालिका 2.18** में दिया गया है:

तालिका 2.18: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत लेनदेनों का विवरण					
					(₹ करोड़ में)
वर्ष	से प्राप्त अंशदान का विवरण			निधि का राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड में अंतरण	राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड में कम अंतरण (4-5)
	कर्मचारी	मध्य प्रदेश शासन	योग (2+3)		
1	2	3	4	5	6
2012-13	113.86	122.72	236.58	228.78	7.80
2013-14	158.66	176.78	335.44	323.10	12.34
2014-15	216.73	239.40	456.13	438.47	17.66
2015-16	264.29	284.92	549.21	530.39	18.82
2016-17	313.40	336.94	650.34	628.48	21.86
2017-18	392.64	428.81	821.45	801.63	19.82
2018-19	424.82	728.88	1,153.70	1,040.60	113.10
2019-20	817.17	916.71	1,733.88	1,682.28	51.60
2020-21	1,516.40	1,614.75	3,131.15	3,116.94	14.21
2021-22	1,950.69	2,469.74	4,420.43	4,410.13	10.30
योग	**6,168.66**	**7,319.65**	**13,488.31**	**13,200.80**	**287.51**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 2.18** से देखा जा सकता है, अवधि 2012–22 के दौरान कुल संग्रहित अंशदान ₹13,488.31 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान एवं सरकार का अंशदान) में से राज्य शासन ने मनोनीत प्राधिकारी को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के माध्यम से केवल ₹13,200.80 करोड़ अंतरित किये, परिणामस्वरूप योजना के प्रावधान के अनुसार आगे निवेश के लिये राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को ₹287.51 करोड़ कम अंतरित हुये। इस प्रकार, राज्य शासन की वर्तमान देयताएं भविष्य के वर्षो के लिये स्थगित हुयी। आगे, राज्य शासन ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित नहीं की गई राशि पर परिहार्य ब्याज देयताएं सृजित की हैं।

राज्य सरकार (दिसम्बर 2022) ने सूचित किया कि अंशदान की गई अधिक राशि और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को कम हस्तांतरित राशि का पुनर्मिलान प्रक्रियाधीन है।

2.10.2.4 राजसहायताएं

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं 2020–21 में 9.34 प्रतिशत से 2021–22 में 10.38 प्रतिशत तक बढ़ी और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 2020–21 में 8.30 प्रतिशत से 2021–22 में 10.65 प्रतिशत तक बढ़ी। वास्तविक संदर्भों में, राजसहायताओं के भुगतान पर व्यय 2020–21 में ₹13,669 करोड़ से 2021–22 में ₹19,285 करोड़ तक बढ़ा, जिसे **तालिका 2.19** में दिये गये विवरण से देखा जा सकता है।

तालिका 2.19: 2017–22 के दौरान राजसहायताओं पर व्यय					
					(₹ करोड़ में)
विवरणियां	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजसहायताएं	19,381	21,222	12,642	13,669	19,285
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	14.37	14.25	8.56	9.34	10.38
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	14.88	14.93	8.40	8.30	10.65
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(–)	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815
राजस्व अधिशेष (+)/घाटा(–) के प्रतिशत के रूप में राजसहायताएं	419	315	(-)451	(-)74	401

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2021–22 के दौरान, राजसहायताओं में पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,616 करोड़ से वृद्धि, राजसहायताओं के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में ₹3,433 करोड़ से एवं फसल कृषि–कर्म में ₹1,603 करोड़ (किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के अंतर्गत) से वृद्धि के कारण हुई।

2.10.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य शासन द्वारा वित्तीय सहायता

2017–22 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदानों एवं कर्जों के माध्यम से प्रदान की गयी सहायता की मात्रा को **तालिका 2.20** में प्रस्तुत किया है:

तालिका 2.20: स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(अ) स्थानीय निकाय					
पंचायती राज संस्थान	27,638.46	26,301.03	18,828.94	19,103.09	16,889.40
नगरीय स्थानीय निकाय	11,002.14	11,408.89	6,204.28	6,873.93	7,001.23
योग (अ)	**38,640.60**	**37,709.92**	**25,033.22**	**25,977.02**	**23,890.63**
(ब) अन्य					
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	979.15	661.03	93.50	51.84	100.17
स्वायत्त निकाय	1,567.26	2,245.30	3,099.07	3,223.99	4,632.80
सहकारी समितियाँ और सहकारी संस्थाएं	146.35	80.28	0.00	0.00	0.00
गैर–सरकारी संगठन	3,097.42	1,280.38	689.03	880.53	1,090.95
अन्य	7,766.15	11,368.55	35,292.46	33,310.86	35,983.70
₹10 करोड़ से कम व्यय वाली अन्य योजनाएं	1,258.06	1,082.58	1,051.05	826.71	899.72
योग (ब)	**14,814.39**	**16,718.12**	**40,225.11**	**38,293.93**	**42,707.34**
महायोग (अ+ब)	**53,454.99**	**54,428.04**	**65,258.33**	**64,270.95**	**66,597.97**
राजस्व व्यय	1,30,246.09	1,42,149.21	1,50,444.30	1,64,733.01	1,81,061.30
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता	**41.04**	**38.29**	**43.38**	**39.02**	**36.78**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2017–18 में ₹53,454.99 करोड़ से 2021–22 में ₹66,597.97 करोड़ तक ₹13,142.98 करोड़ से बढ़ी। 2021–22 के दौरान, स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,086.39 करोड़ से कम हुई।

राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्तीय सहायता अंतरवर्षीय उतार चढ़ाव के साथ 2017–18 में 41.04 प्रतिशत से 2021–22 में 36.78 प्रतिशत तक कम हुयी।

2.10.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में प्राथमिक रूप से स्थायी अवसंरचना परिसंपत्तियों, जैसे– भवन, सड़कें, पुलों, इत्यादि के निर्माण पर व्यय शामिल होता है। पाँच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान बजट के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण **चार्ट 2.18** में दिया गया है:

चार्ट 2.18: पांच वर्षों की अवधि 2017–18 से 2021–22 के दौरान पूंजीगत व्यय का विवरण

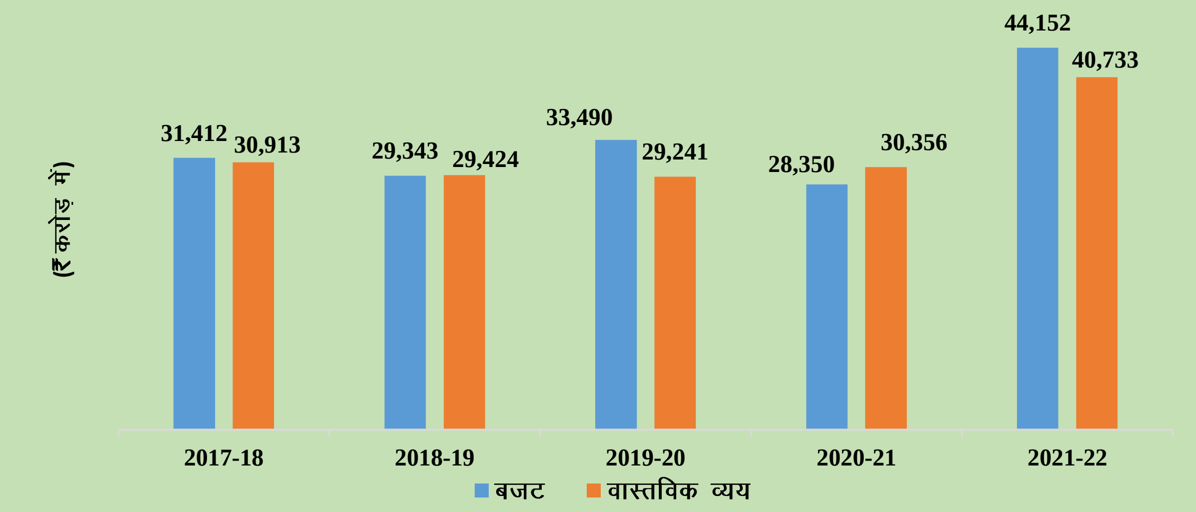

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं बजट पुस्तिकाएं

पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य का पूंजीगत व्यय 2017–18 में ₹30,913 करोड़ से 2021–22 में ₹40,733 करोड़ तक अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ बढ़ा।

2.10.3.1 पूंजीगत व्यय में मुख्य परिवर्तन

तालिका 2.21 विगत वर्ष के सापेक्ष 2021–22 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि या कमी के प्रकरणों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.21: 2020–21 की तुलना में 2021–22 के दौरान पूंजीगत व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	भिन्नता (प्रतिशत)
4202–शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	1,298.59	1,493.87	195.28(15.04)
4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	738.98	962.76	223.78(30.28)
4215–जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत व्यय	3,951.35	8,928.65	4,977.30(125.96)
4217–शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय	1,208.28	1,831.03	622.75(51.54)
4225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत व्यय	822.23	571.06	-251.17(30.55)
4515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय	3,782.09	4,232.34	450.25(11.90)
4700–वृहद् सिंचाई पर पूंजीगत व्यय	8,360.86	8,575.14	214.28(2.56)
4801–विद्युत परियोजना पर पूंजीगत व्यय	494.58	989.02	494.44(99.97)
5054–सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत व्यय	5,401.89	7,086.26	1,684.37(31.18)
योग	**26,058.85**	**34,670.13**	8,611.28(33.05)
वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय	**30,355.77**	**40,733.11**	10,377.34(34.19)

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि कुल पूंजीगत व्यय का 22 प्रतिशत जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर खर्च किया गया यद्यपि यह पिछले वर्ष की तुलना में 2021–22 में ₹4,977.30 करोड़ से बढ़ा। कुल पूंजीगत व्यय का 21 प्रतिशत वृहद् सिंचाई पर भी व्यय किया गया।

2.10.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही ऐसी शासकीय कंपनियों में निवेश करना जारी रखती है जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, निवेश पर प्रतिलाभ की कोई संभावना नहीं है। इसी तरह, अनुभव ने घाटे में चल रहे निगमों एवं अन्य निकायों, जैसे–चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिये गये कर्जो को बट्टे खाते में डालने की अनिवार्यता को दिखाया है। ऐसी वित्तीय प्रक्रियाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कदम उठाने होंगे। यह अनुभाग वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनका निवल मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया है, में पूंजीगत व्यय संवहनीय नहीं है।

ऐसी कंपनियों, निगमों एवं सहकारिताओं में निवेश करना एवं कर्ज देना, पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये पूंजीगत निवेश के अंश में निवेश पर प्रतिलाभ और विभिन्न निकायों को दिये जाने वाले कर्जो के पुनर्भुगतान का इतिहास पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्त्वपूर्ण निर्धारक हैं।

निवेश एवं प्रतिलाभ

2021–22 के वित्त लेखों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन ने 31 मार्च 2022 तक राज्य में 35 सांविधिक निगमों, 44 शासकीय कंपनियों, 24 संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां, एक बैंक एवं 129 सहकारी संस्थाओं में ₹41,058.88 करोड़ का निवेश किया था। 2021–22 के दौरान राज्य शासन ने इन निवेशों पर ₹138.73 करोड़ का प्रतिलाभ अर्जित किया। पाँच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा किये गये निवेश का वर्ष–वार विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 2.22: 31 मार्च 2022 तक निवेश एवं निवेश पर प्रतिलाभ का विवरण

(₹ करोड़ में)

इकाइयां	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सांविधिक निगम (इकाइयों की संख्या)	8,760.96 (33)	9,259.66 (34)	10,038.35 (35)	10,892.35 (35)	12,019.72 (35)
शासकीय कंपनियां (इकाइयों की संख्या)	20,521.26 (43)	24,349.56 (41)	24,713.23 (41)	26,544.84 (44)	26,657.70 (44)
संयुक्त स्टॉक कंपनियां और साझेदारियां (इकाइयों की संख्या)	0.11 (23)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)	1.31 (24)
बैंक[13] (इकाइयों की संख्या)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)	निरंक (01)
सहकारी संस्थाएं (इकाइयों की संख्या)	254.93 (130)	1,629.57 (130)	1,620.63 (130)	1,653.36 (129)	2,380.15 (129)
कुल निवेश	**29,537.26**	**35,240.10**	**36,373.52**	**39,091.86**	**41,058.88**
निवेश पर प्रतिलाभ	622.36	347.26	475.96	288.44	138.73
निवेश पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	2.11	0.99	1.31	0.74	0.34
शासकीय उधारियों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.73	6.92	6.69	6.18	6.13

13 इसमें ग्रामीण एवं शहरी बैंक तथा औद्योगिक सहकारी बैंक शमिल है।

तालिका 2.22: 31 मार्च 2022 तक निवेश एवं निवेश पर प्रतिलाभ का विवरण					
					(₹ करोड़ में)
इकाइयां	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
शासकीय उधार पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिलाभ के बीच अंतर (प्रतिशत)	4.62	5.93	5.38	5.44	5.79

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पाँच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान निवेश पर औसत प्रतिलाभ दर 1.10 प्रतिशत थी, जबकि राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि के दौरान औसत ब्याज दर 6.53 प्रतिशत से भुगतान किया।

राज्य शासन द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

राज्य शासन ने सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त कई संस्थानों/संगठनों को भी कर्ज एवं अग्रिम प्रदान किया है। **तालिका 2.23** 31 मार्च 2022 की स्थिति में बकाया कर्ज एवं अग्रिमों के साथ–साथ पाँच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान ब्याज प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.23: बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा राज्य शासन द्वारा ब्याज प्राप्तियां एवं भुगतान					
					(₹ करोड़ में)
कर्ज/ब्याज प्राप्तियां/उधारियों की लागत की मात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कर्ज एवं अग्रिमों का प्रारंभिक शेष (1)	**44,989**[14]	**41,124**[15]	**42,144**	**42,585**[16]	**43,757**
वर्ष के दौरान संवितरित राशि (2)	1,550	1,090	987	1,230	3,229
वर्ष के दौरान वसूल राशि (3)	5,070	70	46	58	62
कर्ज तथा अग्रिमों का अंतिम शेष (4)	**41,469**	**42,144**	**43,085**	**43,757**	**46,924**
कर्ज तथा अग्रिमों का निवल संयोजन (5)=(2-3)	(-)3,520	1,020	941	1,172	3,167
ब्याज प्राप्तियां (6)	97	235	130	88	1,432
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां (7)	0.23	0.56	0.30	0.20	3.05
शासकीय उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत) (8)	6.73	6.92	6.69	6.18	6.13
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर (प्रतिशत) (9)	6.50	6.36	6.39	5.98	3.08

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2022 तक बकाया कर्ज एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹46,924 करोड़ थी। आर्थिक क्षेत्र (₹40,225 करोड़) में बकाया कर्ज एवं अग्रिम बहुत ज्यादा है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,338 करोड़ से वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान संवितरित कर्ज की राशि वर्तमान वर्ष में ₹1,230 करोड़ से ₹3,229 करोड़ तक 162.52 प्रतिशत से बढ़ी।

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य को ₹1,432 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,344 करोड़ से वृद्धि हुई, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी) से संबंधित ₹1,366 करोड़ के ब्याज की राशि के समायोजन के लिए सहायता प्रदान की गयी थी।

2021–22 के दौरान 6.13 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से उधारियों पर भुगतान किया गया, जबकि शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों पर केवल 3.05 प्रतिशत की औसत ब्याज दर प्राप्त हुई।

[14] छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹6.74 करोड़ से कम हुआ।
[15] छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹345.35 करोड़ से कम हुआ।
[16] प्रोफॉर्मा सुधार के कारण प्रारंभिक शेष ₹500 करोड से कम हुआ।

2.10.4 अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी का अवरूद्धीकरण

अपूर्ण पूंजीगत निर्माण कार्यों में अवरूद्ध पूंजी में प्रवृत्तियों का आंकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करेगा।

अपूर्ण कार्यों पर अवरुद्ध पूंजी, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। नमूना जाँच के अनुसार 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण नीचे **तालिका 2.24** में सारांशीकृत किया है:

तालिका 2.24: 31 मार्च 2022 तक अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की संचयी वास्तविक लागत	परियोजनाओं की संख्या जिनकी लागत पुनरीक्षित की गई	परियोजना की अनुमानित लागत जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गयी		
					प्रारंभिक	पुनरीक्षित अनुमानित लागत	बढ़ी हुयी लागत
लोक निर्माण विभाग	1,345	10,032.62	6,564.00	09	111.64	122.59	10.95
योग	**1,345**	**10,032.62**	**6,564.00**	**09**	**111.64**	**122.59**	**10.95**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी

परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब के परिणामस्वरूप परिकल्पित लाभों में विलम्ब के अलावा नौ परियोजनाओं में ₹10.95 करोड़ की लागत बढ़ गई।

संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये उधार ली गई राशि व्यर्थ साबित हुई, जबकि राज्य ऋण एवं ब्याज देयताओं को चुकाने का बोझ सतत वहन करता रहा। इन सभी उपरोक्त परियोजनाओं को आगे बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि समय की अधिकता के कारण लागत बढ़ने से बचा जा सके।

2.10.5 उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना था।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों[17] एवं ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया, जिसके अंतर्गत राज्य 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में ₹26,055 करोड़ (मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल ऋण ₹34,739 करोड़ का 75 प्रतिशत) मूल्य के ऋण को पॉच[18] वर्षो में अधिग्रहण करेगी। मध्य प्रदेश शासन को 2020–21 के दौरान ₹4,621 करोड़ का ऋण भार ग्रहण करना आवश्यक था एवं उसी राशि को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान के रूप में अंतरित करना था। ऐसा नहीं किया गया। तथापि, जैसा कि समझौता ज्ञापन में प्रतिबद्ध था, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2017–18 के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियो को हुई हानि का पाँच प्रतिशत राशि ₹253.21 करोड़ 2018–19 में एवं वर्ष 2018–19 के लिए हानि का 10 प्रतिशत राशि ₹729.95 करोड़ 2019–20 में एवं वर्ष 2019–20 के लिए हानि का 25 प्रतिशत राशि ₹711.63 करोड़

[17] मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।

[18] 2016–17 के दौरान, ₹7,568 करोड़, 2017–18 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2018–19 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2019–20 के दौरान ₹4,622 करोड़, 2020–21 के दौरान ₹4,621 करोड़।

का भार 2020–21 में अधिग्रहण किया। वर्ष 2021–22 में विद्युत वितरण कंपनियो को हुई हानि को पूरा करने के लिए कुल राशि ₹2,100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध पूरी राशि जारी कर दी गयी है। विवरण नीचे **तालिका 2.25** में देखा जा सकता है:

तालिका 2.25: उदय के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

	अधिग्रहण किया गया ऋण			अधिग्रहण की गयी हानि	
वर्ष	**इक्विटी**	**ऋण**	**अनुदान**	**अनुदान**	**योग**
2016-17	3,557.00	-	4,011.00	-	7,568.00
2017-18	4,011.00	-	611.00	-	4,622.00
2018-19	-	-	500.00	253.21	753.21
2019-20	-	-	-	729.95	729.95
2020-21	-	-	-	711.63	711.63
2021-22	-	-	-	2,100.00	2,100.00
योग	**7,568.00**	**-**	**5,122.00**	**3,794.79**	**16,484.79**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं उर्जा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों एवं ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार ₹13,365[19] करोड़ की शेष ऋण राशि का अधिग्रहण नहीं किया।

2.10.6 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता

सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच ढांचा प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था है, जो उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने में सक्षम बनाती है।

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि मार्च 2022 तक प्रारम्भ की गई 183 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (लागत ₹18,677.40 करोड़) में से, ₹14,672.24 करोड़ लागत की 141 परियोजनाओं (77 प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था, जबकि ₹1,061.51 करोड़ लागत वाली छः परियोजनाओं (3.19 प्रतिशत) में कार्य प्रगति पर था तथा ₹2,943.65 करोड़ लागत वाली 36 परियोजनाएं (19.67 प्रतिशत) प्रक्रियाधीन या बोली के अंतर्गत थी। विवरण निम्न **तालिका 2.26** में दिया गया है:

[19] राज्य को ₹26,055 करोड़ की ऋण राशि का अधिग्रहण करना था, लेकिन राज्य ने ₹12,690 करोड़ (₹7,568 करोड़ + ₹5,122 करोड़) का अधिग्रहण किया और शेष राशि ₹13,365 करोड़ के ऋण का अधिग्रहण नहीं किया।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2022 तक विभिन्न विभागों के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	कुल परियोजनाएं		योजनाधीन/ प्रक्रियाधीन		निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत		कार्यान्वयनाधीन/ निर्माणाधीन		पूर्ण परियोजनाएं	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
1	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	3	176.48	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	176.48
2	ऊर्जा	3	382.70	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	382.70
3	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1	138.50	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	138.50
4	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	2	374.92	0	0.00	1	125.00	0	0.00	1	249.92
5	वन	4	196.68	1	130.00	1	50.00	1	15.68	1	1.00
6	आवास एवं पर्यावरण	3	47.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	47.00
7	चिकित्सा शिक्षा	1	105.73	1	105.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	67.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	67.00
9	लोक निर्माण कार्य	132	12,427.71	6	69.37	6	145.48	0	0.00	120	12,212.86
10	खेलकूद एवं युवा कल्याण	1	900.00	0	0.00	0	0.00	1	900.00	0	0.00
11	पर्यटन	3	35.00	0	0.00	1	15.00	0	0.00	2	20.00
12	परिवहन	1	1,094.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1,094.00
13	नगरीय विकास	28	2,731.68	18	2,289.13	1	13.94	4	145.83	5	282.78
	योग	**183**	**18,677.40**	**26**	**2,594.23**	**10**	**349.42**	**6**	**1,061.51**	**141**	**14,672.24**

स्रोतः संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रदायित जानकारी

2.10.7 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तरों को बढ़ाने के लिए राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (एक श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी होती है, यदि आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

2017–18 से 2021–22 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण नीचे **तालिका 2.27** में किया गया है:

तालिका 2.27: 2017–18 एवं 2021–22 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता							
(प्रतिशत में)							
राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2017–18	16.13	67.82	36.65	31.17	15.56	15.17	5.09
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2017–18	22.40	75.38	39.28	36.10	19.95	14.72	4.58
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2021–22	15.84	66.74	38.31	28.44	14.41	14.66	6.20
मध्य प्रदेश का (अनुपात) 2021–22	19.25	74.34	38.96	35.38	19.54	13.54	5.63

2017–18 के साथ–साथ वर्तमान वर्ष 2021–22 दोनों के दौरान मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए आवंटन इन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में सामान्य संवर्ग राज्यों के औसत आवंटन की तुलना में कम रहा है। 2017–18 के साथ–साथ वर्तमान वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य के विकास व्यय के लिए आवंटन का अनुपात सामान्य संवर्ग राज्यों द्वारा आवंटित औसत मात्रा से अधिक था।

2.10.8 उद्देश्य शीर्ष–वार व्यय

वित्त लेखे केवल लघु शीर्ष तक के लेनदेन को दर्शाते है। इसलिए, उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए खर्च का बजटीय आवंटन एवं व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से अधिक) की गहन समीक्षा नीचे **तालिका 2.28** में दी गयी है:

तालिका 2.28: वर्ष 2021–22 के दौरान बजट प्राधिकार के सापेक्ष उद्देश्य शीर्ष–वार व्यय			
(₹ करोड़ में)			
शीर्ष	बजट	व्यय	उपयोगिता प्रतिशत
11–वेतन	45,480.08	39,157.86	86.10
12–मजदूरी	2,102.43	1,938.52	92.20
13–पेशन तथा पेंशन हितलाभ	14,940.57	14,593.18	97.67
15–सामाजिक सुरक्षा पेंशन	2,331.51	2,324.72	99.71
19–कार्यभारित आकस्मिक कर्मचारियों का वेतन	1,337.48	1,081.76	80.88
22–कार्यालयीन व्यय	1,393.74	1,031.25	73.99
31–पेशेवर सेवाओं के लिये भुगतान	3,521.90	2,747.47	78.01
33–अनुरक्षण	2,146.45	1,486.98	69.28
34–सामग्री एवं आपूर्ति	3,380.43	2,774.52	82.08
41–शिष्यवृत्ति एवं छात्रवृत्ति	3,615.45	3,083.36	85.28
42–सहायतानुदान	65,592.43	65,594.43	100.00
43–अंशदान	2,778.93	2,498.27	89.90
44–राजसहायताएं	24,178.96	19,285.48	79.76
45–पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायतानुदान	1,175.52	1,003.49	85.37
51–अन्य प्रभार	2,732.09	1,011.22	37.01
52–ब्याज भुगतान/लाभांश	23,689.20	18,677.45	78.84
64–मुख्य निर्माण कार्य	40,912.41	33,392.71	81.62
65–निवेश	6,191.63	3,564.73	57.57
73–अंतर लेखा हस्तांतरण	6,049.42	5,641.63	93.26
योग	**2,53,550.63**	**2,20,889.03**	**87.12**

स्रोतः वित्त लखे एवं व्ही.एल.सी. आंकड़े 2021–22

जैसा कि उक्त तालिका से देखा जा सकता है, उपरोक्त उद्देश्य शीर्षों पर कुल बजटीय आवंटन ₹2,53,550.63 करोड़ में से, 2021–22 के दौरान विभिन्न उद्देश्य शीर्षों पर वास्तविक व्यय ₹2,20,889.03 करोड़ (87.12 प्रतिशत) था। उपरिलिखित 19 उद्देश्य शीर्षों में से, तीन उद्देश्य शीर्षों (13–पेंशन, 15–सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 42–सहायतानुदान) ने अपने आवंटन का 95 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया।

2.11 लोक लेखा

कुछ लेनदेन जैसे अल्प बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमा, उचन्त, प्रेषण, इत्यादि के संबंध में प्राप्तियों एवं संवितरण जो कि समेकित निधि का भाग नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते है और राज्य विधान मण्डल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। सरकार इनके संबंध में बैंकर के रुप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध निधि है।

2.11.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2022 के अन्त तक राज्य के लोक लेखा में संघटक–वार निवल शेष नीचे **तालिका 2.29** में दिया गया है:

तालिका 2.29: वर्ष के 31 मार्च को लोक लेखा में संघटक–वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उपक्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि, राज्य भविष्य निधियां एवं अन्य लेखा	14,331.30	16,577.33	19,033.74	19,894.09	19,310.64
ञ. आरक्षित निधियां	(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियां	102.46	75.43	5,199.92	5,684.40	7,997.82
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां	5,408.85	5,998.52	6,699.66	10,144.49	12,363.12
ट. जमा एवं अग्रिम	(क) ब्याज सहित जमा	-16.63	-31.54	-44.45	-66.79	-94.80
	(ख) ब्याज रहित जमा	14,112.89	14,291.74	18,853.92	20,400.20	19,276.88
	(ग) अग्रिम	-3.40	-3.40	-3.48	-3.48	-3.48
ठ. उचन्त एवं विविध	(ख) उचन्त	-679.42	-222.35	-1,391.42	-862.43	-251.45
	(ग) अन्य लेखे	-5,405.15	-7,762.72	-10,774.66	-20,177.29	-16,810.90
	(घ) विदेशी देशों की सरकारों के साथ खोले गये लेखे	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
	(ङ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड. प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	2,167.14	2,885.48	2,855.74	3,820.37	5,499.15
	(ख) अंतः सरकार समायोजन लेखा	-579.47	-655.57	-694.37	-655.74	-717.05
योग		**29,438.42**	**31,152.77**	**39,734.45**	**38,177.67**	**46,569.78**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक लोक लेखा में संघटक–वार निवल शेष 2017–22 में उत्तरोत्तर 58.19 प्रतिशत से बढ़ा। विगत वर्ष की तुलना में 2021–22 में लोक लेखा के निवल शेषों में ₹8,392.11 करोड़

से वृद्धि, मुख्यतः आरक्षित निधियां में ₹4,532.05 करोड़ से एवं प्रेषण में ₹1,617.47 करोड़ से वृद्धि के कारण हुई।

पाँच वर्षों की अवधि 2017–22 में लोक लेखा में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन **चार्ट 2.19** में दिया गया है:

चार्ट 2.19: लोक लेखा शेष की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

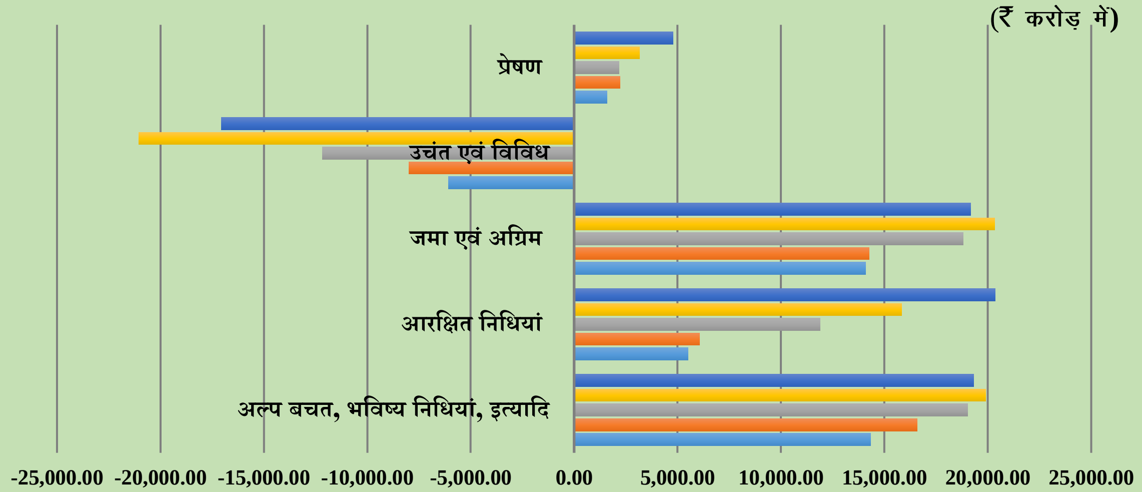

	अल्प बचत, भविष्य निधियां, इत्यादि	आरक्षित निधियां	जमा एवं अग्रिम	उचंत एवं विविध	प्रेषण
2021-22	19,310.64	20,360.94	19,178.60	-17,062.50	4,782.10
2020-21	19,894.09	15,828.89	20,329.93	-21,039.87	3,164.63
2019-20	19,033.74	11,899.58	18,805.99	-12,166.23	2,161.37
2018-19	16,577.33	6,073.95	14,256.80	-7,985.22	2,229.91
2017-18	14,331.30	5,511.31	14,092.86	-6,084.72	1,587.67

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.11.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य शासन के लोक लेखों के अंतर्गत पूर्ण परिभाषित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की जाती है। इन निधियों को भारत या राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों के अंशदान या अनुदानों से पूरा किया जाता है। 2017–22 के दौरान आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन–देनों को **तालिका 2.30** में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 2.30: 2017–22 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2017 को प्रारम्भिक शेष	2017–22 के दौरान प्राप्तियां	2017–22 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
ब्याज सहित आरक्षित निधियां							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	03	00	770.46	18,988.00	11,760.64	7,997.82
ब्याज रहित आरक्षित निधियां							
1	8223-सूखा राहत निधि	00	01	5.93	-	-	5.93
2	8226-मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	01	00	4.64	0.24	-	4.88
3	8228-राजस्व आरक्षित निधि	01	00	24.09	-	0.0015	24.09

तालिका 2.30: 2017–22 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2017 को प्रारम्भिक शेष	2017–22 के दौरान प्राप्तियां	2017–22 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	06	04	6,412.11	8,629.36	2,862.65	12,178.82
5	8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	02	00	408.84	706.63	-	1,115.47
	योग	**13**	**05**	**7,626.07**	**28,324.23**	**14,623.29**	**21,327.01**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2022 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में उपलब्ध कुल बकाया शेष ₹21,327.01 करोड़ में से, वर्ष के दौरान, सरकार ने ₹53.18 करोड़, जिसका प्रत्याभूति विमोचन निधि में योगदान किया जाना अपेक्षित था, के विरूद्ध केवल ₹26.59 करोड़ का योगदान किया। 31 मार्च 2022 तक प्रत्याभूति विमोचन निधि का कुल संचय ₹1,035.44 करोड़ था।

सरकार की देयताओं की स्थिति उसके निधियन एवं व्यय को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य आरक्षित निधियों का विश्लेषण, आगे की कंडिकाओं में वर्णित है।

2.11.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य ने तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 'राज्य आपदा मोचन निधि' का संचालन 2010–11 में शुरू किया। दिशानिर्देशों के संदर्भ एवं चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को 75:25 के अनुपात में राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान किया जाना आवश्यक है। यह अंशदान मुख्य शीर्ष 8121 के अंतर्गत लोक लेखा में अंतरित किया जाना है तथा वर्ष के दौरान व्यय मुख्य शीर्ष 2245 के संचालन द्वारा किया जाता है। दिशानिर्देशों के संदर्भ में, गंभीर आपदाओं के मामलों में, जहां राज्य आपदा मोचन निधि में शेष राशि आवश्यकता से कम होती है, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तत्काल राहत प्रदान कर सकती है। वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य शासन ने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹1,941.60 करोड़ (₹1,456.00 करोड़ केन्द्रांश एवं ₹485.60 करोड़ राज्यांश) की स्वीकृति जारी की थी।

वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य शासन को ₹600.50 करोड़ की अतिरिक्त सहायता जारी की, जिसे राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अंतरित किया गया। इस प्रकार, वर्ष 2021–22 के दौरान कुल प्राप्तियां ₹2,542.10 करोड़ थी। राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण नीचे **तालिका 2.31** में दिया गया है:

तालिका 2.31: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा का मुख्य शीर्ष	लेखा का उप मुख्य शीर्ष	लेखा का लघु शीर्ष	राशि
2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	01–सूखा	101– आनुग्रहिक राहत	21.83
		102–पेय जलापूर्ति	7.98
	02–बाढ़, चक्रवात, इत्यादि	101–आनुग्रहिक राहत	814.46
	05–राज्य आपदा मोचन निधि	101–आरक्षित निधि और जमा लेखों को अन्तरण–राज्य आपदा मोचन निधि	2,427.00[20]

[20] केंद्र का हिस्सा ₹1,456.00 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹485.60 करोड़ मुख्य शीर्ष 8121–122–राज्य आपदा मोचन निधि और केंद्र का हिस्सा ₹364.00 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹121.40 करोड़ को मुख्य शीर्ष 8121–130–राज्य आपदा शमन निधि में हस्तांतरित किया गया (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21)।

तालिका 2.31: राज्य आपदा मोचन निधि पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा का मुख्य शीर्ष	लेखा का उप मुख्य शीर्ष	लेखा का लघु शीर्ष	राशि
		901–घटाएं–राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-)1,654.36[21]
	80–सामान्य	001–निदेशन और प्रशासन	1.62
		102–विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	468.32
		103–राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्य को सहायता	600.50[22] (-)600.50[23]
		800–अन्य व्यय	684.99
योग			**2,771.84**

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

2.11.2.2 प्रत्याभूति विमोचन निधि

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। प्रत्याभूति विमोचन निधि के दिशानिर्देशानुसार, निधि में, पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क के साथ समरूप अंशदान जमा किया जाना आवश्यक है। हालांकि यह राज्य वित्त सचिवों की समिति के प्रतिवेदन पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है, जिसमें प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन प्रत्याभूतियों के जोखिम भार से पहले किया जाना है। इसके अलावा, राज्य शासन को निधि के गठन के समय बकाया प्रत्याभूतियों का कम से कम एक प्रतिशत अंशदान करना आवश्यक है एवं तत्पश्चात आगामी पाँच वर्षों में तीन प्रतिशत तक का न्यूनतम स्तर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 0.50 प्रतिशत अंशदान करें। निधि का सही आकार विगत वर्ष की बकाया प्रत्याभूति का न्यूनतम तीन प्रतिशत हो सकता है।

31 मार्च 2022 तक ₹35,006 करोड़ की बकाया प्रत्याभूति, वर्ष 2020–21 की राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 23.92 प्रतिशत थी (₹1,46,376.79 करोड़) जो कि निर्धारित सीमा के अंदर है।

2021–22 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने ₹53.18 करोड़, जिसका प्रत्याभूति विमोचन निधि में योगदान किया जाना अपेक्षित था, के विरूद्ध केवल ₹26.59 करोड़ का योगदान किया। 31 मार्च 2022 तक प्रत्याभूति विमोचन निधि का कुल संचय ₹1,035.44 करोड़ था (31 मार्च 2021 तक ₹959.49 करोड़)।

2.12 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए निधियन की आवश्यक राशि जुटाने हेतु एक रणनीति स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है, जो अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करते है, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो सरकार ने अधिनियमन के माध्यम से या कोई अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं में निर्धारित किया हो।

[21] ₹1,305.20 करोड़ मुख्य शीर्ष 8121–122–राज्य आपदा मोचन निधि से एवं ₹349.16 करोड़ को मुख्य शीर्ष 8121–130–राज्य आपदा शमन निधि से प्रतिपूर्ति की गई (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21)।

[22] भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से जारी ₹600.50 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मुख्य शीर्ष 8121–122–राज्य आपदा मोचन निधि को हस्तांतरित की गयी (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21)।

[23] मुख्य शीर्ष 8121–122–राज्य आपदा मोचन निधि (वित्त लेखे का विवरण संख्या 21) से प्रतिपूर्ति।

2017–22 के बीच समग्र ऋण की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट 2.20** में देखी जा सकती है:

चार्ट 2.20: 2017–18 से 2021–22 के दौरान समग्र ऋण की प्रवृत्ति

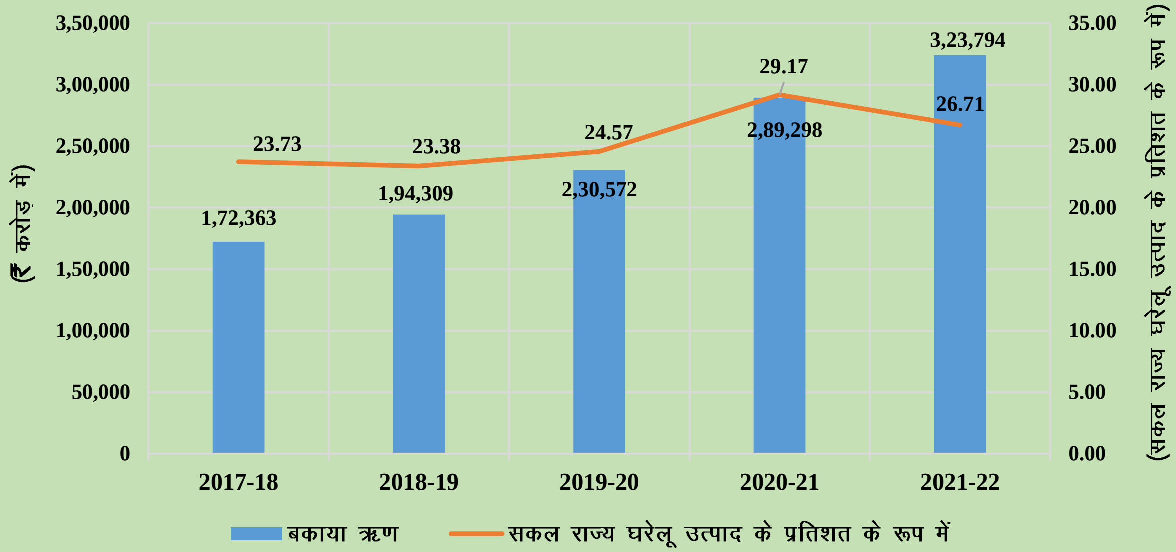

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी

नोट: ₹2,89,298 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैक टू बैक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को हटाने के बाद कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2020–21) की गणना की गयी है।

नोट: ₹3,23,218 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैक टू बैक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को हटाने के बाद एवं बजटेत्तर ऋण ₹576 करोड को शामिल कर कुल बकाया ऋण ₹3,12,241 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2021–22) गणना की गयी है।

2.12.1 ऋण रूपरेखा: संघटक

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य सरकार का आंतरिक ऋण और केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय एवं अग्रिम, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र, वित्तीय संस्थानों से कर्ज एवं केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां शामिल है।

प्राप्त कुल ऋण, ऋण का पुनर्भुगतान, ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एवं पाँच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान राज्य के पास उपलब्ध ऋण की वास्तविक मात्रा से संबंधित विवरण **तालिका 2.32** में दिया गया है:

तालिका 2.32: ऋण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	बकाया ऋण		1,72,363	1,94,309	2,30,572	2,89,298	3,23,794
2.	लोक ऋण	आंतरिक ऋण	1,23,683	1,40,009	1,59,793	2,02,719	2,23,013
		भारत सरकार से कर्ज	14,741	17,389	21,036	30,523[24]	41,351[25]
3.	लोक लेखा देयताएं[26]		33,939	36,911	49,743	56,056	58,854
4.	बजटेत्तर ऋण		-	-	-	-	576
5.	कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)		10.63	12.73	18.66	25.47	11.92
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद		7,26,284	8,31,024	9,38,602	9,76,281	11,69,004
7.	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)		23.73	23.38	24.57	29.63	27.70

[24] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक टू बैक लोन ₹4,542 करोड़ सम्मिलित है।
[25] वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक टू बैक लोन ₹11,553 करोड़ सम्मिलित है।
[26] लोक लेखा देयताओं में अल्प बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि, ब्याज सहित आरक्षित निधियां, ब्याज रहित आरक्षित निधियां, ब्याज सहित जमा, ब्याज रहित जमा शामिल हैं।

तालिका 2.32: ऋण की प्रवृत्ति						
						(₹ करोड़ में)
स. क्र.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
8.	कुल ऋण प्राप्तियां	52,579	71,063	85,613	1,37,196	88,536
9.	कुल ऋण पुनर्भुगतान	34,506	49,087	49,351	78,470	54,616
10.	कुल उपलब्ध ऋण (7-8)	18,073	21,976	36,262	58,726	33,920
11.	ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियां (प्रतिशत)	65.63	69.08	57.64	57.20	61.69
12.	चौदहवें/पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत लक्ष्य (ऋण–सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	23.80	23.90	24.90	28.80	31.70

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, चौदहवें/पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं एवं वित्त विभाग, म.प्र. शासन

2020–21 की तुलना में 2021–22 में ऋण पुनर्भुगतान में ₹23,854 करोड़ (30.40 प्रतिशत) से कमी हुई जबकि 2020–21 की तुलना में कुल ऋण प्राप्तियों में भी ₹48,660 करोड़ (35.47 प्रतिशत) से कमी हुई। ऊपर दिखाए गए कुल बकाया ऋण की राशि में राज्य के लिये पुनर्भुगतान दायित्व के बिना राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति के बदले में ₹11,553 करोड़ (2020–21 के लिए ₹4,542 करोड़ और 2021–22 के लिए ₹7,011 करोड़) का बैक टू बैक ऋण शामिल है और राज्य की देनदारी के रूप में ₹576 करोड़ का बजटेत्तर ऋण शामिल है। बैक टू बैक ऋण को शामिल किये बिना और बजटेत्तर ऋण को शामिल कर प्रभावी बकाया ऋण ₹3,12,241 करोड़ होगा। ऋण का घटक–वार विभाजन नीचे **चार्ट 2.21** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.21: वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में बकाया ऋण का विभाजन

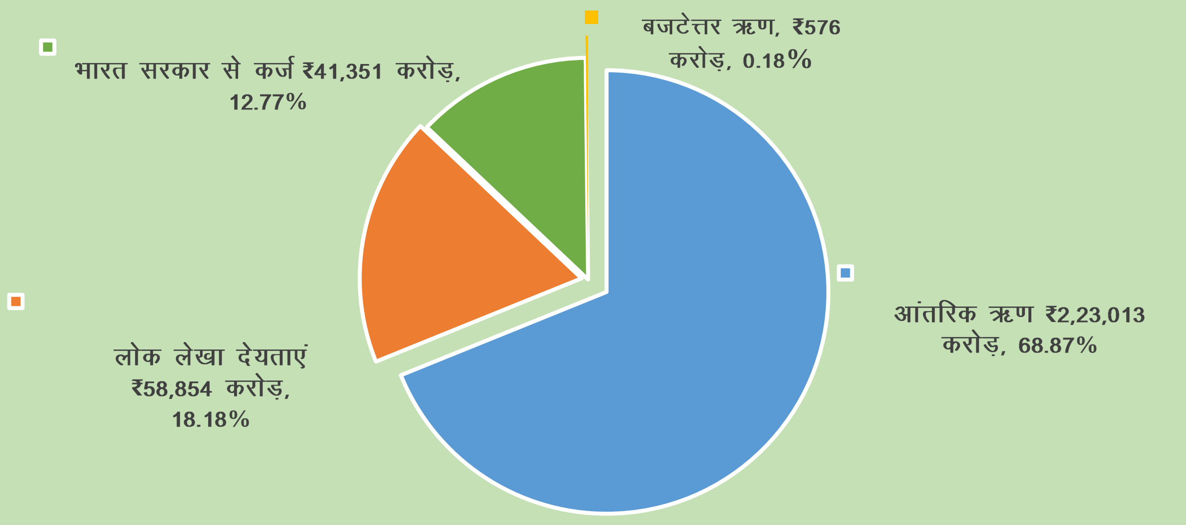

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

निम्न **चार्ट 2.22** पिछले पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण प्रतिमान को दर्शाता है, जबकि **चार्ट 2.23** राज्य शासन द्वारा लिए गए आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

चार्ट 2.22: संघटक–वार ऋण प्रवृत्तियां

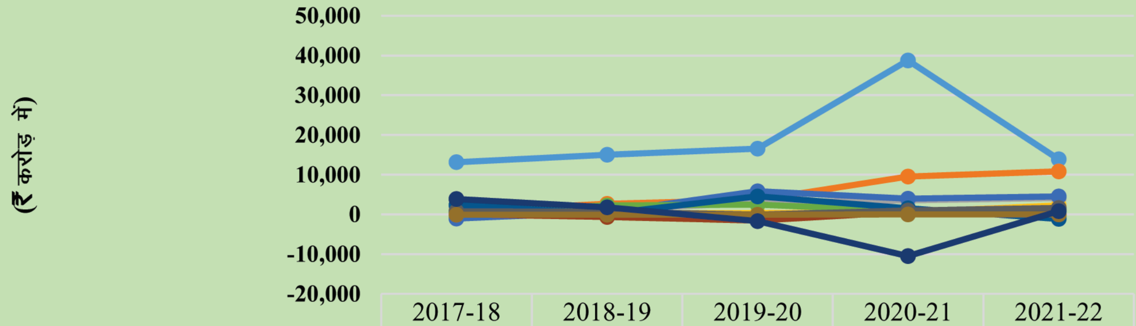

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बाजार उधारियां	13,125	15,001	16,550	38,773	13,900
भारत सरकार से कर्ज	824	2,647	3,647	9,487	10,829
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,348	1,086	2,970	3,582	4,129
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	913	334	310	572	2,265
आरक्षित निधियां	-1,038	590	5,827	3,929	4,532
लघु बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	680	2,249	2,456	860	-583
जमा एवं अग्रिम	2,316	164	4,550	1,524	-1,151
उचंत एवं विविध	110	-677	-1552	640	1,128
प्रेषण	704	642	-69	1,003	1,617
अन्य	-94	-94	-47	0	0
रोकड़ में वृद्धि(+)/कमी(-)	3,857	1,746	-1,672	-10,500	822

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.23: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

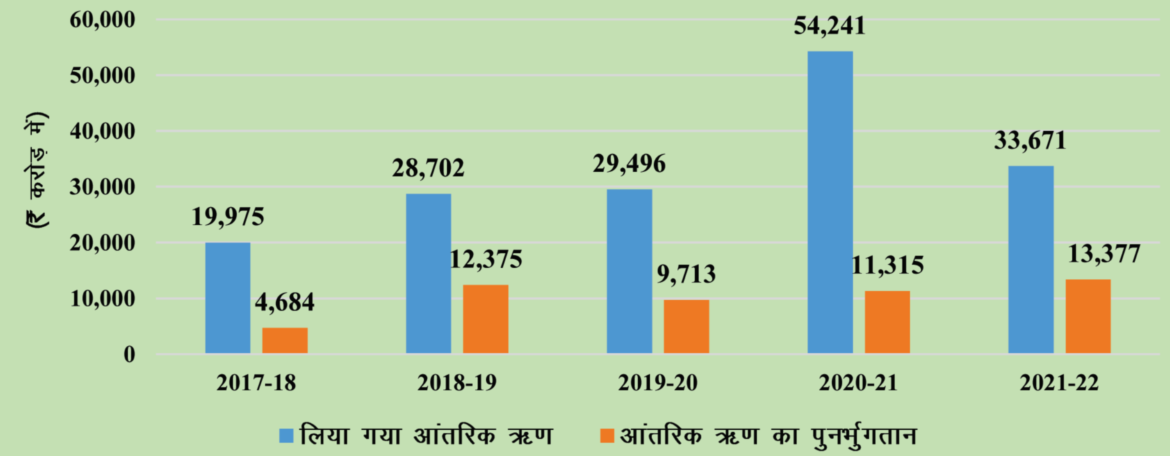

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.12.1.1 राजकोषीय घाटा और उसके वित्तपोषण प्रतिमान के घटक

राजकोषीय घाटा, राज्य को राजस्व और ऋणेत्तर प्राप्तियों पर राजस्व और पूंजीगत व्यय (कर्ज और अग्रिम सहित) की अधिकता को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यक (मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने नकदी और निवेश शेष को आहरित करने एवं उधारी द्वारा) कुल वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण प्रतिमान **तालिका 2.33** में परिलक्षित होता है:

तालिका 2.33: राजकोषीय घाटे का संघटन एवं इसका वित्तपोषण प्रतिमान						
						(₹ करोड़ में)
विवरण		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद)		**(-)22,745 (3.12)**	**(-)23,688 (2.93)**	**(-)32,970 (3.64)**	**(-)49,870 (5.44)**	**(-)37,487 (3.21)**
राजकोषीय घाटा/आधिक्य के घटक						
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815
2	निवल पूंजीगत व्यय	(-)30,894	(-)29,411	(-)29,228	(-)30,342	(-)39,135
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	3,520	(-)1,021	(-)941	(-)1,172	(-)3,167
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान						
1	बाजार उधारियां	13,125	15,001	16,550	38,773	13,900
2	भारत सरकार से कर्ज	824	2,647	3,647	9,487	10,829
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,348	1,086	2,970	3,582	4,129
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	913	334	310	572	2,265
5	आरक्षित निधियां	(-)1,038	590	5,827	3,929	4,532
6	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	680	2,249	2,456	860	(-)583
7	जमा एवं अग्रिम	2,316	164	4,550	1,524	(-)1,151
8	उचंत एवं विविध	110	(-)677	(-)1,552	640	1,128
9	प्रेषण	704	642	(-)69	1,003	1,617
10	अन्य[27]	(-)94	(-)94	(-)47	0	0
11	रोकड़ में वृद्धि (+)/कमीं(-)	3,857	1,746	(-)1,672	(-)10,500	822
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	**22,745**	**23,688**	**32,970**	**49,870**	**37,487**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2021—22 के दौरान राजस्व घाटा अधिशेष में बदल गया और राजकोषीय घाटा 24.83 प्रतिशत से कम हुआ।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण को **तालिका 2.34** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले घटकों के अंतर्गत प्राप्तियां और संवितरण				
				(₹ करोड़ में)
स. क्र.	विवरण	प्राप्तियां	संवितरण	निवल
1	बाजार उधारियां	22,000.00	8,100.00	13,900.00
2	भारत सरकार से कर्ज	12,614.33	1,785.73	10,828.60
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	7,448.09	3,319.08	4,129.01
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	4,222.56	1,957.63	2,264.93
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	4,457.66	5,041.11	(-)583.45
6	जमा एवं अग्रिम	30,561.25	31,712.59	(-)1,151.34
7	उचंत एवं विविध	1,68,976.97	1,67,849.22	1,127.75
8	प्रेषण	18,125.58	16,508.11	1,617.47
9	आरक्षित निधियां	7,232.00	2,699.95	4,532.05
10	अन्य	0.00	0.00	0.00
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (+)/कमीं(-)	17,146.51	16,324.17	822.34
12	**सकल राजकोषीय घाटा**	--	--	**37,487.36**

स्रोत: वित्त लेखे 2021—22

[27] आकस्मिक निधि एवं निवेश तथा बंधपत्र के अधीन लेन—देन।

2.12.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं पुनर्भुगतान

लोक ऋण एवं उसकी परिपक्वता रूपरेखा का विवरण **तालिका 2.35** एवं **चार्ट 2.24** में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.35: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	परिपक्वता रूपरेखा	राशि			कुल लोक ऋण का प्रतिशत
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	कुल	
2022-23 तक	0-1 वर्ष	17,795.06	635.20	18,430.26	6.97
2023-24 एवं 2024-25 के मध्य	1-3 वर्ष	32,610.71	927.75	33,538.46	12.69
2025-26 एवं 2026-27 के मध्य	3-5 वर्ष	41,925.97	337.37	42,263.34	15.99
2027-28 एवं 2028-29 के मध्य	5-7 वर्ष	35,496.14	248.58	35,744.72	13.52
2029-30 से आगे	7 वर्ष से अधिक	82,134.73	374.12	82,508.85	31.21
अन्य (राज्य शासन के साथ मिलान/ऋण पुनर्भुगतान का विवरण अपेक्षित)		13,050.54	38,828.29	51,878.83	19.62
योग		**2,23,013.15**	**41,351.31**	**2,64,364.46**	-

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

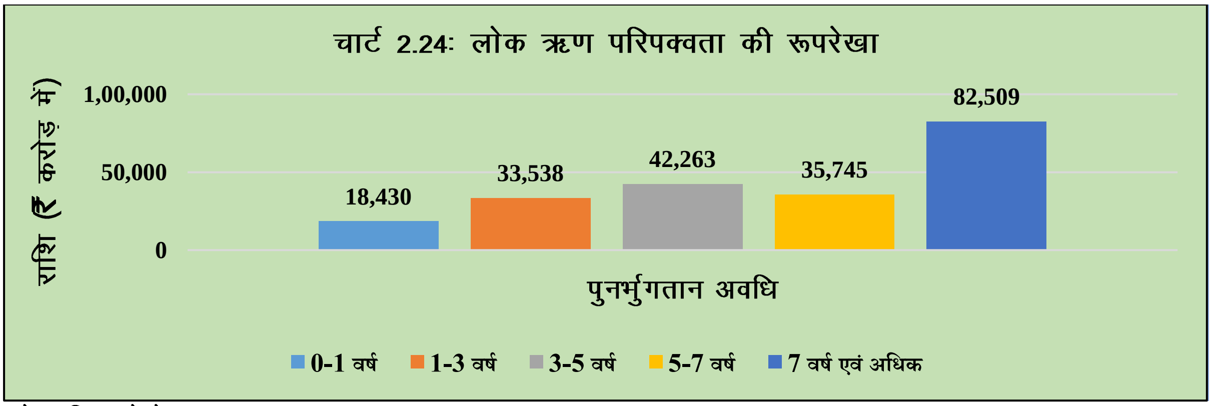

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

31 मार्च 2022 तक लोक ऋण की बकाया मात्रा की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि ₹2,64,364.46 करोड़ के बकाया लोक ऋण में से, 49.17 प्रतिशत (₹1,29,976.77 करोड़) आगामी सात वर्षों के भीतर देय है जबकि शेष 50.83 प्रतिशत (₹1,34,387.68 करोड़) सात वर्षो से अधिक की परिपक्वता अवधि में देय है। कुल बकाया लोक ऋण में से, आंतरिक ऋण में बाजार उधारियां, नाबार्ड से कर्ज और केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों का 84.36 प्रतिशत (₹2,23,013.15 करोड़) शामिल है।

2020–21 की हमारे पिछले प्रतिवेदनों में दर्शाए गए और 2021–22 में वास्तविक किये गये भुगतान के सापेक्ष विवरण निम्न **तालिका 2.36** में तालिकाबद्ध है:

तालिका 2.36: लोक ऋण का भुगतान			
			(₹ करोड़ में)
वर्ष	31 मार्च को बकाया ऋण	सांकेतिक भुगतान	वास्तविक पुनर्भुगतान
2020-21	2,33,241.93	10,328.67	12,757.30
2021-22	2,64,364.46	11,271.05	15,162.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.12.3 बाजार उधारियों एवं ब्याज का पुनर्भुगतान

राज्य सरकार के उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होते हैं। राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राजकोषीय देनदारियों की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार लेती है।

वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2022–23 से आगे के लिए इन ऋणों पर ब्याज सहित बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान की अनुसूची नीचे **तालिका 2.37** और **चार्ट 2.25** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.37: बाजार ऋण एवं ब्याज का पुनर्भुगतान			
			(₹ करोड़ में)
वर्ष	बाजार ऋण	ब्याज	कुल
2022-23 तक	12,573.00	12,260.65	24,833.65
2023-24	10,500.00	11,359.25	21,859.25
2024-25	12,300.00	10,360.61	22,660.61
2025-26	14,700.00	9,141.74	23,841.74
2026-27	18,100.00	7,826.34	25,926.34
2027-28	17,000.00	6,529.34	23,529.34
2028-29	10,550.00	5,684.00	16,234.00
2029-30	10,500.00	4,926.60	15,426.6
2030-31	9,000.00	4,304.55	13,304.55
कुल	**1,15,223.00**	**72,393.08**	**1,87,616.08**

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

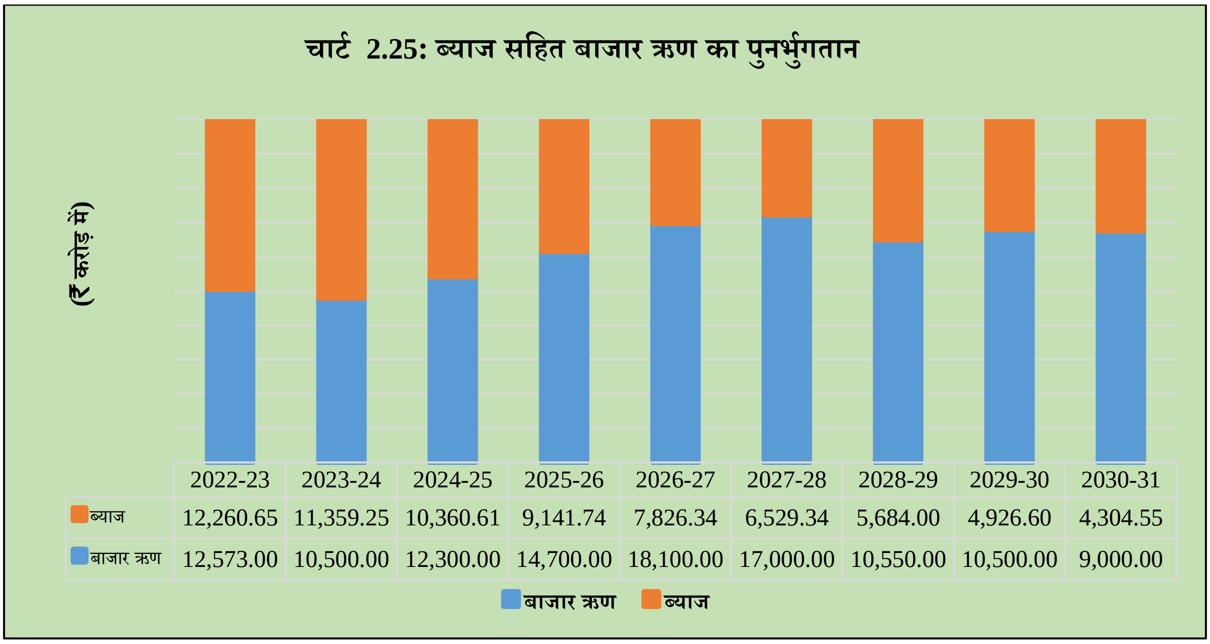

जैसा कि उपरोक्त तालिका और चार्ट से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार को 2030–31 तक ₹1,15,223 करोड़ का बाजार ऋण और बाजार ऋण का ब्याज भुगतान ₹72,393.08 करोड़ कुल ₹1,87,616.08 करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा।

2.13 ऋण संधारणीयता विश्लेषण

ऋण संधारणीय माना जाता है, यदि उधारकर्ता (इस प्रकरण में राज्य), अपने ऋण को अभी और भविष्य में चुकाने की स्थिति में है। ऋण संधारणीयता संकेतक तद्नुसार समय पर ब्याज भुगतान के माध्यम से ऋण की सेवा करने और राजस्व के चालू और नियमित स्त्रोतों से ऋण पुनर्भुगतान की क्षमता की जॉच करके उधारकर्ता की साख योग्यता एवं तरलता स्थिति का आंकलन करना चाहते हैं।

यह अनुभाग ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात का मापन) एवं राज्य सरकार के ऋण परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण संधारणीयता का आंकलन करता है।

तालिका 2.38 अवधि 2017–18 से 2021–22 के लिये इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण संधारणीयता दर्शाती है:

तालिका 2.38: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण संधारणीयता संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया लोक ऋण	1,38,424	1,57,398	1,80,829	2,33,242[28]	2,64,364[29]
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.18	13.71	14.89	28.98	13.34
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7,26,284	8,31,024	9,38,602	9,76,281	11,69,004
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.77	14.42	12.95	4.01	19.74
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.06	18.94	19.27	23.43[30]	21.63[31]
लोक ऋण के अंतर्गत प्राप्तियां	21,892	32,497	34,364	65,171	46,285
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,776	13,524	10,934	12,757	15,162
ब्याज भुगतान	9,964	11,483	12,755	13,987	16,937
बकाया लोक ऋण पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.64	7.76	7.54	6.83[32]	6.97[33]
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियों का अनुपात	7.39	7.71	8.64	9.56	9.14
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियों का प्रतिशत	26.38	41.62	31.82	19.57	32.76
राज्य को निवल ऋण की उपलब्धता#	16,116	18,973	23,430	52,414	31,123
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ऋण की उपलब्धता#	73.62	58.38	68.18	80.43	67.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

 # राज्य शासन के लिए उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण प्राप्तियों की लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर ब्याज भुगतान की अधिकता के रूप में की जाती है।

तालिका 2.38 से देखा जा सकता है कि लोक ऋण के अन्तर्गत प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान 28.98 प्रतिशत से कम हुई। ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2017–18 में 7.39 प्रतिशत से 2021–22 में 9.14 प्रतिशत तक बढ़ा।

नीचे **चार्ट 2.26** में ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में राज्य की ऋण संधारणीयता को दर्शाया गया है।

28 वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में भारत सरकार से बैक टू बैक ऋण ₹4,542 करोड़ शामिल है।
29 वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में भारत सरकार से बैक टू बैक ऋण ₹11,553 करोड़ शामिल है।
30 लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,33,242 करोड़ में से बैक टू बैक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,28,700 करोड़ पर की गयी है।
31 लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,64,364 करोड़ में से बैक टू बैक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,52,811 करोड़ पर की गयी है।
32 औसत ब्याज दर की गणना ₹4,542 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर बकाया लोक ऋण पर की गयी है।
33 औसत ब्याज दर की गणना ₹11,553 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर बकाया लोक ऋण पर की गयी है।

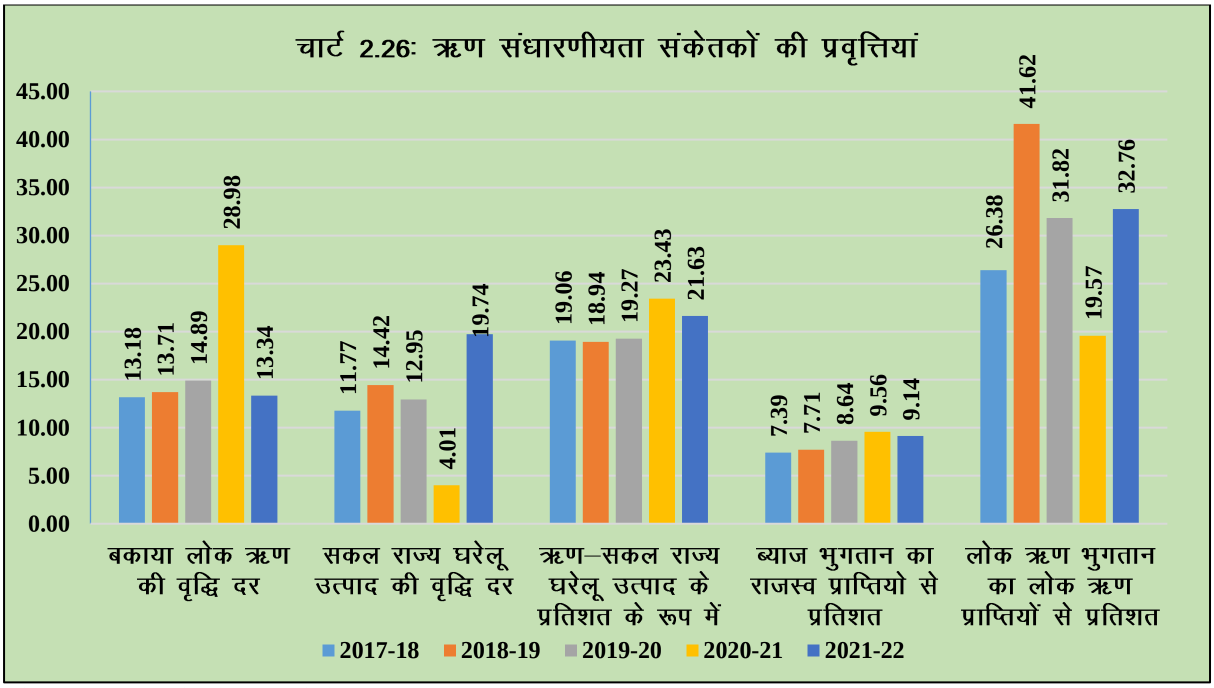

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोटः ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,33,242 करोड़ में से बैक टू बैक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,28,700 करोड़ पर की गयी है।

नोटः ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की गणना बकाया लोक ऋण ₹2,64,364 करोड़ में से बैक टू बैक ऋण (₹11,553 करोड़) की राशि को छोड़कर बकाया लोक ऋण ₹2,52,811 करोड़ पर की गयी है।

पिछले कुछ वर्षों में बकाया लोक ऋण लगातार 2017–18 में ₹1,38,424 करोड़ से 2021–22 के अन्त में ₹2,64,364 करोड़ तक बढ़ा। इन देयताओं में 2020–21 में 28.98 प्रतिशत की वृद्धि के विरूद्ध 2021–22 के दौरान 13.34 प्रतिशत से वृद्धि हुई। हालांकि, 2021–22 के दौरान बकाया लोक ऋण में राज्य को पुनर्भुगतान दायित्व के बिना वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमीं के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹11,553 करोड़ का बैक टू बैक ऋण भी शामिल है। इस बैक टू बैक ऋण को छोड़कर 2021–22 के दौरान राज्य की लोक ऋण वृद्धि दर 10.54 प्रतिशत थी।

2.13.1 उधार लिए गए धन का उपयोग

उधार लिए गए धन का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए एवं बकाया कर्ज पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार लिए गए धन का उपयोग करना संधारणीय नही है। 2017–22 के दौरान उधार लिए गए धन के उपयोग की प्रवृत्तियां और विवरण **तालिका 2.39** एवं **चार्ट 2.27** में दिया गया है:

तालिका 2.39: उधार लिए गए धन का उपयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल उधारियां	21,892.17	32,497.42	34,364.41	65,170.50	46,284.98
पूर्व की उधारियों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशत)	5,776.38 (26.39)	13,523.72 (41.61)	10,933.62 (31.82)	12,757.30 (19.58)	15,162.44 (32.76)
उधारियों की निवल उपलब्ध निधि	16,115.79	18,973.70	23,430.79	52,413.20	31,122.54
निवल पूंजीगत व्यय	30,893.87	29,411.17	29,227.82	30,341.31	39,135.41
निवल कर्ज एवं अग्रिम	(-)3,519.33	1,019.78	941.30	1,172.00	3,166.52
राजस्व व्यय का भाग जो निवल उपलब्ध उधारियों से मिलता है	निरंक	निरंक	निरंक	20,899.89	निरंक

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

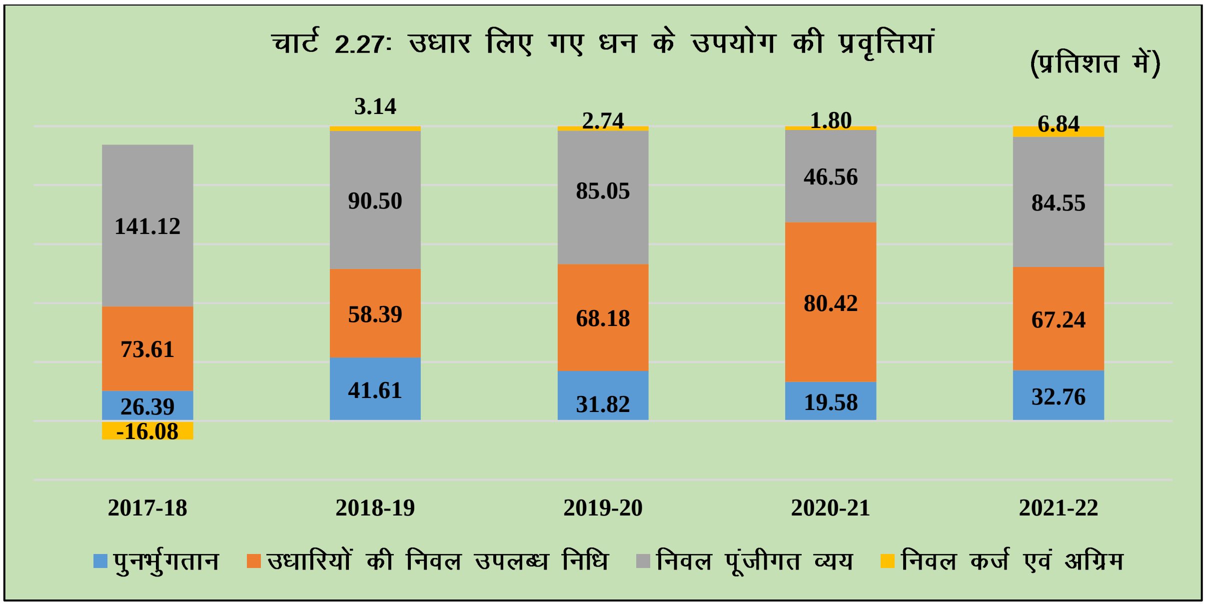

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका/चार्ट से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ने अपने कुल उधार का 32 प्रतिशत पिछले ऋण/देयताओं को चुकाने के लिए खर्च किया, जिससे उधार ली गई धनराशि में से पूंजीगत व्यय के लिए कम गुंजाइश बची।

2017–22 की अवधि के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान करने के बाद ऋण की निवल उपलब्ध निधि 58.39 प्रतिशत से 80.42 प्रतिशत के मध्य रही, जिससे विकासात्मक गतिविधियों के लिए सीमित धन राशि बची।

2.13.2 प्रत्याभूतियों–आकस्मिक देयताओं की स्थिति

प्रत्याभूतियां उधारकर्ता की चूक के कारण राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं, जिसके लिए प्रत्याभूति बढ़ाई गई है। राज्य शासन की कुल बकाया प्रत्याभूतियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम[34] के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर थी। 2017–22 के दौरान राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां नीचे **तालिका 2.40** में दर्शायी गयी है:

तालिका 2.40: राज्य शासन द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियां	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि लागू सीमा तक (मानदण्ड)	98,646	1,07,900	1,19,114	1,18,115	1,17,101
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	14,003	30,763	30,930	37,010	35,006

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

34 कुल प्रत्याभूतियां, पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गयी बकाया प्रत्याभूतियां एवं अधिकतम प्रत्याभूति राशि का विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है। 31 मार्च 2022 को बकाया प्रत्याभूतियों के क्षेत्र–वार संघटक को **चार्ट 2.28** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.28: 31 मार्च 2022 को क्षेत्र–वार प्रत्याभूतियां

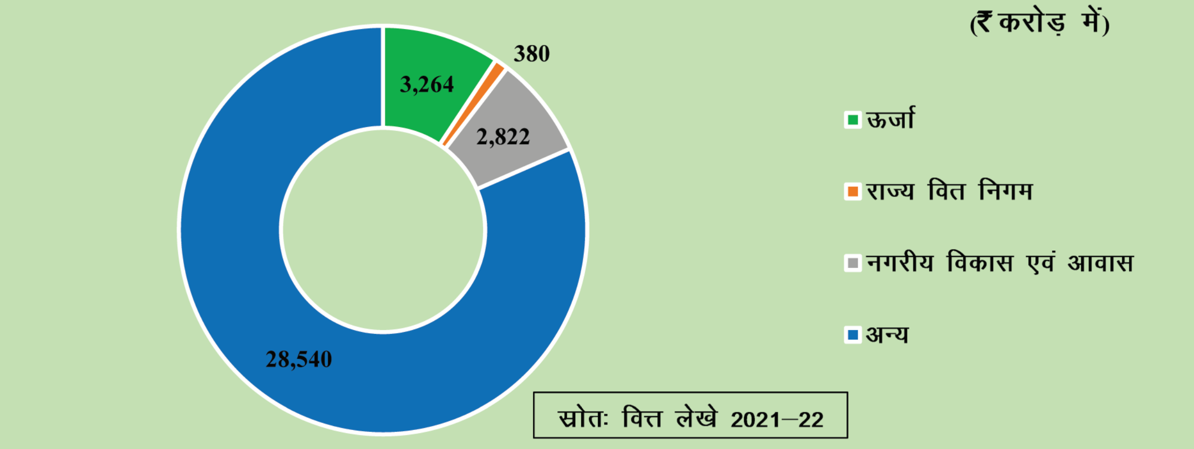

मध्य प्रदेश शासन ने 2021–22 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छह[35] इकाइयां (₹7,690 करोड़), नगरीय विकास एवं आवास के छह[36] संस्थान (₹7,309 करोड़), अन्य क्षेत्रो के सात[37] संस्थान (₹38,485 करोड़), राज्य वित्त निगम (₹1,150 करोड़) एवं सहकारिता (₹6,000 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2021–22 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप मे कुल प्राप्य ₹31.59 करोड़ में से ₹15.72 करोड़ प्राप्त किए।

2.13.3 रोकड़ शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए एक समझौते के अनुसार, राज्य शासन को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹1.96 करोड़ बनाए रखना है। यदि यह शेष राशि निश्चित न्यूनतम से किसी दिन कम हो जाती है, उस कमी की पूर्ति समय–समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। 1 फरवरी 2016 से राज्य शासन के लिए साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹1,600 करोड़ थी और बैंक द्वारा समय–समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को पुनरीक्षित किया जाता है।

2.13.3.1 रोकड़ शेष

मध्य प्रदेश शासन के 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 को रोकड़ शेषों का विवरण **चार्ट 2.29** में दर्शाया गया है:

---

[35] मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर।

[36] नगर निगम, नगर पालिका, राज्य विकास इकाई, मध्य प्रदेश नगरीय विकास कम्पनी लिमिटेड, नगर परिषद, मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड।

[37] मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्य प्रदेश खाद्य, सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक निर्माण कार्य विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग, उच्च शिक्षा और पशुपालन।

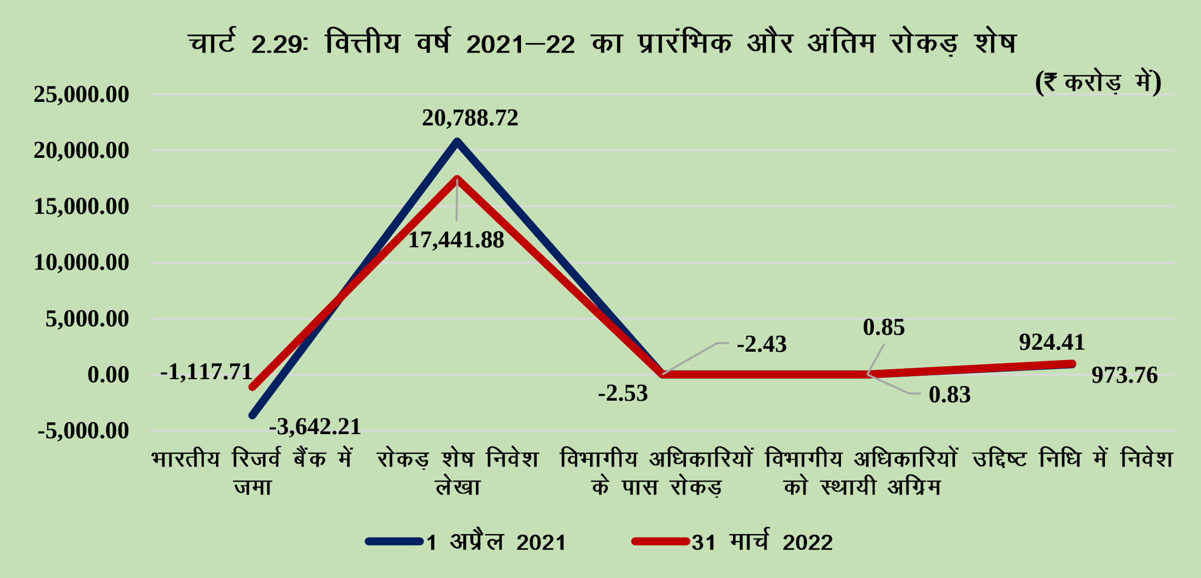

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

2021–22 के दौरान राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक रोकड़ शेष को बनाए रखा एवं वर्ष के दौरान कोई साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण नहीं लिया गया।

2.13.3.2 रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 2.41 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष एवं इनमें से किए गए निवेशों का चित्रण करती है:

तालिका 2.41: रोकड़ शेष एवं उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	(-)3,642.21[38]	(-)1,117.71[39]
पारगमन में प्रेषण– स्थानीय	--	--
योग	**(-)3,642.21**	**(-)1,117.71**
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	**20,788.72**	**17,441.88**
योग (अ)	**17,146.51**	**16,324.17**
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	(-)2.43	(-)2.53
स्थायी पेशगी	0.83	0.85
उद्दिष्ट निधि में से निवेश	924.41	973.76
योग (ब)	**922.81**	**972.08**
महायोग (अ)+(ब)	**18,069.32**	**17,296.25**
प्राप्त ब्याज	**144.73**	**196.99**

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

[38] मार्च 2021 के अंत में ''भारतीय रिजर्व बैंक में जमा'' के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹3,642.21 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹3,584.24 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹57.97 करोड़ (जमा) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

[39] मार्च 2022 के अंत में ''भारतीय रिजर्व बैंक में जमा'' के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार के लेखाओं में दर्शित ₹1,117.71 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹157.02 करोड़ (नामे) के मध्य आंकड़ों में ₹960.69 करोड़ (जमा) का अंतर था। रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत अंतर का कारण एजेंसी बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों द्वारा लेखों में लेन–देनों की गलत रिपोर्टिंग है।

वर्तमान वर्ष के अंत में राज्य शासन के रोकड़ शेष में उल्लेखनीय रूप से 2020–21 में ₹18,069 करोड़ से 2021–22 में ₹17,296 करोड़ तक ₹773 करोड़ की कमी हुई। यह मुख्य रूप से कोषालय देयकों में निवेश में ₹3,347 करोड़ से कमी के कारण था जो 2020–21 में ₹20,789 करोड़ से 2021–22 में ₹17,442 करोड़ तक हो गया।

राज्य शासन अपने रोकड़ शेष अधिशेष को भारत सरकार की अल्प और दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों और कोषालय देयकों में निवेश करती है। इस प्रकार के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049–ब्याज प्राप्तियां' के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। 2021–22 के दौरान, राज्य शासन ने भारत सरकार के प्रतिभूतियों एवं कोषालय देयकों में किए गए निवेश से ₹196.99 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

2017–18 से 2021–22 तक की संपूर्ण अवधि के लिए अर्जित ब्याज **तालिका 2.42** में दिया गया है:

तालिका 2.42: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष–8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/कमी(-)	अर्जित ब्याज
2017-18	10,628.22	7,412.19	(-)3,216.03	491.39
2018-19	7,412.19	8,638.46	956.27	146.45
2019-20	8,638.46	11,270.17	2,631.71	145.29
2020-21	11,270.17	20,788.72	9,518.55	144.73
2021-22	20,788.72	17,441.88	(-)3,346.84	196.99

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अंतिम शेष का प्रवृत्ति विश्लेषण 31 मार्च 2018 को ₹7,412.19 करोड़ से 31 मार्च 2022 तक ₹17,441.88 करोड़ तक अंतरवर्षीय उतार–चढ़ाव के साथ ₹10,029.69 करोड़ से वृद्धि को दर्शाता है।

2017–22 की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखों में उपलब्ध शेषों एवं राज्य द्वारा लिए गए बाजार कर्ज की तुलना निम्न **चार्ट 2.30** करता है। बाजार कर्ज अधिक ब्याज दरों पर लिया गया जबकि कोषालय देयकों में किए गए निवेश से कम दरों पर ब्याज प्राप्त हुआ।

चार्ट 2.30: रोकड़ शेष के सापेक्ष बाजार कर्ज

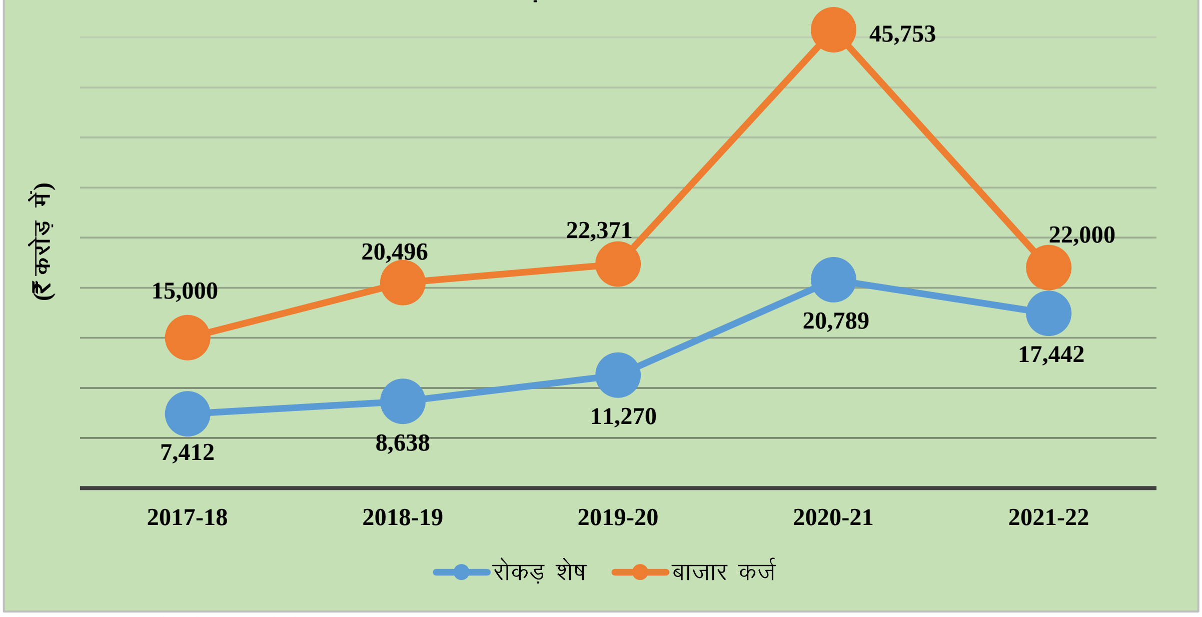

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021–22 के दौरान बाजार कर्ज एवं रोकड़ शेष निवेश का माह–वार चित्रण नीचे **चार्ट 2.31** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.31: 2021–22 के दौरान बाजार कर्ज एवं रोकड़ शेष निवेश की माह–वार चाल

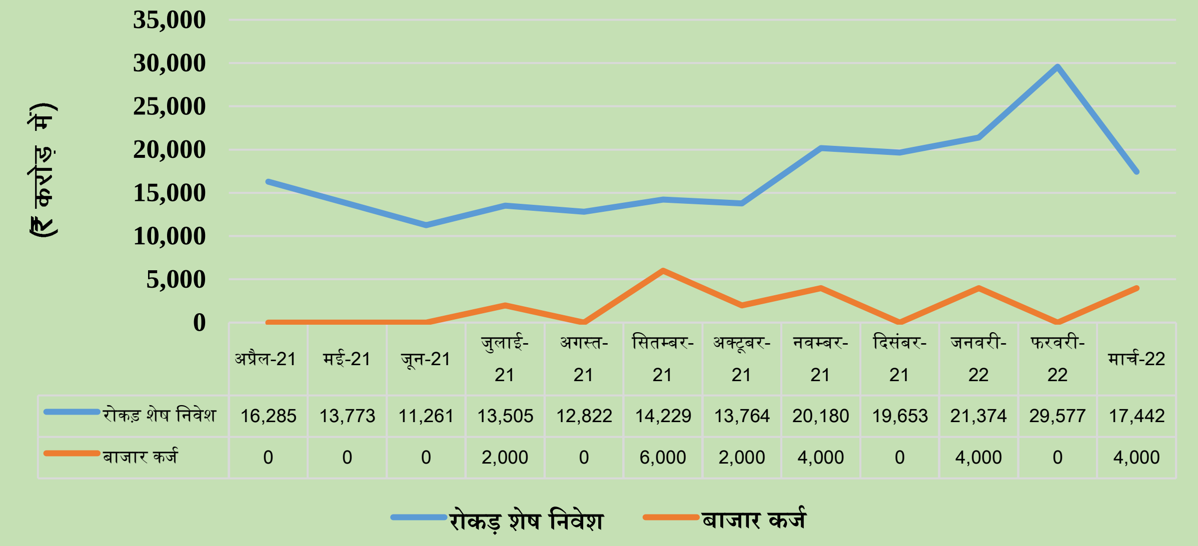

	अप्रैल-21	मई-21	जून-21	जुलाई-21	अगस्त-21	सितम्बर-21	अक्टूबर-21	नवम्बर-21	दिसंबर-21	जनवरी-22	फरवरी-22	मार्च-22
रोकड़ शेष निवेश	16,285	13,773	11,261	13,505	12,822	14,229	13,764	20,180	19,653	21,374	29,577	17,442
बाजार कर्ज	0	0	0	2,000	0	6,000	2,000	4,000	0	4,000	0	4,000

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.–प्रथम) द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी

अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक राज्य शासन द्वारा माह–वार रोकड़ शेष निवेश ₹11,261 करोड़ से ₹29,577 करोड़ के मध्य था, जबकि बाजार कर्ज ₹2,000 करोड़ से ₹6,000 करोड़ के मध्य था। इसके अलावा, 2021–22 में राज्य शासन द्वारा उधारियों पर ₹18,446 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया, जबकि रोकड़ शेष निवेश पर ₹196.99 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया था।

राज्य शासन को आवश्यकता आधारित उधारी की नीति अपनानी चाहिए और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना चाहिए। इन वित्तीय वर्षों के अंत में 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

2.14 निष्कर्ष

राज्य ने तीन मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों अर्थात् राजस्व अधिशेष को बनाये रखना, राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और कुल बकाया दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात को प्राप्त किया। वर्तमान वर्ष के दौरान, राज्य ने राजस्व अधिशेष (₹4,815 करोड़) दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के कर राजस्व और करेत्तर राजस्व दोनों में वृद्धि हुयी। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के कारण राजस्व की हानि के लिए राज्य ने क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की।

राज्य शासन द्वारा 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में 2020–21 एवं 2021–22 के अंत में क्रमशः ₹18,069.32 करोड़ एवं ₹17,296.25 करोड़ निवेशित किये गये। रोकड़ शेष निवेश लेखे में ब्याज की न्यूनतम दर पर बड़ी राशि रखना जबकि ब्याज की उच्च दर पर उधारी लेना वित्तीय दुविधा है। इन वित्तीय वर्षों के अंत में रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया उच्च स्तर का निवेश इंगित करता है कि बेहतर नकदी प्रबंधन की आवश्यकता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021–22 तक सांविधिक निगमों, कम्पनियों, सहकारी समितियों आदि में किए गए ₹41,058.88 करोड़ के निवेश पर प्रतिलाभ (₹138.73 करोड़) वर्ष के दौरान,

औसत उधारी लागत 6.13 प्रतिशत के विरूद्ध केवल 0.34 प्रतिशत था। सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों (₹46,924 करोड़) पर प्राप्त ब्याज की दर भी केवल 3.05 प्रतिशत थी।

2.15 अनुशंसाएं

i) राज्य शासन को राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियों (उधार) के उपयोग से बचने के लिए स्वयं के राजस्व में वृद्धि के माध्यम से बढ़े हुए राजकोषीय अंतराल को सृजित करने के उपाय शुरू करने होंगे। बजट तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी हो, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

ii) राज्य शासन को विभिन्न इकाइयों में अपने निवेशों एवं कर्जों अग्रिमों को इस प्रकार युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश एवं कर्जों पर प्रतिलाभ कम से कम शासकीय उधारी लागतों से साम्य रखें।

iii) राज्य शासन को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो भारी नुकसान उठा रहे हैं के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए और उनके पुनरुद्धार की रणनीति तैयार करें।

iv) नए उधार लेने से पहले राज्य शासन आवश्यकता–आधारित उधार लेने और मौजूदा नकदी शेष का उपयोग करने पर विचार कर सकती है।

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3–बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा प्रदान करता है एवं पूरक अनुदानों सहित आवंटन प्राथमिकताओं और सहवर्ती वित्तीय प्रबंधन का आकलन करता है कि क्या नीतिगत स्तर पर लिए गए निर्णयों को निधियों के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया जाता है।

3.1 प्रस्तावना

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है कि नीतिगत स्तर पर लिये गये निर्णयों के बिना किसी अपव्यय या निधियों के व्यपवर्तन के प्रशासनिक स्तर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित होते है। यह अध्याय राज्य शासन की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजट निरुपण की पारदर्शिता एवं उसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां करता है।

3.1.1 बजट तैयार करने की प्रक्रिया

मध्य प्रदेश शासन द्वारा बजट तैयारी में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विस्तृत रूप में निम्नानुसार है:

चार्ट 3.1: मध्य प्रदेश शासन की बजटीय प्रक्रिया

राज्य शासन अपने वार्षिक बजट तथा अनुदानों/विनियोगो की 67 मांगों की प्रस्तुती द्वारा राज्य की समेकित निधि में से व्यय के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करता है। सामान्यतः प्रत्येक विभाग के पास अनुदान के लिए एक मांग होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष नीति निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है और सार्वजनिक धन को इच्छित उद्देश्यों के लिए व्यय करता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान मूल बजट राशि के आधिक्य में व्यय की पूर्ति के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान/विनियोग प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य शासन वर्ष के दौरान विनियोग की विभिन्न ईकाइयों जहां बचतें प्रत्याशित है, एक ही खंड (राजस्व–दत्तमत, राजस्व–भारित, पूंजीगत–दत्तमत, पूंजीगत–भारित) से उन ईकाइयों को जहां अतिरिक्त व्यय परकल्पित है, (उसी अनुदान/विनियोग के भीतर) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधियों का पुनर्विनियोजन/पुनर्आवंटन किया जाता है।

सामान्यतः, मध्य प्रदेश का बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह फरवरी–मार्च में पारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान तीन अनुपूरक देयक क्रमशः 23 अगस्त 2021, 28 दिसम्बर 2021 एवं 14 मार्च 2022 को लाए गए।

वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल और अनुपूरक बजट, व्यय और बचत सहित **चार्ट 3.2** में नीचे दिये गए है:

चार्ट 3.2: 2021–22 के लिए मध्य प्रदेश के बजट और व्यय का सारांश

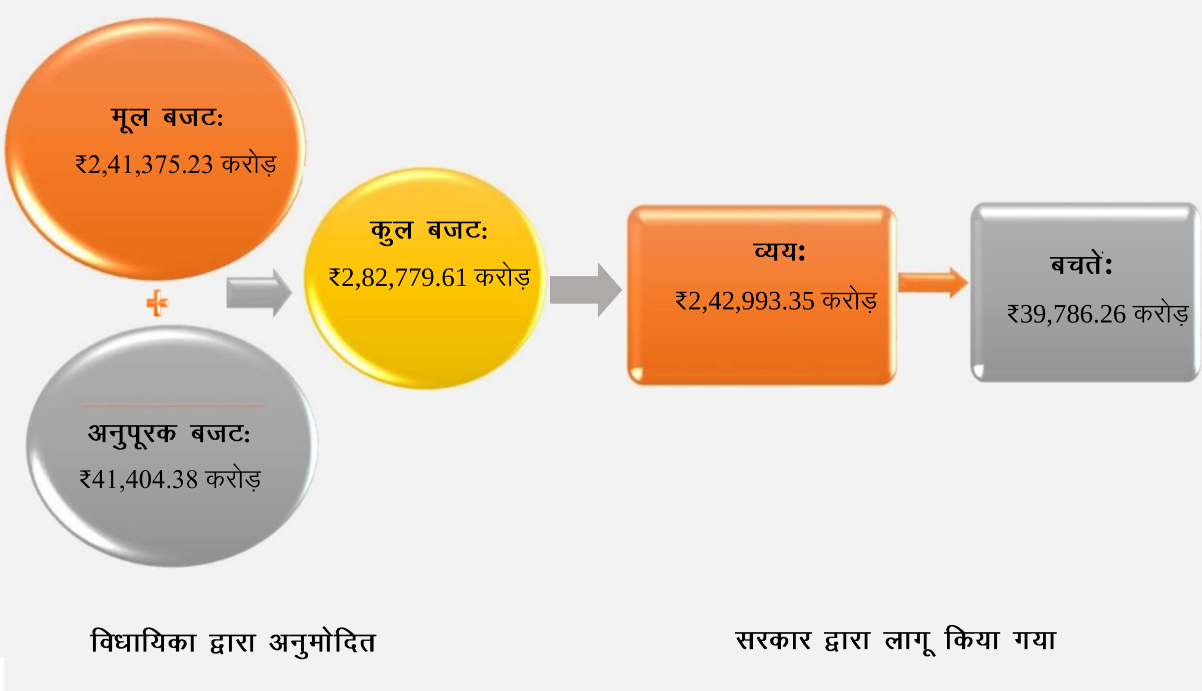

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचतों का सारांश

विनियोग लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत और भारित व्यय के लेखे है, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान और भारित विनियोग की राशि की तुलना में है, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है।

कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य की एक सारांशीकृत स्थिति, आगे इनका दत्तमत/भारित में विभाजन **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: 2017—22 के दौरान दत्तमत एवं भारित में कुल बजट प्रावधान एवं संवितरण						
						(₹ करोड़ में)
वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(–)/आधिक्य(+) (प्रतिशत)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
2017-18	1,83,449.30	23,020.25	1,54,183.67	17,948.74	(-)29,265.63 (15.95)	(-)5,071.51 (22.03)
2018-19	2,10,639.84	27,662.83	1,59,729.03	28,101.14	(-)50,910.81 (24.17)	(+)438.31 (1.58)
2019-20	2,24,923.47	32,001.93	1,68,171.91	26,621.87	(-)56,751.56 (25.23)	(-)5,380.06 (16.81)
2020-21	2,00,259.26	35,667.76	1,82,689.33	30,294.31	(-)17,569.93 (8.77)	(-)5,373.45 (15.06)
2021-22	2,38,758.86	44,020.75	2,07,213.45	35,779.90	31,545.41 (13.21)	(-)8,240.85 (18.72)

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

तालिका से देखा जा सकता है, कि वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान दत्तमत बजट में बचतें 13 प्रतिशत से अधिक थी जबकि भारित बजट में बचतें लगभग 19 प्रतिशत थी।

3.2 विनियोग लेखे

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत विधानसभा द्वारा पारित अनुदानों की राशि और विनियोग अधिनियम की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय लेखे है, जो कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों और भारित विनियोगों की राशि की तुलना में है, जैसा कि विनियोग अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इन लेखों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोजन प्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध है। वे विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय का संकेत भी देते है, जो कि बजट के दोनों मदों भारित एवं दत्तमत के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है। इस प्रकार, विनियोग लेखें, निधियों की उपयोगिता की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाता है, इसलिए वित्त लेखों का अनुपूरक है।

3.2.1 विनियोगों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियमों के अंतर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित होने के लिए आवश्यक व्यय इतना भारित है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.2 विनियोग लेखों का सारांश

2021–22 के दौरान 67 अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अनुपूरक बजट, वास्तविक व्यय और आधिक्य/बचत सहित बजट की सारांशीकृत स्थिति नीचे **तालिका 3.2** में दी गई है।

तालिका 3.2: बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

दत्तमत / भारित	व्यय की प्रकृति	बजट (मूल)	बजट (अनुपूरक)	कुल बजट (मूल+अनुपूरक)	व्यय	आधिक्य(+)/ बचत (–) (प्रतिशत)	समर्पित राशि (प्रतिशत)	असमर्पित राशि (प्रतिशत)
दत्तमत	राजस्व	1,55,814.87	25,045.67	1,80,860.54	1,63,089.47	(-)17,771.07 (9.82)	10,517.72 (59.18)	7,253.35 (40.82)
	पूंजीगत परिव्यय	40,704.22	11,597.80	52,302.02	40,394.09	(-)11,907.93 (22.77)	8,937.33 (75.05)	2,970.60 (24.95)
	ऋण एवं अग्रिम*	3,485.47	2,110.83	5,596.30	3,729.89	(-)1,866.41 (33.35)	467.14 (25.03)	1,399.27 (74.97)
	योग दत्तमत	**2,00,004.56**	**38,754.30**	**2,38,758.86**	**2,07,213.45**	**(-)31,545.41 (13.21)**	**19,922.19 (63.15)**	**11,623.22 (36.85)**
भारित	राजस्व व्यय	*22,859.48*	*2,650.08*	*25,509.56*	*20,278.44*	*(-)5,231.12* (20.50)	*98.62* (1.89)	*5,132.50* (98.11)
	पूंजीगत	*716.80*	*निरंक*	*716.80*	*339.02*	*(-)377.78* (52.70)	*0.61* (0.16)	*377.17* (99.84)
	लोक ऋण	*17,794.39*	*निरंक*	*17,794.39*	*15,162.44*	*(-)2,631.95* (14.79)	8.49 (0.32)	*2,623.46* (99.68)
	योग भारित	**41,370.67**	**2,650.08**	**44,020.75**	**35,779.90**	**(-)8,240.85 (18.72)**	**107.72 (1.31)**	**8,133.13 (98.69)**
महायोग		**2,41,375.23**	**41,404.38**	**2,82,779.61**	**2,42,993.35**	**(-)39,786.26 (14.07)**	**20,029.91 (50.34)**	**19,756.35 (49.66)**

स्रोतः व्ही.एल.सी. आंकड़ें एवं विनियोग लेखे वर्ष 2021–22
टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़ें बचत एवं समर्पण के प्रतिशत को दर्शाते है।
*** "अंतर्राज्यीय समाशोधन" एवं "आकस्मिकता निधि को विनियोग" को शामिल करते हुए।**

₹39,786.26 करोड़ की कुल बचत, राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 64 अनुदानों एवं 52 विनियोगों में ₹23,002.19 करोड़ की बचत तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 58 अनुदानों एवं चार विनियोगों में ₹12,285.71 करोड़ की बचत के कारण थी। इसके परिणामस्वरूप कुल अनुदानों और विनियोगों की राशि में 14.07 प्रतिशत की कुल बचत हुई। तथापि, विभागों ने ₹19,978.53 करोड़ (कुल समर्पित राशि ₹20,029.91 करोड़ का 99.74 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पित किया था जबकि ₹19,756.35 करोड़ को व्यपगत होने दिया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं में बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखा) के कारण विभागीय नियंत्रण अधिकारियों से मांगे गए थे और उनसे सार्थक भिन्ताओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, विभाग से केवल आंशिक उत्तर (अक्टूबर 2022) में प्राप्त हुए थे। यह सवाल उठाता है कि राज्य शासन ने बढ़ा–चढ़ाकर बजट तैयार किया था अथवा उसके विभागों ने परिकल्पित समय सीमा के भीतर आवंटित धन का उपयोग करने के लिए जमीनी स्तर पर काम नहीं किया था।

3.2.3 बजटीय निधि का उपयोग

राज्य शासन द्वारा बजट का उपयोग, 2019–20 की तुलना में 2020–21 में 90 प्रतिशत तक का सुधार हुआ, जबकि 2021–22 में 86 प्रतिशत तक आंशिक रुप से कम हो गया, जैसा नीचे **चार्ट 3.3** में दिया गया है:

चार्ट 3.3: 2017—18 से 2021—22 के दौरान बजट आवंटन और उपयोग

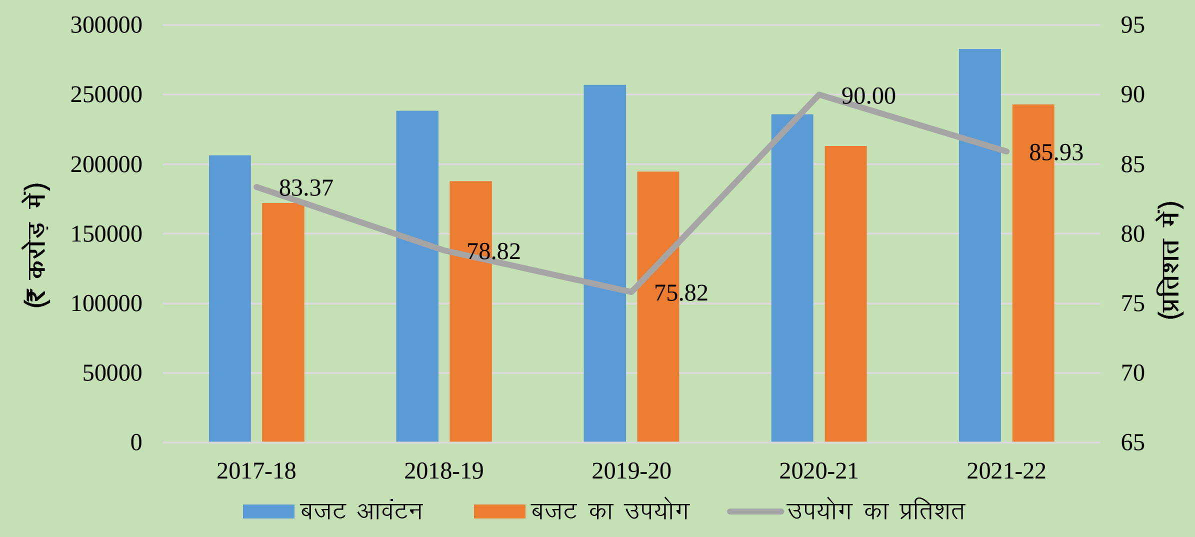

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

3.3 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणियां

3.3.1 व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार लेखा मानक—2 को 2011 में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा प्राप्त या दी गई सहायतानुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार लेखा मानक—2 के अनुसार सहायतानुदान एक सरकार से दूसरी सरकार, निकाय, संस्थानों या व्यक्ति को दी गयी सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति का भुगतान है। इसके अलावा, सहायतानुदान पर व्यय को अनुदानकर्ता की पुस्तकों में राजस्व व्यय के रूप में और प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। पूंजीगत व्यय को किसी सामग्री या स्थायी प्रकृति की मूर्त परिसम्पत्तियों को बढ़ाये जाने अथवा आवर्ती दायित्वों को कम करने के उद्देश्य से किये गये व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2017—22 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा के साथ—साथ उसी अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा पूर्ण रूप से भारत के लेखा मानक—2 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के प्रभाव का विवरण **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है, जबकि **चार्ट 3.4** पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.3: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	233	541	257	250	280
कुल पूंजीगत व्यय	32,588	29,999	29,241	30,357	40,733
पूंजीगत व्यय में सहायतानुदान की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	0.71	1.80	0.88	0.82	0.69
राजस्व घाटा (—)/राजस्व आधिक्य (+)	4,629	6,744	(-)2,801	(-)18,356	4,815
राजस्व घाटा (—)/राजस्व आधिक्य (+) पर प्रभाव, यदि सहायतानुदान से किया गया व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।	4,396	6,203	(-)3,058	(-)18,606	4,535

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

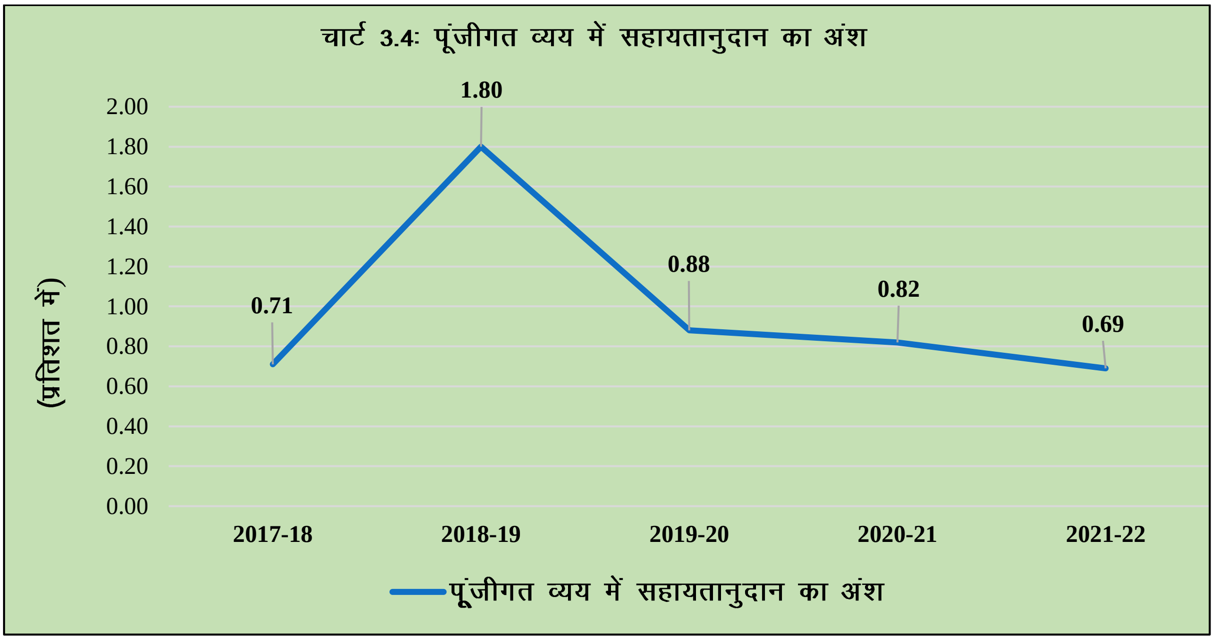

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

हालांकि, 2021–22 के दौरान राशि ₹2,207.00 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत लेखांकन के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में राज्य शासन द्वारा गलत वर्गीकृत किये गये थे। इसमें से ₹280.38 करोड़ सहायतानुदान से संबंधित और ₹1,926.62 करोड़ अन्य व्यय से संबंधित है। इसके कारण, राजस्व व्यय ₹2,207.00 करोड़ से न्यूनोक्त और पूंजीगत व्यय ₹2,207.00 करोड़ से अत्योक्त था। विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है।

इसी प्रकार, राज्य शासन द्वारा ₹8.26 करोड़ की राशि को पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में गलत बजट और व्यय ('मशीनरी' एवं 'सर्वेक्षण, अन्वेषण, रुपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन' के लिए) किया गया, जिसके कारण राजस्व व्यय ₹8.26 करोड़ से अत्योक्त था और पूंजीगत व्यय ₹8.26 से न्यूनोक्त था। विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है।

3.4 अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली, 2012 अनुपूरक अनुदान/विनियोजन प्राप्त करने की अनुमति देता है, यदि बजटीय प्रावधान कम रह जाता है और सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अंतर्गत व्यय के लिए प्रतिबद्धता पहले से ही की गई है।

वर्ष 2021–22 के लिए राज्य विधानसभा ने 23 अगस्त 2021, 28 दिसम्बर 2021 एवं 14 मार्च 2022 में कुल ₹41,404.38 करोड़ (54 अनुदानों एवं छः विनियोगों) का अनुपूरक बजट अनुमोदित किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में दर्शाया कि इन अनुपूरक प्रावधानों की 27 अनुदानों एवं तीन विनियोगों में उपयोग हेतु केवल ₹25,397.20 करोड़ के प्रावधान की आवश्यकता थी, जहां अंतिम व्यय मूल बजट प्रावधानों से अधिक था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3*** में वर्णित है। इस प्रकार, ₹16,007.18 करोड़ के अधिक अनुपूरक का प्रावधान किया गया था। आगे 36 अनुदानों एवं तीन विनियोगों में अनुपूरक प्रावधानों की राशि ₹8,568.76 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में वर्णित है। 12 अनुदानों एवं एक विनियोग में जहां मूल बजट प्रावधान में ₹100 करोड़ एवं अधिक की महत्वपूर्ण बचतें थी एवं फिर भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया था, **तालिका 3.4** में नीचे वर्णित है।

तालिका 3.4: प्रकरण जहां मूल बजट प्रावधान में से बचतें ₹100 करोड़ एवं अधिक थी, वहां अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया गया

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	राज.द.म./ पूंजी.द.म./ राज.भा.	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
1	CH–II	भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज.भा.	20,942.82	18,445.91	2,496.90	2,511.33
2	1	सामान्य प्रशासन	राज.द.म.	746.63	470.35	276.29	10.26
3	3	पुलिस	राज.द.म.	7,832.24	6,673.66	1,158.57	1.50
4	29	विधि एवं विधायी कार्य	राज.द.म.	1,653.30	1,221.74	431.55	4.23
5	33	आदिम जाति कल्याण	राज.द.म.	8,045.52	6,865.77	1,179.76	109.70
6	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज.द.म.	1,053.81	797.47	256.34	3.03
7	40	स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राज.द.म.	4,307.44	3,180.57	1,126.87	25.00
8	44	उच्च शिक्षा	राज.द.म.	2,640.05	2,236.37	403.68	169.29
9	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज.द.म.	1,041.36	908.10	133.27	80.68
10	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी.द.म.	333.61	219.78	113.83	1.45
11	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज.द.म.	663.65	455.17	208.49	97.27
12	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी.द.म.	1,269.54	586.13	683.41	0.99
13	55	महिला एवं बाल विकास	राज.द.म.	5,072.44	4,681.73	390.70	206.49
14	62	पंचायत	राज.द.म.	4,767.02	3,441.78	1,325.24	500.00
		योग		**60,369.43**	**50,184.53**	**10,184.90**	**3,721.22**

स्रोत: विनियोग लेखे 2021–22

संक्षेपाक्षर: राजस्व दत्तमत्त (राज.द.म.), राजस्व भारित (रा.भा.), पूंजीगत दत्तमत्त (पूंजी.द.म.)

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 3.4** से देखा जा सकता है, अनुदान संख्या 52 चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत मानसिक चिकित्सालय, इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर, डेंटल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज, इंदौर का उन्नयन, अनुदान संख्या 62 पंचायत के अन्तर्गत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वसूली के एवज में अनुदान, अनुदान संख्या 33 आदिम जाति कल्याण के अन्तर्गत जैविक खेती सहायता कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति) एवं CH–II–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा के अन्तर्गत नए ऋण जारी करने के संबंध में किए गये व्यय को इन योजनाओं में पूरी तरह से व्यय नही किया गया। यह दर्शाता है कि राज्य शासन द्वारा अनुपूरक अनुदान प्रशासन द्वारा आवश्यकता और निगरानी के पर्याप्त मूल्यांकन के बिना थे जो खराब बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

3.5 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोजन एक अनुदान के भीतर विनियोग की एक इकाई से, जहां बचत प्रत्याशित होती है, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, को पहचान कर निधियों का हस्तांतरण होता है। वित्त विभाग के पास अनुदान के भीतर किसी भी पुनर्विनियोजन की मंजूरी/अधिकृत करने की शक्ति है, जिसमें आवर्ती देयता का दायित्व लेना शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश बजट नियमावली (एम.पी.बी.एम.), 2012 की कंडिका 26.6 के अनुसार पुनर्विनियोजन की स्वीकृति की शक्तियां वित्त विभाग द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विनियमित होती है।

2021–22 के दौरान, 25 अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित कुल 85 उप–शीर्षों में पुनर्विनियोजन किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5*** में वर्णित है। 11 अनुदानों एवं एक विनियोग से संबंधित 32 उप–शीर्षों में ₹7,882.08 करोड़ के पुनर्विनियोजन के बाद भी ₹3,806.09 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया था। 20 अनुदानों से संबंधित शेष 53 उप–शीर्षों में, जहां ₹3,067.21 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था, उन्ही उप–शीर्षों में अंतिम बचतें ₹507.15 करोड़ थी। अनुदान संख्या 30 ग्रामीण विकास के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2216-आवास, 2510-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय में, ₹2,946.36 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय, मूल तथा अनुपूरक प्रावधान ₹1,957.70 करोड़ से अधिक था।

3.5.1 सारभूत समर्पण

2021–22 के दौरान, 35 अनुदानों से संबंधित 180 उप–शीर्षों में राशि ₹7,152.39 करोड़ (₹8,403.10 करोड़ के मूल बजट प्रावधान का 85.12 प्रतिशत) का सारभूत समर्पण, 50 प्रतिशत या अधिक किया गया था जिसमें 25 अनुदानों से संबंधित 75 उप–शीर्षों (₹2,623.68 करोड़) में 100 प्रतिशत समर्पण शामिल है जैसा कि ***परिशिष्ट 3.6*** में विस्तृत है। ऊर्जा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, आदिम जाति कल्याण, स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से संबंधित अनुदानो, जहां प्रत्येक अनुदान में ₹200 करोड़ और उससे अधिक के सारभूत समर्पण के कुछ कारण जैसे नर्मदा बेसिन परियोजना कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए शासन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं होना, स्वीकृत पदों के अनुसार कर्मचारियों की पदस्थापना न होना, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी पर प्रतिबन्ध और कंपनी से प्रस्ताव प्राप्त न होना इत्यादि थे।

3.5.2 समर्पित न की गयी प्रत्याशित बचतें

2021–22 के दौरान, बजट अनुमानों के विरूद्ध कुल बचतें ₹39,786.26 करोड़ थी। प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹ एक करोड़ एवं अधिक के 103 प्रकरणों में कुल राशि ₹39,101.14 करोड़ थी। इसमें से, राशि ₹19,753.75 करोड़ समर्पित (***परिशिष्ट 3.7***) नहीं की गई। यह राशि उपरिलिखित 103 प्रकरणों (₹39,101.14 करोड़) की बचत का 50.52 प्रतिशत और कुल बचत (₹39,786.26 करोड़) का 49.65 प्रतिशत थी।

राशि ₹39,786.26 करोड़ की बचतों के कुल प्रकरणों में से 32 प्रकरणों में (₹6,936.76 करोड़ की बचतें), इनमें से किसी भी प्रकरण में बचतों का कोई भाग संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया था। विवरण ***परिशिष्ट 3.8*** में दिया गया है।

यह पाया गया कि 31 मार्च 2022 को राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत सात अनुदानों में और पूंजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत तीन अनुदानों में समर्पित की गई कुल राशि बचतों से अधिक थी। विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

तालिका 3.5: बचतों के विरुद्ध अधिक समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	राज.द.म./ पूंजी.द.म.	बचतें	समर्पण	अधिक समर्पण
1	12	ऊर्जा	राज.द.म.	9.25	9.27	0.02
2	12	ऊर्जा	पूंजी.द.म.	1,296.62	1,440.54	143.92
3	27	स्कूल शिक्षा	राज.द.म.	1,543.39	1,637.48	94.09
4	29	विधि एवं विधायी कार्य	पूंजी.द.म.	95.73	95.77	0.04

5	33	आदिम जाति कल्याण	राज.द.म.	1,289.46	1,300.44	10.98
6	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज.द.म.	28.81	30.74	1.93
7	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज.द.म.	204.13	205.50	1.37
8	60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	राज.द.म.	6.26	6.27	0.01
9	60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	पूंजी.द.म.	49.72	50.59	0.87
10	65	विमानन	राज.द.म.	10.47	20.49	10.02
योग				**4,533.84**	**4,797.09**	**263.25**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

यह बहुत ही अवास्तविक है और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम के आंकड़ों के साथ विभागीय आंकड़ों के मिलान न किये जाने के कारण हुआ।

3.5.3 प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार न किये गये समर्पण/पुनर्विनियोजन आदेश

राज्य शासन के निर्देशों (फरवरी 2012) के अनुसार पुनर्विनियोजन/समर्पणों की समस्त स्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए एवं उन्हें लेखाओं में समावेशन के लिए यथा समय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए। योजनाओं के उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने चाहिए एवं स्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए। जिन शीर्षों में समर्पण/पुनर्विनियोजन स्वीकृत किये गये है उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए।

हमने पाया कि 19 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित राशि ₹5,961.63 करोड़ के समर्पण के लिए 26 स्वीकृतियां, उपरोक्त राज्य शासन के निर्देशों का उल्लंघन था एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा लेखाओं में शामिल किये जाने के लिए स्वीकार नहीं की थी। विवरण ***परिशिष्ट 3.9*** में दिया गया है।

3.5.4 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) एवं 283(2) के अनुसार मध्य प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम 1957 के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है। आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है, जो विधि द्वारा किए गए विनियोग के तहत राज्य शासन द्वारा इस तरह के व्यय के प्राधिकृति के लिए लंबित है। निधि की स्थापना के समय अग्रदाय के रूप में यह राशि ₹40 करोड़ थी, जो अब बढ़कर ₹1,000 करोड़ हो गई है। 27 मार्च 2021 को एक अध्यादेश के माध्यम से निधि को बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ कर दिया गया था।

2021–22 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा पांच अनुदानों के अंतर्गत राशि ₹49.33 करोड़ की छः स्वीकृतियां जारी की गईं, ₹49.30 करोड़ के छः आहरण आकस्मिकता निधि से किये गए एवं अनुदान संख्या 65 विमानन की शेष राशि ₹0.03 करोड़, निदेशक, विमानन, भोपाल द्वारा 31 मार्च 2022 को समर्पित की गई। वर्ष 2021–22 के दौरान आकस्मिक निधि से आहरण का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया।

तालिका 3.6: आकस्मिकता निधि स्वीकृति आदेश और स्वीकृतियों के विरुद्ध उपयोग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	निकासी का उद्देश्य	स्वीकृत राशि	व्यय	वसूली का माह
1	725/217/2021/बी-7/डी. एम.सी./4/भोपाल, दिनांक 24.08.2021	8-भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	2053	डिक्रीटल निधि का भुगतान	9.82	9.82	03/2022

2	93/R-50/बी-7/डी.एम.सी/4/2022/भोपाल, दिनांक 04.02.2022	26-संस्कृति	2205	संत गुलाबराव महाराज साहित्य मंदिर के आध्यात्मिक संपदा के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए	1.25	1.25	03/2022
3	98/54/बी-7/2021/डी.एम.सी./4/भोपाल, दिनांक 08.02.2022	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	2029	सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन–अन्य शुल्क	14.46	14.46	03/2022
4	528/आर-84/बी-7/2021/डी.एम.सी./4/ भोपाल, दिनांक 25.05.2021	55-महिला एवं बाल विकास	2235	कोविड–19 के लिए सी.एम. सहायता राशि	1.80	1.80	03/2022
5	674/159/बी -7/2021/डी.एम.सी./4/भोपाल, दिनांक 15.07.2021	65-विमानन	2052	चार्टेड प्लेन किराया	10.00	9.99	07/2021 से 10/2021
6	920/389/बी -7/2021/डी.एम.सी./4/भोपाल, दिनांक 29.10.2021	65-विमानन	2052	चार्टेड प्लेन किराया	12.00	11.98	11/2021 से 03/2022
योग					**49.33**	**49.30**	

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी

3.5.5 बजट बनाने में त्रुटी

भारत सरकार, विशेष सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि के तहत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराती है। मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ मे, मुख्य शीर्ष ''1601–सहायता अनुदान'' के तहत अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्रारंभ में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष ''3054–सड़क एवं पुल'' के माध्यम से मुख्य शीर्ष ''8449–अन्य जमा–103 केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेंसन'' के तहत लोक लेखा को हस्तांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान प्राप्ति, लेखा में राजस्व अधिशेष को अधिक या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दर्शाता है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्धारित सड़क निर्माण पर व्यय प्रथमतः राजस्व अथवा पूंजीगत व्यय अनुमान (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत दर्ज किया जाएगा एवं लोक लेखे में से उसकी प्रतिपूर्ति मुख्य शीर्ष 8449 के अंतर्गत एवं संबंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जो भी संबंधित हो) में से व्यय को घटाकर की जायेगी।

वर्ष 2021–22 के दौरान यह देखा गया कि राज्य शासन को केन्द्रीय सड़क निधि के लिए ₹622.93 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसे केन्द्रीय सड़क निधि से जमा शीर्ष 8449–अन्य जमा–103 सबवेंसन को हस्तांतरित नहीं किया क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि लोक लेखे के माध्यम से संचालित नहीं किया गया है। राज्य शासन ने वर्ष के दौरान ₹577.74 करोड़ का व्यय लोक लेखा के माध्यम से नहीं करते हुए मुख्य शीर्ष 5054 से प्रत्यक्ष रूप से किया। आगे, केन्द्र सरकार द्वारा दिये गए अनुदान में से ₹45.19 करोड़ की राशि खर्च हुए बिना शेष रह गयी परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष की अत्युक्ति एवं राजकोषीय घाटा में न्यूनोक्ति दिखायी गयी।

3.6 बचतें

बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय में अनुमानित बचतें 15 जनवरी तक (मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.9) वित्त विभाग को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, ताकि जहां अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, वहां उनका उपयोग किया जा सके। ₹10 करोड़ और अधिक एवं बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतों के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरणों का सारांश नीचे **तालिका 3.7** में दिया गया है और ***परिशिष्ट 3.10*** में विस्तृत है।

तालिका 3.7: ₹10 करोड़ और अधिक एवं कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक की बचत सीमा के अनुदानों/विनियोगों से संबंधित प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बचत सीमा	उप–शीर्ष	कुल अनुदानों/ विनियोगों की संख्या	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	कुल अनुदानों के सापेक्ष बचत का प्रतिशत	समर्पित राशि
1	10 करोड़ से < 100 करोड़	26	20	2,584.85	1,583.85	1,001.00	38.73	507.30
2	100 करोड़ से < 500 करोड़	14	14	9,335.24	5,843.25	3,491.99	37.41	782.67
3	500 करोड़ से अधिक	11	10	56,543.15	39,604.95	16,938.20	29.96	7,395.47
योग		**51**	**44**	**68,463.24**	**47,032.05**	**21,431.19**	**31.30**	**8,685.44**

स्रोत: विनियोग लेखे 2021–22

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि, वर्ष 2021–22 के दौरान 51 प्रकरणों में ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण सेवा सहित ₹21,431.19 करोड़ की बचतें थी, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थी। वित्तीय वर्ष के दौरान ₹21,431.19 करोड़ की कुल बचतों में से ₹8,685.44 करोड़ समर्पित किये गये।

51 प्रकरणों में ₹10 करोड़ से ₹5,008.23 करोड़ तक की बचतों का अनुदान–वार विस्तृत विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.10*** प्रस्तुत करता है। राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 19 अनुदानों और चार विनियोग से संबंधित 23 प्रकरणों में तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 27 अनुदानों और एक विनियोग से संबंधित 28 प्रकरणों में बचतें ₹10 करोड़ से ₹500 करोड़ एवं अधिक के मध्य थी।

परिशिष्ट 3.10 में उल्लेखित अनुदानों में से, राजस्व अनुभाग लेखा शीर्ष के अंतर्गत सात अनुदानों में अनुदान संख्या 1–सामान्य प्रशासन, 29–विधि और विधायी कार्य, 39–खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, 40–स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), 44–उच्च शिक्षा, 50–उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, 62–पंचायत और दो विनियोग अर्थात् 6–वित्त और CH–II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतें हुई थी।

इसी प्रकार, पूंजीगत अनुभाग लेखा शीर्ष में 15 अनुदानों में अनुदान संख्या 3–पुलिस, 6–वित्त, 11–उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, 12–ऊर्जा, 19–लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 22–नगरीय विकास एवं आवास, 33–आदिम जाति कल्याण, 40–स्कूल शिक्षा विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), 44–उच्च शिक्षा, 47–तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, 48–नर्मदा घाटी विकास, 49– अनुसूचित जाति कल्याण, 52–चिकित्सा शिक्षा, 58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, 63–अल्प संख्यक कल्याण के अंतर्गत एवं एक विनियोग अर्थात् 24–लोक निर्माण कार्य–सडकें और पुल के अंतर्गत ₹100 करोड़ और अधिक एवं कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक की बचतें हुई थी।

2020–21 और 2021–22 के दौरान एक अनुदान में ₹500 करोड़ और उससे अधिक की वृहद् बचतें हुई जैसा कि नीचे **तालिका 3.8** में वर्णित है:

तालिका 3.8: ₹500 करोड़ और उससे अधिक की बचतों को दर्शाने वाली अनुदान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	बचतें (₹500 करोड़ से अधिक)	
			2020-21	2021-22
1	12	ऊर्जा (पूंजीगत दत्तमत)	651.68 (56.22)	1,296.62 (39.48)

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

टिप्पणीः कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रावधान में से बचत के प्रतिशत को प्रदर्शित करते है।

विभाग द्वारा बचतों के उपलब्ध कराए गए कारण, भारत सरकार द्वारा आवंटन जारी नहीं किया जाना, वर्ष 2021–22 के लिए शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत करने में विलम्ब, जिलों द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया जाना क्योंकि कोविड–19 के कारण छात्रावास बंद रहे, तृतीय अनुपूरक बजट 14 मार्च 2022 को प्राप्त होना और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा विलम्ब से स्वीकृति, 20 प्रतिशत कटौती, पदों का रिक्त रहना, वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंध, कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किया जाना क्योंकि अंतरिम राहत 18–031 के बजाय आई.एफ.एम.आई.एस. में विस्तृत शीर्ष 18–001 मैप किया जाना थे।

इस अनुदान के अंतर्गत वृह्द् बचतें, अवधि के दौरान प्रत्याशित व्यय के गलत अनुमान और व्यय पर नियंत्रण की कमी का संकेत है। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व समर्पित बचतों का विवरण **चार्ट 3.5** में नीचे दिया गया है:

चार्ट 3.5: वित्त वर्ष 2021–22 के समाप्ति के पूर्व बचतें एवं समर्पण
(₹ करोड़ में)

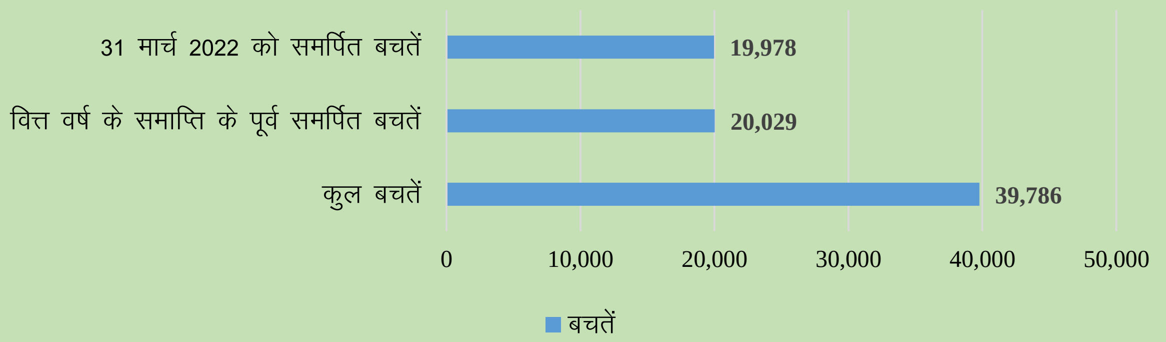

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

3.6.1 बिना बजट प्रावधान के व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा राज्य की संचित निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जाएगी। राज्य की आकस्मिकता निधि से पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या अग्रिम द्वारा अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दो प्रकरणों में, बिना बजट प्रावधान के ₹11.90 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखा का शीर्ष–वार विवरण नीचे **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: 2021—22 के दौरान बिना बजट प्रावधान के व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष (विस्तृत शीर्ष तक)	द.म. /भा.	मूल बजट	पुनर्विनियोग और समर्पण	कुल बजट	व्यय	आधिक्य
1	6	वित्त	7810-800-0122	द.म.	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
2	12	ऊर्जा	6801-205-1201-5523-67-001	द.म.	0.00	0.00	0.00	10.70	10.70
		योग			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11.90**	**11.90**

स्रोत: विनियोग लेखे 2021—22

3.6.2 बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण स्पष्टीकरण

स्वीकृत बजट के विरूद्ध व्यय दर्शाने के अलावा, विनियोग लेखें उन मामलों के लिए स्पष्टीकरण भी प्रदान करते है जहां व्यय बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक) से काफी भिन्न होता है। लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों में उप—शीर्ष/उप—उप—शीर्ष स्तर (विनियोग की इकाई) पर इस तरह की भिन्नता की सीमा निर्धारित (सितंबर 2004) की गयी है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को प्रारूप विनियोग लेखा प्रदान करता है और लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदित बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के कारणों/स्पष्टीकरण की मांग करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

बचतें	• *टिप्पणियां की जानी है यदि अनुदान के अंतर्गत कुल बचतें कुल प्रावधान का पांच प्रतिशत या अधिक है।* • *टिप्पणियां की जानी है यदि उप—शीर्ष के अन्तर्गत कुल बचतें उप—शीर्ष के कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत या अधिक है, बशर्ते बचतों की राशि:* *(क) ₹40 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है,* *(ख) ₹20 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है, अथवा* *(ग) ₹10 लाख से कम नहीं हो यदि कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।* • *टिप्पणियां की जानी है यदि अनुदान में भारित व्यय के अंतर्गत कुल बचतें ₹10 लाख से कम नहीं है।*
आधिक्य	• *उन सभी प्रकरणों में जहां किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो पर प्रावधान से आधिक्य के नियमितीकरण के लिए सामान्य टिप्पणी की जानी है।* • *ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी है जहां किसी वैयक्तिक उप—शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक और उप—शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से भी अधिक है।* • *ऐसे सभी प्रकरणों में टिप्पणियां की जानी है जहां किसी वैयक्तिक उप—शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य उस उप—शीर्ष के कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है बशर्ते:* *(क) प्रत्येक उप—शीर्ष में आधिक्य ₹40 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक है,* *(ख) प्रत्येक उप—शीर्ष में आधिक्य ₹20 लाख से अधिक है, जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से ₹30 करोड़ के मध्य है, अथवा* *(ग) प्रत्येक उप—शीर्ष में आधिक्य ₹10 लाख से अधिक है जहां कुल प्रावधान ₹10 करोड़ से कम है।*

स्रोत: विनियोग लेखे 2021—22

वर्ष 2021—22 के लिए विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा और अंतर्निहित लेखांकन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि सभी 67 अनुदानों/विनियोगों में बजट से भिन्नता के कारणों की आवश्यकता थी। हालांकि, 20 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में सरकारी विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं

किए गए थे, जबकि शेष 47 अनुदानों/विनियोगों के संबंध में आंशिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। शामिल किये गये उप–शीर्षो के संदर्भ में कुल 3,937 उप–शीर्षों में से भिन्नताओं के लिए स्पष्टीकरण की प्राप्ति या अन्यथा को नीचे **चार्ट 3.6** में दर्शाया गया है। इस संबंध में विवरण ***परिशिष्ट 3.11*** में दिया गया है।

चार्ट 3.6: बजट के सापेक्ष अस्पष्ट भिन्नताओं का सारांश

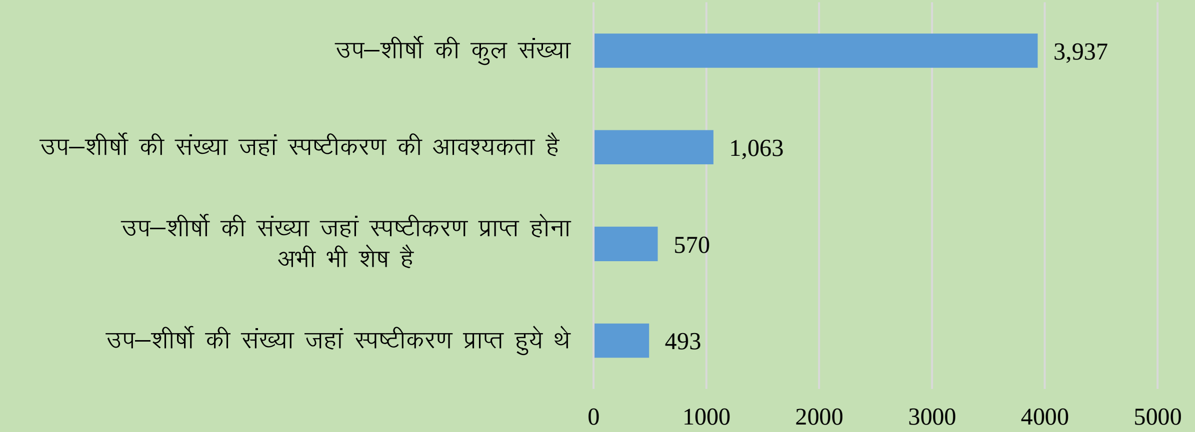

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

2021–22 के दौरान, कुल 3,937 उप–शीर्षों में से, 93 प्रकरणों में, कुल आवंटित बजट ₹27,026.58 करोड़ के विरूद्ध ₹33,486.56 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹6,459.98 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जबकि 26 अनुदानो/विनियोगों के अंतर्गत 69 उप–शीर्षों में बिना उचित/पर्याप्त विश्लेषण एवं अनुमान के समर्पण एवं पुनर्विनियोजन किया गया था जिसके कारण उप–शीर्षों में अधिक व्यय हुआ। विवरण ***परिशिष्ट 3.12*** में दिया गया है। बजट आवंटन और उसके उपयोग के बीच अधिक व्यय और भिन्नता के कारणों के स्पष्टीकरण का अभाव, सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रुप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करता है।

3.7 अनुदान/विनियोग जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था

2021–22 के दौरान, 67 अनुदानों/विनियोगों में से एक अनुदान में बचतें देखी गई, जहां बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था और प्रावधान ₹100 करोड़ या अधिक था। अवधि 2017–22 के लिए एक अनुदान में बजटीय आवंटन का उपयोग नीचे **तालिका 3.10** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.10: अनुदान/विनियोग जहां बजट प्रावधान ₹100 करोड़ या अधिक था के विरूद्ध बजट का उपयोग 50 प्रतिशत से कम था

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान	2017–18 (प्रतिशत में)	2018–19 (प्रतिशत में)	2019–20 (प्रतिशत में)	2020–21 (प्रतिशत में)	2021–22 (प्रतिशत में)	वर्षों की संख्या	बजट 2020–21	कुल बजट (5 वर्षों का)
1	63-अल्प संख्यक कल्याण	66.16	52.73	38.12	11.57	14.50	3	196.11	405.02

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी

2021–22 के दौरान अनुदान संख्या 63 के प्रकरण में बजट के कम उपयोग के कारण संबंधित विभाग द्वारा प्रदाय नहीं कराए गए।

3.8 आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह आवश्यक है कि अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा विनियमित कराया जाए। यद्यपि, यह पाया गया कि राज्य शासन ने 2011–21 की अवधि से संबंधित 12 अनुदानों एवं सात विनियोगों को शामिल करते हुए राशि ₹1,678.00 करोड़ के आधिक्य व्यय को नियमित नहीं किया। विवरण ***परिशिष्ट 3.13*** में दिया गया है।

हालांकि, 2021–22 के दौरान, अनुदान और विनियोग में कोई आधिक्य व्यय नहीं पाया गया, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत् पूर्व के वर्षों के दौरान किये आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। आगे, यह संविधान के अनुच्छेद 204 का उल्लंघन है, जो प्रावधान करता है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुरुप राज्य विधान सभा द्वारा कानूनी रुप से किए गए विनियोग के अलावा कोई राशि समेकित निधि से आहरित नही की जाएगी। यह बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को विकृत करता है तथा सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन मे वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

3.9 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

एकमुश्त प्रावधान वे प्रावधान है जहां विस्तृत उद्देश्य शीर्ष परिभाषित नहीं है। हालांकि, कुछ प्रकरणों में, जहां एकमुश्त प्रावधान अपरिहार्य हो सकता है और उन प्रकरणों को छोड़कर जहां एकमुश्त आवंटन से व्यय को स्थायी स्वीकृतियों, निर्देशों या नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, प्रस्तावित प्रावधानों को उचित ठहराते हुए विस्तृत विवरण एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट टिप्पणी में दिया जाएगा।

2021–22 के दौरान, 17 अनुदानों से सम्बंधित 44 प्रकरणों (जहां समर्पण ₹25 करोड़ से अधिक और बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से भी अधिक था) में ₹7,420.80 करोड़ का अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान किया गया था। इसमें से ₹6,331.43 करोड़ (85.32 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रही और वर्ष के अंत में समर्पित की गयी। नौ अनुदानों के अन्तर्गत ₹100 करोड़ से अधिक के एकमुश्त प्रावधान के महत्वपूर्ण प्रकरणों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है जबकि पूर्ण विवरण ***परिशिष्ट 3.14*** में दिया गया है।

तालिका 3.11: ₹100 करोड़ या अधिक के एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनु.)	समर्पित राशि	समर्पण
1	सामान्य प्रशासन	2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	221.00	159.10	71.99 %
12	ऊर्जा	4801-02-190-0101-6323-2*660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	100.00	100.00	100.00 %
		4801-05-190-0102-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने के लिए सहायता	160.00	160.00	100.00 %
		4801-05-190-0101-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने के लिए सहायता	796.00	796.00	100.00 %
		6801-205-1201-9655-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण	171.00	171.00	100.00 %
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-1203-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	140.50	137.00	97.51 %

तालिका 3.11: ₹100 करोड़ या अधिक के एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+अनु.)	समर्पित राशि	समर्पण
		4215-01-102-1202-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	193.00	161.00	83.42 %
		4215-01-102-1201-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	544.00	391.00	71.88 %
27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0103-4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	117.79	74.19	62.98 %
33	जनजातीय कार्य	2225-02-277-0102-0494-आश्रम	188.67	112.84	59.81 %
		2225-02-800-0602-5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॅाकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	150.00	78.41	52.27 %
		4202-01-202-0102-0581-शासकीय हाई/हायर सेकेंडरी शालाएं	330.00	272.84	82.68 %
		4225-02-277-0422-9516-सी.एम. राइज	116.00	116.00	100.00 %
		4225-02-277-0102-1398-सीनियर छात्रावास	200.00	177.01	88.51 %
		4225-02-277-0102-9516-सी.एम. राइज	118.00	118.00	100.00 %
40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	4202-02-103-0102-9516-सी.एम. राइज	120.00	120.00	100.00 %
		4202-02-103-0101-9516-सी.एम. राइज	331.00	281.00	84.89 %
44	उच्च शिक्षा	4202-01-203-0701-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	115.70	101.36	87.61 %
48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0801-1953-नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना	115.78	115.78	100.00 %
		4700-80-800-0101-2333-एन.बी. कम्पनी लिमिटेड का निवेश	(मूल)300.00 (अनु.)1,500.00 1,800.00	1,500.00	83.33 %
49	अनुसूचित जाति कल्याण	4225-01-277-0103-4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	100.00	54.11	54.11 %
		योग	**6,128.44**	**5,196.64**	**84.80 %**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

वर्ष के दौरान प्रमुख नौ अनुदानों में जहां एकमुश्त प्रावधान किया गया था, जो ऊपर सारणीबद्ध है, में कुल 44 प्रकरणों में से 21 ऐसे प्रकरण शामिल थे जो कुल एकमुश्त प्रावधानों का 82.58 प्रतिशत था। इन नौ अनुदानों में राशि ₹5,196.64 करोड़ (84.80 प्रतिशत) के अनुपयोगी रहने के कारण भारत सरकार द्वारा विलम्ब से राशि जारी करना, एजेंसियों द्वारा आवंटित कार्य करने में देरी, वित्त विभाग द्वारा राशि जारी नहीं किया जाना और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रतिबंधों की अनुपलब्धता, इत्यादि था।

3.10 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

2021–22 के दौरान, विभिन्न योजनाओं (प्रत्येक प्रकरण में ₹10 करोड़ या अधिक) के अन्तर्गत 57 प्रकरणों में कुल ₹14,266.10 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 3.15*** में दिया गया है। इनमे से महत्वपूर्ण प्रकरण, जहां अप्रयुक्त बजट प्रावधान ₹100 करोड़ या अधिक था, का विवरण नीचे **तालिका 3.12** में दिया गया है। प्रमुख अनुदान/विनियोग जहां प्रावधान ₹11,853.31 करोड़ की सीमा तक अप्रयुक्त रहे, लोक ऋण, ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, ऊर्जा एवं वित्त थे।

तालिका 3.12: योजनाएं जिनमें ₹100 करोड़ या अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	दत्तमत/ भारित	कुल प्रावधान (मूल+अनु)	व्यय	बचत
1	CH-I	भारित विनियोग–लोक ऋण	6003-110-0637-66- उपाय तथा साधन अग्रिम	भारित	1,685.00	0.00	1,685.00 (100 %)
2	CH-I	भारित विनियोग–लोक ऋण	6003-110-0779-66- कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	भारित	2,000.00	0.00	2,000.00 (100 %)
3	CH-II	भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-01-101-9931-52-7.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2031	भारित	140.00	0.00	140.00 (100 %)
4	CH-II	भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-60-701-0716- विविध ऋण भुगतान	भारित	1,679.00	0.00	1,679.00 (100 %)
5	6	वित्त	2054-095-5329-51- लंबित देयकों का भुगतान	दत्तमत्त	888.41	0.00	888.41 (100 %)
6	6	वित्त	2054-095-5329-53- लंबित देयकों का भुगतान	भारित	100.00	0.00	100.00 (100 %)
7	6	वित्त	2070-800-0101-0224-51-अन्य व्यय	दत्तमत्त	100.00	0.00	100.00 (100 %)
8	6	वित्त	6075-800-6787-66- गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	दत्तमत्त	600.91	0.00	600.91 (100 %)
9	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-7837-44-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत्त	3,849.04	0.00	3,849.04 (100 %)
10	12	ऊर्जा	2801-80-101-0102-7837-44-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत्त	612.68	0.00	612.68 (100 %)
11	12	ऊर्जा	2801-80-101-0103-7837-44-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	दत्तमत्त	198.27	0.00	198.27 (100 %)
12	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05-800-0701-7839-42-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	दत्तमत्त	200.00	0.00	200.00 (100 %)

तालिका 3.12: योजनाएं जिनमें ₹100 करोड़ या अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त रहा							
							(₹ करोड़ में)
स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	दत्तमत/ भारित	कुल प्रावधान (मूल+अनु.)	व्यय	बचत
13	30	ग्रामीण विकास	2515-800-0550-9216-33-प्रधानमंत्री सडक योजनान्तर्गत निर्मित सडकों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	दत्तमत्त	213.50	0.00	213.50 (100 %)
14	30	ग्रामीण विकास	4515-800-0701-7467-42-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	दत्तमत्त	150.00	0.00	150.00 (100 %)
15	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0701-1299-44-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	दत्तमत्त	139.91	0.00	139.91 (100 %)
16	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-0101-7853-64-नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	दत्तमत्त	183.00	0.00	183.00 (100 %)
योग					**12,739.72**	**0.00**	**12,739.72 (100 %)**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विशिष्ट कारणों को सूचित नहीं किया गया था, जो अवास्तविक बजट अनुमान को दर्शाता है।

3.11 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक निधियन

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के अनुसार, विभाग को एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा किये गये व्यय की समीक्षा करके बजट की निगरानी करनी चाहिए। इस तरह की निगरानी का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय वर्ष के दौरान विधायिका द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित राज्य का बजट, वास्तविक व्यय के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बना रहे। निगरानी में न केवल चालू वित्तीय वर्ष में किया गया व्यय बल्कि पिछले तीन वर्षों की तुलना और विश्लेषण भी शामिल होना चाहिए।

यह देखा गया कि 2021–22 के दौरान शुरू हुई 20 नई योजनाओं में ₹ एक करोड़ और अधिक की बचतें हुई, जैसा कि **तालिका 3.13** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.13: योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान ₹10 करोड़ या अधिक था						
						(₹ करोड़ में)
स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल)	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
1	3	पुलिस	4055-207-7823-पुलिस चिकित्सालय का निर्माण	10.00	0.00	10.00 (100.00 %)
2	12	ऊर्जा	2801-80-101-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	4,660.00	0.00	4,660.00 (100.00 %)
3	12	ऊर्जा	4801-05-190-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	1,000.00	0.00	1,000.00 (100.00 %)

तालिका 3.13: योजनाएं जिनमें बजट प्रावधान ₹10 करोड़ या अधिक था

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	योजना का नाम	कुल प्रावधान (मूल)	व्यय	बचत (प्रतिशत में)
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-001-7833-स्वास्थ्य संस्थाओं का अनुरक्षण कार्य	52.00	23.28	28.72 (55.23 %)
5	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-001-7834-स्वास्थ्य संस्थाओं की सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था	60.72	55.25	5.47 (9.00 %)
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-01-001-7835-स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	100.00	30.62	69.38 (69.38 %)
7	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05-800-7838-जल जीवन मिशन (शहरी)	200.00	89.00	111.00 (55.50 %)
8	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05-800-7839-शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	200.00	0.00	200.00 (100.00 %)
9	33	जनजातीय कार्य	2225-02-277-7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	24.00	0.00	24.00 (100.00 %)
10	33	जनजातीय कार्य	2225-02-277-9516-सी.एम. राइज	50.00	0.00	50.00 (100.00 %)
11	33	जनजातीय कार्य	4225-02-277-7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	23.00	0.00	23.00 (100.00 %)
12	33	जनजातीय कार्य	4225-02-277-9516-सी.एम. राइज	350.00	0.00	350.00 (100.00 %)
13	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	83.00	0.00	83.00 (100.00 %)
14	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	4202-01-202-7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	83.00	0.00	83.00 (100.00 %)
15	43	खेल और युवक कल्याण	2204-103-7662-खेलो इंडिया	25.00	0.00	25.00 (100.00 %)
16	43	खेल और युवक कल्याण	4202-03-003-7662-खेलो इंडिया	20.00	0.00	20.00 (100.00 %)
17	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	4059-80-051-7875-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को सौंपे गए संपत्तियों के विकास कार्य	10.00	6.08	3.92 (39.20 %)
18	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	2401-119-7848-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	179.87	39.78	140.09 (77.88 %)
19	52	चिकित्सा शिक्षा	4210-03-105-7853-नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	300.00	0.00	300.00 (100.00 %)
20	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-7667-15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	239.70	11.83	227.87 (95.06 %)
		योग		**7,670.29**	**255.84**	**7,414.45**

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

उपरोक्त **तालिका 3.13** से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021–22 के दौरान शुरू की गई नई योजनाओं में पर्याप्त बचतें मुख्यतः छः अनुदानों में अर्थात् अनुदान संख्या 12 ऊर्जा, मुख्य शीर्ष 2801–बिजली, 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्य शीर्ष 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 22 नगरीय विकास एवं आवास, मुख्य शीर्ष 2217–शहरी विकास, अनुदान संख्या 50 उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म, अनुदान संख्या 52 चिकित्सा शिक्षा, मुख्य शीर्ष 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्य शीर्ष 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत पर व्यय ₹7,414.45 करोड़ की बचत राशि में से ₹1,623.00 करोड़ समर्पित की गई, जो योजना की संभावित कमी, अनुमानित व्यय का अवास्तविक अनुमान और अपर्याप्त बजटीय निगरानी का संकेत दर्शाती है।

3.12 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 26.13 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में व्यय की अत्यधिकता को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है। साथ ही, वित्त विभाग के स्थायी आदेशों के अनुसार, प्रभावी बजट निष्पादन के लिए कुल व्यय का प्रशासनिक विभागो को अपने वार्षिक व्यय को चार तिमाहियो के दौरान पहली दो तिमाहियों में 45 प्रतिशत तक, तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में 30 प्रतिशत तक लक्षित करना चाहिए।

2021–22 के दौरान राज्य के राजकोष में प्राप्तियों का मासिक प्रवाह और संवितरण निम्नलिखित **चार्ट 3.7** में दिया गया है।

चार्ट 3.7: 2021–22 के दौरान मासिक प्राप्ति एवं व्यय

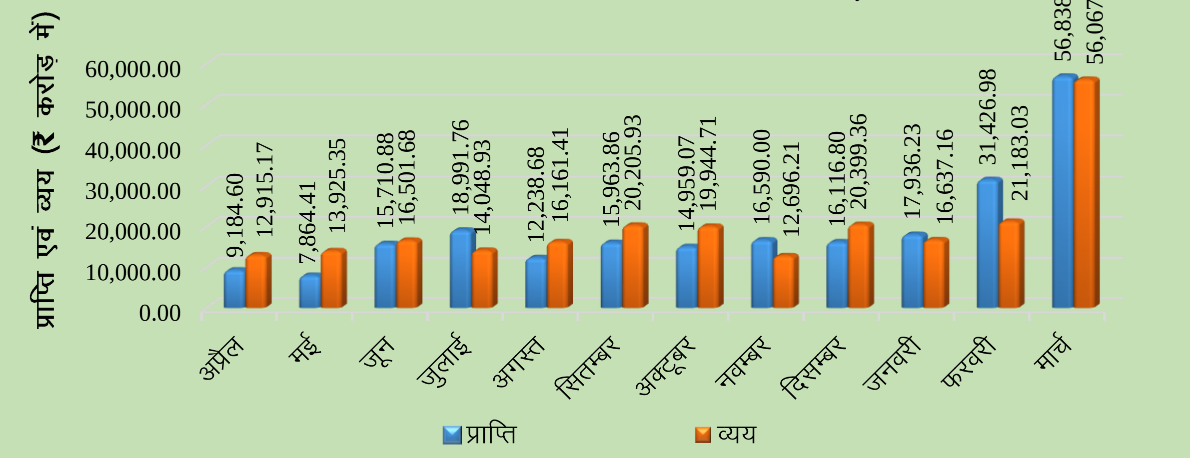

स्रोत : कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत व्ही.एल.सी. आंकड़े

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है, कि फरवरी और मार्च को छोड़कर सभी माहों में प्राप्तियां करीब–करीब समान रही। फरवरी माह में राज्य शासन के आंतरिक ऋण, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति, भू–राजस्व एवं लाभांश तथा लाभ में वृहद् प्राप्तियां प्राप्त होने के कारण अचानक वृद्धि हुई थी। इसी प्रकार, मार्च माह में भी केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर, आय तथा व्यय पर अन्य कर, मुद्रांक तथा पंजीकरण शुल्क, बिक्री एवं व्यापार पर कर, इत्यादि, विद्युत कर तथा शुल्क, सेवा कर, अन्य सामाजिक सेवाएं, वानिकी तथा वन्य जीव और बिजली में अधिक प्राप्तियों के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 में अचानक वृद्धि हुई।

राज्य शासन ने अकेले मार्च 2022 में कुल व्यय ₹2,40,686.74[1] करोड़ का लगभग 23.29 प्रतिशत ₹56,067.80 करोड़ व्यय किया, इसमें से 16 अनुदानों/विनियोगों के 34 प्रकरणों[2] में राशि ₹13,683.50 करोड़ का 100 प्रतिशत व्यय मार्च 2022 के दौरान किया गया था। विवरण **तालिका 3.14** में दिया गया है। इसके अलावा यह भी देखा गया कि 2021–22 के दौरान मार्च 2022 में 86 प्रकरणों (32 अनुदानों/विनियोग) में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 3.16*** में वर्णित है।

तालिका 3.14: मार्च में व्यय की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2022 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2022 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किये गये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी –मार्च 2022	मार्च 2022
1	CH-I भारित विनियोग–लोक ऋण	5437	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00
2	CH-I भारित विनियोग–लोक ऋण	6622	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00
3	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9932	59.90	59.90	59.90	100.00	100.00
4	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9323	42.59	42.59	42.59	100.00	100.00
5	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9623	71.30	71.30	71.30	100.00	100.00
6	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9928	82.80	82.80	82.80	100.00	100.00
7	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9929	190.85	190.85	190.85	100.00	100.00
8	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9933	274.00	274.00	274.00	100.00	100.00
9	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9326	50.17	50.17	50.17	100.00	100.00
10	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7824	550.00	550.00	550.00	100.00	100.00
11	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9930	142.28	142.28	142.28	100.00	100.00
12	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7245	87.30	87.30	87.30	100.00	100.00
13	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9926	41.00	41.00	41.00	100.00	100.00
14	CH-II भारित विनियोग–ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9925	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00
15	3-पुलिस	1416	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
16	6-वित्त	6857	26.59	26.59	26.59	100.00	100.00
17	6-वित्त	1005	212.23	212.23	212.23	100.00	100.00
18	7-वाणिज्यिक कर	817	457.57	457.57	457.57	100.00	100.00
19	10-वन	8859	20.85	20.85	20.85	100.00	100.00
20	12-ऊर्जा	7255	140.33	140.33	140.33	100.00	100.00
21	12-ऊर्जा	3218	884.45	884.45	884.45	100.00	100.00

[1] लोक ऋण पर व्यय सहित

[2] जहां पिछली तिमाही के दौरान व्यय ₹10 करोड़ से अधिक हो गया।

तालिका 3.14: मार्च में व्यय की प्रमात्रा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजना संख्या	जनवरी–मार्च 2022 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2022 में किया गया व्यय	कुल व्यय	किये गये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी –मार्च 2022	मार्च 2022
22	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1227	13.80	13.80	13.80	100.00	100.00
23	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7847	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
24	17-सहकारिता	9937	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
25	17-सहकारिता	2091	48.58	48.58	48.58	100.00	100.00
26	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9923	31.57	31.57	31.57	100.00	100.00
27	22-नगरीय विकास एवं आवास	7838	89.00	89.00	89.00	100.00	100.00
28	22-नगरीय विकास एवं आवास	9492	32.00	32.00	32.00	100.00	100.00
29	25-खनिज साधन	6606	738.44	738.44	738.44	100.00	100.00
30	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6716	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
31	33-जनजातीय कार्य	8861	38.00	38.00	38.00	100.00	100.00
32	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	475	2,427.00	2,427.00	2,427.00	100.00	100.00
33	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	7024	600.50	600.50	600.50	100.00	100.00
34	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6080	85.40	85.40	85.40	100.00	100.00
	योग		**13,683.50**	**13,683.50**	**13,683.50**	**100.00**	**100.00**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 3.15** से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आठ प्रकरण ऐसे थे जहाँ मार्च 2022 में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ। इन आठ प्रकरणों में अनुदान संख्या 58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सुखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत, अनुदान संख्या 17 सहकारिता, अनुदान संख्या 11 औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और अनुदान संख्या 25 खनिज साधन के अंतर्गत मार्केटिंग फेडरेशन के लिए शेयर पूँजी (MARKFED), मुख्यमंत्री किसान सहकारी ऋण सहायता योजनाओं, आरक्षित निधि में अंतरण और जमा खाता, प्राकृतिक आपदा अव्ययित मार्जिन धन निधि अकाल राहत, राष्ट्रीय आकस्मिकता निधि आपदा राहत कोष से प्राप्त राशि और खनिज अधिभार को आरक्षित निधि स्थानान्तरण के योजनाओं में बहुत अधिक व्यय किया गया।

तालिका 3.15: अकेले मार्च में व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक की अनुदानें

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में किया गया व्यय	कुल व्यय का मार्च में किए व्यय का प्रतिशत
1	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	347.92	332.19	216.28	1,055.40	1,951.79	1,040.18	53.29

2	17	सहकारिता	33.19	28.82	474.14	1,175.08	1,711.23	1,122.25	65.58
3	25	खनिज साधन	9.02	9.61	10.10	747.08	775.81	742.81	95.75
4	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	0.02	0.05	4.45	19.33	23.85	18.61	78.00
5	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	366.45	590.95	408.52	4,048.66	5,414.58	3,454.12	63.79
6	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	0.00	0.24	1.04	93.47	94.75	87.90	92.77
7	63	अल्प संख्यक कल्याण	2.09	2.60	4.83	18.92	28.44	15.81	55.58
8	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	35.75	202.63	307.58	825.56	1,371.52	741.13	54.04

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

इस प्रकार, वित्तीय नियमन की भावना के विपरीत, सरकार द्वारा वर्ष के अंतिम समय पर बहुत अधिक व्यय किया गया था, जो व्यय और बजटीय प्रबंधन पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

3.13 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजट 2007–08 के दौरान पेश किया गया था। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था:

श्रेणी 1: योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और

श्रेणी 2: योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

जेण्डर बजट को राज्य के बजट में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदान की मांगों के अंतर्गत जेण्डर के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.16 2017–22 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत बजटीय प्रावधान का विवरण दर्शाती है:

तालिका 3.16: 2017–22 के दौरान जेण्डर बजट के अंतर्गत प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जेण्डर बजट	47,009	52,344	58,309	55,244	60,379
कुल बजट	2,06,470	2,38,303	2,56,925	2,35,927	2,82,780

स्रोतः बजट पुस्तिकाएं तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जेण्डर बजट के अंतर्गत बजट आवंटन 2020–21 में ₹55,244 से 2021–22 में ₹60,379 करोड़ ₹5,135 करोड़ से बढ़ा। यह आवंटन 28 विभागों में श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के तहत महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई योजनाओं पर किया गया था। वर्ष 2017–22 की अवधि के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्ष–वार आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.17** में दिया गया है:

तालिका 3.17: 2017–22 के दौरान जेण्डर बजट आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय से व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय से व्यय का प्रतिशत
2017-18	2,617.70	2,411.88	92.14	44,391.09	45,689.86	102.93
2018-19	3,396.34	3,396.34	100.00	48,948.00	36,574.24	74.72
2019-20	2,695.08	1,611.02	59.78	55,614.20	50,571.92	90.93
2020-21	3,375.37	उपलब्ध नहीं*	-	51,868.72	उपलब्ध नहीं*	-
2021-22	1,797.05	उपलब्ध नहीं*	-	58,582.69	उपलब्ध नहीं*	-

स्रोतः वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी
*** जानकारी वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी**

राज्य शासन ने महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए लक्षित योजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलन करने के लिए 2021–22 के दौरान जेण्डर बजट के निष्पादन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। वित्त विभाग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता लाने के लिए संबंधित विभाग चालू वर्ष के जेण्डर बजट के प्रस्ताव के साथ निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

3.14 कृषि बजट

राज्य का कषि बजट किसानों को लाभान्वित करने के लिए लक्षित योजनाओं पर समग्र बजट के भीतर किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को उजागर करता है। मध्य प्रदेश में 2012–13 में कृषि बजट पेश किया गया था। यह बजट कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के लाभ के लिए किसानों के हितों की गतिविधियों को सम्मिलित करता है। राज्य के बजट में कृषि बजट को एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जो अनुदानों की मांगों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र के आधार पर बजटीय आवंटन को अलग करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

तालिका 3.18 2017–22 के दौरान राज्य द्वारा किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत किये गए प्रावधान का विवरण दर्शाती है।

तालिका 3.18: 2017–22 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास अनुदान की तुलना में कृषि बजट का बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13)	8,383	16,865	22,609	14,062	15,991
कृषि बजट	33,564	37,499	46,560	26,265	35,354

स्रोतः बजट पुस्तिकाएं तथा संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

कृषि बजट आवंटन 2020–21 में ₹26,265 करोड़ से 2021–22 में ₹35,354 करोड़ तक ₹9,089 करोड़ से बढ़ा। 2017–22 के दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास (अनुदान संख्या 13) में वर्ष–वार आवंटन एवं व्यय **तालिका 3.19** में दिया गया है:

तालिका 3.19: किसान कल्याण और कृषि विकास के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2017-18	8,383	5,183	3,200 (38.17)
2018-19	16,865	9,746	7,119 (42.21)
2019-20	22,609	15,021	7,588 (33.56)
2020-21	14,062	13,542	520 (3.70)
2021-22	15,991	15,389	602 (3.76)

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिकाओं से देखा जा सकता है, 2017–22 के दौरान अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत 3.70 प्रतिशत से 42.21 प्रतिशत के बीच सारभूत बचतें हुई थी।

3.15 पर्यावरण बजट

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, निम्नीकरण की रोकथाम और समानता पर जोर देना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा अनुदान संख्या 57–पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण बजट पेश किया गया था। बजट में राज्य शासन द्वारा प्रदान किये गए पर्यावरण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, पर्यावरण अनुसंधान और शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, आदि से संबंधित आंकड़े शामिल हैं।

2021–22 के दौरान अनुदान संख्या 57 पर्यावरण के अंतर्गत ₹25.25 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध ₹25.03 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप केवल ₹0.22 करोड़ की बचत हुई। इसके अलावा यह देखा गया कि ₹0.22 करोड़ करोड़ की बचत राशि वित्त वर्ष की समाप्ति के उपरांत समर्पित की गई थी जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा लेखों में शामिल नहीं किया गया, जबकि गत वर्ष 2020–21 में मध्य प्रदेश शासन ने मांग संख्या 57 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण के स्थान पर मुख्य शीर्ष 2215 जल आपूर्ति तथा सफाई, 2217 शहरी विकास एवं 4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय में बजट आवंटन ₹41.37 करोड़ के विरुद्ध ₹41.02 करोड़ का व्यय किया गया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम द्वारा (दिनांक 9 मई 2022 को) राज्य शासन के समक्ष वर्ष 2022–23 के बजट में सुधार किये जाने हेतु मामला उठाया गया।

अनुदान संख्या 57 पर्यावरण के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान किए गए बजट आवंटन और व्यय को नीचे **तालिका 3.20** में दिखाया गया है।

तालिका 3.20: अनुदान संख्या 57 पर्यावरण के अंतर्गत बजट आवंटन और उपयोग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या और नाम	लघु शीर्ष तक लेखा का शीर्ष और योजना का नाम	कुल बजट (मूल+ अनुपूरक)	व्यय	बचत	कुल बजट प्रावधान के सापेक्ष उपयोग का प्रतिशत
1	57- पर्यावरण	2215-02-800-अन्य व्यय	1.00	1.00	0.00	100.00
2		2217-05-191-स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर निकायों में सुधार, आदि को सहायता	17.10	17.10	0.00	100.00
3		2215-02-106-वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम	6.90	6.68	0.22	96.81
4		4217-01-051-निर्माण	0.25	0.25	0.00	100.00
		योग	**25.25**	**25.03**	**0.22**	**99.13**

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

3.16 चयनित अनुदानों की समीक्षा

विधानसभा में अनुदानों की मांगो पर मतदान पूर्ण होने के उपरांत राज्य की समेकित निधि में से आवश्यक धन के विनियोग हेतु एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है जो (क) विधानसभा द्वारा दी गई अनुदानों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति करता है। विधेयक पर राज्यपाल की सहमति उपरान्त, विनियोग अधिनियम और इसकी अनुसूचियों में दर्शायी गई राशियों, विभिन्न मांगों में व्यय के लिए स्वीकृत अनुदान बन जाती है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, हमने दो अनुदानों का चयन किया अर्थात् अनुदान संख्या 10 वन और अनुदान संख्या 48 नर्मदा घाटी विकास में, निर्धारित बजटीय प्रक्रियाओं के अनुपालन की समीक्षा, निधियों की निगरानी, नियंत्रण तंत्र और इन अनुदानों के भीतर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इन अनुदानों का चयन किया।

3.16.1 अनुदान संख्या 10 वन

लेखापरीक्षा ने अनुदान संख्या 10 वन से संबंधित बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा (अगस्त 2022), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ए.पी.सी.सी.एफ.) (वित्त एवं बजट), भोपाल में की। वह अनुदान संख्या 10 के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) हैं। लेखापरीक्षा के परिणाम की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.16.1.1 बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

2021–22 के दौरान अनुदान संख्या 10 के अन्तर्गत बजटीय राशि एवं किये गये व्यय का विवरण निम्न **तालिका 3.21** में सारांशीकृत हैः

तालिका 3.21: 2021–22 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी बजट	व्यय		बचतें	
					विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	1,791.39	26.55	1,817.94	1,797.96	1,524.74	1,512.71	293.20	285.25
राजस्व (भारित)	0.80	0.00	0.80	0.80	0.53	0.53	0.27	0.27
पूंजीगत (दत्तमत)	1,115.47	0.00	1,115.47	1,115.47	981.45	981.46	134.02	134.01
योग	**2,907.66**	**26.55**	**2,934.21**	**2,914.23**	**2,506.72**	**2,494.70**	**427.49**	**419.53**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22 एवं बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 3.21** से देखा जा सकता है, राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत, विनियोग लेखें के अनुसार बचतें ₹293.20 करोड़ थी (राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित आवंटित बजट के विरूद्ध ₹1,817.94 करोड़), जबकि बीसीओ के अनुसार कुल बचत ₹285.25 करोड़ (वित्त विभाग द्वारा बीसीओ को जारी किये गए ₹1,797.96 करोड़ के विरूद्ध) थी।

- बचत का ऐसा मार्जिन इंगित करता है कि बजट अनुमान तैयार करते समय बीसीओ ने उचित सावधानी नहीं बरती और बजट अनुमान तैयार करते समय मध्य प्रदेश बजट नियमावली (एम.पी.बी.एम.) के लागू प्रावधानों के साथ भी संकलित नहीं किया गया।
- एम.पी.बी.एम. के पैराग्राफ 24.9.3 के अनुसार, बीसीओ द्वारा संधारित लेखों का महालेखाकार की पुस्तकों में प्रदर्शित लेखों के साथ मिलान करने और गलत वर्गीकरणों की पहचान करने और सही करने के लिए बीसीओ स्वयं जिम्मेदार है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम और बीसीओ के कार्यालय के बीच आंकड़ों में अंतर आंकड़ों का मिलान न करने की प्रणाली के अभाव के कारण है जो एम.पी.बी.एम. के प्रावधान का उल्लंघन था।

3.16.1.2 मूल और अनुपूरक अनुदान के अंतर्गत बढ़े हुए प्रावधान

अनुदान के अंतर्गत 15 लेखा शीर्षों में, जहाँ बचत ₹ पाँच करोड़ और अधिक तथा कुल प्राप्त बजट (₹528.01 करोड़) का 20 प्रतिशत से अधिक थी, ₹218.48 करोड़ (कुल बजट का 41.38 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण बचतें हुई, जो अनुचित बजट अनुमान को इंगित करता है। विवरण ***परिशिष्ट 3.17*** में दिया गया है।

3.16.1.3 सरकारी लेखों में अपारदर्शिता—लघु शीर्ष 800 का संचालन

बजट नियमावली खंड–I की कंडिका 8.3 (5) (VI) के अनुसार, चूँकि अधिकांश सरकारी गतिविधियाँ संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची में अच्छी तरह से परिभाषित है, जो महानियंत्रक लेखा द्वारा जारी की जाती है, लघु शीर्ष '800—अन्य प्राप्तियां/व्यय' का संचालन न्यूनतम किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों के कारण इस लघु शीर्ष के अंतर्गत व्यय का वर्गीकरण आवश्यक हो, तो अनुमानों के साथ विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए और महालेखाकार द्वारा पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी।

ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त/बजट), भोपाल (अगस्त 2022) के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि ''800—अन्य व्यय'' मद में बड़ी राशि दर्ज की गई थी। लेखा शीर्ष 2406—01—800 और 4406—01—800 के लिए लघु शीर्ष 800 के संचालन की सीमा **तालिका 3.22** में दी गई है :

तालिका 3.22: 2017—22 के दौरान लघु शीर्ष 800 की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष 2406		मुख्य शीर्ष 4406		योग	
	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
2017-18	17.08	15.12	0.00	0.00	17.08	15.12
2018-19	18.94	15.02	22.08	14.24	41.02	29.26
2019-20	15.99	12.47	317.81	4.85	333.80	17.32
2020-21	17.14	15.94	510.12	465.89	527.26	481.83
2021-22	17.75	15.62	623.88	568.36	641.63	583.98

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि लेखा शीर्ष 800—अन्य प्राप्ति/व्यय के अंतर्गत व्यय के पुस्तांकन में धीरे–धीरे विशेष रूप से वर्ष 2020—21 और 2021—22 में वृद्धि हुई है, इस प्रकार, लघु शीर्ष ''800—अन्य व्यय'' के अंतर्गत व्यय को कम करने के प्रयास में कमीं थी।

लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियों और व्यय का अविवेकपूर्ण पुस्तांकन लेन देन की पारदर्शिता और प्रकृति को प्रभावित करती है और लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

विभाग का उत्तर अभी अपेक्षित (अक्टूबर 2022) है।

3.16.1.4 सारभूत एवं सतत बचतें

(अ) सतत् बचतें

लेखापरीक्षा में पाया कि एम.पी.बी.एम. की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के उल्लंघन से पिछले पांच वर्षों, 2017—18 से 2021—22 के दौरान, छः योजनाओं में ₹ आठ करोड़ से अधिक की लगातार बचतें संबंधित विनियोग के अंतर्गत कुल बजट आवंटन का 3.16 प्रतिशत से 84.26 प्रतिशत के मध्य थी। जैसा कि **तालिका 3.23** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.23: 2017–22 के दौरान सतत् बचतों को दर्शाने वाली विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	बचत की राशि (योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	7882-कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन	11.45 (3.16)	10.96 (3.21)	70.89 (16.70)	15.10 (4.33)	20.74 (5.93)
2	3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	56.92 (19.55)	94.14 (47.52)	190.89 (78.62)	40.55 (29.71)	43.66 (43.95)
3	7458-समग्र बांस विकास योजना	9.25 (45.00)	151.81 (84.26)	22.76 (63.51)	11.60 (42.73)	20.82 (69.39)
4	3555-मुख्यालय	12.24 (22.94)	13.49 (24.05)	19.72 (33.22)	17.47 (29.87)	19.36 (31.69)
5	0812-कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	245.44 (22.23)	203.20 (18.44)	55.13 (5.57)	85.62 (8.09)	174.77 (15.63)
6	2899-कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	12.52 (9.98)	15.52 (12.41)	14.68 (11.78)	8.68 (6.40)	13.11 (9.71)

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

सतत् बचतें अवास्तविक बजटीय आवंटन, बजट निधियों के उप–इष्टतम उपयोग और संसाधन उपयोग की अपर्याप्त निगरानी का संकेत है। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय के रुझान पर विचार किए बिना किया गया था, जिसके परिणामस्वरुप सतत् बचतें हुई।

ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त एवं बजट) ने कहा (अगस्त 2022) कि बचत वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा निर्धारित करने, केंद्र सरकार की योजनाओं में उपलब्ध निधियों की सीमा तक व्यय करने पर वित्त विभाग का निर्णय प्राप्त न करने और कोविड–19 लॉकडाउन लागू करने के कारण थी।

विभाग द्वारा दिए गए कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोविड–19 के कारण लॉकडाउन 25 मार्च 2020 को लगाया गया था और 2017–18 से 2021–22 के दौरान भी बचत हुई थी। ये इंगित करते हैं कि बजट अनुमान तैयार करते समय पिछले वर्षों के रुझानों का विश्लेषण नहीं किया गया था। इन योजनाओं में सारभूत बचतों ने योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को विफल कर दिया था और लाभार्थियों को योजनाओं के परिकल्पित लाभों से वंचित कर दिया था।

(ब) सारभूत बचतें

अनुदान संख्या 10 वन के तहत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से वनों का प्रबंधन करना है ताकि वन उत्पादों को स्थायी रूप से प्राप्त किया जा सके, स्थानीय वनवासियों के लिए आवश्यक वन उपज और वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2021–22 के दौरान 17 योजनाओं में ₹283.32 करोड़ की सारभूत बचतों में, जहां बचतें ₹ पाँच करोड़ या अधिक थी, कुल प्रावधान का 6.85 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य था। विवरण ***परिशिष्ट 3.18*** में दर्शाया गया है।

ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त एवं बजट) ने कहा (अगस्त 2022) कि, बचतें वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा के रोक और सरकार से पुनर्विनियोजन का निर्णय समय से प्राप्त न होना और कोविड–19 के कारण थी।

कोविड–19 का कारण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2021–22 में लॉकडाउन नहीं था और समय पर पुनर्विनियोजन प्राप्त करने के लिए बी.सी.ओ. द्वारा अनुपालन की कमी थी।

3.16.1.5 सम्पूर्ण प्रावधान का उपयोग न होना

2021–22 के दौरान, सात प्रकरणों में जहाँ प्रावधान ₹ एक करोड़ या उससे अधिक था, कुल ₹ 58.01 करोड़ की जारी निधि विभाग द्वारा अप्रयुक्त रही, जैसा कि नीचे **तालिका 3.24** में विस्तृत है:

तालिका 3.24: प्रावधान का उपयोग न होना

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना शीर्ष	कुल प्रावधान	बीसीओ को जारी की गई राशि	व्यय	बचतें
1	2406-01-190-0705-7458-42-007 समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन, केन्द्रीय प्रवर्तित)	3.26	3.26	0.00	3.26
2	2406-01-190-0706-7458-42-007 समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन, केन्द्रीय प्रवर्तित)	3.18	3.18	0.00	3.18
3	4406-01-102-0703-3730-54 वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	23.10	23.10	0.00	23.10
4	4406-01-102-0706-3730-54 वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	15.40	15.40	0.00	15.40
5	4406-01-101-0705-7488-42-007 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	6.00	6.00	0.00	6.00
6	4406-01-101-0704-7488-42-007 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	5.05	5.05	0.00	5.05
7	4406-01-101-0706-7488-42-007 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	2.02	2.02	0.00	2.02
	योग	**58.01**	**58.01**	**0.00**	**58.01**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त एवं बजट) ने अपने उत्तर (अगस्त 2022) में कहा कि बचत का मुख्य कारण सरकार से पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्राप्त न होना था।

3.16.1.6 अनुपूरक/पुनर्विनियोजन का अनावश्यक प्रावधान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड–1 की कंडिकाओं 28.8 और 28.9 के अनुसार, अनुपूरक अनुदानों की तैयारी और औचित्य की प्राथमिक जिम्मेदारी बजट नियंत्रण अधिकारी की होती है। नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुपूरक अनुदान या पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसे प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और वित्त विभाग से केवल उनकी अनुशंसा करनी चाहिए, जो पूरी तरह तर्कसंगत हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021–22 के दौरान छः योजनाओं में ₹34.91 करोड़ की राशि का अनुपूरक प्रावधान/पुनर्विनियोजन अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका 3.25** में विस्तृत है:

तालिका 3.25: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान/पुनर्विनियोजन प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना	मूल प्रावधान[3]	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	व्यय	बचतें
1	10-2406-01-190-0705-7458-42-007-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन, केन्द्रीय प्रवर्तित)	0.00	3.26	3.26	0.00	3.26

[3] टोकन मनी

2	10-2406-01-190-0706-7458-42-007-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन, केन्द्रीय प्रवर्तित)	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18
3	10-4406-01-102-0706-3730-54-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	0.00	15.40	15.40	0.00	15.40
4	10-4406-01-101-0705-7488-42-007-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00
5	10-4406-01-101-0704-7488-42-007-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	0.00	5.05	5.05	0.00	5.05
6	10-4406-01-101-0706-7488-42-007-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	0.00	2.02	2.02	0.00	2.02
योग		**0.00**	**34.91**	**34.91**	**0.00**	**34.91**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

यह इंगित करता है कि अनुपूरक बजट के प्रस्तावों को वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना वित्त विभाग को भेजा गया था। जैसा कि अनावश्यक प्रावधान के रूप में अविवेकीय बजटीय अभ्यास को दर्शाता है, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सघन जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा, निधि का पुनर्विनियोजन जो बजट/व्यय के सन्दर्भ में अनुदान को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों को गहन जांच किये जाने की जरूरत है, ताकि वह यह सुनिश्चित करें कि निधि का व्यय परिकल्पित उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त एवं बजट) ने उत्तर (अगस्त 2022) में कहा कि सरकार से पुनर्विनियोजन प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण व्यय नहीं किया जा सका।

3.16.1.7 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियों का समर्पण

बजट नियंत्रण अधिकारी ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त एवं बजट) द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि आठ प्रकरणों में, 2021–22 के दौरान आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का 50 प्रतिशत से अधिक अनुपयोगी रहा। विवरण नीचे **तालिका 3.26** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.26: आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निधियों के महत्वपूर्ण अनुपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	योजना का नाम	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट आवंटन 2021–22	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा उपयोग	बचतें	समर्पण	आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अनुपयोगी निधियों का प्रतिशत
1	10-2406-02-110-0101-2899-33-006 राष्ट्रीय उद्यान (स्थापना)	0.26	0.00	0.26	0.26	100.00
2	10-2406-01-001-0101-3555-22-006 मुख्यालय	7.50	0.98	6.52	6.52	86.94
3	10-4406-01-800-9668-22-001 केम्पा ब्याज	2.00	0.00	2.00	2.00	100.00
4	10-4406-01-800-9668-22-009 केम्पा ब्याज	10.00	0.27	9.73	9.73	97.30

5	10-4406-01-800-9668-16-009 केम्पा ब्याज	21.00	0.70	20.30	20.30	96.67
6	10-4406-01-800-9668-22-007 केम्पा ब्याज	5.00	0.45	4.55	4.55	91.00
7	10-4406-01-800-9668-31-007 केम्पा ब्याज	3.00	0.35	2.65	2.65	88.34
8	10-4406-01-800-9668-11-009 केम्पा ब्याज	10.00	0.63	9.37	9.37	93.70
योग		**58.76**	**3.38**	**55.38**	**55.38**	**94.25**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि ऊपर दी गई **तालिका 3.26** से देखा सकता है, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित बजट ₹58.76 लाख था, जिसके विरुद्ध ₹3.38 लाख का उपयोग किया गया था, परिणामस्वरूप ₹55.38 लाख की अव्ययित राशि शेष थी। यह इंगित करता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी ने बजट अनुमानों को वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त किये बिना तदर्थ आधार पर तैयार किया था।

ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त एवं बजट) ने उत्तर (अगस्त 2022) में बताया कि शेष राशि विभाग द्वारा (मई 2022) समर्पित कर दी गई थी लेकिन खातों को बंद करने और अंतिम रूप देने के बाद स्वीकृतियों की प्राप्ति में देरी के कारण इसे प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

3.16.1.8 निर्धारित समय के भीतर बचतों का समर्पण न करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खण्ड—1 की कंडिका 26.9 के अनुसार व्यय में प्रत्याशित बचतों के विवरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 15 जनवरी तक बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ताकि वित्त विभाग द्वारा अनुदान की अन्य मांगों के लिए संसाधनों का आवंटन किया जा सके।

वर्ष 2021—22 के दौरान, 48 योजनाओं में कुल प्रावधान ₹2,934.21 करोड़[4] में से ₹427.00 करोड़ (14.55 प्रतिशत) की बचतें माह मार्च 2022 (31.03.2022) समर्पण के लिए प्रस्तावित की गयी थी, लेकिन शासन का अनुमोदन अभिलेख में नहीं पाया गया। हालाँकि, वर्ष 2021—22 के दौरान बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी किये गए कुल बजट ₹2,914.23 करोड़ के विरुद्ध कुल बचतें केवल ₹419.53 करोड़ थी। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी (अगस्त 2022) के अनुसार, समर्पण का प्रस्ताव नियत दिनांक (10.05.2022) के बाद प्राप्त हुआ (03.06.2022) और इसलिए स्वीकार नहीं किया गया।

आगे यह देखा गया है कि, आई.एफ.एम.आई.एस. के अनुसार ₹449.78 करोड़ बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी को जारी नहीं किये गए थे।

ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त और बजट) ने समर्पण में देरी (अक्टूबर 2022) के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की।

3.16.1.9 तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खण्ड—I (भाग—बी) की कंडिकाओं बी—7 और बी—8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी ने अपने अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान करने के साथ—साथ बजटेत्तर निधियों के अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले व्यय और

[4] बजट पुस्तिकाओं के अनुसार

प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए, बजट नियंत्रण अधिकारी को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों की तुलना करनी चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (अगस्त 2022) कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय, बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने से पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से जानकारी प्राप्त नहीं की गई। इसके अलावा, यह देखा गया कि विभाग ने ₹2,914.23 करोड़ की आवंटित राशि के विरुद्ध केवल ₹2,494.70 करोड़ खर्च किए थे, जो इंगित करता है कि बजट अनुमान कथित नियमावली के प्रावधान का पालन किए बिना और आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध होने के साथ–साथ उक्त प्रावधानों का उल्लंघन भी हुआ।

इस पर आपत्ति किए जाने पर ए.पी.सी.सी.एफ. (वित्त और बजट) नें तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2022) कि बजट अनुमान बजट प्रबंधकों से मांगी गई सूचना के आधार पर तैयार किए गए थे।

हालांकि, तथ्य यह है कि बजट अनुमान निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनमाने आधार पर तैयार किए गए थे।

3.16.2 अनुदान संख्या 48 नर्मदा घाटी विकास

लेखापरीक्षा ने अनुदान संख्या 48 नर्मदा घाटी विकास की बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण से सम्बंधित समीक्षा (जुलाई 2022) की। अनुदान संख्या 48 के बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल हैं।

3.16.2.1 बजट और व्यय की सारांशीकृत स्थिति

वर्ष 2021–22 के दौरान अनुदान संख्या 48 नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत बजटीय राशि एवं किये गए व्यय के विवरण निम्न **तालिका 3.27** में सारांशीकृत है:

तालिका 3.27: 2021-22 के दौरान सारांशीकृत विनियोग

(₹ करोड़ में)

अनुभाग	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	बजट नियंत्रण अधिकारी को आवंटित बजट	व्यय		बचतें	
					विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार	विनियोग लेखे के अनुसार	बजट नियंत्रण अधिकारी के अनुसार
राजस्व (दत्तमत)	14.04	0.88	14.92	14.92	12.74	12.79	2.18	2.13
पूंजीगत (दत्तमत)	3,665.13	3,185.48	6,850.61	6,850.61	4,763.00	4,763.96	2,087.61	2,086.65
पूंजीगत (भारित)	1.00	0.00	1.00	1.00	0.46	0.46	0.54	0.54
योग	**3,680.17**	**3,186.36**	**6,866.53**	**6,866.53**	**4,776.20**	**4,777.21**	**2,090.33**	**2,089.32**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22 एवं बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 3.27** से देखा जा सकता है, पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत, विधानसभा द्वारा अनुमोदित मूल बजट ₹6,850.61 करोड़ था एवं वित्त विभाग द्वारा बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) को जारी किया गया वास्तविक बजट ₹6,850.61 करोड़ (100.00 प्रतिशत) था।

इसी तरह, राजस्व अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत ₹14.92 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध, बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी वास्तविक बजट ₹14.92 करोड़ (100.00 प्रतिशत) था।

विनियोग लेखे 2021–22 के अनुसार, ₹6,866.53 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹4,776.20 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप ₹2,090.33 करोड़ (30.44 प्रतिशत) का प्रावधान अव्ययित रहा। इसके अलावा, बजट नियंत्रण अधिकारी के अभिलेखों के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी किए गए कुल बजट ₹6,866.53 करोड़ के विरुद्ध ₹4,777.21 करोड़ का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹2,089.32 करोड़ (30.43 प्रतिशत) अव्ययित प्रावधान रहा। बजट नियंत्रण अधिकारी स्तर पर राशि ₹2,089.32 करोड़ की कुल बचत में से ₹191.74 करोड़ (9.20 प्रतिशत) फरवरी और मार्च 2022 के दौरान जारी की गई।

बचत का ऐसा मार्जिन इंगित करता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुमान के दौरान विशेष ध्यान नहीं दिया गया और न ही बजट अनुमान तैयार करते समय मध्य प्रदेश बजट नियमावली (एम.पी.बी.एम.) के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया।

3.16.2.2 सतत् बचतें

लेखापरीक्षा में देखा गया कि पिछले चार वर्षों 2018–19 से 2021–22 के दौरान मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिकाओं 30.1 और 30.2 के उल्लंघन, से सात योजनाओं में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की सतत् बचतें 5.32 प्रतिशत और 69.38 प्रतिशत के मध्य थी, जैसा कि नीचे **तालिका 3.28** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.28: 2018-22 के दौरान सतत् बचतों के संकेत की योजनाएं

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	बचतों की राशि (योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत)			
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट–I एवं यूनिट–II)	35.58 (38.43)	16.48 (16.39)	17.08 (18.00)	27.14 (26.55)
2	2872-बरगी नहर डायवर्जन परियोजना	12.54 (33.53)	4.96 (12.75)	6.89 (18.16)	11.78 (28.72)
3	3561-मुख्यालय स्थापना	20.03 (69.38)	3.22 (13.01)	6.46 (23.88)	13.38 (40.27)
4	4406-सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यों पर व्यय	16.47 (26.83)	13.80 (21.12)	11.16 (17.70)	17.30 (25.44)
5	5287-निदेशक एवं कर्मचारी भू–अर्जन एवं पुनर्वास विभाग, खंडवा	1.76 (51.39)	1.51 (41.07)	1.37 (37.51)	1.36 (37.54)
6	8191-मुख्यालय स्थापना (यूनिट–II)	12.23 (30.33)	3.75 (9.23)	6.54 (15.76)	11.92 (26.87)
7	9091-औंकारेश्वर परियोजना	7.14 (7.89)	10.04 (10.07)	4.27 (5.32)	21.08 (15.40)

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

सतत् बचतों के मुख्य कारण, गतिविधियाँ जैसे वेतन भत्ते और रखरखाव थे। यह खराब/कमजोर बजटीय निगरानी या प्रदर्शन में कमीं या दोनों को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय के रुझानों पर ध्यान दिए बिना किया गया था जिसके परिणामस्वरूप सतत् बचतें हुई।

3.16.2.3 सारभूत बचतें

अनुदान संख्या 48 नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों के जल संसाधनों को दोहन से बचाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करना और नदी और उसके दोहन के लिए सभी आवश्यक प्रमुख इंजीनियरिंग कार्य करना है एवं सिंचाई, बिजली, नेविगेशन बाढ़ नियंत्रण और अन्य विकास कार्यों के उद्देश्य से है।

लेखापरीक्षा में देखा कि 2021–22 के दौरान, 20 योजनाओं में ₹2,040.27 करोड़ की सारभूत बचतें हुई, जहाँ बचतें पाँच करोड़ या उससे अधिक थी और 5.30 प्रतिशत एवं 97.87 प्रतिशत के मध्य थी। विवरण ***परिशिष्ट 3.19*** में दर्शाया गया है।

कुल बचतों ₹2,040.27 करोड़ में से ₹1,732.98 करोड़ (84.94 प्रतिशत) की बचतें, मुख्य रूप से तीन योजनाओं में हुई जो नीचे **तालिका 3.29** में दर्शाई गई हैं

तालिका 3.29: 2021-22 के दौरान सारभूत बचतें दर्शाने वाली योजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना	बजट प्रावधान	अनुपूरक बजट	पुनर्विनियो-जन	कुल प्रावधान	बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी किया गया बजट	व्यय	बचतें	बचतें (प्रतिशत में)
1	2333-नर्मदा बेसिन कम्पनी लिमिटेड का निवेश	300.00	1,500.00	0.00	1,800.00	300.00	300.00	1,500.00	83.33
2	1406-काली सिंध लिंक परियोजना	275.00	282.20	(-)5.00	552.20	435.00	435.00	117.20	21.22
3	1953-नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना	400.00	515.78	(-)44.00	871.78	756.00	756.00	115.78	13.28
	योग	**975.00**	**2,297.98**	**(-)49.00**	**3,223.98**	**1,491.00**	**1,491.00**	**1,732.98**	**53.75**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

बचतों के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने उत्तर (31.03.2022) दिया कि बचतें नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण हुई थी।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि माह दिसंबर 2021 में ₹2,297.98 करोड़ का अनुपूरक बजट जारी किया गया था और इसके विरुद्ध ₹1,732.98 करोड़ अव्ययित रह गया, जो दर्शाता है कि संबंधित प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण अधिकारी ने बिना जांच किए अनुपूरक बजट की सिफारिश की, जो दर्शाता है कि बजट का उपयोग योजना और निगरानी के बिना किया गया था। इन तीन योजनाओं में 53.75 प्रतिशत की भारी बचतों ने योजनाओं के मुख्य उद्देश्य को असफल कर दिया।

3.16.2.4 तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करना

मध्य प्रदेश बजट नियमावली खंड–I (भाग–बी) की कंडिकाओं बी–7 और बी–8 के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारी अपने अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान करने के साथ–साथ बजटेत्तर निधियों के अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं और आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान विभागीय योजनाओं के लिए प्राप्त होने वाले व्यय और प्राप्तियों के अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए, बजट नियंत्रण अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए सभी अनुमानों की तुलना करनी चाहिए और उसकी समीक्षा करनी चाहिए।

हालांकि, अनुदान संख्या 48 नर्मदा घाटी विकास की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने बजट नियंत्रण अधिकारी को जारी की गई आवंटित बजट राशि ₹6,866.53 करोड़ के विरुद्ध ₹4,777.21 करोड़ खर्च किए थे। यह इंगित करता है कि बजट अनुमान तदर्थ आधार पर तैयार किया गया था। बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान और सारभूत बचतें हुई, जो यह दर्शाता है कि या तो बजटिंग बिना उचित विवेक के तैयार की गई थी या कार्यक्रम कार्यान्वयन में गंभीर चूक हुई।

3.16.2.5 प्रावधान का उपयोग न करना

2021–22 के दौरान, सात योजनाओं में जहां प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ का प्रावधान था, विशेष योजना/उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया था और अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में या तो पुनर्विनियोजित किया गया या समर्पित कर दिया गया, परिणामस्वरूप संपूर्ण प्रावधान एवं प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ का प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि **तालिका 3.30** में वर्णित है।

तालिका 3.30: प्रावधान का उपयोग न करना

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना शीर्ष	नामावली	मूल बजट	पुनर्विनियो-जन	समर्पण	कुल बजट	व्यय	बचतें
1	48-4700-80-800-0101-6399-64-001	6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट–I)	1.00	(-)0.90	(-)0.10	0.00	0.00	1.00
2	48-4700-80-800-0101-9662-64-001	9662-होशंगाबाद बैराज परियोजना	1.00	(-)1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
3	48-4700-80-800-0101-9663-64-001	9663-हांडिया परियोजना	1.00	(-)1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
4	48-4801-01-203-0101-6403-64-001	6403-एन. एस. डी. सी. को इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट–I) के हिस्से का भुगतान	1.00	(-)0.90	(-)0.10	0.00	0.00	1.00
5	48-4801-01-800-0101-8824-64-001	8824-रघुवर परियोजना	1.00	(-)0.98	(-)0.02	0.00	0.00	1.00
6	48-4801-01-800-0101-8825-64-001	8825-बसानिया परियोजना	1.00	(-)0.98	(-)0.02	0.00	0.00	1.00
7	48-4801-001-0101-8808-64-002	8808-सूचना प्रोद्यौगिकी संबंधी कार्य	1.00	(-)0.24	(-)0.76	0.00	0.00	1.00
योग			**7.00**	**(-)6.00**	**(-)1.00**	**0.00**	**0.00**	**7.00**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

इस प्रकार, उपरोक्त सात योजनाओं में प्रावधान अप्रयुक्त रहा जो संबंधित विभागों के बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अवास्तविक बजट प्रावधान को इंगित करता है।

3.16.2.6 उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करना

राज्य वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि अनुदान स्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में उसका उद्देश्य और साथ ही अनुदान को खर्च करने की समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होगी। सहायतानुदान प्राप्त करने

वाले विभागीय अधिकारी, जहां आवश्यक हो, महालेखाकार को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूरा करना और प्रमाण–पत्र (उपयोगिता प्रमाण–पत्र) को ऐसे रूप में और ऐसे अंतराल पर जमा करना जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और संबंधित विभाग प्रमुख के बीच सहमती से हो।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 179 एवं 182 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनुदानग्राही द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जून को या उससे पहले स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को, अनुदान प्राप्त करने की तिथि या उसी उद्देश्य पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया है कि पांच परियोजनाओं में, ₹115.14 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2022 तक लंबित थे, जैसा कि **तालिका 3.31** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.31: 2017-22 के दौरान लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र					
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
1	इंदिरा सागर परियोजना-I एवं II	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2	इंदिरा सागर परियोजना-III	51.29	2.08	0.00	0.00	0.00	53.37
3	औंकारेश्वर नहर परियोजना-II	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
4	औंकारेश्वर नहर परियोजना-III	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
5	बरगी डायवर्सन परियोजना–III	0.00	0.00	16.48	0.00	29.73	46.21
योग		**66.85**	**2.08**	**16.48**	**0.00**	**29.73**	**115.14**

स्रोतः बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदाय जानकारी

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि भारत सरकार ने 2017–18 से 2021–22 के दौरान केंद्रीय हिस्से के रूप में इंदिरा सागर परियोजना, औंकारेश्वर नहर परियोजना और बरगी डायवर्जन परियोजना के लिए ₹277.78 करोड़ जारी किए, जिसके विरुद्ध ₹162.64 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किए गए थे, राशि ₹115.14 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी भी बकाया है, इसका विभागवार ब्यौरा ***परिशिष्ट 3.20*** में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुतीकरण के लंबित होने के कारण, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि राशि लाभार्थियों तक पहुंची और इस प्रकार व्यय को सही या अंतिम रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

विभागीय अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि पूर्व वर्षों में राशि ₹115.14 करोड़ कैसे व्यय की गई। इसलिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रदान की गई सार्वजनिक निधियां शामिल हैं और इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि इन निधियों को प्रदान करने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया था जिनके लिए उन्हें दिया गया था। उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलम्ब होने से धोखाधड़ी और निधियों के दुर्विनियोजन की आशंका है।

3.17 निष्कर्ष

2021–22 के दौरान ₹2,82,779.61 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹2,42,993.35 करोड़ का व्यय किया गया, जिससे ₹39,786.26 करोड़ (14.07 प्रतिशत) की बचत हुई। बचतों में से राशि ₹19,756.35 करोड़ व्यपगत होने दिया गया तथा विभागों द्वारा ₹19,978.53 करोड़ (कुल समर्पित राशि ₹20,029.91 करोड़ का 99.74 प्रतिशत) वित्त वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पित किया गया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार वर्ष 2011–21 के लिए 12 अनुदानों और सात विनियोगों से संबंधित ₹1,678.00 करोड़ के आधिक्य व्यय को अभी भी नियमित किया जाना था।

अनुपूरक अनुदान/विनियोग तथा निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन पर्याप्त औचित्य के बिना प्राप्त किया गया था जो वित्त और संबधित विभागों के मध्य समन्वय की कमीं को दर्शाता है।

कुल 3,937 उप–शीर्षों में से, 1,063 उप–शीर्षों में स्वीकृत बजटीय आवंटन के संदर्भ में व्यय में भिन्नता के स्पष्टीकरण आवश्यक थे, परन्तु केवल 493 प्रकरणों (46.38 प्रतिशत) में आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुए थे।

3.18 अनुशंसाएं

i) राज्य शासन द्वारा उचित कार्यान्वयन और बजट की निगरानी को लागू करने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बचतों में कटौती की जाती है, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचतें नियंत्रित होती हैं और प्रत्याशित बचतों की पहचान कर उसे निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समर्पित कर दिया जाता है।

ii) राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विगत वर्षों में हुए अधिक व्यय को राज्य विधान सभा द्वारा प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र नियमित किया जाना चाहिए।

iii) राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान और अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन/सर्मपण से बचा जाए।

iv) बजट के उचित विश्लेषण और सार्थक विनियोग लेखा तैयार करने के लिए आवंटन से व्यय में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए नियंत्रक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत करने की आवश्यकता है।

अध्याय 4

लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

अध्याय 4–लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन की वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रणाली के अनुपालन पर एक विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है।

4.1 प्रस्तावना

राज्य शासन द्वारा कुशल तथा प्रभावी शासन के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ सूचना की समयबद्धता और गुणवत्ता इस प्रकार, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में है, सामरिक योजना और उचित निर्णय लेने सहित अपने बुनियादी प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में राज्य शासन की सहायता करती है। यह अध्याय लेखों की गुणवत्ता और राज्य शासन की वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रणाली, निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ परिपूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में अनुपालन एवं विहंगावलोकन को प्रस्तुत करता है।

लेखों की पूर्णतः से संबंधित मुद्दे

4.2 उपकर का लेखांकन

4.2.1 उपकर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत लगाया जाता है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, के प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन (अप्रैल 2003) किया। मण्डल को भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के उपायों और उनसे संबंधित अन्य मामले या उसके आनुषांगिक मामलो के लिए कर्तव्य सौंपे गए थे। मण्डल ने अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नियोक्ताओं से निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर नियत किया था। विभिन्न सरकारी विभाग उपकर एकत्र करते हैं और संग्रहण/कटौती के एक माह के भीतर इसे मण्डल को प्रेषित करना चाहिए।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार मण्डल को लेखों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों का उचित संधारण तथा लेखों के वार्षिक विवरण पत्रक तैयार करना होता है।

प्रणाली के अनुसार, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किए गए श्रम उपकर को मण्डल के बैंक खातों में जमा किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल ने 2013–14 से लेखों के वार्षिक पत्रक तैयार नहीं किये थे। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद स्थिति यथावत बनी हई है।

2017–22 के दौरान श्रम उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया हैं।

तालिका 4.1: 2017–22 के दौरान उपकर की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	संग्रहित उपकर की राशि	पंजीकरण प्रभार	जमाओं पर ब्याज	पूंजीगत राशि एवं अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अंतिम शेष	उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत
2017-18	1,793.60	377.80	0.00	116.29	0.11	2,287.80	261.70	2,026.10	11.44
2018-19	2,026.10	548.32	0.00	112.93	7.59	2,694.94	314.15	2,380.79	11.66
2019-20	2,380.79	565.38	0.00	147.91	(-)6.84	3,087.24	584.43	2,502.81	18.93
2020-21	2,502.81	437.39	0.00	139.29	0.00	3,079.49	453.09	2,626.40	14.71
2021-22	2,626.40	522.51	0.00	108.73	0.69	3,258.33	1,119.72	2,138.61	34.36

स्रोतः मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

प्रमाणित वार्षिक लेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा लेखों की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर सकता। शासन को इस तथ्य के संदर्भ में मंडल के प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए कि लेखे तैयार नहीं किए गए हैं और/या महालेखाकार को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और निधियां अप्रयुक्त रह गई हैं।

4.2.2 श्रम उपकर

राज्य शासन ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि से संनिर्माण कर्मकारों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएँ/गतिविधियां जैसे मातृत्व हितलाभ, पेंशन, घरों के क्रय/निर्माण के लिए अग्रिम, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार, हितग्राहियों के बच्चों की शिक्षा/विवाह के लिए वित्तीय सहायता, इत्यादि अधिसूचित की थी। 2017–22 के दौरान इस संबंध में व्यय का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है:

तालिका 4.2: उपलब्ध निधियों के विरूद्ध योजनाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध निधियां	योजनाओं के लिए बजट आवंटन		संचालित योजना		पंजीकृत कर्मकार	सम्मिलित कर्मकार
		योजनाओं की संख्या	आवंटन	योजनाओं की संख्या	वास्तविक व्यय		
2017-18	2,287.80	24	233.10	21	287.98	25,87,175	4,98,182
2018-19	2,694.94	24	76.01	24	316.83	12,19,230	3,63,289
2019-20	3,087.24	24	304.84	24	350.16	13,12,673	1,75,702
2020-21	3,079.49	19	258.55	19	279.85	10,99,497	56,318
2021-22	3,258.33	19	551.52	19	569.49	13,32,899	96,971

स्रोतः मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2021–22 के दौरान मण्डल उपलब्ध निधियों का केवल 17.48 प्रतिशत का उपयोग कर सका एवं विभिन्न योजनाओं जैसे शिक्षा, छात्रवृत्ति, आवास, चिकित्सा सहायता, इत्यादि के अंतर्गत केवल 7.28 प्रतिशत पंजीकृत कर्मकार लाभान्वित हुए।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए संचालित अधिकांश योजनाओं के लिए, राज्य शासन द्वारा संचालित की जा रही संबंधित योजनाएं भी मौजूद हैं। इसलिए, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल उन कल्याणकारी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर सकता है जो राज्य शासन द्वारा उनकी मौजूदा योजनाओं में क्रियान्वित नहीं हैं।

आगे, सरकार को मण्डल द्वारा की जा रही गतिविधियों के संदर्भ में मण्डल के प्रदर्शन, निधियों का लेखांकन और प्रबंधन विशेष रूप से बहुत बड़ी राशि के अनुपयोगी होने की समीक्षा करनी चाहिए।

4.2.3 मण्डल को श्रम उपकर का अंतरण न करना

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा प्रदाय की गई जानकारी के अनुसार, राज्य शासन ने अवधि 2011–12 से 2021–22 के दौरान राशि ₹3,469.13 करोड़ का उपकर संग्रहित किया। तथापि, राशि ₹8.50 करोड़ एक से 10 वर्षों के बीच की अवधि के लिए अंतरण हेतु लम्बित थी। विवरण नीचे **तालिका 4.3** में दिया गया है:

तालिका 4.3: कर्मकार कल्याण उपकर का संग्रहण एवं मण्डल को जमा

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	संग्रहित उपकर की राशि	मण्डल को जमा राशि	मण्डल को जमा न की गयी राशि
2011-12	13,654.55	13,560.79	93.76
2012-13	22,576.05	22,303.72	272.33
2013-14	26,449.51	26,220.71	228.80
2014-15	30,393.02	30,294.52	98.50
2015-16	28,643.93	28,578.47	65.46
2016-17	34,699.78	34,659.48	40.30
2017-18	28,195.10	28,152.94	42.16
2018-19	35,190.36	35,184.51	5.85
2019-20	31,115.68	31,115.63	0.05
2020-21	43,741.86	43,740.57	1.29
2021-22	52,252.68	52,251.36	1.32
योग	**3,46,912.52**	**3,46,062.70**	**849.82**

स्रोतः मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल द्वारा प्रदाय जानकारी

मण्डल ने बताया (सितम्बर 2022) कि राशि क्रेडिट नहीं हुई क्योंकि यह चैक के माध्यम से प्राप्त हुई थी जो बैंक द्वारा अनादरित हो गई थी। मण्डल ने आगे बताया कि अनादरित चैकों को नवीनीकरण के लिए संबंधित एजेंसियों/विभागों को वापस कर दिया गया था।

परिणामस्वरूप, कर्मकार कल्याण उपकर की राशि का अंतरण न होने के कारण मण्डल को अंतरित न की गई राशि पर ब्याज की हानि हुई।

उत्तर निधियों की उचित और समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के प्रति मण्डल के उदासीन दृष्टिकोण को दर्शाता है। नवीनीकरण के बाद अनादरित/समयबाधित चैकों की प्राप्ति न होने के बावजूद, मण्डल ने विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

4.3 राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नही किया जाना (बजटेत्तर ऋण)

राज्य सरकार के ऋण भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (1) द्वारा शासित है। बजटेत्तर ऋण या बजटेत्तर वित्तपोषण आमतौर पर किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो अनुदान/विनियोग की मांग के लिए उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में परिलक्षित नहीं होते हैं, इसलिए विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। वे विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम के सरकार के स्वामित्व या नियंत्रित वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से वित्तपोषित होते है, जो सरकार की ओर से बाजार ऋण के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। इसलिए, बजटेत्तर ऋण/वित्तपोषण आवर्ती आधार पर ब्याज का भुगतान और बजट से ऋण की चुकौती, जब भी यह देय हो, शामिल हैं।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) और अन्य समतुल्य उपकरणों द्वारा ऋण, जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट और/या करों/उपकर या किसी अन्य राज्य के राजस्व के समनुदेशन द्वारा पूरा किया जाना है **तालिका 4.4** में दिया गया है।

सारणी 4.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों द्वारा ऋण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उपक्रम या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था का नाम	जुटाई निधि	राज्य के राजस्व/कर/उपकर का स्रोत जिससे मूलधन और/या ब्याज का भुगतान किया जाना है	उद्देश्य जिसके लिए धन जुटाया गया है
2019-20	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	478.48	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय चरण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना।
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	50.32		मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना
	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर	109.61	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (इन्टीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल	98.94	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (इन्टीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	योग	**737.35**		
2020-21	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	151.33	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	24.99		मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना
	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर	72.41	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (इन्टीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल	27.67	राज्य का राजस्व	कैपेक्स प्रोजेक्ट (इन्टीग्रेटेड पॉवर डवलपमेंट स्कीम/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना)
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम)	978.60	उर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	योग	**1,255.00**		
2021-22	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	223.20	राज्य बजट मद 1425 के अंतर्गत ऋण की अदायगी हेतु स्टाम्प शुल्क अधिभार निधि (आरक्षित) में जमा करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में स्टाम्प शुल्क पर दो प्रतिशत का उपकर	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना एवं विकास निधि द्वितीय चरण
	नगरीय प्रशासन एवं आवासीय विभाग	65.27		मुख्यमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना
	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम)	287.77	उर्जा के मद में एनएचडीसी से लाभांश प्राप्तियां और एसएसपी से राजस्व प्राप्तियां	मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की बहु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण
	योग	**576.24**		

स्रोत: वित्त विभाग

2021–22 के दौरान बजटेत्तर राजकोषीय संचालन जैसे कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों, विशेष प्रयोजन साधन और राज्य सरकार की ओर से अन्य समतुल्य साधन, जहां राज्य के बजट से मूलधन और/या ब्याज चुकाया जाना है, द्वारा ऋण ₹576.24 करोड़ है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें ₹678.76 करोड़ से कमी आई।

इन संस्थाओं का ऋण अंततः राज्य सरकार की देनदारियों में बदल जाता है और सरकार पूंजी खाते के अंतर्गत नियमित बजट प्रावधान के माध्यम से इन कंपनियों/निगमों द्वारा लिए गए ऋणों को ब्याज सहित चुकाती रही है।

4.4 ब्याज वाली जमा राशियों के ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना

सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज देने वाली जमा राशियों में राशि पर ब्याज उपलब्ध कराये और भुगतान करें (लेखों के मुख्य शीर्ष 8338 से 8342)। आगे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय महालेखा नियंत्रक के आदेश दिनांक 2 सितंबर 2008 के आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचरियों द्वारा किए गए अंशदान, साथ ही सरकार द्वारा भुगतान किए गए समतुल्य अंशदान को सरकार द्वारा मुख्य शीर्ष–8342–अन्य जमा–117– परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत रखा गया था और सामान्य भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत लागू (सीएस) नियमों पर ब्याज की अनुमति दी गई थी। ब्याज सहित जमा राशियों के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है:

तालिका 4.5: ब्याज वाली जमा राशियों के ब्याज के संबंध में दायित्व का निर्वहन न करना

(₹ करोड़ में)

ब्याज वाली जमा राशि का नाम	1 अप्रैल 2021 को शेष	31 मार्च 2022 को शेष	ब्याज की राशि का प्रावधान नहीं किया गया
सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	20.39	20.29	1.45

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 31 मार्च 2022 तक मुख्य शीर्ष 8342–अन्य जमा–117 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से संबंधित ₹20.29 करोड़ उपलब्ध थे। उपरोक्त सम्पूर्ण राशि को उस पर ब्याज सहित व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंतरित किया जाना चाहिए था लेकिन उसे अंतरित नहीं किया गया था। इसके कारण मध्य प्रदेश सरकार को ₹1.45 करोड़ के ब्याज का भुगतान करना आवश्यक हो गया (उधार लागत के रूढ़िवादी अनुमान को ध्यान में रखते हुए 7.10 प्रतिशत की दर से गणना की गई)। राज्य शासन द्वारा ब्याज का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ का राजस्व अधिशेष अधिक बताया गया।

4.5 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि

भारत सरकार की योजनाएं राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। अप्रैल 2014 में, भारत सरकार ने निर्णय लिया कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सभी सहायता राज्य सरकार के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस प्रकार राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी संसाधनों का पूरा चित्रण प्रदान करेंगे। हालाँकि, भारत सरकार ने 2020–21 में ₹27.09 करोड़ के विरुद्ध 2021–22 के दौरान मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसियों को 139.79 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सीधे ₹64.96 करोड़ जारी किए। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,85,875.85 करोड़) का 0.03 प्रतिशत और सहायता अनुदान (₹34,792.13 करोड़) का 0.19 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 के लिए राज्य सरकार के लेखों में ₹64.96 करोड़ की सीमा तक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सा ₹25,487.96 करोड़ दर्शाया गया है, जनता के लिए बनाई गई संपत्ति और सृजित रोजगार राज्य सरकार के लेखों से बाहर थे, जिससे यह अधूरा है।

वर्ष 2021–22 के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के संबंध में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित धनराशि का विवरण **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है:

तालिका: 4.6 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अन्तरित धनराशि

(₹ लाख में)

स.क्र.	भारत सरकार की योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2021–22 के दौरान भारत सरकार द्वारा विमुक्त
1	राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना	मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	3,715.24
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम	453.22
3	जलीय पर्यावरण प्रणालियों का संरक्षण	पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन	2.75
4	कृषि जनगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय	4.30
5	राष्ट्रीय गोकुल मिशन	मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	2,309.72
6	परम्परागत कृषि विकास योजना	बायोसर्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बेस्ट रिकॉग्निशन प्राइवेट लिमिटेड	10.64
		योग	**6,495.87**

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को ₹6,024.96 लाख जारी किए गए, जो कुल जारी राशि का 92.75 प्रतिशत था। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2021–22 में मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम को जारी की गई राशि वर्ष 2020–21 में जारी की गई राशि ₹2,113.44 लाख की तुलना में लगभग 185 प्रतिशत अधिक थी।

4.6 एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में पड़ी राशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अतंर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है और इसे प्राप्त होने के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरित करने की आवश्यकता थी।

भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, राज्य शासन ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की निधि राशि ₹26,399.11 करोड़ एकल नोडल एजेंसी खातों मे अंतरित की है। 31 मार्च 2022 तक 82 योजनाओं के संबंध में एकल नोडल एजेंसियों के खातों में केन्द्र और राज्य दोनो के हिस्से सहित राशि ₹8,132.33 करोड़ अव्ययित रही। विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दिया गया है।

4.7 स्थानीय निधियों का जमा

मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993 प्रदान करता है कि, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–109–पंचायत निकाय निधि के अंतर्गत) का संधारण करेंगे जिसमें अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशियां शामिल होंगी एवं सभी राशियां अन्यथा पंचायती राज संस्थानो द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पुरस्कार और अपने स्वयं के राजस्व के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान, जिसमें पंचायत के कर एवं करेत्तर प्राप्तियां शामिल हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 86 में परिकल्पित है कि नगर पालिका निधि को निगम द्वारा ट्रस्ट में रखा जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्ति योग्य सभी राशि एवं नगर पालिकाओं द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी राशि को नगर पालिका निधि में मुख्य शीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–102– नगर पालिका निधि के अंतर्गत रखा जाना है।

2017–18 से 2021–22 तक पंचायती राज संस्थानो और नगर पालिका निधि में स्थानीय निधियों के जमा की स्थिति **तालिका 4.7** में दी गई है:

तालिका 4.7: स्थानीय निधियों का जमा

(₹ लाख में)

		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जिला निधियाँ - **8448-101**	प्रारंभिक शेष	1.08	396.87	1,258.94	1,258.94	1,346.59
	प्राप्तियां	395.79	862.07	--	87.65	2.15
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	396.87	1,258.94	1,258.94	1,346.59	1,348.75
नगर पालिका निधियाँ - **8448-102**	प्रारंभिक शेष	24.04	47.45	1,479.55	1,993.32	2,964.70
	प्राप्तियां	23.41	1,432.10	513.77	971.38	154.68
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	47.45	1,479.55	1,993.32	2,964.70	3,119.38
पंचायत निकाय निधियाँ - **8448-109**	प्रारंभिक शेष	672.15	1,331.54	1,332.75	1,361.40	1,361.41
	प्राप्तियां	659.39	1.21	28.65	0.01	--
	व्यय	--	--	--	--	--
	अंतिम शेष	1,331.54	1,332.75	1,361.40	1,361.41	1,361.41
अन्य निधियाँ - **8448-120**	प्रारंभिक शेष	2,57,070.72	4,19,882.11	5,48,203.10	6,95,251.96	9,49,270.35
	प्राप्तियां	1,72,949.57	1,71,789.38	1,98,276.57	2,55,156.85	1,17,131.72
	व्यय	10,138.18	43,468.39	51,227.71	1,138.46	6,041.62
	अंतिम शेष	4,19,882.11	5,48,203.10	6,95,251.96	9,49,270.35	10,60,360.45

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले पाँच वर्षों में मुख्य शीर्ष 8448–101–जिला निधियाँ, 8448–102–नगर पालिका निधियाँ एवं 8448–109–पंचायत निकाय निधियाँ से कोई व्यय नहीं किया जा रहा है परन्तु इन शीर्षों में लगातार धनराशि जमा की जा रही है। निधियों का उपयोग न किए जाने के परिणामस्वरूप निधियों का संचय और निष्क्रियता ने वांछित लाभार्थियों को योजनाओं से लाभ प्राप्त करने से वंचित कर दिया है।

वर्ष–दर–वर्ष कम खर्च के बावजूद निधियों का अंतरण जारी रहने का कारण लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया है।

4.8 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य वित्तीय नियम प्रावधान करते हैं कि अनुदान स्वीकृत करने वाले प्रत्येक आदेश में उसका उद्देश्य और साथ ही अनुदान को खर्च करने की समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होगी। सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभागीय अधिकारी, जहां आवश्यक हो, महालेखाकार को प्रमाणित करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होंगे, अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूरा करना और प्रमाण–पत्र (उपयोगिता प्रमाण–पत्र) को ऐसे रूप में और ऐसे अंतराल पर जमा करना जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) और संबंधित विभाग प्रमुख के बीच सहमती से हो।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 एवं 184 के अनुसार, अनुदानग्राही को प्राप्त सहायतानुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की सीमा तक, एक जोखिम है कि वित्त लेखों में दिखाई गई राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंची होगी।

31 मार्च 2022 तक, 29 विभागों द्वारा प्रदान किए गए सहायतानुदान के विरूद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकरणो द्वारा ₹30,926.48 करोड़ के कुल 20,114 उपयोगिता प्रमाण–पत्र, जो देय हो गए हैं, प्रस्तुत

नहीं किए गए थे। अवधि–वार उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति मे विलंब को **तालिका 4.8** में दिया गया है:

तालिका 4.8: लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का वर्ष–वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
2013-14 तक	19,553	13,209.63
2014-15	02	401.49
2015-16	09	39.18
2016-17	02	5.15
2017-18	0	0.00
2018-19	20	479.56
2019-20	14	1,398.95
2020-21	0	0.00
2021-22	514	15,392.52
योग	**20,114**	**30,926.48**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की 43 प्रतिशत राशि 2014–15 से पहले की अवधि से संबंधित है, जबकि बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की 50 प्रतिशत राशि केवल 2021–22 से संबंधित है। वर्ष 2021–22 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का विभाग–वार विभाजन ***परिशिष्ट 4.2*** में दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि विगत वर्षों में राशि ₹30,926.48 करोड़ किस प्रकार व्यय की गई। इसलिए, यह चिंता का विषय है, क्योंकि इसमे विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उन्हें प्रदान किया गया सार्वजनिक धन शामिल है और इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि इन निधियों को प्रदान करने से इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है। पिछले आठ वर्ष या अधिक समय के लिये प्रदान की गई धनराशि से संबंधित व्यय के लिये जबावदेही के अभाव में, इन निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। आगे, उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब से भारत सरकार से निष्पादन अनुदानों की प्राप्ति प्रभावित हो सकती है। 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति **चार्ट 4.1** में दी गई है:

चार्ट 4.1: 2021–22 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र

(₹ करोड़ में)

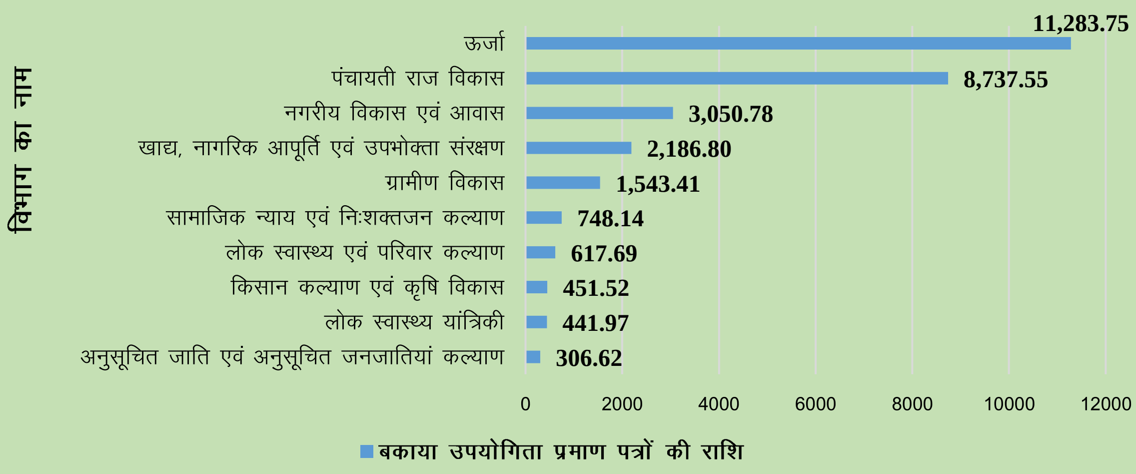

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदान का उपयोग उन उद्देश्यों के लिये किया था जिसके लिये अनुदान दिया गया था। उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुतिकरण में भारी मात्रा में विलंबता धोखाधड़ी के जोखिम और निधियों के दुर्विनियोग से भरा है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष दर वर्ष इस मुद्दे पर राज्य शासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद इसमें सुधार नहीं हुआ है।

राज्य शासन को उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतिकरण में बाधा डालने वाले मुद्दे की पहचान करने के लिए एक कठोर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना, कि विभाग समय पर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करें।

4.9 अनुदानग्राही संस्थान का "अन्य" के रूप में अभिलेखन

सरकार से सहायतानुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने की एक प्रणाली है। इन अनुदानों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम के प्रमाणक स्तर कम्प्यूटरीकरण प्रणाली में भी दर्ज किया जाता है और प्रत्येक संस्था हेतु बकाया राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा करने की अनुवीक्षा की जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रणाली को कार्य करने के लिए अनुदानग्राही संस्थान ठीक से दर्ज होना चाहिए।

वित्त लेखे दर्शाते है कि वर्ष 2021–22 के दौरान राशि ₹36,883.42 करोड़ (कुल सहायतानुदान ₹66,597.97 करोड़ का 55.38 प्रतिशत) अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में संवितरित की गयी थी। वर्ष 2017–22 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों कों "अन्य" के रूप में जारी कुल राशि का विवरण **तालिका 4.9** में दिया गया है:

तालिका 4.9: वर्ष 2017–22 के दौरान अनुदानग्राही संस्थानों को "अन्य" के रूप में जारी की गई निधियां

(₹ करोड़ में)

अनुदानग्राही का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
अन्य	9,024.21	12,451.13	36,343.51	34,137.57	36,883.42
कुल सहायतानुदान	53,454.99	54,428.05	65,258.33	64,270.95	66,597.97
सहायतानुदान के संबंध में अन्य का प्रतिशत	16.88	22.88	55.69	53.11	55.38

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2017–22 के दौरान कुल सहायतानुदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा "अन्य" प्रकार के अनुदान प्राप्त संस्थानों को वितरित किया जा रहा है। वर्ष 2017–22 के दौरान अनुदानग्राही संस्थान को संवितरित राशि "अन्य" के रूप मे 16.88 प्रतिशत से 55.69 प्रतिशत तक रही।

उचित कोड के अभाव में, सभी संस्थानों के विरुद्ध बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती। चूँकि सहायतानुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है, यह आवश्यक है कि सरकार अनुदानग्राही संस्थान का विवरण एवं प्रकृति प्रदान करें जिसे वह लेखों की पारदर्शिता के हित में निधियाँ उपलब्ध करा रही है।

4.10 व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते होते हैं जो कोषालय में खातों के प्रशासकों के नाम पर रखे जाते हैं। धनराशि 8443–सिविल जमा–106 व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखी जाती है। ये खाते वित्त विभाग की स्वीकृति से खोले जा सकते हैं। व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेष को वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व

समेकित निधि को वापस अंतरित किया जाना चाहिए तथा यदि ऐसी संभावना उत्पन्न होती है तो आगामी वर्ष में व्यक्तिगत जमा खाते पुनः खोले जा सकते है।

व्यक्तिगत जमा खाते जो लगातार तीन वर्षों तक असंचालित रहते हैं, उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा बंद कर दिया जाना चाहिए एवं शेषों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर शासकीय खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों द्वारा वित्तीय प्रावधानों के उल्लंघन पर बार–बार टिप्पणी की गई है, जहाँ वित्त वर्ष के अंत में अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए अव्ययित निधियों को सामान्यतः लोक लेखे के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

व्यक्तिगत जमा खातों का समयावधि 2017–22 से अवधि–वार विश्लेषण **तालिका 4.10** में दिया गया है:

तालिका 4.10: व्यक्तिगत जमा खातों की अवधि–वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान प्राप्ति	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते	अंतशेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	राशि	संख्या	संख्या	राशि
2017-18	799	5,350.37	63	1,653.50	1,633.81	15	847	5,370.06
2018-19	847	5,370.06	168	4,868.83	6,300.41	284	731	3,938.48
2019-20	731	3,938.48	70	9,267.05	6,936.83	0	801	6,268.70
2020-21	801	6,268.70	23	7,561.86	8,867.97	8	816	4,962.59
2021-22	816	4,962.59	निरंक	4,064.64	6,390.83	2	814	2,636.40

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि, 31 मार्च 2022 को 814 व्यक्तिगत जमा खातों में से 253 व्यक्तिगत जमा खाते ऋणात्मक शेष (राशि ₹2,570.37 करोड़) के साथ एवं 234 व्यक्तिगत जमा खाते ₹132.74 करोड (₹319.45 करोड़ के साथ 167 व्यक्तिगत जमा खाते और (–) ₹186.71 करोड़ के साथ 67 व्यक्तिगत जमा खाते) के साथ तीन वर्षों से अधिक से असंचालित थे। असंचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है। व्यक्तिगत जमा खातों में अंतशेष इंगित करता है कि प्रशासकों ने वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को सुसंगत सेवा शीर्ष को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किया। व्यक्तिगत जमा खातों मे पड़ी अव्ययित शेषों को राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से सार्वजनिक निधि के दुरूपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम होता है।

4.11 लघु शीर्ष 800 का उपयोग

अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय से संबंधित सर्वग्राही लघु शीर्ष 800 का परिचालन मात्र उन प्रकरणों में किया जाना है जहां लेखों में मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया है। लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का विवेकहीन पुस्तांकन लेनदेनों की प्रकृति एवं पारदर्शिता को प्रभावित करता है, तथा लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

2021–22 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹1,85,875.85 करोड़) के 5.04 प्रतिशत को दर्शाने वाले ₹9,371.07 करोड़ की प्राप्तियों को 49 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया था, और लेखों में लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।इसी प्रकार, 2021–22 के दौरान, 66 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किये गये ₹31,934.23 करोड़ का व्यय, कुल व्यय (₹2,21,794.41 करोड़) का 14.40 प्रतिशत को लेखों में 42 राजस्व और 24 पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

2017–22 के दौरान प्राप्तियों एवं व्यय के लिए लघु शीर्ष 800 के परिचालन की सीमा, कुल प्राप्तियों एवं व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.2 एवं 4.3** में दी गयी है:

चार्ट 4.2: 2017–22 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों का संचालन

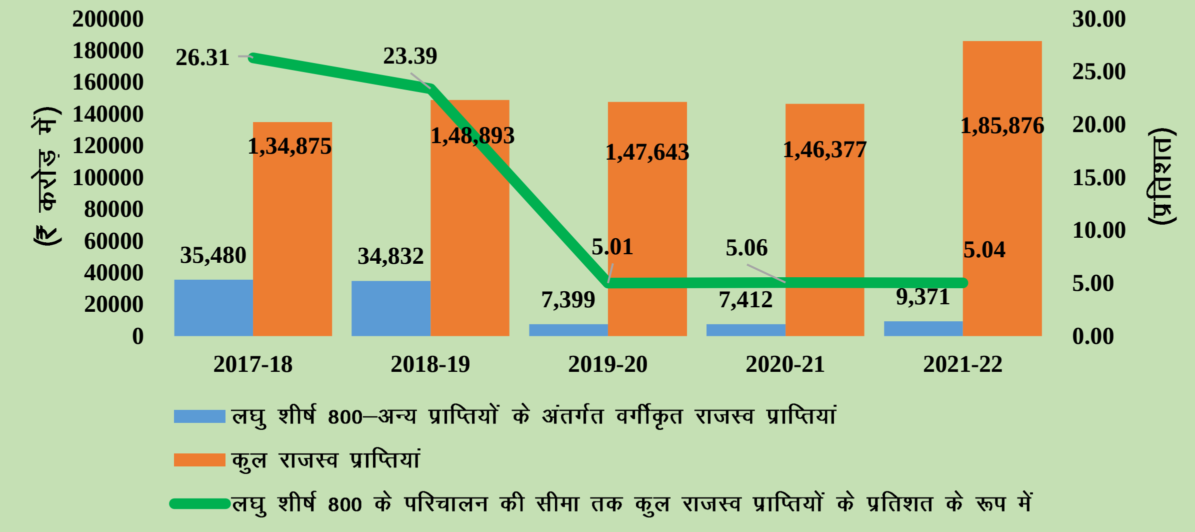

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 4.3: 2017–22 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का संचालन

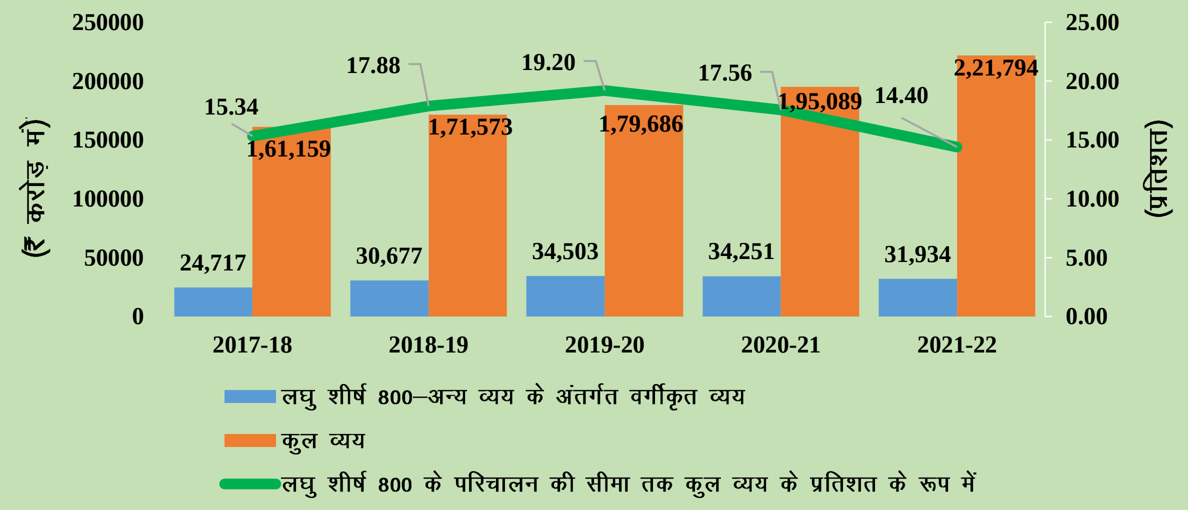

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्तियों में इस लघु शीर्ष 800 के संचालन में सारभूत संतोषजनक कमी आई है। हालांकि, व्यय में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। तथ्य यह है कि लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियों और व्यय का इतना बडा अनुपात पुस्तांकित है, गंभीर चिंता का कारण है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

दृष्टांत जहाँ प्राप्तियों/व्यय के सारभूत भाग (संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक) को लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकरण ***परिशिष्ट 4.4*** एवं ***4.5*** में दिया गया है एवं **तालिका 4.11** में सारांशीकृत हैं:

तालिका 4.11: लघु शीर्ष 800–'अन्य प्राप्तियां' एवं 'अन्य व्यय' के अंतर्गत पुस्तांकित राशि				
विवरण	प्राप्तियां		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	996.95	0801, 1452	1,809.54	2250, 2705, 2852, 4070, 4705, 4875, 5475
75 प्रतिशत एवं 99 प्रतिशत के मध्य	408.68	0059, 0211, 0215, 0217, 0220, 0235, 0404, 0435, 0700, 0702, 0852	12,666.69	2702, 2851, 4515, 4700, 4701
50 प्रतिशत एवं 74 प्रतिशत के मध्य	445.54	0029, 0403, 0408	4,141.79	2204, 2217, 3454, 4403, 4406
50 प्रतिशत से कम	7,519.90	अन्य मुख्य शीर्ष	13,316.21	अन्य मुख्य शीर्ष
योग	**9,371.07**		**31,934.23**	

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

आगे, लेखापरीक्षा ने लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत पुस्तांकित चुनिंदा मामलों की जांच की, और पाया कि कुछ मामलों में, इन लेनदेन के पुस्तांकन के लिए 800 के अतिरिक्त मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में एक उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध था, जिसे **तालिका 4.12** में सारांशीकृत किया गया हैं और विस्तृत विवरण ***परिशिष्ट 4.6*** में दिया गया है।

तालिका 4.12: उपयुक्त लघु शीर्ष के स्थान पर लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन			
			(₹ करोड़ में)
इकाई का नाम	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष का उपयोग किया जाना था
मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1,908.00	2801- ऊर्जा	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	686.48	6217- शहरी विकास के लिए ऋण, 2217- शहरी विकास	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण' 190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	161.00	6217- शहरी विकास के लिए ऋण, 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण' 190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश'
मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	5.40	2403- पशुपालन	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
मध्य प्रदेश राज्य कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	16.52	2401- फसल कृषि–कर्म	195–कृषि सहयोग के लिए सहायता
योग	**2,777.40**		

4.12 उचंत एवं ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

शासकीय लेखों में प्राप्ति और भुगतान के लेन–देन को दर्शाने के लिए खोले गये निश्चित मध्यस्थ/समायोजित लेखा शीर्षों को 'उचंत शीर्ष' के रूप में जाना जाता है, जिन्हें कोषालय/वेतन लेखा अधिकारियों द्वारा अनुसूची के निपटान की गैर–प्रस्तुती, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी ज्ञापन की प्राप्ति न होने, प्रमाणक की अप्राप्ति, आदि जानकारी के अभाव में खाते के अंतिम शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है। खातों के इन शीर्षों को अंततः ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा समाशोधित (Clear) कर दिया जाता है, जब खातों को उनके संबंधित खातों के अंतिम शीर्षों के अंतर्गत पुस्तांकित किया जाता है। यदि ये राशियां समाशोधित नही होती हैं, तो उचंत शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि जमा हो जाएगी एवं सरकार की प्राप्ति और व्यय को सही ढंग से नहीं दर्शाएगी।

प्रेषण सभी लेन–देनो को अंगीकार करते हैं जो लेखों के शीर्षों को समायोजित कर रहे हैं और इन शीर्षों के अंतर्गत डेबिट या क्रेडिट अंततः उसी क्रेडिट या डेबिट के अंतर्गत या लेखों के अन्य चक्र में पत्राचार द्वारा समाशोधित किए जाते है।

वित्त लेखे उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बकाया नामे (डेबिट) एवं जमा (क्रेडिट) शेषों को पृथक–पृथक समेकित कर निकाला गया है, 31 मार्च 2022 की स्थिति में, मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत (–)₹251.45 करोड़ (डेबिट) एवं मुख्य शीर्ष 8782 के अंतर्गत ₹5,499.15 करोड़ (क्रेडिट) बकाया शेष था। पिछले तीन वर्षों के लिए उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत मुख्य घटकों की स्थिति **तालिका 4.13** में दी गई है:

तालिका 4.13: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य/लघु शीर्ष	2019-20		2020-21		2021-22	
8658–उचंत लेखे	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**	**डेबिट**	**क्रेडिट**
101–वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत	48.60	47.70	394.24	93.49	545.43	(-)200.10
निवल	**डेबिट 0.90**		**डेबिट 300.75**		**डेबिट 745.53**	
102–उचंत लेखा (सिविल)	0.19	0.01	0.19	0.01	0.19	0.01
निवल	**डेबिट 0.18**		**डेबिट 0.18**		**डेबिट 0.18**	
107–नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा	141.60	28.05	141.60	28.05	141.60	28.05
निवल	**डेबिट 113.55**		**डेबिट 113.55**		**डेबिट 113.55**	
110–रिजर्व बैंक उचंत–केंद्रीय लेखा कार्यालय	1,810.57	3.82	1,365.14	4.59	436.59	5.47
निवल	**डेबिट 1,806.75**		**डेबिट 1,360.55**		**डेबिट 431.12**	
112–स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचंत	--	177.45	-297.06	233.26	(-)297.06	319.97
निवल	**क्रेडिट 177.45**		**क्रेडिट 530.32**		**क्रेडिट 617.03**	
113–भविष्य निधि उचंत	14.55	--	12.40	--	9.05	--
निवल	**डेबिट 14.55**		**डेबिट 12.40**		**डेबिट 9.05**	
123–ए.आई.एस. अधिकारी समूह बीमा योजना	3.06	13.88	3.69	14.57	4.06	15.18
निवल	**क्रेडिट 10.82**		**क्रेडिट 10.88**		**क्रेडिट 11.12**	
129–सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	36.10	223.11	36.10	**223.11**	36.10	223.11
निवल	**क्रेडिट 187.01**		**क्रेडिट 187.01**		**क्रेडिट 187.01**	
139–वस्तु एवं सेवा कर–स्रोत पर कर कटौती उचंत	77.21	96.16	341.66	394.91	676.97	1,089.01
निवल	**क्रेडिट 18.95**		**क्रेडिट 53.25**		**क्रेडिट 412.04**	
8782–नकद प्रेषण						
102–लोक निर्माण प्रेषण	1,38,040.17	1,42,048.94	1,52,426.98	1,57,465.68	1,68,749.56	1,75,495.91
निवल	**क्रेडिट 4,008.77**		**क्रेडिट 5,038.70**		**क्रेडिट 6,746.35**	
103–वन प्रेषण	4,492.03	4,607.38	4,499.40	4,572.31	4,505.36	4,581.45
निवल	**क्रेडिट 115.35**		**क्रेडिट 72.91**		**क्रेडिट 76.09**	
110–विविध प्रेषण	8,554.27	7,287.74	8,708.39	**7,417.03**	8,826.65	7,503.25
निवल	**डेबिट 1,266.53**		**डेबिट 1,291.36**		**डेबिट 1,323.40**	

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका उचंत और प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाती है। यदि इन उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशियां असमायोजित रहती है, तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि संचित हो जाती है, परिणामस्वरूप सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों की न्यूनोक्ति हो जाती है। आगे, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की

गैर निकासी राज्य सरकार के लेखों (जिन्हे वर्ष–दर–वर्ष आगे बढ़ाया जाता है) के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों और शेषों की परिशुद्धता को प्रभावित करती है।

4.13 लेखों का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 में अपेक्षित है कि, सभी नियंत्रण अधिकारी शासन की प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ करें। मध्य प्रदेश में, बजट नियंत्रण अधिकारियों के बजाय, संचालनालय कोष एवं लेखा मुख्य रूप से कार्यालय लेखा एवं हकदारी के साथ आंकड़ों का मिलान कर रहा है।

2021–22 के दौरान, संचालनालय, कोष एवं लेखा ने व्यय ₹2,13,151.46 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के अंतर्गत कुल व्यय ₹2,25,023.10 करोड़ का 94.72 प्रतिशत) एवं प्राप्ति ₹1,64,260.33 करोड़ (राजस्व एवं विविध पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कुल प्राप्तियों ₹1,87,535.72 करोड़ का 87.59 प्रतिशत) का मिलान किया है।

पिछले तीन वर्ष की अवधि 2019–22 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के मिलान की स्थिति को **चार्ट 4.4** एवं **चार्ट 4.5** में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.4: 2019–22 के दौरान प्राप्तियों का मिलान

(₹ करोड़ में)

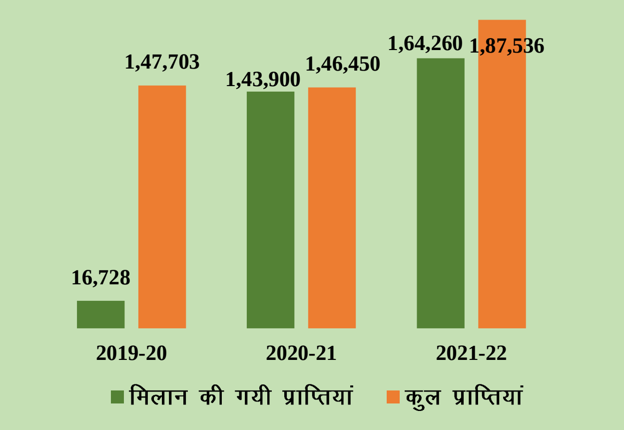

चार्ट 4.5: 2019–22 के दौरान व्यय का मिलान

(₹ करोड़ में)

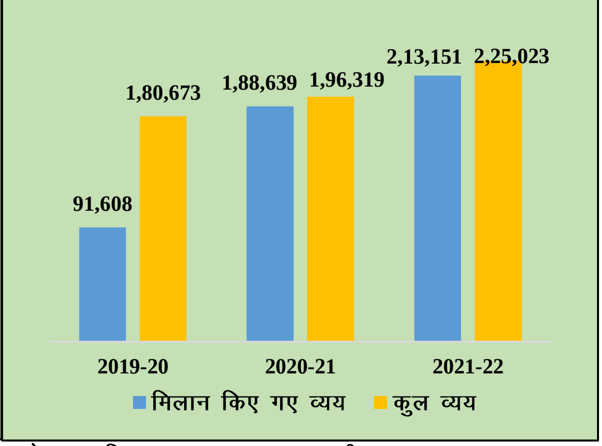

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

जुलाई 2020 में, संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा ऑनलाइन मिलान की प्रणाली की शुरूआत के बाद, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2020–21 से मिलान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

4.14 रोकड़ शेष का मिलान

1. बैंक शाखाओं द्वारा कोषालयों को पेंशन भुगतान स्क्रॉल के साथ तिथि–वार मासिक पत्रक भी प्रस्तुत किये जा रहे है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक शाखाओं द्वारा संबंधित बैंक स्क्रॉल कोषालयों को प्रस्तुत किये जा रहे है।
3. 31 मार्च 2022 की स्थिति में, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन का रोकड़ शेष (₹1,117.71 करोड़ (क्रेडिट)) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिवेदित रोकड़ शेष (₹157.02 करोड़ (डेबिट)) के मध्य ₹960.69 करोड़ (क्रेडिट) का अंतर था। ₹960.69 करोड़ का अंतर एंजेसी बैंकों एवं कोषालय अधिकारियों द्वारा गलत सूचना के कारण था।

4.15 लेखांकन मानकों का अनुपालन

वर्ष 2002 में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा स्थापित शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार मण्डल जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए शासकीय लेखांकन एवं वित्तीय सूचना के लिए मानक तैयार कर रहा है। मार्च 2022 के अंत तक, तीन भारतीय शासकीय लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए गए है। इन मानकों के विवरण तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2021–22 के लिए अपने वित्तीय विवरण में इनके अनुपालन की सीमा **तालिका 4.14** में दी गई है:

तालिका 4.14: लेखांकन मानकों का अनुपालन

आई.जी.ए.एस.	आई.जी.ए.एस. का सार	स्थिति	गैर–अनुपालन का प्रभाव
आई.जी.ए.एस. 1 शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों के प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ	इस मानक के अंतर्गत शासन से वर्ष के दौरान अपने वित्तीय विवरण में परिग्रहितियाँ, हटाई गई, आमंत्रित, निपटाई गई एवं वर्ष के अंत में बकाया प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि प्रकट किया जाना अपेक्षित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने मार्च 2022 तक अंतिम लेखों में 2021–22 के दौरान अधिकतम प्रत्याभूत राशि के साथ वर्ष के दौरान परिग्रहितियाँ, निपटाई गई, आमंत्रित एवं बकायों का प्रकटीकरण किया था।
आई.जी.ए.एस. 2 सहायतानुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	अंतिम उपयोग के निरपेक्ष, सहायतानुदान प्रदाता के लेखे में राजस्व व्यय के रूप में एवं अनुदानगृहीता के लेखे में राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।	अनुपालन नहीं हुआ	राज्य शासन ने राशि ₹596.42 करोड़ की सहायतानुदान को राजस्व व्यय के स्थान पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया। गैर–अनुपालन के कारण राजस्व अधिशेष को अत्युक्त एवं पूंजीगत व्यय को अत्युक्त बताया गया।
आई.जी.ए.एस. 3 शासन द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	यह मानक सम्पूर्ण, सटीक एवं एकरूप लेखांकन प्रथाएँ सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा अपने वित्तीय विवरण में किए गए ऋणों एवं अग्रिमों की पहचान, मापन, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन से संबन्धित है।	आंशिक अनुपालन किया गया	''अप्रतिलभ्य ऋणों एवं अग्रिमों का अपलेखन'', 'बकाया में ब्याज भुगतान', 'ऋण के प्रकरणों में ऋण के रूप में स्थायी रूप से स्वीकृत किया गया', ऋणी संस्थाओं से बकायों में पुनर्भुगतान'', ''वर्ष के दौरान प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम'' तथा ''ऋणों एवं अग्रिमों से संबन्धित असाधारण लेन–देनों को इंगित करने वाले प्रकटीकरण'' वित्त लेखों में नहीं किए गए थे, क्योंकि राज्य शासन द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गयी थी। इसलिए राज्य वित्त के इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिवेदन करना संभव नहीं है।

4.15.1 सहायतानुदान में व्यय का गलत वर्गीकरण

भारत सरकार के लेखा मानक–2 (आई.जी.ए.एस.–2) के अनुसार, सहायतानुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें संपत्ति का निर्माण शामिल हो, उन मामलों को छोड़कर जो विशेष रूप से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत हैं।

वर्ष 2017–22 के दौरान राज्य शासन द्वारा राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा **तालिका 4.15** में दी गई है:

तालिका 4.15: पूंजीगत व्यय के रूप में सहायतानुदान के वर्गीकरण की सीमा

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूंजीगत व्यय के रूप में पुस्तांकित सहायतानुदान	232.95	541.41	257.04	250.27	280.38
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायतानुदान	695.61	207.95	237.64	82.73	316.04
योग	**928.56**	**749.36**	**494.68**	**333.00**	**596.42**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

4.16 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

राज्य शासन ने कृषि, आवास, श्रम कल्याण, नगरीय विकास, इत्यादि के क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों या प्राधिकरणों की स्थापना की है। इन निकायों और प्राधिकरणों को वार्षिक लेखा तैयार करने और उनको लेखापरीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। राज्य में सात स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लंबित लेखाओं की स्थिति **तालिका 4.16** में दी गयी है:

तालिका 4.16: स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के बकाया लेखे

स.क्र.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जब से लंबित	वित्त वर्ष 2021–22 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	2013-14	09
2	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2010-11	12
3	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2017-18	05
4	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2020-21	02
5	मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	2021-22	01

***किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष के लम्बित रहने की अंतिम तिथि अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर को ली जानी है।**

2021–22 के दौरान, किसी भी स्वायत निकाय द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा–I एवं II) मध्य प्रदेश के कार्यालय में कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, हमने वर्ष के दौरान लेखों पर कोई भी अभिमत नहीं बनाया।

4.17 दुर्विनियोग, हानियाँ, चोरियाँ, इत्यादि

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड–1 का नियम 22(1) प्रावधान करता है कि गबन अथवा अन्य कारण से किसी लोक धन की हानि की सूचना तत्काल महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए, भले ही जिम्मेदार पक्ष द्वारा इस हानि की पूर्ति कर दी गई हो।

राज्य शासन ने 31 मार्च 2022 तक ₹38.12 करोड़ से जुड़े दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के 3,165 प्रकरण सूचित किये थे जिन पर जून 2022 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। मुख्य प्रकरण वानिकी तथा वन्य जीवन (₹16.18 करोड़ के 2,626 प्रकरण), कोष एवं लेखा प्रशासन (₹8.30 करोड़ के 11 प्रकरण), स्कूल शिक्षा (₹6.94 करोड़ के 92 प्रकरण) तथा पुलिस विभाग (₹3.93 करोड़ के 314 प्रकरण) से संबंधित थे। 31 मार्च 2022 की स्थिति में दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरणों का मुख्य शीर्ष–वार विवरण **तालिका 4.17** में दिया गया है:

तालिका 4.17: 31 मार्च 2022 को दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के वसूली हेतु लंबित प्रकरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोग/हानियों/चोरियों के प्रकरण		दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित प्रकरणों के अंतिम निराकरण में विलंब के कारण की गयी कार्यवाही					
			विभागीय और आपराधिक जाँच का इंतजार		विभागीय कार्रवाई आरंभ लेकिन पूर्ण नहीं		आपराधिक कार्यवाही पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2210– चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	09	48.40	0	0.00	07	25.80	02	22.60
2211– परिवार कल्याण	03	47.67	0	0.00	02	47.35	01	0.32
2014– न्याय प्रशासन	05	16.57	0	0.00	05	16.57	0	0.00

2015–चुनाव	01	7.90	0	0.00	01	7.90	0	0.00
2055–पुलिस	314	312.90	158	170.45	156	142.45	0	0.00
2225–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	06	7.05	06	7.05	0	0.00	0	0.00
2235–महिला एवं बाल कल्याण	07	16.13	07	16.13	0	0.00	0	0.00
2058–लेखन सामग्री एवं मुद्रण	02	8.58	0	0.00	01	0.17	01	8.41
4801–नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	01	2.88	0	0.00	01	2.88	0	0.00
2202–स्कूल शिक्षा	92	693.63	21	277.99	54	390.8	17	24.84
2203–तकनीकी शिक्षा	32	78.12	08	8.43	16	40.24	08	29.45
2204–खेलकूद एवं युवा सेवाएँ	03	4.20	02	1.70	01	2.50	0	0.00
2501–ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	04	46.56	02	3.34	01	42.31	01	0.91
2401–कृषि कर्म	28	50.63	14	28.51	09	11.11	05	11.01
2402–मृदा और जल संरक्षण	01	0.00	01	0.00	0	0.00	0	0.00
2403–पशुपालन	16	17.24	12	10.74	02	0.90	02	5.60
2054–कोषालय और लेखा	11	830.44	11	830.44	0	0.00	0	0.00
2853–अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	03	4.22	02	4.22	01	0.00	0	0.00
2040–बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	01	0.70	01	0.70	0	0.00	0	0.00
2406–वानिकी एवं वन्य जीवन	2626	1,618.13	1097	593.29	1498	1,003.39	31	21.45
योग	**3165**	**3,811.95**	**1342**	**1,952.99**	**1755**	**1,734.37**	**68**	**124.59**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदाय जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 3165 मामलों में से राशि ₹19.53 करोड़ के 1342 मामले विभागीय और आपराधिक जांच के लिए लंबित हैं। विभाग को दुर्विनियोग, हानियों, चोरियों, इत्यादि के लंबित मामलों को अंतिम रूप देने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

4.18 राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक मध्य प्रदेश शासन के वित्त पर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में साल दर साल वित्तीय एवं बजटीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित चिंता के मुद्दों, राज्य शासन के विभागों/प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों, आदि का अनुपालन न करने के क्षेत्रों को चिन्हित करते रहे हैं। ये प्रतिवेदन वांछित परिणाम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे सरकार/प्रशासन से सकारात्मक और पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त करें। राज्य के वित्त पर पृथक प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से तैयार किये जा रहे हैं और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किये जा रहे है। वर्ष 2011–21 का विवरण **तालिका 4.18** में दिया गया है:

तालिका 4.18: लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा किये गए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

प्रतिवेदन वर्ष	क्या लोक लेखा समिति ने राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की	उस प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की बैठकों की संख्या	वित्त वर्ष में चर्चा	चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं की संख्या और प्रकृति	विभाग द्वारा कार्यान्वयन टीप
2011-12	हाँ	1	2018-19	1 कंडिका: • 2.3.6–आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, अनुदान संख्या 33 (₹10.87 करोड़)	-
2013-14	हाँ	1	2018-19	1 कंडिका: • 2.3.5– आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, अनुदान संख्या 2 (₹18.19 करोड़)	-
2014-15	हाँ	2	2019-20 2018-19	1 कंडिका: • 2.3.5–आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, अनुदान संख्या 2 (₹23.50 करोड़), अनुदान संख्या 42 (₹3.19 करोड़),	-
2015-16	लोक लेखा समिति द्वारा मौखिक चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16 की किसी भी कंडिका का चयन आज दिनांक तक नहीं किया गया है				
2016-17	हाँ	01	2021-22	4 कंडिकाएं: • 1.5.2.1–सभी कर्जों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि की स्थापना • 2.2.1–आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है, अनुदान संख्या 2 (₹23.77 करोड़) • 3.1.3–व्यक्तिगत जमा खातों के संधारण में अनियमितताएं • 3.6–असत्य उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति	-
2017-18	हाँ	01	2021-22	1 कंडिका: • 3.2.2–शासकीय धन को व्यक्तिगत खाते के स्थान पर अनधिकृत रूप से बैंक खातों में रखा जाना लिखित उत्तर के लिए चयनित की गयी थी किन्तु लोक लेखा समिति ने इस कंडिका को मौखिक चर्चा हेतु चयनित किया और चर्चा हुई।	-
2018-19	लोक लेखा समिति द्वारा मौखिक चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018–19 की किसी भी कंडिका का चयन आज दिनांक तक नहीं किया गया है।				
2019-20	लोक लेखा समिति द्वारा मौखिक चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019–20 की किसी भी कंडिका का चयन आज दिनांक तक नहीं किया गया है।				
2020-21	राज्य विधानमंडल में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 15.09.2022 को प्रस्तुत किया गया था। लोक लेखा समिति द्वारा मौखिक चर्चा के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2020–21 की किसी भी कंडिका का चयन आज दिनांक तक नहीं किया गया है।				

4.19 निष्कर्ष

2021–22 के दौरान, 2020–21 की तुलना में व्यक्तिगत जमा खातों में अंतिम शेष 46.87 प्रतिशत से कम हुआ। आगे, 253 व्यक्तिगत जमा खातों में ऋणात्मक शेष था तथा 234 व्यक्तिगत जमा खातें

₹132.74 करोड़ (कुछ ऋणात्मक शेषों सहित) के साथ तीन से अधिक वर्षों से असंचालित थे। सरकार को इन खातों की सावधानीपूर्वक निगरानी करनी चाहिए थी और सुनिश्चित करें कि ऐसे असंचालित खाते बंद कर दिए गए हैं तथा राज्य के कोषालय संहिता के अनुसार शेषों को शासकीय खातों में अंतरित कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्तियों में लघु शीर्ष 800 के संचालन में पर्याप्त कमी आयी है। हालांकि, व्यय में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आयी।

विभागीय आंकड़ों का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान का कार्य संचालनालय, कोष एवं लेखा द्वारा जुलाई 2020 में ऑनलाइन शुरू किया गया है और प्राप्तियों के संबंध में 87.59 प्रतिशत तथा व्यय के संबंध में 94.72 प्रतिशत की सीमा तक मिलान किया गया है।

4.20 अनुशंसाएं

i) राज्य शासन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल और श्रम उपकर के निष्पादन की समीक्षा कर सकती है कि लेखे तैयार नहीं किए गए हैं और/या निधियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

ii) राज्य शासन को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि इन खातों में निष्क्रिय पड़ी निधियों को शासकीय खातें में तत्काल अंतरित कर दिया गया है। आगे, शासन को व्यक्तिगत जमा खातों में अव्ययित शेषों का विवरण प्रकट करना चाहिए।

iii) राज्य शासन को वित्तीय प्रतिवेदन में पारदर्शिता में सुधार के लिए सर्वग्राही लघु शीर्ष–800 का उपयोग हतोत्साहित करना चाहिए। सरकार को लेखा–पुस्तकों में लेन–देनों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए उपयुक्त लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ परामर्श कर एक विशिष्ट समय–सीमा की रूपरेखा बनाना चाहिए।

iv) आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है तथा शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विभागीय आंकड़ो का कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान शत प्रतिशत होना चाहिये, चूंकि यह 2019–20 से शासकीय लेन–देन के लेखांकन में पारदर्शिता और सटीकता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शुरू किया गया है।

अध्याय 5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय 5–राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

यह अध्याय वर्ष 2021–22 के लिए मध्य प्रदेश शासन के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन को प्रस्तुत करता है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित सरकारी कंपनियां (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां सहित) और संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित विधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगम शामिल है।

5.1 प्रस्तावना

प्रतिवेदन में दर्शाए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन को उनके वित्तीय विवरणों के साथ–साथ संबंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी से लिया गया है। वर्ष 2021–22 (या पूर्व के वर्षों के जिन्हें वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिमीकृत किया गया था) के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित एकमात्र लेखापरीक्षा/अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखों के पुनरीक्षण के प्रभावों के साथ–साथ जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों[1] को भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

5.2 सरकारी कंपनियों/निगमों की परिभाषा

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्न्तगत परिभाषित है, एक कंपनी को सरकारी कंपनी कहा जाता है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त अंश पूँजी केन्द्र सरकार, अथवा एक या अधिक राज्य सरकारो या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारो द्वारा एवं जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो, भी शामिल है।

जैसा कि कंपनी (कठिनाईयों को दूर करना) के सातवे आदेश के अधीन, अधिसूचित 2014 (4 सितम्बर 2014) में परिभाषित है, कोई अन्य कंपनी जो केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारो द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारो द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व अथवा नियंत्रित की जाती है, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां कहलाती है। इसके अलावा, संसद/राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित कानून के अंतर्गत स्थापित किसी भी निगम को सांविधिक निगम कहा जाता है।

5.3 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ सहपठित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, सनदी लेखाकारों को कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है और लेखों की लेखापरीक्षा करने की प्रक्रिया पर दिशा–निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार प्राप्त है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनके लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में या संविधियों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है।

---

[1] 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक जारी/अंतिमीकृत प्रमाणपत्रों के आधार पर।

5.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान

31 मार्च 2022 को, 60 सरकारी कंपनियां, तीन सांविधिक निगम[2] और सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियों[3] सहित मध्य प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 72 उपक्रम थे जैसा कि ***परिशिष्ट 5.1*** में वर्णित है। वर्ष के दौरान, किसी भी सरकारी कंपनी का विघटन/विलय नहीं हुआ, जबकि एक सरकारी कंपनी[4] तथा सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी[5] भारत के नियंत्रक–महालेखारीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आयी। कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। इसके अलावा, सरकारी कंपनियों में 15 कंपनियां[6] शामिल है, जिन्होंने अपना परिचालन तीन से 32 वर्षो तक बन्द कर दिया था।

30 सितम्बर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 72 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 49 उपक्रमों ने 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 की अवधि के लिए कम से कम एक लेखा प्रस्तुत किया था। हालांकि, इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 32 कार्यरत उपक्रमों को ही शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 40 उपक्रमों (इनमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 17 उपक्रम ऐसे थे जिनके नवीनतम लेखें[7] उपलब्ध थे परन्तु पिछले तीन या अधिक वर्षों के लिए कारोबार शून्य था और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रम जो कि तीन से 32 वर्षों तक के लिए निष्क्रिय रहे और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के पाँच उपक्रम ऐसे थे जिनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये) को शामिल नही किया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 32 उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियों सहित) को, इनकी गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर छः क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2021–22 के लिए, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 32 उपक्रमों का कारोबार (₹89,699.74 करोड़) मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹11,69,004 करोड़) का 7.67 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कारोबार का 98 प्रतिशत से अधिक केवल ऊर्जा क्षेत्र के लेखों का है जैसा कि **तालिका 5.1** में इंगित है :

तालिका 5.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भाग के सापेक्ष क्षेत्र–वार कारोबार

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	क्षेत्र का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए कारोबार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कारोबार के भाग का प्रतिशत
1	ऊर्जा	7	88,423.00	7.56
2	कृषि एवं संबंद्ध	2	1013.19	0.09
3	सेवा	8	58.36	0.00
4	अधोसंरचना	9	23.50	0.00

2 मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन और मध्य प्रदेश वित्त निगम।

3 भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, ग्वालियर स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड, इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड, सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड, सागर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट लिमिटेड, बी–नेस्ट फाउण्डेशन एवं इंदौर आईडिया फैक्ट्री फाउंडेशन।

4 मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड।

5 इंदौर आईडिया फैक्ट्री फाउंडेशन।

6 मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड, मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश सैनिक कोल माईनिंग प्रा. लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र मिनरल्स व कैमिकल्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड, ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड और मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

7 वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक की अवधि के लिए कोई/सभी लेखे।

तालिका 5.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भाग के सापेक्ष क्षेत्र–वार कारोबार				
				(₹ करोड़ में)
स. क्र.	क्षेत्र का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए कारोबार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कारोबार के भाग का प्रतिशत
5	विनिर्माण	5	120.08	0.01
6	वित्त	1	61.61	0.01
योग		**32**	**89,699.74**	**7.67**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित जानकारी

पिछले वर्ष की तुलना में सकल कारोबार 10.81 प्रतिशत से घटकर 7.67 प्रतिशत तक हो गया है।

5.5 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और निगमों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, अधिदेश के अनुसार, सभी 69 कंपनियों (अर्थात् 60 सरकारी कंपनियां और सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियां) के वार्षिक लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है। तीन सांविधिक निगमों के मामले में, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है जबकि मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और मध्य प्रदेश वित्त निगम के संबंध में, संबंधित कानूनों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों के द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और उसके बाद, भारत के नियंत्रक–महालेखारीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 72 उपक्रमों के लेखों की स्थिति, उनके नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर, जो 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त हुए थे, **तालिका 5.2** में विस्तृत है और लेखो के विलंबता की कंपनी–वार स्थिति ***परिशिष्ट 5.2*** में दर्शित है।

तालिका 5.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उनके अंतिमीकृत लेखो की स्थिति						
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति	कुल संख्या	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि के दौरान प्राप्त हुए				राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 30 सितम्बर 2022 तक बकाया (कुल बकाया लेखे) है
		2021–22 के लिए लेखे	2020–21 के लिए लेखे	2019–20 के लिए लेखे	योग	
सरकारी कंपनियां	60	14	22	09	**45**	**45*(213)[8]**
सांविधिक निगम	03	01	01	00	**02**	**02(15)**
योग	**63**	**15**	**23**	**09**	**47**	**47(228)**
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	09	00	08	04	**12**	**08*(08)**
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योग	**72**	**15**	**31**	**13**	**59**	**55(236)**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी

* एक नई निगमित सरकारी कंपनी जिसका पहला लेखा वित्तीय वर्ष 2022–23 में देय होगा।

[8] सार्वजनिक क्षेत्र के 15 उपक्रमों सहित जिन्होंने अपने परिचालन अंतिम तीन से 32 वर्ष तक के लिए बन्द रखे।

इस प्रतिवेदन में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखो के आधार पर वित्तीय प्रदर्शन के सांराश का विवरण **तालिका 5.3** में विस्तृत है।

तालिका 5.3: इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम) के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

I. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या, जिनके	**24**
प्रदत्त पूँजी (₹ करोड़ में)	47,085.30
दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	51,203.78
कुल सम्पत्तियॉं (₹ करोड़ में)	1,51,270.40
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	(-)11,094.28
II. वित्तीय प्रदर्शन	
अर्जित लाभ (संख्या में)	11
शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	1, 796.91
घोषित/भुगतान लाभांश (पाँच में)(₹ करोड़ में)	25.95
हानि उठाने वाली (संख्या में)	9
शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	(-)6,523.07
न लाभ न हानि (संख्या में)	04[9]
प्रथम लेखे प्राप्त नहीं (संख्या में)	04[10]
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	
I. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या, जिनका	**08**
प्रदत्त पूँजी (₹ करोड़ में)	1,041.20
दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	--
कुल सम्पत्तियॉं (₹ करोड़ में)	3,600.97
निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	1,294.09
II. वित्तीय प्रदर्शन	
अर्जित लाभ (संख्या में)	02
शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.43
घोषित/भुगतान लाभांश	--
हानि उठाने वाली (संख्या में)	02
शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	(-)0.05
न लाभ न हानि (संख्या में)	04[11]
प्रथम लेखे प्राप्त नहीं (संख्या में)	01[12]

5.6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता

5.6.1 धारित अंश पूंजी और ऋण

31 मार्च 2022 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 72 उपक्रमों में सरकार द्वारा अंश पूंजी और ऋण में किया गया निवेश **तालिका 5.4** में दिया गया है:

[9] मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड और जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड।

[10] बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस, रतलाम बस सर्विसेस लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड।

[11] उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सतना स्मार्ट सिटी लिमिटेड और बी–नेस्ट फाउंडेशन।

[12] इंदौर आईडिया फैक्ट्री फाउंडेशन।

तालिका 5.4: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी में निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश का स्रोत	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक		
	अंश पूंजी	दीर्घ कालिक ऋण	योग	अंश पूंजी	दीर्घ कालिक ऋण	योग	अंश पूंजी	दीर्घ कालिक ऋण	योग
राज्य शासन	28,502.37	31,382.78	59,885.15	30,244.60	31,820.52	62,065.12	31,421.75	31,597.77	63,019.52
केन्द्र सरकार	45.79	0.00	45.79	221.88	0.00	221.88	649.79	419.09	1,068.88
अन्य	19,276.31	24,247.83	43,524.14	19,327.67	24,538.08	43,865.75	19,445.90	25,415.33	44,861.23
योग	**47,824.47**	**55,630.61**	**1,03,455.08**	**49,794.15**	**56,358.60**	**1,06,152.75**	**51,517.44**	**57,432.19**	**1,08,949.63**
कुल निवेश में राज्य शासन का अंश (प्रतिशत में)	59.60	56.41	57.89	60.74	56.46	58.47	60.99	55.02	57.84

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त नवीनतम वित्तीय विवरणों से संकलित और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदाय जानकारी

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में 2020—22 में किये गये कुल निवेश में आंशिक रूप से पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्षों से, अंश पूंजी में निवेश को ऋण संघटक के निकट लाने के लिए बढ़ाया जा रहा है। 2020—22 के दौरान, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋण में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2022 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल ऋण में राज्य सरकार से लिया गया ऋण ₹31,597.77 करोड़ (55.02 प्रतिशत) था।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से नौ[13] सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए ₹5,091.49 करोड़ रुपये की अपनी प्रत्याभूति भी दी है। उधार लेने वाली संस्थाओं द्वारा चूक की स्थिति में यह आकस्मिक देयता राज्य सरकार के लिए वास्तविक देयता बन सकती है।

2021—22 के दौरान, अंश पूंजी निवेश में ₹1,179.83 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में थी। विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है:

तालिका 5.5: वर्ष 2021—22 के दौरान निवेशित अंश पूंजी

(₹ करोड़ में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	राशि
मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	711.92
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड	427.91
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	30.00
मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	10.00
योग	**1,179.83**

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी

5.6.2 संपत्तियों की पर्याप्तता

ऋण चुका देने योग्य माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके दीर्घकालिक ऋणों/कर्जो के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2022 को, इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 13 उपक्रम जिनमें बकाया दीर्घकालिक ऋण था। इस मानदण्ड को पूरा करते हैं जैसा कि **तालिका 5.6** में दर्शित है:

[13] मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड।

तालिका 5.6: दीर्घ कालिक ऋण की कुल सम्पत्तियों के साथ व्याप्तता

(₹ करोड़ में)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सकारात्मक व्याप्तता				नकारात्मक व्याप्तता			
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	दीर्घ कालिक ऋण	कुल सम्पत्तियां	सम्पत्तियों का ऋण से प्रतिशत	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	दीर्घ कालिक ऋण	कुल सम्पत्तियां	सम्पत्तियों का ऋण से प्रतिशत
सरकारी कंपनियां	12	50,846.38	1,44,078.84	283.36	–	–	–	–
सांविधिक निगम	01	357.40	956.64	267.67	–	–	–	–

स्रोतः राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के आधार पर संकलित

31 मार्च 2022 को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के संबंध में, कोई दीर्घ कालिक ऋण बकाया नहीं है।

5.6.3 कन्द्र/राज्य शासन द्वारा राजसहायता, अनुदानों की जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार, वार्षिक बजट के माध्यम से राजसहायता और अनुदान के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए ऋणों के लिए प्रत्याभूति प्रदान करती है, जिसके लिए वह आधा प्रतिशत से एक प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्याभूति शुल्क लेती हैं। वर्ष 2021–22 में बकाया प्रत्याभूति ₹9,107.71 करोड़ थी। विवरण **तालिका 5.7** में दिया गया है:

तालिका 5.7: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता के संबंध में विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण[14]	2019–20		2020–21		2021–22	
		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
(i)	प्रदायित अनुदान/राज सहायता	12	20,058.08	13	20,414.17	09	32,768.78
(ii)	बकाया प्रत्याभूतियां	06	5,795.61	05	5,297.52	05	9,107.71
(iii)	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	03	5,382.50	04	9,022.50	03	2,160.10

स्रोतः राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराये गए वार्षिक लेखे/जानकारी

5.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिफल

5.7.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2020–21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने ₹671.29 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021–22 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों ने ₹1,797.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2021–22 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष तीन उपक्रमों ने कुल लाभ का 93.10 प्रतिशत योगदान दिया। विवरण **तालिका 5.8** में दिया गया है:

[14] राशि केवल राज्य के बजट से व्यय को प्रदर्शित करती है।

तालिका 5.8: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शीर्ष उपक्रम जिन्होंने अधिकतम लाभ दिया		
		(₹ करोड़ में)
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	निवल अर्जित लाभ	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल लाभ से प्रतिशत
मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1,072.27	59.66
मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन	301.15	16.75
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	299.98	16.69
योग	**1,673.40**	**93.10**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधार पर संकलित नवीनतम वित्तीय लेखे

5.7.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

राज्य शासन की नीति (जुलाई 2005) के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों को कर के बाद लाभ का न्यूनतम 20 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है।

तालिका 5.9: राज्य क सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का लाभांश भुगतान							
							(₹ करोड़ में)
वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कुल उपक्रम						लाभांश भुगतान (प्रतिशत में)
	मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी डालना		जिन्होंने लाभ अर्जित किया		जिन्होंने लाभांश घोषित/भुगतान किया		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=7*100/5**
2019-20	21	28,234.03	15	669.75	6	25.29	3.78
2020-21	21	28,287.59	15	669.75	6	25.29	3.78
2021-22	13	28,826.42	08	1,794.39	5	25.95	1.45

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदायित जानकारी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि, इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों ने सकल लाभ ₹1,794.39 करोड़ अर्जित किया। आठ में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के मात्र पांच उपक्रमों ने लाभांश घोषित/भुगतान किया। जिनमें से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल तीन[15] उपक्रमों ने न्यूनतम प्रतिफल भुगतान किया और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के शेष दो[16] उपक्रमों ने राज्य शासन की लाभांश नीति का पालन नहीं किया।

5.8 ऋण सेवा

5.8.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की आय को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। एक से कम अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। एक से अधिक की ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष 2019–20 में चार से घट कर 2021–22 में दो हो गई जैसा की **तालिका 5.10** में दर्शाया गया है:

[15] मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम।

[15] मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड।

तालिका 5.10: ब्याज व्याप्ति अनुपात					
					(₹ कराड़ में)
वर्ष	ब्याज	ब्याज और कर पूर्व आय	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या		
			ऋण के दायित्व वाले	ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक वाले	ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम वाले
2019-20	7,236.99	3,663.41	17	4	13
2020-21	7,236.99	3,663.41	17	4	13
2021-22	5,674.47	184.44	13	2	11

स्रोतः राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित

आगे, सरकारी कंपनियों के वार्षिक लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों के उपलब्ध प्रतिवेदन भी यह दर्शाते है (जहां प्रतिवेदन 30 सितंबर 2022 तक प्राप्त हो गए) कि छः सरकारी कंपनियों के द्वारा अपने ऋणों का भुगतान करने में चूक की गई हैं जैसा कि विवरण नीचे **तालिका 5.11** में वर्णित है:

तालिका 5.11: राज्य के सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने ब्याज प्रभारों और मूल राशि की अदायगी में चूक की					
					(₹ करोड़ मं)
स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वित्तीय विवरण का वर्ष	ऋण का स्रोत		चूक की राशि
			मध्य प्रदेश शासन	अन्य[17]	
1	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2021-22	4,308.39	119.97	4,428.36
2	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2020-21	5,145.82	176.65	5,322.47
3	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2020-21	5,332.78	512.84	5,845.62
4	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2020-21	221.73	0.00	221.73
5	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2021-22	5,063.94	0.00	5,063.94
6	मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड	2021-22	0.00	6.12	6.12

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त सांविधिक लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर संकलित

5.8.2 राज्य शासन के ऋण पर बकाया ब्याज का अवधि–वार विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक राज्य शासन द्वारा प्रदान की गयी दीर्घ कालिक ऋणों के विरूद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों में ₹4,803.48 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी, जिसमें से 34.24 प्रतिशत तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। विवरण **तालिका 5.12** में दिया गया है:

तालिका 5.12: राज्य शासन के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि–वार विश्लेषण					
					(₹ करोड़ में)
स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	ऋण पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	एक से तीन वर्ष के लिए बकाया	तीन वर्ष से अधिक के लिए बकाया
1	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	73.77	19.93	48.59	5.25
2	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	4,725.90	771.96	2,315.88	1,638.06
3	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	3.81	0.31	1.95	1.55
	महायोग	**4,803.48**	**792.20**	**2,366.42**	**1,644.86**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त सूचना

[17] अन्य के प्रमुख स्रोत पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, एशियाई विकास बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इत्यादि हैं।

5.9 सरकारी कंपनियों की परिचालन दक्षता

5.9.1 अर्जित लाभ (परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ प्रतिवेदन का विश्लेषण)

इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 लाभ प्रदाता उपक्रमों में से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों ने अपने परिचालन[18] गतिविधि से लाभ अर्जित किया और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों ने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया, जैसा कि ***परिशिष्ट 5.3*** में वर्णित है।

5.9.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिसके साथ उसकी पूंजी नियोजित होती है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना कंपनी की आय को ब्याज और करों से पहले नियोजित पूंजी[19] से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के दौरान कार्यरत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण **तालिका 5.13** मे दिया गया है।

तालिका 5.13: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र क उपक्रमों की संख्या	ब्याज और कर पूर्व आय	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
सरकारी कंपनियां					
लाभ अर्जन	2019-20	17	4,027.28	26,367.14	15.27
	2020-21	17	4,027.28	26,367.14	15.27
	2021-22	12	3,475.95	24,961.21	13.93
हानि उठाने वाली	2019-20	13	-348.96	4,525.85	-7.71
	2020-21	13	-348.96	4,525.85	-7.71
	2021-22	10	-3,139.90	-3,999.67	--
न लाभ/न हानि	2019-20	7	209.56	1,015.63	20.63
	2020-21	7	209.56	1,015.63	20.63
	2021-22	8	-32.65	18,311.45	-0.18
सांविधिक निगम					
लाभ अर्जन	2019-20	1	353.87	1,213.62	29.16
	2020-21	1	353.87	1,213.62	29.16
	2021-22	1	554.48	1,348.42	41.12
हानि उठाने वाली	2019-20	1	25.41	855.25	2.97
	2020-21	1	25.41	855.25	2.97
	2021-22	1	-6.92	782.18	-0.88
न लाभ/न हानि	2019-20	--	--	--	--
	2020-21	--	--	--	--
	2021-22	--	--	--	--
कुल	**2019-20**	**39**	**4,057.60**	**32,965.98**	**12.31**
	2020-21	**39**	**4,057.60**	**32,965.98**	**12.31**
	2021-22	**32**	**850.96**	**41,403.59**	**2.06**

स्रोतः राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित

[18] संचालन गतिविधियों से लाभ = कुल कारोबार–कुल व्यय।

[19] नियोजित पूंजी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घ कालिक ऋण – संचित हानि – अस्थगित राजस्व व्यय।

जैसा कि उपरोक्त **तालिका** से देखा जा सकता है, 2019–22 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल 12.31 प्रतिशत से 2.06 प्रतिशत तक अधोमुखी प्रवृत्ति का है। आगे, वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के 32 उपक्रमों में से 13 उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के सभी सात[20] सार्वजनिक उपक्रम और गैर ऊर्जा क्षेत्र के छः[21] सार्वजनिक उपक्रम) का निवेशित पूंजी पर प्रतिफल, जो अपना स्वयं का राजस्व उत्पन्न करते है, और वाणिज्यिक लाइन पर चलते है, सकारात्मक (2.13 प्रतिशत) था। गैर ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के शेष 19 उपक्रमों जो गैर वाणिज्यिक लाईन पर चलते है, का वर्ष 2021–22 के लिए निवेशित पूंजी पर प्रतिफल सकारात्मक (1.32 प्रतिशत) था। वाणिज्यिक लाईन पर चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों में से सार्वजनिक क्षेत्र के छः[22] उपक्रमों (पाँच सरकारी कंपनियां एवं एक सांविधिक निगम) को 2021–22 के दौरान हानि हुई।

5.9.3 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

31 मार्च 2022 तक राज्य शासन का राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों में एतिहासिक लागत[23] के आधार पर किया गया कुल निवेश ₹56,537.28 करोड़ हो गया, जैसा कि **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.14: निवश के ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में राज्य शासन द्वारा निवेशित निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में केंद्र सरकार द्वारा निवेशित निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में अन्य द्वारा निवेश की गई निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7 = 6/5*100
सरकारी कंपनियां						
2019-20	58,400.97	3.26	41,158.29	99,562.52	-3,541.98	-3.56
2020-21	58,892.27	3.26	41,498.90	1,00,394.43	-3,541.98	-3.53
2021-22	56,033.54	1.39	41,483.98	97,518.91	-4,978.01	-5.10
सांविधिक निगम						
2019-20	387.98	0	456.60	1,559.74	204.31	13.10
2020-21	387.98	0	456.60	844.58	204.31	24.19
2021-22	503.74	0	267.82	771.56	251.85	32.64
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां						
2019-20	0.00	0.00	1,040.20	1,040.20	-0.06	-0.01
2020-21	0.00	0.00	1,040.20	1,040.20	-0.06	-0.01
2021-22	0.00	0.00	1,041.20	1,041.20	0.38	0.01
महायोग						

[20] मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पारेषण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

[21] मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन, मध्य प्रदेश वित्त निगम।

[22] मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, मध्य प्रदेश होटल कार्पोरेशन लिमिटेड एव मध्य प्रदेश वित्त निगम।

[23] डीमर्जर के कारण गठित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, अंश पूंजी और ऋणों में प्रारंभिक निवेश को उनके निगमन की तिथि के अनुसार अग्रणीत राशि पर माना गया था। इसके अलावा, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उत्तराधिकारी के बीच संपत्ति और देनदारियों के विभाजन के परिणामस्वरूप एक पुनर्गठन/डिमर्जर एडजस्टमेंट रिजर्व (अधिशेष/घाटा) हुआ, जिसे राज्य शासन के निवेश के रूप में माना गया।

तालिका 5.14: निवश के ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल						
						(₹ करोड़ में)
वर्ष	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में राज्य शासन द्वारा निवेशित निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में केंद्र सरकार द्वारा निवेशित निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में अन्य द्वारा निवेश की गई निधियां	अंश पूंजी और दीर्घ कालिक ऋणों में कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि	वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7 = 6/5*100
2019-20	58,788.95	3.26	42,655.09	1,02,162.46	-3,337.73	-3.27
2020-21	59,280.25	3.26	42,995.70	1,02,279.21	-3,337.73	-3.26
2021-22	56,537.28	1.39	42791.61	99,330.28	-4,725.78	-4.76

ऐतिहासिक लागत के आधार पर, राज्य शासन का निवेश 2019–20 में ₹58,788.95 करोड़ से 2021–22 में ₹56,537.28 करोड़ तक कम हुआ। इसके अलावा, निवेश पर प्रतिफल भी 1.49 प्रतिशत से घटा।

5.9.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए धन के वर्तमान मूल्य पर विचार करते हुए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना की गई है।

राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई है:

- राज्य शासन द्वारा ऋणों को निधि प्रवाह के रूप में माना गया है। हालांकि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान के मामले में, वर्तमान मूल्य की गणना अवधि के दौरान शेष ऋणों की राशि पर की गई थी। पूंजी अनुदान को छोड़कर, अनुदान/राजसहायता के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में माने जाने के योग्य नहीं हैं।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[24] के लिए शासन के ऋणों पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर प्राप्ति के लिए रियायती दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वह इस वर्ष के लिए धन के निवेश के लिए शासन द्वारा वहन लागत का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए सरकार द्वारा किये गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।

आगे, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों से संबंधित राज्य शासन के निवेश के वर्तमान मूल्य की समान अवधि के लिए समेकित स्थिति **तालिका 5.15** में संकेतिक है:

[24] संबंधित वर्ष के लिए राज्य के वित्त (मध्य प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को अपनाया गया था।

तालिका 5.15: राज्य शासन द्वारा किए गए निवेश एवं उस निवेश के वर्तमान मूल्य का 2012–13 से 2021–22 तक वर्ष वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान निवेशित अंशपूंजी	राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त /चूक ऋण और पूंजीगत अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	शासन के ऋणों पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	लागत वसूलने के लिए वर्ष में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के दौरान कुल लाभ
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v=iii+iv**	**vi**	**vii=ii+v**	**viii={vii*(1+vi)/100}**	**ix={vii*vi)/100}**	**x**
2012-13	21,301.67	938.46	6,685.95	7,624.41	6.75	28,926.08	30,878.59	1,952.51	-4,059.11
2013-14	30,878.59	923.44	3,833.47	4,756.91	6.69	35,635.50	38,019.52	2,384.01	-5,910.12
2014-15	38,019.52	1,298.63	9,474.37	10,773.00	6.73	48,792.52	52,076.25	3,283.74	-6,263.86
2015-16	52,076.25	678.95	2,399.57	3,078.52	6.86	55,154.77	58,938.39	3,783.62	-4,627.30
2016-17	58,938.39	146.2	4,610.38	4,756.58	6.72	63,694.97	67,975.27	4,280.30	-5,202.73
2017-18	67,975.27	5,073.94	-7,602.08	-2,528.14	6.67	65,447.13	69,812.45	4,365.32	-4,001.19
2018-19	69,812.45	1,863.90	1,084.32	2,948.22	6.92	72,760.67	77,795.71	5,035.04	-6,614.05
2019-20	77,795.71	1,447.69	502.45	1,950.14	6.69	79,745.85	85,080.85	5,335.00	-3,337.73
2020-21	85,080.85	1,742.23	437.74	2,179.97	6.12	87,260.82	92,601.18	5,340.36	-3,337.73
2021-22	92,601.18	1,179.83	-222.75	957.08	6.02	93,558.26	99,190.47	5,632.21	-4,725.78
		15,293.27	**21,203.42**	**36,496.69**					

राज्य शासन द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के इन उपक्रमो में 10 वर्षों की समयावधि 2012–22 में किया गया निवेश ₹21,301.67 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में ₹57,798.36 करोड़ तक हो गया, क्योंकि राज्य शासन के अंश पूंजी और ऋण के रूप में ₹36,496.69 करोड़ का निवेश है जिसने पूरी समयावधि में ऋणात्मक प्रतिफल अर्जन किया है। 2012–13 से 2021–22 की अवधि के दौरान ऋणात्मक आय में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

5.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानि

5.10.1 हुई हानि

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों को अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार हानि हुई थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का नुकसान उनके अंतिम लेखों के अनुसार 2019–20 में (–)₹4,009.02 करोड़ से बढ़कर 2021–22 में (–)₹6,523.12 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे **तालिका 5.16** में दिया गया है:

तालिका 5.16: 2019–20 से 2021–22 के दौरान हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[25]
सरकारी कंपनियां				
2019-20	11	-3,970.75	-52,983.52	-34,126.92
2020-21	11	-3,970.75	-52,983.52	-34,076.56
2021-22	08	-6,473.77	-58,728.72	-39,924.63

[25] निवल मूल्य = प्रदत्त पूंजी + मुक्त कोष व आधिक्य – (संचित हानि – अस्थगित राजस्व व्यय)।

तालिका 5.16: 2019–20 से 2021–22 के दौरान हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि	संचित हानि	निवल मूल्य[25]
सांविधिक निगम				
2019-20	01	-37.89	12.09	424.83
2020-21	01	-37.89	12.09	424.83
2021-22	01	-49.30	12.09	424.78
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां				
2019-20	02	-0.38	-0.16	239.94
2020-21	02	-0.38	-0.16	239.94
2021-22	02	-0.05	-0.07	498.33
महायोग				
2019-20	**14**	**-4,009.02**	**-52,971.59**	**-33,462.15**
2020-21	**14**	**-4,009.02**	**-52,971.59**	**-33,411.79**
2021-22	**11**	**-6,523.12**	**-58,716.70**	**-39,001.52**

2021–22 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों को हुए कुल नुकसान ₹6,523.12 करोड़ में ऊर्जा क्षेत्र के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के तीन[26] उपक्रमों का योगदान ₹6,447.85 करोड़ था।

5.10.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी का क्षरण

निवल मूल्य से आशय है प्रदत्त पूंजी और मुक्त कोष व आधिक्य का योग जिसमें से संचित हानि और अस्थगित राजस्व व्यय को घटा दिया गया है। वास्तव में यह किसी इकाई के स्वामी के लिए उस इकाई का मूल्य मापने की एक माप है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा किया गया पूरा निवेश, संचित घाटे और अस्थगित राजस्व व्यय से समाप्त हो चुका है।

31 मार्च 2022 को, ₹61,975.60 करोड़ की संचित हानियों के साथ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के इन 14 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों में 2021–22 के दौरान ₹6,473.50 करोड़ की हानि हुई और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों में हानि नहीं हुई, यद्यपि उन्होंने अपने नवीनतम अंतिमीकृत वित्तीय लेखों के अनुसार ₹3,240.22 की संचित हानि की थी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उपक्रमों में से चार का निवल मूल्य संचित हानि से पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनका निवल मूल्य या तो शून्य या नकारात्मक था। 31 मार्च 2022 को अंश पूंजी निवेश ₹17,889.68 करोड़ के विरूद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों की कुल संपत्ति (–)₹40,563.23 करोड़ थी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों में, जिनकी पूंजी नष्ट हो गयी थी, 31 मार्च 2022 को राज्य शासन की बकाया ऋण राशि ₹25,286.89 करोड़ थी।

तालिका 5.17 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनकी पूंजी नवीनतम अंतिमीकृत लेखों के अनुसार नष्ट हो गयी

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	नवीनतम अंतिमीकृत लेखों का वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / हानि	संचित हानि	निवल मूल्य	31 मार्च 2022 को राज्य शासन की अंश पूंजी	31 मार्च 2022 को राज्य शासन की बकाया ऋण राशि
1	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2020-21	5,999.70	-1,449.74	-24,689.71	-18,620.86	0.00	8,056.44
2	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत	2020-21	6,092.01	-2,754.14	-22,003.58	-15,801.53	0.00	9,275.79

26 मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

	वितरण कंपनी लिमिटेड							
3	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2021-22	5,762.97	-2,243.97	-11,976.94	-6,134.75	0.00	7,954.66
4	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2020-21	35.00	-18.67	-41.09	-6.09	0.00	0.00
	योग		**17,889.68**	**-6,466.52**	**-58,711.32**	**-40,563.23**	**0.00**	**25,286.89**

स्रोतः राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नवीनतम वित्तीय विवरण के आधार पर संकलित

5.11 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका

5.11.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनी (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) के वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षको द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत् सांविधिक लेखापरीक्षक अन्य बातों के अलावा, कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिवस के अंदर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश वित्तीय निगम के संबंध में सनदी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक समझा जाता है, तो एक आदेश द्वारा ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (क) के प्रावधान ऐसे नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार एक सरकारी कंपनी या ऐसी अन्य कंपनी जिनका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारो, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारो द्वारा किया जाता है, के प्रकरण में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है।

5.11.2 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अन्तर्गत एक सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक करते हैं। अधिनियम की धारा 139 (5) प्रावधान करती है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है। अधिनियम की धारा 139(7) प्रावधान करती है कि एक सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में प्रथम लेखापरीक्षक कंपनी के पंजीकरण की तारीख से 60 दिनों के भीतर भारत के

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाना है और यदि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक उक्त अवधि के भीतर ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते है तो कंपनी का निदेशक मण्डल या कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होती है।

वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अक्टूबर 2022 के दौरान की गयी थी, सिवाय उन कंपनियों (मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इंदौर आईडिया फैक्ट्री फाउंडेशन) के जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में पहली बार वर्ष 2021–22 में आयी।

5.12 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

5.12.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन इसकी वार्षिक आम सभा (AGM) के तीन महीने के अन्दर तैयार किया जाना है और जितनी जल्दी हो सके ऐसी तैयारी के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा उस पर या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक पर की गयी टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जाता है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान है। यह व्यवस्था राज्य की संचित निधि में से कंपनियों और निगमों में किए गए निवेश के सार्वजनिक उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करती है।

5.12.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा लेखाओं को तयार करने में समयबद्धता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी के लिये प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक आम सभा आयोजित करना आवश्यक है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगले की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक नहीं बीतेंगे। इसके अलावा उक्त धारा प्रावधान करती है कि प्रथम वार्षिक आम सभा के मामले में, कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समाप्ति की तारीख से नौ माह की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर आयोजित की जायेगी। तदनुसार, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 30 सितम्बर 2022 तक वार्षिक आम सभा को आयोजित करने की आवश्यकता थी।

आगे, अधिनियम की धारा 129 निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए उक्त वार्षिक आम सभा में रखा जाना होगा। अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7), अधिनियम की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड के आरोपण का भी प्रावधान करती है।

31 मार्च 2022 तक, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के दायरे में 60 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियां और तीन सांविधिक निगम थे। इनमें से वर्ष 2021–22 के लिए, 45 सरकारी कंपनी, सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम के लेखे बकाया थे।

72 कंपनियों/निगमों में से, 55 कंपनियों/निगमों (45 सरकारी कंपनियाँ, सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियाँ तथा दो निगम) के लेखें विभिन्न कारणों[27] से बकाया थे। आगे, निर्धारित समय के भीतर

[27] बकाया लेखों के कारणों में वार्षिक आम सभा और निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन न करना, मानव शक्ति की कमीं (विशेष रूप से अक्रियाशील कंपनियों में) इत्यादि शामिल है।

(30 सितंबर 2022 के पहले) 14 सरकारी कंपनियाँ[28] तथा एक सांविधिक निगम[29] द्वारा अपने लेखे (वर्ष 2021–22) भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किए गए जबकि दो कंपनियां हाल ही में शामिल की गयी हैं और कोई लेखे बकाया नहीं थे। बकाया लेखों की स्थिति **तालिका 5.18** में दी गयी है:

तालिका 5.18: बकाया लेखों की स्थिति

विवरण	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
	सरकारी कंपनियाँ	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	सांविधिक निगम	कुल
31 मार्च 2022 तक भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के दायरे के अंतर्गत कुल कंपनियों की संख्या	60	09	03	72
30 सितंबर 2022 तक भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिए लेखा (2021–22) प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	14	--	01	15
हाल ही में शामिल कंपनी और 2021–22 के लिए कोई लेखा बकाया नहीं	01	01	--	02

45 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित आठ अन्य कंपनियों एवं दो सांविधिक निगमों के बकाया लेखों का ब्यौरा नीचे **तालिका 5.19** में वर्णित है:

तालिका 5.19: बकाया लेखों का ब्यौरा

विवरण		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
		सरकारी कंपनियों के लेखे	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखे	सांविधिक निगमों के लेखे	कुल
बकाया लेखों की संख्या		213	08	15	236
बकाया की सीमा		32 वर्षो तक	1 वर्ष तक	14 वर्षो तक	
बकाया का ब्यौरा	(i) परिसमापन के अधीन	72	–	–	72
	(ii) गैर– कार्यकारी	21	–	14	35
	(iii) अप्रस्तुत प्रथम लेखा	21	–	–	21
	(iv) अन्य	99	08	01	108

5.13 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की निगरानी– लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरोक्षा

5.13.1 वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013, की अनुसूची–तीन में निर्धारित प्रारूप में और लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। सूचीबद्ध कंपनियों और कंपनियाँ जिनकी निवल संपत्ति ₹250 करोड़ से ज्यादा है उन्हें भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। इसके अलावा उक्त कंपनियों की मूल, सहायक, सहयोजित तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों को भी भारतीय लेखा

28 मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेपलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड, मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड (नया), मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड लिमिटेड, मध्य प्रदेश जेपी मिनिरल लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड।

29 मध्य प्रदेश वित्त निगम।

मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। उपरोक्त के दायरे में नहीं आने वाली कंपनियां लेखा मानकों को लागू करना जारी रखेंगी। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 69 उपक्रमों में से, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 29 उपक्रम भारतीय लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं जबकि शेष अपने लेखे लेखा मानकों के अनुसार तैयार करते है।

सांविधिक निगमों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाए गए नियमों के तहत् निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान में अपने लेखे तैयार करने की आवश्यकता होती है।

5.13.2 राज्य के सार्वजनिक के क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत स्वंतत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंटस ऑफ इंडिया के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि छः कंपनियों ने अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों का पालन नहीं किया जैसा कि ***परिशिष्ट 5.4*** में वर्णित है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ–साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा एक अनुपूरक लेखापरीक्षा के द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत् महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई है, वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5.14 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका का परिणाम

5.14.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

समीक्षाधीन अवधि (अक्टूबर 2021 से सितम्बर 2022) के दौरान, 70 वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा (**तालिका 5.20**) के लिए प्राप्त हुए, जिनमें से 55 पिछले वर्षों से संबंधित है। वित्तीय विवरणों के प्राप्ति, समीक्षा तथा टिप्पणियां जारी किये जाने की स्थिति नीचे **तालिका 5.20** में दी गई है:

तालिका 5.20: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

वित्तीय विवरण के ब्यौरे	वित्तीय वर्ष 2021–22				पिछले वर्षो का			
	सरकारी कंपनियां	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	सांविधिक निगम	योग	सरकारी कंपनियां	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	सांविधिक निगम	योग
प्राप्त हुए	14	--	01	15	41	13	01	55
समीक्षा नहीं की गयी	07	--	--	07	14	01	--	15
समीक्षा की गयी	01	--	--	01	12	09	--	21
लेखापरीक्षा प्रगति पर है*	06	--	01	07	15	03	01	19
निरंक टिप्पणी जारी की गयी	--	--	--	--	03	01	--	04
टिप्पणियां जारी की गयी	01	--	--	01	09	08	--	17

***30 सितम्बर 2022 तक**

प्राप्त 70 वित्तीय विवरणों में से 22 वित्तीय विवरणों की समीक्षा हुई थी एवं अन्य 22 वित्तीय विवरणों के संबंध में गैर–समीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया। आगे, जिन 22 वित्तीय विवरणों की समीक्षा हुई थी, उनमें से 18 वित्तीय विवरणों (***परिशिष्ट 5.5***) के संबंध में टिप्पणियां जारी की गई, जबकि चार वित्तीय विवरणों के लिए निरंक टिप्पणियां जारी की गई।

5.14.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के अनुपूरक के रूप में जारी की गयी भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात्, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिवेदन अवधि (अक्टूबर 2021 से सितम्बर 2022) के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की। सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे सूचीबद्ध की गई हैः

लाभ प्रदता पर टिप्पणी

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	मध्य प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड 2019–20	1. लेखा नीति आठ (सरकारी तथा अन्य अनुदान) के अनुसार, सरकारी अनुदान, वृक्षारोपण अनुदान/राजसहायता को उस अवधि में आय के रुप में मान्यता दी जाती है जिसमें ये प्राप्त होते है। वर्ष के दौरान वृक्षारोपण से प्राप्त, सरकारी/वृक्षारोण अनुदान को निगम की राजस्व प्राप्तियों के रुप में लिया जाता है। वृक्षारोपण पर किये गये कुल खर्च को वर्क इन प्रोग्रेस (डब्ल्यू.आई.पी.) में जोड़ा जाता है, जिसे बाद में अनुदान राशि से घटा दिया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी को CAMPA अनुदान के रुप में ₹21.36 करोड़ प्राप्त हुए थे और ₹19.31 करोड़ का वनीकरण व्यय किया गया था, हालांकि, इसे जमा कार्य के रुप में माना गया था और आय को न तो जमा किया गया था और न ही वर्क इन प्रोग्रेस को गैर अनुपालन में खर्चों के लिए पुस्तांकित गया था जो कि लेखा नीति के अनुरुप नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹2.05 करोड़ से आय को न्यूनोक्त और अन्य देनदारियों को अत्योक्त बताया गया। 2. इस प्रावधान में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित (जून 2018) वेतन बकाया की दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 01.01.2016 से 31.03.2018 की अवधि के लिए कंपनी के कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली ₹5.23 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप गैर वर्तमान देनदारियों को ₹5.23 करोड़ की सीमा तक न्यूनोक्त और उसी सीमा तक वर्ष के लिए लाभ को अत्योक्त दर्शाया गया है।
2.	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल 2021–22	अन्य खर्चों में ₹11.40 लाख (मार्च 2022 के माह के लिए किराए के खर्च ₹8.64 लाख और ₹2.76 लाख बिजली शुल्क के लिए) की राशि शामिल नहीं है। किराए और बिजली शुल्क के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अन्य खर्चों (नोट–29) को न्यूनोक्त,

		प्रावधान (नोट–23) को न्यूनोक्त और लाभ को ₹11.40 लाख से न्यूनोक्त बताया गया है।
3.	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2019–20	अन्य आय में ठेकेदार को दिए गए मोबिलाइजेशन अग्रिम पर प्राप्त ब्याज ₹0.41 लाख शामिल है। अनुबंध की शर्त के अनुसार, ब्याज की गणना 10 प्रतिशत प्रति वर्ष (सरल) की दर से की जानी थी, जो कि कंपनी द्वारा गणना के अनुसार राशि ₹0.41 लाख की बजाय ₹150 लाख है। इसके परिणामस्वरूप, ₹149.59 लाख से मोबिलाइजेशन अग्रिम (नोट–23) पर ब्याज को न्यूनोक्त, ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम (नोट–9 अन्य वित्तीय संपत्ति) को न्यूनोक्त और लाभ को न्यूनोक्त दिखाया गया है।
4.	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2020–21	(i) वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएफएम), जो 01.11.2020 को लाइव हो गया था, के संबंध में पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस में त्रुटिपूर्ण राशि ₹658.89 लाख शामिल है, और ₹73.21 लाख के अनुबंध की अंतिम किस्त का भुगतान भी 18.06.2021 को किया गया था जो की वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरणों के समापन (15.09.2021) के पहले था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस को ₹658.89 से अत्योक्त, वित्तीय देनदारियों को ₹73.21 लाख से न्यूनोक्त, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण–सकल ब्लॉक को ₹732.10 लाख से न्यूनोक्त और मूल्यह्रास को ₹57.95 लाख से न्यूनोक्त और उसी सीमा तक लाभ को अत्योक्त दिखाया गया। (ii) नवंबर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित ₹15.25 लाख के संचालन और रख–रखाव व्यय का न तो भुगतान किया गया है और न ही कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में इसके लिए प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹15.25 लाख से वित्तीय देनदारियों को न्यूनोक्त, परियोजना व्यय को न्यूनोक्त और इसी सीमा तक लाभ को अत्योक्त बताया गया है।
5.	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड 2020–21	(1) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क आदेश के माध्यम से बढ़ी हुई बिजली खरीद लागत की अनुमति दी। आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ 26 दिसंबर 2020 से लागू था। कंपनी ने, हालांकि, बढ़ी हुई बिजली खरीद लागत को लेखा के लिए 1 जनवरी 2021 से लिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹28.10 करोड़ से बिजली खरीद लागत के साथ–साथ वर्तमान देनदारियों का कम लेखांकन हुआ और उसी सीमा तक वर्ष के लिए लाभ को अत्योक्त बताया गया। (2) कर्मचारियों को अंतिम लाभ के कारण देनदारियों को दर्ज करने के लिए कंपनी प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन करवाती है। आईएनडी एएस 19 प्रदान करता है कि शुद्ध देनदारियों का पुनः माप 'अन्य व्यापक आय' में पहचाना जाना है। वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी ने आईएनडी एएस 19 का उल्लंघन करते हुए लीव इनकैशमेंट के संबंध में पुनर्माप लाभ ₹37.66 करोड़ वर्ष के लिए व्यय के विरुद्ध समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹37.66 करोड़ से व्यय 'अर्जित अवकाश नकदीकरण' के साथ–साथ अन्य व्यापक आय में न्यूनोक्त और उसी सीमा तक वर्ष के लिए लाभ को

		अत्योक्त दर्शाया गया है।
6.	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर 2020–21	कर्मचारियों को टर्मिनल लाभ देने के लिए बनी देनदारियों को दर्ज करने के लिए कंपनी प्रत्येक वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन करवाती है। भारतीय लेखांकन पद्धति (आईएनडी एएस) 19 प्रदान करता है कि शुद्ध देनदारियों का पुनः माप 'अन्य व्यापक आय' में पहचाना जाना है। कंपनी ने आईएनडी एएस 19 के उल्लंघन में, अवकाश नकदीकरण के संबंध में पुनः माप लाभ को वर्ष 2020–21 के व्यय के विरुद्ध ₹26.55 करोड़ की राशि में समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹26.55 करोड से व्यय 'अर्जित अवकाश नकदीकरण' के साथ–साथ अन्य व्यापक आय को न्यूनोक्त और उसी सीमा तक वर्ष के लिए लाभ को अत्योक्त दर्शाया गया है।
7.	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2020–21	परिचालन से प्राप्त राजस्व में वित्तीय वर्ष 2019–20 से संबंधित राशि ₹276.17 करोड़ (पारेषण शुल्क, प्रोत्साहन की मान्यता रद्द करना) की राशि शामिल है। यह समीक्षाधीन अवधि के लिए कंपनी का राजस्व नहीं है और विनियामक परिसंपत्तियों में लेखांकन समायोजन करने के बजाय राजस्व की गलत पहचान के कारण, जो लागत की वसूली के लिए नियामक के बाध्यकारी आदेशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है संचालन और विनियामक संपत्ति से राजस्व का ₹276.17 करोड़ से अत्योक्त और समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ का उसी सीमा तक अत्योक्त दर्शाया गया है।
8.	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड 2011–12	वित्तीय व्यय में ₹6.94 लाख का ब्याज शामिल नहीं है, जो चालू वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ अन्तव्यवसाय सहकारी वित्त एवं विकास निगम (CASVEVN) को देय है। इसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लिए ₹6.94 लाख की सीमा तक वित्तीय व्यय को न्यूनोक्त और ₹34.70 लाख (अप्रैल 2006 से मार्च 2011 तक) की पूर्व अवधि के व्यय और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹41.64 लाख से न्यूनोक्त बताया गया है।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

स. क्र.	कंपनी का नाम	टिप्पणियाँ
1.	मध्य प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड 2019–20	अन्य गैर–चालू संपत्तियों में वन भवन के लिए कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ₹8.50 करोड़ का अग्रिम शामिल है, जिसमें से कंपनी को केवल ₹2.50 करोड़ का उपयोग विवरण प्राप्त हुआ। इसे पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस के तहत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹2.50 करोड़ से गैर–मौजूदा संपत्तियों को अत्योक्त और पूंजीगत कार्य को न्यूनोक्त दिखाया गया है।
2.	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल 2019–20	कंपनी ने इंदौर और भोपाल में विभिन्न मेट्रो परियोजनाओं के लिए परामर्श शुल्क के रूप में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) को ₹6.48 करोड़ का भुगतान किया और इसे पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस (नोट 7) के बजाय अन्य व्यय (नोट–16) के रूप में पुस्तांकित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹6.48 करोड़ से प्रगति में पूंजीगत कार्य (नोट–7) को न्यूनोक्त, अन्य खर्चों को अत्योक्त (नोट–16) और नुकसान को अत्योक्त बताया गया।

3.	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल 2020–21	1. कंपनी ने अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को देय ₹8.65 लाख प्रति माह के स्थान पर ₹6.64 लाख प्रति माह की दर से किराए का प्रावधान किया। कम प्रावधान के परिणामस्वरूप अन्य खर्चों को न्यूनोक्त, प्रावधानों को न्यूनोक्त, नुकसान को न्यूनोक्त बताया गया और अन्य इक्विटी (नोट–4) को ₹12.06 लाख से अत्योक्त बताया गया। 2. कंपनी ने नवंबर 2018 से सितंबर 2020 की अवधि के लिए ₹198.21 लाख का किराया चुकाया और इसे लाभ और हानि के विवरण में असाधारण मदों के रूप में दिखाया गया। हालांकि, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक की अवधि के लिए भुगतान किए गए ₹51,89,340 के किराए को व्यय के रूप में माना जाना चाहिए था और अन्य खर्चों में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹51.89 लाख से अन्य खर्चों को न्यूनोक्त, असाधारण मदों को अत्योक्त बताया गया है और उसी सीमा तक नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया है।
4.	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2019–20	1. अन्य वित्तीय देनदारियों में माह जनवरी 2020 के लिए मैसर्स श्री कृष्णा इन्फ्रास्ट्रक्चर को देय बिलों के लिए ₹323.53 लाख की राशि शामिल नहीं है, लेकिन वित्तीय वर्ष (2019–20) के दौरान भुगतान नहीं किया गया है। देनदारी का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप ₹323.53 लाख से अन्य वित्तीय देनदारियों (नोट–19) को न्यूनोक्त, स्थानांतरण स्टेशन (नोट–17) के उन्नयन के लिए अनुदान का उपयोग न्यूनोक्त किया गया है। 2. अन्य वित्तीय देनदारियों में मैसर्स क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड को फरवरी 2020 के महीने के लिए देय लेकिन वित्तीय वर्ष (2019–20) के दौरान भुगतान नहीं किए गए बिलों के लिए ₹230.92 लाख की राशि शामिल नहीं है। देनदारी का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप ₹230.92 लाख से अन्य वित्तीय देनदारियों (नोट–19) को न्यूनोक्त एवं सरकारी आवास चरण–II (नोट–17) के लिए अनुदान का उपयोग को न्यूनोक्त दर्शाया गया है। 3. अन्य वित्तीय देनदारियों में माह फरवरी 2020 के लिए मैसर्स शेपर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को देय बिलों के लिए ₹568.32 लाख की राशि शामिल नहीं है, लेकिन वित्तीय वर्ष (2019–20) के दौरान भुगतान नहीं किया गया है। देनदारी का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप ₹568.32 लाख से अन्य वित्तीय देनदारियों (नोट–19) को न्यूनोक्त और बुलेवार्ड स्ट्रीट प्रोजेक्ट व्यय (नोट–17) के लिए अनुदान का उपयोग न्यूनोक्त दर्शाया गया है। 4. अन्य वित्तीय देनदारियों में दिसंबर 2019 की अवधि से संबंधित मैसर्स हाइवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को देय बिलों के लिए ₹251.32 लाख की राशि शामिल नहीं है, लेकिन वित्तीय वर्ष (2019–20) के दौरान भुगतान नहीं किया गया है। देनदारी का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप ₹251.32 लाख से अन्य वित्तीय देनदारियों (नोट–19) को न्यूनोक्त एवं आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग ट्रांसफर स्टेशन (नोट–17) के लिए अनुदान का उपयोग कम किया गया।

5.	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2020–21	1. अन्य गैर–चालू देयताएं उज्जैन नगर निगम प्रधान मंत्री आवास योजना (यूएमसी–पीएमएवाई) के लिए महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण (एमआईआरडीए) के लिए ₹16.86 करोड़ के परियोजना अनुदान से ₹2.89 करोड़ की कटौती दर्शाती हैं। चूंकि कंपनी ने पीएमएवाई घरों के निर्माण के बजाय मीरडा परियोजना के लिए महाराजबाड़ा–III में भूमि पार्सल को मंजूरी देने के लिए ₹2.89 करोड़ का भुगतान किया था, जो कि यूएमसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक अलग परियोजना है, व्यय को पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस के तहत मिरडा परियोजना में दर्ज किया जाना चाहिए था। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में खर्च की बुकिंग न करने के परिणामस्वरूप पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस को न्यूनोक्त बताया गया है और अन्य गैर–वर्तमान देनदारियों के तहत प्रोजेक्ट ग्रांट को ₹2.89 करोड़ से अत्योक्त बताया गया है। 2. वर्तमान देनदारियों में डायनेमिक रूफ टॉप सोलर के संबंध में देय व्यय ₹0.34 करोड़ और निविदा विज्ञापन व्यय के संबंध में देय ₹0.32 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिसके बिल वर्ष के दौरान प्राप्त हुए थे लेकिन वित्तीय वर्ष 2020–21 में भुगतान नहीं किए गए थे। इन खर्चों के लिए देयता का निर्माण न करने के परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस और वित्तीय देनदारियों को ₹0.66 करोड़ न्यूनोक्त बताया गया है।
6.	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2019–20	1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के संचालन और रखरखाव के लिए कंपनी द्वारा किए गए खर्चों के लिए गैर–वर्तमान संपत्तियों में ₹1.08 करोड़ की राशि शामिल है जो कि मैसर्स हेवलेट पैकार्ड प्राइवेट को देय है। राजस्व प्रकृति के होने वाले व्यय को पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस के बजाय परियोजना व्यय के तहत बुक किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.08 करोड़ से पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस को अत्योक्त और परियोजना व्यय को न्यूनोक्त और परिणामी अन्य इक्विटी को भी उतनी ही सीमा तक अत्योक्त बताया गया है। 2. अन्य इक्विटी में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए सरकारों (भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार) से प्राप्त अनुदान के रूप में ₹224.26 करोड़ शामिल हैं। कंपनी ने अनुदान को अन्य इक्विटी के तहत कैपिटल रिजर्व के रूप में दर्शाया है। हालांकि, सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण से संबंधित आईएनडी एएस 20 के अनुसार, संपत्तियों के लिए सरकारी अनुदान को अन्य इक्विटी के तहत पूंजीगत रिजर्व के बजाय अन्य गैर–वर्तमान देनदारियों के तहत आस्थगित आय के रूप में माना जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप ₹224.26 करोड़ से अन्य इक्विटी को अत्योक्त और अन्य गैर–वर्तमान देनदारियों को न्यूनोक्त बताया गया है। 3. कंपनी ने अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों में से सावधि जमा पर ब्याज के रूप में ₹22.67 करोड़ अर्जित किए, जिसे अन्य इक्विटी के तहत पूंजी आरक्षित के रूप में भी दिखाया गया है। चूंकि ब्याज अप्रयुक्त सरकारी अनुदान से संबंधित है जो सरकार को लौटाने

		योग्य है, इसे अन्य इक्विटी के बजाय अन्य वर्तमान देनदारियों के रूप में हिसाब में लिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अन्य इक्विटी को अत्योक्त और अन्य वर्तमान देनदारियों को ₹22.67 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है।
7.	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2019–20	1. चल रहे पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस में पैन सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का नवीनीकरण शामिल है, जिसकी राशि ₹19.80 करोड़ है। पैन सिटी ICCC, 28.01.2020 को लाइव हो गया था लेकिन इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक को ₹19.80 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है, पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस को ₹19.80 करोड़ से अत्योक्त बताया गया है, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को ₹1.56 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है। 2. पैन सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के संबंध में जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹0.14 करोड़ के संचालन और रखरखाव व्यय का न तो भुगतान किया गया है और न ही कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹0.14 करोड़ से वर्तमान वित्तीय देनदारियों को न्यूनोक्त और अन्य खर्चों को ₹0.14 करोड़ से न्यूनोक्त दिखाया गया है।
8.	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड 2020–21	1. पैन सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के नवीनीकरण के लिए ₹19.80 करोड़ की राशि है। पैन सिटी ICCC, 28.01.2020 को लाइव हो गया था लेकिन इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक को ₹19.80 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है, पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस को ₹19.80 करोड़ से अत्योक्त, मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय को ₹8.22 करोड़ से न्यूनोक्त और संचित मूल्यह्रास को ₹1.56 करोड़ से न्यूनोक्त बताया गया है। 2. पैन सिटी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के संबंध में सितम्बर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ₹0.52 करोड़ का संचालन और रखरखाव व्यय का न तो भुगतान किया गया है और न ही कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹0.52 करोड़ से वर्तमान वित्तीय देनदारियों को न्यूनोक्त और अन्य खर्चों को न्यूनोक्त दिखाया गया है।
9.	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड 2020–21	1. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क आदेश के माध्यम से बढ़ी हुई बिजली खरीद लागत की अनुमति दी। आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ 26 दिसंबर 2020 से लागू था। हालाँकि, कंपनी ने 1 जनवरी 2021 से बढ़ी हुई बिजली खरीद लागत का हिसाब लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बिजली खरीद लागत के साथ–साथ वर्तमान देनदारियों में ₹37.49 करोड़ का कम लेखांकन हुआ और उसी सीमा तक नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया। 2. DDUGJY और IPDS योजनाओं के तहत कार्य 2019–20 तक पूरे किए गए। कंपनी ने अपनी लेखा नीति (2.07) के विरुद्ध 2020–21 के दौरान DDUGJY के तहत ₹7.14 करोड़ की वित्त

		लागत और IPDS के तहत ₹6.26 करोड़ की वित्त लागत का पूंजीकरण किया, जिसमें कहा गया है कि उनके निर्माण के दौरान योग्य संपत्तियों के कारण उधार लेने की लागत को भारित औसत ब्याज दर के आधार पर पूंजीकृत किया गया है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस को ₹13.40 करोड़ से अत्योक्त बताया गया और उसी सीमा तक वर्ष के लिए वित्त लागत और हानि को न्यूनोक्त दर्शाया गया।
10.	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड 2020–21	1. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क आदेश के माध्यम से बढ़ी हुई बिजली खरीद लागत की अनुमति दी। आदेश द्वारा निर्धारित टैरिफ 26 दिसंबर 2020 से लागू था। हालाँकि, कंपनी ने 1 जनवरी 2021 से बढ़ी हुई बिजली खरीद लागत का हिसाब लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बिजली खरीद लागत के साथ–साथ वर्तमान देनदारियों में ₹10.54 करोड़ का कम लेखांकन हुआ और उसी सीमा तक नुकसान को न्यूनोक्त दिखाया गया। 2. आरजीजीवीवाई, फीडर सेपरेशन और सौभाग्य योजनाओं के तहत कार्य 2019–20 तक पूरे किए गए। नोट 2.11 (उधार लेने की लागत) के अनुसार किसी विशेष परियोजना से सीधे संबंधित ऋण लेने की लागत या योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण को समय की अवधि के दौरान पूंजीकृत किया जाता है जो संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक है। हालाँकि, 2020–21 के दौरान नीति के विरुद्ध, कंपनी ने RGGVY के तहत ₹0.97 करोड़, फीडर सेपरेशन के तहत ₹12.09 करोड़ और सौभाग्य योजना के तहत ₹20.85 करोड़, कुल ₹33.91 करोड़ का पूंजीकरण किया। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत वर्क इन प्रोग्रेस को ₹33.91 करोड़ से अत्योक्त और उसी सीमा तक वर्ष के लिए वित्त लागत और हानि को न्यूनोक्त दर्शाया गया।
11.	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड 2011–12	1. नकद और बैंक शेष में 25 बैंक खातों में ₹17.13 करोड़ की राशि शामिल है। 15 बैंक खातों के मामले में बैंक स्टेटमेंट और रोकड़ बही में दिखाए गए शेषों के बीच शेष राशि के मिलान के बिना वित्तीय विवरण तैयार किए गए थे (जैसा कि अनुबंध ए में विस्तृत है)। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 11 बैंक खातों के मामले में बैंक विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे (अनुलग्नक ए)। इस प्रकार, हम अंतिम बैंक शेष को प्रमाणित नहीं कर सके। इसके अलावा, आई.डी.बी.आई. लिमिटेड के खाता संख्या 0030104000255325 के लिए बैंक समाधान विवरण (बी.आर.एस.) में, वर्ष 2011–12 के अंत में अंतिम शेष को गलत तरीके से ₹4.51 लाख के बजाय ₹34.56 लाख के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा अंतिम बैंक शेष की सत्यता और नकद और बैंक शेष शीर्ष में परिलक्षित शेष पर कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ है। 2. भारत सरकार के आदेश (2006) के अनुसार कंपनी द्वारा ₹57.86 लाख की राशि छत्तीसगढ़ अंतव्यवसई सहकारी वित्त एवं विकास निगम (CASVEVN) को भुगतान की जानी थी। हालांकि, चालू वर्ष

		(2011–12) के वित्तीय विवरणों के अनुसार, CASVEVN को ₹65.33 लाख की राशि देय है। ऐसे में इसमें मिलान की जरूरत है।

5.15 लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों के प्रावधानों का गैर अनुपालन

अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 तथा धारा 133 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक निर्धारित किए। इनके अलावा, केन्द्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए। भारतीय लेखांकन मानक 115 तथा 116 की अधिसूचना के पश्चात् तीन भारतीय लेखांकन मानक नामतः भारतीय लेखांकन मानक 11, 17 एवं 18 वापस लिए जा चुके है।

अक्टूबर 2021 से सितम्बर 2022 के मध्य किये गये अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने पाया कि निम्नलिखित कंपनियों ने लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था, जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं गया था।

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	कंपनी का नाम	विचलन
भारतीय लेखांकन मानक 8: लेखांकन नीति, लेखांकन लागत में परिवर्तन तथा त्रुटियां	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2020–21) मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2020–21)	वर्ष के दौरान कंपनी ने बिजली खरीद लागत से संबंधित न तो महत्वपूर्ण लेखांकन नीति का न तो प्रकटीकरण किया और न ही लेखांकन मानक का अनुपालन किया।
लेखांकन मानक 4: तुलन पत्रक तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं और घटनाएं **लेखांकन मानक 9:** राजस्व मान्यता	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (2011–12)	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के समामेलित अनेक तथ्य का प्रकटीकरण न करना। एएस–9 की आवश्यकता के उल्लंघन में कंपनी ने विभिन्न लाभार्थियों को दिए गए ऋण पर ब्याज का हिसाब लगाया जो उपार्जित आधार पर पुस्तांकन के समय अनिश्चित थे।

5.16 प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षक तथा कार्पोरेट इकाई के शासन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारित लोगों के मध्य वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना, वित्तीय लेखापरीक्षा उद्देश्यों में से एक है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गयी थी। इन टिप्पणियों के अलावा, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पायी गयी अनियमितताएं अथवा त्रुटियां वित्तीय प्रतिवेदनों में अथवा प्रतिवेदन प्रक्रियाओं में सुधारात्मक कार्रवाई के

लिए ''प्रबंधन पत्र'' के माध्यम से प्रबंधन को भी सूचित की गयी थी। ये कमियां सामान्यतः लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के आवेदन और व्याख्या से संबंधित है, लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते है तथा कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा अवधि के दौरान, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 21 "प्रबंधन पत्र" जारी किए गए। इन प्रबंधन पत्रों में कंपनियों/निगमों के वित्तीय विवरणों में अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति पर प्रकाश डाला गया, जो कि ***परिशिष्ट 5.6*** में दर्शाया गया है।

5.17 निष्कर्ष

31 मार्च 2022 तक, तीन सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित नौ अन्य कंपनियों सहित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 72 उपक्रम थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 72 में से 40 उपक्रम निष्क्रिय थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम तीन से 32 वर्षों तक निष्क्रिय थे। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 32 उपक्रमों, जिन्होंने लेखापरीक्षा के लिये जानकारी/लेखे प्रस्तुत किये, पर वित्तीय प्रर्दशन के विश्लेषण के लिए विचार किया गया।

2021–22 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के इन 32 उपक्रमों ने ₹89,699.74 करोड़ का कारोबार दर्ज किया, जो कि मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 7.67 प्रतिशत के बराबर था। 2021–22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल कारोबार में अकेले ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान 98 प्रतिशत से अधिक था।

31 मार्च 2022 के अन्त तक राज्य शासन के अंश पूंजी तथा दीर्घावधि ऋण के कुल निवेश ₹1,08,949.63 करोड़ के विरूद्ध, सार्वजनिक क्षेत्र के 72 उपक्रमों में ₹63,019.52 करोड़ का निवेश था। 31 मार्च 2022 तक सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों का बकाया दीर्घावधि ऋण विगत वर्ष की तुलना में ₹31,820.52 करोड़ से ₹31,597.77 करोड़ तक घट गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 2020–21 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों द्वारा अर्जित ₹671.29 करोड़ के लाभ की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 13 उपक्रमों द्वारा 2021–22 में ₹1,797.34 करोड़ का लाभ अर्जित किया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (₹1,072.27 करोड़), मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन (₹301.15 करोड़) एवं मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (₹299.98 करोड़) द्वारा वृहद् लाभ का योगदान किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 11 उपक्रमों द्वारा किए गए कुल नुकसान ₹6,523.12 करोड़ में से मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा भारी नुकसान किया गया।

वर्ष 2021–22 के लिए, 72 में से 55 कंपनियों/निगमों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया (45 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित सभी आठ अन्य कंपनियां तथा दो निगम) थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय सीमा का पालन नही कर रहे थे। परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 55 उपक्रमों के 236 लेखे बकाया थे।

5.18 अनुशंसाएं

i) मध्य प्रदेश शासन घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करे तथा उनके वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए।

ii) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के पृथक–पृथक उपक्रमों के लिए समय पर लेखों को प्रस्तुत करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और बकाया के समाशोधन की सख्ती से निगरानी करने और लेखों को अन्तिम रूप देने में बकाया राशि को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए प्रशासनिक विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करे।

iii) सरकार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों की समीक्षा करे तथा उनके पुनरूद्धार/समापन के लिये उचित निर्णय ले।

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा–द्वितीय)
मध्य प्रदेश

भोपाल
दिनांक: 28 फरवरी 2023

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 06 मार्च 2023

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
राज्य रूपरेखा (मध्य प्रदेश)
(संदर्भः कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

क	सामान्य आंकड़े			
स.क्र.	विवरण			आंकड़े
1	क्षेत्र			3,08,245 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या			
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार		6.03 करोड़
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार		7.33 करोड़
3	क.	जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)		236 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)			31.93 प्रतिशत
5	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)		63.74 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)		69.30 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित बच्चे) (अखिल भारतीय औसत = 30 प्रति 1000 जीवित बच्चे) (2020)			46 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	जन्म के समय जीवित रहने की प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत वर्ष 2015–19 में = 69.70 वर्ष)			67.00 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021–22 वर्तमान मूल्य पर			₹11,69,004 करोड़
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021–22 स्थिर मूल्य पर			₹6,21,653 करोड़
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2012 से 2022)		मध्य प्रदेश	11.62 प्रतिशत
			अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	8.86 प्रतिशत
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (2012 से 2022)		मध्य प्रदेश	13.27 प्रतिशत
			अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	10.11 प्रतिशत
12	दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर (2012 से 2022)		मध्य प्रदेश	15.82 प्रतिशत
			अखिल भारतीय (केंद्र शासित प्रदेशों सहित)	12.12 प्रतिशत

ख	वित्तीय आंकड़े								
		संवृद्धि दर (प्रतिशत में)							
	विवरण	2012–13 से 2015–16		2016–17 से 2019–20		2019–20 से 2020–21		2020–21 से 2021–22	
		मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य	मध्य प्रदेश	सामान्य श्रेणी के राज्य
क	राजस्व प्राप्तियां	14.42	13.79	6.19	8.68	-0.86	-4.12	26.98	25.60
ख	स्वयं के कर राजस्व	9.56	8.92	8.10	9.15	-2.44	-4.06	21.63	25.62
ग	करेत्तर राजस्व	6.97	9.80	4.43	15.41	-4.32	-34.63	54.56	45.35
घ	संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	22.66	19.36	2.44	2.46	-5.26	-8.21	48.23	48.60
ड़	भारत सरकार से सहायतानुदान	15.04	26.45	10.07	14.27	9.86	18.80	-0.88	-5.37
च	कुल प्राप्तियां	16.60	16.78	5.75	9.29	16.23	7.00	10.49	15.57
छ	राजस्व व्यय	16.58	14.51	7.97	9.59	9.50	6.12	9.91	12.25
ज	पूंजीगत व्यय	5.67	25.38	-2.11	-4.95	4.49	-2.09	39.18	25.59
झ	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	-16.26	46.06	-41.53	-30.87	24.63	2.31	162.43	1.22
ञ	कुल व्यय	14.44	16.32	5.98	6.99	8.66	4.99	14.62	13.96
ट	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.13	12.31	11.08	9.26	0.17	-0.90	2.21	11.47
ठ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय	18.67	17.22	16.43	11.86	5.47	15.29	30.83	19.71
ड	वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय	8.70	10.50	13.60	9.86	21.00	2.83	8.81	11.23
ढ	पेंशन पर राजस्व व्यय	16.48	12.16	11.08	15.01	21.71	6.48	16.16	11.88
ण	राजसहायताओं पर राजस्व व्यय	27.19	26.05	-8.52	7.89	7.94	10.77	41.34	18.29

स्रोतः आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 2.1
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े[1]
(संदर्भः कंडिकाएं 2.6.2, 2.10.1 एवं 2.13.2; पृष्ठ 23, 34 एवं 61)

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	**1,34,875**	**1,48,893**	**1,47,643**	**1,46,377**	**1,85,876**
(क) कर राजस्व (i+ii)	**95,664(71)**	**1,08,369(73)**	**1,05,342(71)**	**1,01,373(69)**	**1,35,779(73)**
(i) स्वयं के कर राजस्व	**44,811(33)**	**50,882(34)**	**55,824(38)**	**54,459(37)**	**66,237(49)**
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,696 (19)	18,508(36)	20,448(37)	17,258(32)	22,028(33)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	14,984(33)	9,903(20)	11,258(20)	13,296(24)	16,185(24)
राज्य उत्पाद शुल्क	8,245(18)	9,542(19)	10,829(19)	9,526(17)	10,334(16)
वाहन कर	2,692(6)	3,008(6)	3,251(6)	2,749(5)	3,029(5)
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,789(11)	5,278(10)	5,569(10)	6,817(13)	8,098(12)
भू–राजस्व	491(1)	384(1)	562(1)	504(1)	733(1)
माल तथा यात्री कर	1,159(3)	118(0)	145(0)	75(0)	64(0)
अन्य कर	3,755(8)	4,141(8)	3,762(7)	4,234(8)	5,766(9)
(ii) संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश	**50,853(53)**	**57,487(53)**	**49,518(47)**	**46,914(46)**	**69,542(51)**
(ख) करेत्तर राजस्व	**9,061(7)**	**11,899(8)**	**10,349(7)**	**9,902(7)**	**15,305(8)**
(ग) भारत सरकार से सहायतानुदान	**30,150(22)**	**28,625(19)**	**31,952(22)**	**35,102(24)**	**34,792(19)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**19**	**13**	**14**	**14**	**1,598**
2क. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**0**	**0**	**(-)0.25**	**(-)0.02**	**1.14**
3. कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	**5,070**	**70**	**46**	**58**	**62**
4. कुल राजस्व तथा ऋणेत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+2क+3)	**1,39,964**	**1,48,976**	**1,47,703**	**1,46,449**	**1,87,537**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**21,892**	**32,497**	**34,364**	**65,171**	**46,285**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष छोड़कर)	19,975	25,325	29,496	54,242	33,671
अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	3,376	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,917	3,796	4,868	10,929[2]	12,614[3]
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**1,61,856**	**1,81,473**	**1,82,067**	**2,11,620**	**2,33,822**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**1,71,665**	**1,86,344**	**2,00,611**	**2,35,479**	**2,29,353**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**3,33,521**	**3,67,817**	**3,82,678**	**4,47,099**	**4,63,175**
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**1,30,246(80)**	**1,42,149(82)**	**1,50,444(83)**	**1,64,733(84)**	**1,81,061(80)**
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	32,100(25)	38,112(27)	39,827(26)	47,885(29)	49,461(27)
सामाजिक सेवाएं	58,346(45)	58,707(41)	64,224(43)	68,757(42)	71,644(40)
आर्थिक सेवाएं	32,735(25)	37,658(27)	40,493(27)	42,191(25)	52,831(29)
सहायता अनुदान तथा अंशदान	7,065(5)	7,672(5)	5,900(4)	5,900(4)	7,125(4)
11. पूंजीगत व्यय	**30,913(19)**	**29,424(17)**	**29,241(16)**	**30,356(15)**	**40,733(18)**
सामान्य सेवाएं	743(3)	723(3)	982(3)	974(3)	989(2)
सामाजिक सेवाएं	5,358(17)	5,719(19)	6,922(24)	8,132(27)	14,352(36)
आर्थिक सेवाएं	24,812(80)	22,982(78)	21,337(73)	21,250(70)	25,392(62)

1 कोष्ठक में दिए गए आंकडे प्रत्येक उप–"ीर्षक के कुल योग के प्रतिशत को दर्शाते है।
2 वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कमीं के बदले बैक टू बैक लोन ₹4,542 करोड़ शामिल है।
3 वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कमीं के बदले बैक टू बैक लोन ₹7,011 करोड़ शामिल है।

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
12. कर्ज तथा अग्रिमों का संवितरण	**1,550(1)**	**1,090(1)**	**987(1)**	**1,230(1)**	**3,229(1)**
13. अन्तर्राज्यीय परिशोधन	**0**	**1**	**(-)0.62**	**(-)0.25**	**1**
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	**1,62,709**	**1,72,664**	**1,80,672**	**1,96,319**	**2,25,024**
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**5,776**	**13,524**	**10,934**	**12,757**	**15,162**
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षो को छोड़कर)	4,683	8,999	9,713	11,315	13,376
अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	--	3,376	--	--	--
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,093	1,149	1,221	1,442	1,786
16. आकस्मिकता निधि में विनियोग	--	--	--	--	--
17. समेकित निधि में से कुल संवितरण (14+15+16)	**1,68,485**	**1,86,188**	**1,91,606**	**2,09,076**	**2,40,186**
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
19. लोक लेखा संवितरण	**1,68,893**	**1,83,377**	**1,89,401**	**2,27,522**	**2,23,811**
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	**3,37,378**	**3,69,565**	**3,81,007**	**4,36,598**	**4,63,997**
भाग ग. घाटे					
21. राजस्व घाटा(–)/राजस्व अधिशेष(+) (1-10)	4,629	6,744	-2,801	-18,356	4,815
22. राजकोषीय घाटा(–)/राजकोषीय अधिशेष(+) (4-14)	-22,745	-23,688	-32,970	-49,870	-37,487
23. प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+) (22+24)	-11,700	-10,992	-18,753	-33,952	-19,041
भाग घ. अन्य आंकड़े					
24. ब्याज अदायगियाँ (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	11,045	12,696	14,217	15,918	18,446
25. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	36,462	36,735	28,659	30,101	28,645
26. लिया गया अर्थोपाय अग्रिम तथा अधिविकर्ष (दिन)	--	25	--	--	--
– लिया गया अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	--	25	--	--	--
– लिया गया अधिविकर्ष (दिन)	--	--	--	--	--
27. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षों पर ब्याज	--	1.16	0.41	--	--
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद[4]	7,26,284	8,31,024	9,38,602	9,76,281	11,69,004
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	1,72,363	1,94,309	2,30,572	2,89,298[5]	3,23,218[6]
30. बकाया प्रत्याभूतियां (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	14,003	30,763	30,930	37,010	35,006
31. प्रत्याभूति की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	31,653	55,640	43,017	54,464	60,634
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	-	55	81	72	1,345
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	-	2,951	29,606	15,461	6,564
भाग ङ राजकोषीय स्थिति संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	6.17	6.12	5.95	5.58	5.67
स्वयं के करेत्तर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	1.25	1.43	1.10	1.01	1.30

[4] वर्ष 2017–18 से 2020–21 के लिये शासन द्वारा सूचित संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अपनाया गया।
[5] वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कमीं के बदले बैक टू बैक लोन ₹4,542 करोड़ शामिल है।
[6] वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कमीं के बदले बैक टू बैक लोन ₹11,553 (₹7,011 +₹4,542) करोड़ शामिल है।

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय अंतरण[7]/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	11.15	10.36	8.68	8.40	8.92
राज्य के स्वयं के कर के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता (प्रतिशत)	6.70	0.77	-0.09	0.35	1.25
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	22.40	20.78	19.25	20.10	19.24
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	120.64	115.97	122.37	134.12	121.06
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	80.05	82.33	83.27	83.91	80.46
सामान्य सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	20.19	22.49	22.59	24.88	22.42
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	39.15	37.31	39.38	39.17	38.22
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	35.37	35.12	34.22	32.32	34.76
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	19.00	17.04	16.18	15.46	18.10
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	18.54	16.62	15.64	14.97	17.67
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा(–)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	0.64	0.81	-0.30	-1.88	0.41
राजकोषीय घाटा(–)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-3.13	-2.85	-3.51	-5.11	-3.21
प्राथमिक घाटा(–)/अधिशेष(+)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	-1.61	-1.32	-1.99	-3.48	1.63
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	NA	NA	0.08	0.37	-0.13
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	16.41	15.58	14.51	15.24	13.91
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	23.73	23.38	24.57	31.03[8]	26.71[9]
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	127.79	130.50	156.17	197.64	173.89
V अन्य राजकोषीय संकेतक					
निवेश पर प्रतिलाभ (कोष्ठक में प्रतिशत)	622.36 (2.11)	347.26 (0.99)	475.96 (1.31)	288.44 (0.74)	138.73 (0.34)
देयताओं के लिए वित्तीय परिसम्पत्तियों का अनुपात	0.67	0.68	0.74	0.86	0.86

[7] केन्द्रीय अंतरण में संघीय करों/शुल्क का भाग एवं भारत सरकार से अनुदान समाविष्ट है।

[8] ₹2,89,298 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से बैक टू बैक ऋण (₹4,542 करोड़) की राशि को हटाने के बाद कुल बकाया ऋण ₹2,84,756 करोड़ पर ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना की गयी है।

[9] ऋण की सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत की गणना कुल बकाया ऋण ₹3,23,218 करोड़ में से वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे की कमी के बदले में बैक टू बैक लोन की राशि ₹11,553 करोड़ को छोड़कर एवं बजटेत्तर उधारी ₹576 करोड को शामिल कर कुल बकाया ऋण ₹3,12,241 करोड़ पर की गयी है।

परिशिष्ट 3.1
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(संदर्भ: कंडिका 3.3.1; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 11-वेतन				
1	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	2.16	0.21
2	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	23.52	16.10
3	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	43.95	33.36
4	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	140.26	100.68
5	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6.11	4.92
6	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	77.90	54.72
		योग (उद्देश्य शीर्ष 11–वेतन)	**293.90**	**209.99**
उद्देश्य शीर्ष 12–मजदूरी				
7	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	561.84	614.55
8	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	7.63	6.99
9	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	28.28	27.05
10	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.44	5.56
11	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.44
12	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	42.82	34.16
13	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.91	3.64
14	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15.71	9.77
15	61	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4.91	0.24
		योग (उद्देश्य शीर्ष 12–मजदूरी)	**670.79**	**702.40**
उद्देश्य शीर्ष 13-पेंशन और पेंशन लाभ				
16	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.07	0.06
		योग (उद्देश्य शीर्ष 13-पेंशन और पेंशन लाभ)	**0.07**	**0.06**
उद्देश्य शीर्ष 16-वेतन भत्ते–अखिल भारतीय सेवाएं				
17	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	2.16	0.17
18	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.95	1.15
		योग (उद्देश्य शीर्ष 16-वेतन भत्ते–अखिल भारतीय सेवाएं)	**4.11**	**1.32**
उद्देश्य शीर्ष 19-भारित/आकस्मिक कार्य के कर्मचारी का वेतन				
19	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	40.92	31.27
20	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	15.28	10.19
21	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.35	2.32
22	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.15	1.76
23	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	45.25	34.03
24	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.64	1.96

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
25	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5.20	3.92
		योग (उद्देश्य शीर्ष 19-भारित/आकस्मिक कार्य के कर्मचारी का वेतन)	**113.79**	**85.45**
उद्देश्य शीर्ष 21–यात्रा भत्ता				
26	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.42	0.22
27	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.20	0.72
28	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.10	0.02
29	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.97	0.22
		योग (उद्देश्य शीर्ष 21–यात्रा भत्ता)	**3.69**	**1.18**
उद्देश्य शीर्ष 22–कार्यालय व्यय				
30	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	9.45	10.23
31	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.29	0.09
32	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.46	0.12
33	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.21	0.13
34	24	5054-सड़कें और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5.01	1.50
35	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.19	1.45
36	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.14	0.09
37	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.48	2.71
		योग (उद्देश्य शीर्ष 22–कार्यालय व्यय)	**22.23**	**16.32**
उद्देश्य शीर्ष 24–परीक्षण और प्रशिक्षण				
38	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	5.34	5.19
39	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	0.02
		योग (उद्देश्य शीर्ष 24–परीक्षण और प्रशिक्षण)	**5.42**	**5.21**
उद्देश्य शीर्ष 26-संगोष्ठी, कार्यशाला और सम्मेलन				
40	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	18.40	4.97
41	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.09
		योग (उद्देश्य शीर्ष 26-संगोष्ठी, कार्यशाला और सम्मेलन)	**18.60**	**5.06**
उद्देश्य शीर्ष 27-मेक्रो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली				
42	52	4210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	7.35	1.21
		योग (उद्देश्य शीर्ष 27-मेक्रो सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली)	**7.35**	**1.21**
उद्देश्य शीर्ष 31–व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ				
43	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	53.60	33.66
44	23	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.25	0.11
45	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5.55	5.43
46	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	0.27
47	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.50	5.18
		योग (उद्देश्य शीर्ष 31–व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ)	**69.18**	**44.65**

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 32-लघु कार्य				
48	30	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	114.04	32.44
49	33	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	60.00	56.52
50	56	4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	1.22	0.05
		योग (उद्देश्य शीर्ष 32-लघु कार्य)	**175.26**	**89.01**
उद्देश्य शीर्ष 33–अनुरक्षण कार्य				
51	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.65	0.68
52	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.60	0.39
53	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	126.59	114.01
54	48	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2.13	1.52
55	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21.68	17.90
		योग(उद्देश्य शीर्ष 33–अनुरक्षण कार्य)	**151.65**	**134.50**
उद्देश्य शीर्ष 34-सामग्री और आपूर्ति				
56	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	363.93	261.91
57	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	15.50	4.19
58	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.03	0.03
		योग (उद्देश्य शीर्ष 34-सामग्री और आपूर्ति)	**379.46**	**266.13**
उद्देश्य शीर्ष 35–विज्ञापन एवं प्रचार				
59	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	0.04	0.03
60	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	9.50	1.11
		योग (उद्देश्य शीर्ष 35–विज्ञापन एवं प्रचार)	**9.54**	**1.16**
योग (उद्देश्य शीर्ष 35-विज्ञापन एवं प्रचार)				
उद्देश्य शीर्ष 42–सहायता अनुदान				
61	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	37.00	19.91
62	19	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	126.25	31.57
63	20	4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00
64	30	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	220.00	220.00
65	34	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7.06	5.90
		योग (उद्देश्य शीर्ष 42–सहायता अनुदान)	**393.31**	**280.38**
उद्देश्य शीर्ष 43–अंशदान				
66	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	3.00
67	48	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.08	7.50
		योग (उद्देश्य शीर्ष 43–अंशदान)	**7.08**	**10.50**
उद्देश्य शीर्ष 45–पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान				
68	11	4875-अन्य उद्यम पर पूंजीगत परिव्यय	285.00	246.07

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
69	22	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	51.00	51.00
70	44	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	116.85	18.97
योग (उद्देश्य शीर्ष 45–पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए सहायता अनुदान)			**452.85**	**316.04**
उद्देश्य शीर्ष 51–अन्य प्रभार				
71	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	29.86	26.02
योग (उद्देश्य शीर्ष 51–अन्य प्रभार)			**29.86**	**26.02**
उद्देश्य शीर्ष 53–डिक्री प्रभार का भुगतान				
72	23	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	0.99
73	23	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.20	0.13
74	48	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	0.47
योग (उद्देश्य शीर्ष 53–डिक्री प्रभार का भुगतान)			**2.20**	**1.59**
उद्देश्य शीर्ष 54-क्षतिपूर्ति				
75	10	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	49.79	8.82
योग (उद्देश्य शीर्ष 54-क्षतिपूर्ति)			**49.79**	**8.82**
महायोग			**2,861.13**	**2,207.00**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.2
राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय का गलत वर्गीकरण का विवरण पत्रक
(संदर्भः कंडिका 3.3.1; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान (मूल+अनुपूरक)	व्यय
उद्देश्य शीर्ष 61-सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय				
1	9	2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2.21	0.59
2	25	2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0.20	0.01
3	33	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण	1.55	1.52
4	55	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.45	0.45
योग (उद्देश्य शीर्ष 61-सर्वेक्षण, अन्वेषण, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर व्यय)			**4.41**	**2.57**
उद्देश्य शीर्ष 63–मशीनरी				
5	1	2015-निर्वाचन	2.00	0.25
6	5	2056-जेल	1.50	0.93
7	10	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन	0.00	0.10
8	13	2401-फसल कृषि कर्म	22.18	0.50
9	13	2402-मृदा और जल संरक्षण	0.02	0.01
10	14	2403-पशुपालन	0.22	0.02
11	18	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	0.50	0.50
12	20	2215-जल आपूर्ति तथा सफाई	0.10	0.07
13	22	2217-शहरी विकास	3.20	3.14
14	35	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	0.04	0.02
15	39	3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऐं	0.23	0.06
16	56	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1.38	0.09
योग (उद्देश्य शीर्ष 63–मशीनरी)			31.37	5.69
महायोग			**35.78**	**8.26**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.3
अनुपूरक बजट की आवश्यकता
(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द.म./ पूंजी.द.म./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय/ बचतें	वास्तविक अनुपूरक की आवश्यकता
1	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज.भा.	4.04	9.82	13.86	10.80	3.06	6.76
2	11	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन	राज.द.म.	1,020.98	400.00	1,420.98	1,418.58	2.40	397.60
3	12	ऊर्जा	राज.द.म.	9,953.36	8,694.70	18,648.06	18,638.81	9.25	8,685.45
4	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज.द.म.	14,940.79	1,049.67	15,990.46	15,388.85	601.61	448.06
5	17	सहकारिता	पूंजी.द.म.	26.67	500.00	526.67	507.65	19.02	480.98
6	18	श्रम	राज.द.म.	921.52	730.00	1,651.52	1,601.77	49.75	680.25
7	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज.द.म.	7,529.69	2,499.10	10,028.79	9,365.39	663.40	1,835.7
8	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी.द.म.	7,778.76	2,300.52	10,079.28	8,919.58	1,159.70	1,140.82
9	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज.द.म.	9,904.93	207.53	10,112.46	9,939.78	172.68	34.85
10	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी.द.म.	2,203.97	2,031.53	4,235.5	3,246.61	988.89	1,042.64
11	23	जल संसाधन विभाग	पूंजी.द.म.	5,175.39	1,159.50	6,334.89	5,589.14	745.75	413.75
12	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	पूंजी.द.म.	5,034.33	2,424.00	7,458.33	6,954.82	503.51	1,920.49
13	25	खनिज संशाधन	राज.भा.	650.05	88.44	738.49	738.44	0.05	88.39
14	30	ग्रामीण विकास	राज.द.म.	8,019.05	6,181.86	14,200.91	12,726.18	1,474.73	4,707.13
15	32	जनसंपर्क	राज.द.म.	353.84	43.00	396.84	369.65	27.19	15.81
16	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज.द.म.	3,718.21	138.50	3,856.71	3,781.25	75.46	63.04
17	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज.द.म.	424.57	259.00	683.57	654.76	28.81	230.19
18	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज.भा.	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10
19	37	पर्यटन	राज.द.म.	98.28	6.25	104.53	104.14	0.39	5.86
20	38	आयुष	राज.द.म.	524.67	91.06	615.73	560.63	55.10	35.96
21	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी.द.म.	61.33	500.00	561.33	493.77	67.56	432.44
22	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज.द.म.	8.36	14.46	22.82	17.77	5.05	9.41
23	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी.द.म.	3,665.13	3,185.48	6,850.61	4,763.01	2,087.60	1,097.88

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द.म./ पूंजी.द.म./ पूंजीभा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	आधिक्य व्यय/ बचतें	वास्तविक अनुपूरक की आवश्यकता
24	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज.द.म.	1,285.43	303.02	1,588.45	1,384.33	204.12	98.90
25	52	चिकित्सा शिक्षा	राज.द.म.	1,392.27	154.11	1,546.38	1,447.80	98.58	55.53
26	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	राज.द.म.	222.85	131.00	353.85	342.85	11.00	120.00
27	57	पर्यावरण	राज.द.म.	21.00	4.00	25.00	24.78	0.22	3.78
28	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज.द.म.	4,371.49	950.50	5,321.99	5,028.17	293.82	656.68
29	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राज.द.म.	44.65	50.00	94.65	88.39	6.26	43.74
30	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज.द.म.	742.28	809.50	1,551.78	1,368.77	183.01	626.49
31	65	विमानन	राज.द.म.	38.28	29.00	67.28	56.80	10.48	18.52
योग				**90,136.17**	**34,945.65**	**1,25,081.82**	**1,15,533.37**	**9,548.45**	**25,397.20**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.4

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

(संदर्भः कंडिका 3.4; पृष्ठ 72)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द.म./ पूंजी.द.म./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक
1	CH-II	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज. भा.	20,942.82	2,511.33	18,445.91	2,511.33
2	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	746.63	10.26	470.35	10.26
3	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	45.43	33.91	43.39	33.91
4	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.म.	90.48	26.77	77.65	26.77
5	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	133.33	0.17	77.44	0.17
6	3	पुलिस	राज. द.म.	7,832.24	1.50	6,673.66	1.50
7	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	1,653.30	4.23	1,221.74	4.23
8	29	विधि और विधायी कार्य	राज. भा.	184.85	6.48	141.13	6.48
9	30	ग्रामीण विकास	राज. द.म.	8,019.05	6,181.86	12,726.18	1,474.73
10	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज. द.म.	142.93	0.93	117.54	0.93
11	32	जनसंपर्क	राज. द.म.	353.84	43.00	369.65	27.18
12	33	आदिम जाति कल्याण	राज. द.म.	8,045.52	109.70	6,865.77	109.70
13	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.म.	3,718.21	138.50	3,781.25	75.46
14	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज. द.म.	424.57	259.00	654.76	28.81
15	36	परिवहन	राज. द.म.	103.26	2.19	57.07	2.19
16	36	परिवहन	पूंजी. द.म.	13.60	2.00	1.00	2.00
17	37	पर्यटन	राज. द.म.	98.28	6.25	104.14	0.38
18	38	आयुष	राज. द.म.	524.67	91.06	560.63	55.10
19	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.म.	1,053.81	3.03	797.47	3.03
20	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी. द.म.	61.33	500.00	493.77	67.57
21	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	राज. द.म.	4,307.44	25.00	3,180.57	25.00
22	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज. द.म.	124.24	1.00	114.49	1.00
23	43	खेल और युवा कल्याण	राज. द.म.	154.79	10.69	127.37	10.69
24	43	खेल और युवा कल्याण	पूंजी. द.म.	72.28	5.25	72.24	5.25
25	44	उच्च शिक्षा	राज. द.म.	2,640.05	169.29	2,236.37	169.29
26	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	राज. द.म.	8.36	14.46	17.77	5.05
27	46	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	राज. द.म.	138.78	0.13	127.33	0.13
28	47	तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	1,041.36	80.68	908.10	80.68
29	47	तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.म.	333.61	1.45	219.78	1.45
30	48	नर्मदा घाटी विकास	राज. द.म.	14.04	0.88	12.74	0.88
31	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी. द.म.	3,665.13	3,185.48	4,763.01	2,087.60
32	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.म.	1,285.43	303.02	1,384.33	204.13
33	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	663.65	97.27	455.17	97.27
34	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.म.	1,392.27	154.11	1,447.80	98.58
35	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.म.	1,269.54	0.99	586.13	0.99

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज.द.म./ पूंजी.द.म./ पूंजी.भा./ राज.भा.	मूल बजट	अनुपूरक बजट	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक
36	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	राज. द.म.	222.85	131.00	342.85	11.00
37	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	पूंजी. द.म.	78.25	18.96	26.83	18.96
38	55	महिला एवं बाल विकास	राज. द.म.	5,072.44	206.49	4,681.73	206.49
39	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.म.	105.87	5.69	89.01	5.69
40	57	पर्यावरण	राज. द.म.	21.00	4.00	24.78	0.22
41	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज. द.म.	4,371.49	950.50	5,028.17	293.82
42	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राज. द.म.	44.65	50.00	88.39	6.26
43	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राज. द.म.	44.80	0.04	22.44	0.04
44	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	99.60	1.91	72.31	1.91
45	62	पंचायत	राज. द.म.	4,767.02	500.00	3,441.78	500.00
46	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.म.	78.00	101.16	19.73	101.16
47	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	742.28	809.50	1,368.77	183.01
48	65	विमानन	राज. द.म.	38.28	29.00	56.80	10.48
योग				**86,985.65**	**16,790.12**	**84,597.29**	**8,568.76**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.5
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन
(संदर्भः कंडिका 3.5; पृष्ठ 74)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	CH-I	भारित विनियोग - लोक ऋण	6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बैक टू बैक ऋण	(मूल)675.00 (पुनर्वि.)315.00	990.00	1,150.47	(+) 160.47
2	1	सामान्य प्रशासन	4059-01-051-0101-7213-मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	(मूल) 5.00 (पुनर्वि.)2.50	7.50	7.49	(-) 0.01
3	3	पुलिस	2055-108-0101-7185-राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	(मूल) 46.83 (अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.)11.68	58.51	58.09	(-) 0.41
4			2055-115-0704-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 4.38	4.38	4.67	(+) 0.29
5	6	वित्त	2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 17.57 (पुनर्वि.) 3,000.00	3,017.57	3,699.24	(+) 681.67
6			2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 2,051.98 (पुनर्वि.) 850.00	2,901.98	2,938.60	(+) 36.62
7			2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 550.00 (पुनर्वि.) 425.00	975.00	1,249.71	(+) 274.71
8			2071-01-111-9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 6.00 (पुनर्वि.) 4.00	10.00	12.47	(+) 2.47
9			2071-01-115- 9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	(मूल) 373.00 (पुनर्वि.) 400.00	773.00	764.02	(-) 8.98
10	10	वन	2406-01-001-704-5317-गहन वन प्रबंधन	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 1.12	1.12	0.00	(-) 1.12
11			2406-01-101-0103-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृतों की स्थापना	(मूल) 53.56 (पुनर्वि.) 17.00	70.56	52.83	(-) 17.73
12			2406-01-190-0705-7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन)	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 3.26	3.26	0.00	(-) 3.26
13			2406-01-190-0704-7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन)	(पुनर्वि.) 1.81	1.81	0.44	(-) 1.37
14			2406-02-110-0701-8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 5.54	5.54	5.64	(+) 0.10
15			4406-01-800-9664-केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण	(मूल) 210.99 (पुनर्वि.) 103.66	107.33	98.39	(-) 8.93
16			4406-01-800-9665-केम्पा आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार	(मूल) 4.39 (पुनर्वि.) 3.66	8.05	6.30	(-) 1.75
17			4406-01-800-9667-केम्पा निवल वर्तमान मूल्य	(मूल) 388.49 (पुनर्वि.) 90.00	478.49	445.60	(-) 32.89
18	14	पशुपालन और डेयरी	2403-102-2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	(मूल) 11.88 (पुनर्वि.) 1.36	13.24	13.22	(-) 0.02

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
19	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405-101-0706-7858-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 3.95	3.95	2.81	(-) 1.14
20			2405-101-0705-7858-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 4.43	4.43	3.21	(-) 1.22
21			2405-101-0704-7858-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 21.64	21.64	16.47	(-) 5.17
22	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0704-5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 118.84	118.84	480.30	(+) 361.45
23			2210-03-103-0101-5507-मुख्यमंत्री सुषेन संजीवनी योजना	(मूल) 4.04 (पुनर्वि.) 16.00	20.04	18.00	(-) 2.04
24			4210-01-110-1702-7648-चिकित्सालयों और अस्पताल के भवनों का निर्माण	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) 9.00	9.00	8.23	(-) 0.77
25			4210-01-110-0704-9923-प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रकचर मिशन	(मूल) *टोकन* (पुनर्वि.) 50.50	50.50	12.63	(-) 37.87
26			4210-01-110-0103-7648-चिकित्सालयों और अस्पताल के भवनों का निर्माण	(मूल) 21.23 (पुनर्वि.) 23.00	44.23	42.86	(-) 1.36
27	20	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	4215-01-101-0705-3862-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	(पुनर्वि.) 0.75	0.75	0.45	(-) 0.30
28			4215-01-101-0704-3862-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	(पुनर्वि.) 3.50	3.50	2.10	(-) 1.40
29			4215-01-102-0706-5468-जल जीवन मिशन	(अनु.) 195.00 (पुनर्वि.) 195.25	390.25	390.10	(-) 0.15
30			4215-01-102-0705-5468-जल जीवन मिशन	(अनु.) 255.00 (पुनर्वि.) 258.00	513.00	512.95	(-) 0.05
31			4215-01-102-0704-5468-जल जीवन मिशन	(अनु.) 700.00 (पुनर्वि.) 1,186.03	1,886.03	1,856.94	(-) 29.09
32			4215-01-800-0705-7163-सहायक गतिविधियां	(पुनर्वि.) 1.05	1.50	0.85	(-) 0.65
33			4215-01-800-0704-7163-सहायक गतिविधियां	(पुनर्वि.) 6.50	6.50	5.33	(-) 1.17
34	22	नगरीय विकास एवं आवास	4217-01-051-0101-4339-सड़कों और पुलों का निर्माण	(मूल) 25.00 (पुनर्वि.) 8.00	33.00	34.28	(+) 1.28
35	23	जल संसाधन विभाग	2700-13-101-0102-2894-बांध तथा नहरें	(मूल) 1.59 (पुनर्वि.) 0.93	2.52	2.47	(-) 0.05
36			2700-21-101-0101-2894-बांध तथा नहरें	(मूल) 2.01 (पुनर्वि.) 0.89	2.90	2.89	(-) 0.01
37			4700-C3-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 50.00 (पुनर्वि.) 21.64	71.64	0.00	(-) 71.64
38			4701-25-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण	(मूल) 4.40 (पुनर्वि.) 2.03	6.44	6.39	(-) 0.05

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
39			4705-800-0704-6648-वृह्द एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चैनल का निर्माण, करेक्शन आफ सिस्टम डिफिशियेंसी	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 17.07	17.07	1.00	(-) 16.07
40	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	5054-05-337-1201-7368-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सडक निर्माण)	(मूल) 340.00 (अनु.) 282.00 (पुनर्वि.) 138.00	760.00	610.46	(-) 149.54
41			5054-03-101-1202-2342-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	(मूल) 40.00 (अनु.) 35.00 (पुनर्वि.) 13.00	88.00	87.41	(-) 0.59
42			5054-03-101-1201-2342-एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	(मूल) 110.00 (अनु.) 100.00 (पुनर्वि.) 60.00	270.00	248.09	(-) 21.91
43			5054-03-101-0101-4149-मुख्य निर्माण कार्य	(मूल) 93.00 (अनु.) 25.00 (पुनर्वि.) 13.00	131.00	218.00	(+) 87.00
44			5054-04-337-1403-5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	(मूल) 10.00 (अनु.) 5.00 (पुनर्वि.) 6.00	21.00	33.54	(+) 12.54
45			5054-04-337-0102-2457-ग्रामीण सड़कों का निर्माण	(मूल) 84.00 (अनु.) 60.00 (पुनर्वि.) 17.00	161.00	190.02	(+) 29.02
46			5054-04-337-0101-2457-ग्रामीण सड़कों का निर्माण	(मूल) 355.00 (अनु.) 300.00 (पुनर्वि.) 138.00	793.00	993.00	(+) 200.00
47	25	खनिज संसाधन	2853-02-102-0420-0182-खनिजों के सर्वेक्षण की स्थापना	(मूल) 16.16 (पुनर्वि.) 0.41	16.57	10.72	(-) 5.85
48	26	संस्कृति	2205-102-6379-संस्कृति निदेशालय का स्थापना व्यय	(मूल) 3.15 (पुनर्वि.) 0.10	3.25	2.23	(-) 1.02
49			2205-102-0101-6042-रवीन्द्र भवन का स्थापना व्यय	(मूल) 1.65 (अनु.) 0.20 (पुनर्वि.) 1.66	3.51	2.57	(-) 0.93
50	29	विधि और विधायी कार्य	2015-102-1304-एजुकेशन तथा इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन (स्वीप)	(मूल) 6.00 (पुनर्वि.) 1.00	7.00	7.01	(+) 0.01
51			2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	(मूल) 5.22 (पुनर्वि.) 12.08	17.31	17.82	(+) 0.52
52	30	ग्रामीण विकास	2216-03-198-0706-5198-प्रधानमंत्री आवासीय योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 228.54	228.54	352.00	(+) 123.46
53			2216-03-198-0705-5198-प्रधानमंत्री आवासीय योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 325.57	325.57	510.42	(+) 184.85
54			2216-03-198-0704-5198-प्रधानमंत्री आवासीय योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 871.30	871.30	1342.00	(+) 470.70
55			2501-06-198-0706-6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 26.52	26.52	33.42	(+) 6.90
56			2501-06-198-0705-6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 39.65	39.65	50.93	(+) 11.27

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
57			2501-06-198-0704-6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 97.33	97.33	136.44	(+) 39.10
58			2505-01-198-0706-6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 50.37	50.37	130.37	(+) 80.00
59			2505-01-198-0704-6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 192.05	192.05	497.05	(+) 305.00
60			2515-198-0706-6931-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	(अनु.) 13.50 (पुनर्वि.) 70.66	84.16	137.43	(+) 53.26
61			2515-198-0705-6931-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	(अनु.) 19.41 (पुनर्वि.) 79.47	98.88	166.52	(+) 67.63
62			2515-198-0704-6931-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	(अनु.) 51.48 (पुनर्वि.) 176.61	228.10	395.09	(+) 167.00
63			4515-800-0706-7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 156.87	156.87	187.20	(+) 30.33
64			4515-800-0705-7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 186.81	186.81	269.10	(+) 82.29
65			4515-800-0704-7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 444.61	444.61	780.52	(+) 335.91
66	38	आयुष	4210-03-101-0101-0469-आयुष महाविद्यालय	(मूल) 4.50 (पुनर्वि.) 0.94	5.44	5.19	(-) 0.25
67	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408-01-102-0701-7367-लक्षित लोक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	(मूल) *टोकन* (पुनर्वि.) 1.88	1.88	1.41	(-) 0.47
68	43	खेल और युवा कल्याण	2204-800-0102-4938-युवा संधि	(मूल) 1.72 (पुनर्वि.) 0.54	2.26	2.19	(-) 0.07
69			2204-800-0101-4938-युवा संधि	(मूल) 2.51 (पुनर्वि.) 2.44	4.95	4.74	(-) 0.21
70			4202-03-800-0103-6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	(मूल) 4.64 (पुनर्वि.) 1.70	6.34	6.32	(-) 0.01
71			4202-03-800-0101-6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	(मूल) 12.25 (पुनर्वि.) 6.10	18.35	18.40	(+) 0.05
72	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-02-001-3795-रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय	(मूल) 4.58 (पुनर्वि.) 0.12	4.70	3.24	(-) 1.46
73			2203-104-0101-8885-स्वायत्त तकनीकी संस्थानों को सहायता	(मूल) 75.00 (पुनर्वि.) 13.00	88.00	84.25	(-) 3.75
74	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-41-800-0701-2872-बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	(मूल) 70.00 (अनु.) 125.00 (पुनर्वि.) 116.89	311.89	299.86	(-) 12.03
75	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-0671-शिक्षा और विकास के लिए एच्छिक संगठनों का अनुदान	(मूल) 23.16 (पुनर्वि.) 3.31	26.47	26.65	(+) 0.18

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान मू: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि.: पुनर्विनियोजन/ समर्पण	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य (+)
76	52	चिकित्सा शिक्षा	2210-05-105-0102-9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी /छिन्दवाडा/सतना चिकित्सा महाविद्यालय	(मूल) 41.00 (अनु.) 0.75 (पुनर्वि.) 27.15	68.90	61.82	(-) 7.08
77			4210-03-105-0701-9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी /छिन्दवाडा/सतना चिकित्सा महाविद्यालय	(मूल) 31.64 (पुनर्वि.) 52.00	83.64	80.66	(-) 2.98
78			4210-03-105-0102-5402- छिंदवाडा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस	(मूल) 3.00 (पुनर्वि.) 15.00	18.00	11.88	(-) 6.12
79			4210-03-105-0102-9077- सिवनी चिकित्सा महाविद्यालय (पी.पी.पी.)	(मूल) 0.01 (पुनर्वि.) 24.20	24.21	4.78	(-) 19.43
80			4210-03-105-0101-5402- छिंदवाडा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस	(मूल) 10.10 (पुनर्वि.) 15.00	25.10	21.95	(-) 3.15
81	55	महिला एवं बाल विकास	4235-02-102-0101-5360- आंगनबाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	(मूल) 0.00 (पुनर्वि.) 70.13	70.13	70.12	(-) 0.01
82	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-6436- आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	(मूल) 0.50 (पुनर्वि.) 9.07	9.57	9.58	(+) 0.01
83	62	पंचायत	2515-198-0706-0647- ग्राम स्वराज अभियान	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 8.70	8.70	5.00	(-) 3.70
84			2515-198-0704-0647- ग्राम स्वराज अभियान	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 33.18	33.18	19.12	(-) 14.07
85			2515-198-0705-0647- ग्राम स्वराज अभियान	(अनु.) *टोकन* (पुनर्वि.) 12.51	12.51	6.67	(-) 5.85
योग					**18,761.69**	**22,060.63**	**(-) 507.15** **(+) 3,806.09**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.6
सारभूत समर्पण 50 प्रतिशत एवं अधिक
(संदर्भः कंडिका 3.5.1; पृष्ठ 74)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान मूल+अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
1	1	सामान्य प्रशासन	2013-102-1922-पूर्व मुख्यमंत्रियों को मानदेय तथा भत्ता	(मूल) 1.29	0.73	56.59
			2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	(मूल) 221.00	159.10	71.99
			2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग	(मूल) 30.20 (अनु.) 33.60 63.80	31.91	50.02
			4059-01-051-0101-1343-नई दिल्ली में प्रस्तावित कार्यालयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना का विकास	(मूल) 1.65	1.65	100.00
			4059-01-051-6925-नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	(अनु.) 15.00	15.00	100.00
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2070-105-4079-विशेष जांच आयोग	(मूल) 0.82	0.82	100.00
			2070-800-4678-स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय	(मूल) 6.17	3.64	59.00
3	3	पुलिस	2055-116-0801-5430-फोरेन्सिक सांईस लेबोरेटरी का उन्नयन	(मूल) 1.40	1.10	78.57
			2055-800-6329-नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	(मूल) 11.10	11.10	100.00
			2055-800-8333-सडक सुरक्षा निधि से व्यय	(मूल) 20.02	11.97	59.79
			2055-800-0701-7347-नारकोटिक्स शाखा का पुनर्गठन	(मूल) 0.43	0.43	100.00
			2055-800-0101-1418-आंतरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण	(मूल) 3.00	2.52	84.00
			2070-107-0701-7867-नगर सेना का आधुनिकीकरण	(मूल) 1.50	1.50	100.00
			2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	(मूल) 1.50	1.23	82.00
			4055-109-6065-थानों का सुदृढ़ीकरण	(मूल) 10.00	6.40	64.00

			4055-207-7823-पुलिस चिकित्सालय का निर्माण	(मूल) 10.00	10.00	100.00
			4055-800-8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	(मूल) 21.00	13.44	64.00
			4055-800-0801-1948-नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉस सिस्टम	(मूल) 3.90	2.45	62.82
			4055-800-0703-5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के थानो की स्थापना	(मूल) 3.00	3.00	100.00
			4055-800-0101-7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	(मूल) 30.10	29.93	99.44
4	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-200-0101-7331-आपदा प्रबंधन क्षमता विकास	(मूल) 1.35	0.94	69.63
5	5	जेल	2056-101-0101-5048-बंदियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण	(मूल) 1.46	0.79	54.11
			2056-102-7817-बंदियों द्वारा सामग्री निर्माण हेतु एकमुश्त सहायता	(मूल) 6.00	4.56	76.00
			4059-01-051-0101-0849-जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	(मूल) 12.00	9.93	82.75
			4059-01-051-0101-6405-जेल भवनों का निर्माण	(मूल) 50.00	25.56	51.12
6	6	वित्त	2052-091-1349-उच्च शिक्षा ऋण का एकमुश्त निपटान	(मूल) 0.50	0.50	100.00
			2052-091-4296-संचालनालय संस्थागत वित्त	(मूल) 8.13	5.03	61.87
			2052-091-6357-पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण	(मूल) 15.30	14.31	93.53
			2052-091-0101-5652-म.प्र. परियोजना विकास योजना	(मूल) 0.75	0.75	100.00
7	7	वाणिज्यिक कर	2043-001-7816-म.प्र. भामाशाह पुरस्कार योजना	(मूल) 2.00	2.00	100.00
			4059-01-051-0101-1267-वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	(मूल) 8.50	8.50	100.00

8	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0101-5390-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	(मूल) 6.00	5.85	97.50
			2052-099-3657-राजस्व बोर्ड	(मूल) 1.82	0.95	52.20
			4070-800-3657-राजस्व बोर्ड	(मूल) 0.40	0.40	100.00
			4070-800-6846-भू–प्रबंधन	(मूल) 10.00	7.65	76.50
9	11	औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन	4875-60-190-0101-9842-औद्योगिक क्षेत्रों का लैंड पूलिंग योजना अंतर्गत विकास	(मूल) 95.00	95.00	100.00
10	12	ऊर्जा	4801-02-190-0101-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	(मूल) 100.00	100.00	100.00
			4801-05-190-0103-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	(मूल) 44.00	44.00	100.00
			4801-05-190-0102-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	(मूल) 160.00	160.00	100.00
			4801-05-190-0101-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	(मूल) 796.00	796.00	100.00
			6801-205-1201-9655-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण	(मूल) 171.00	171.00	100.00
			6801-190-0101-5336-विद्युत ग्रहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	(मूल) 20.00	20.00	100.00
11	14	पशुपालन और डेयरी	2403-101-5393-डेरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना	(मूल) 2.00	2.00	100.00
			2403-101-0703-1458-महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	(मूल) 0.66	0.39	59.09
			2403-101-0701-0752-पी.पी.आर. रोग नियंत्रण	(मूल) 0.83	0.50	60.24
			2403-101-0103-7647-109-चलित पशु कल्याण सेवायें	(मूल) 2.35	2.35	100.00

			2403-109-9512-मंडला में वेटनरी डिप्लोमा हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना	(मूल) 1.00	1.00	100.00
			2403-800-0801-6625-पशु संगणना की योजना	(मूल) 1.85	1.77	95.68
			4403-01-0701-1926-पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों का सुदृढ़ीकरण	(मूल) 0.27	0.27	100.00
12	17	सहकारिता	2425-108-2352-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण	(मूल) 20.00	20.00	100.00
			2425-800-0703-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 4.80	2.88	60.00
			2425-800-0702-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 6.90	4.14	60.00
			2425-800-0701-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	(मूल) 18.30	10.98	60.00
13	20	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2215-01-001-2294-संचालनालय की स्थापना	(मूल) 3.00	2.00	66.67
			4215-01-102-1203-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 140.50	137.00	97.51
			4215-01-102-1202-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 193.00	161.00	83.42
			4215-01-102-1201-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 544.00	391.00	71.88
			4215-01-102-0702-9029-सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई.एफ.)	(मूल) 10.00	9.00	90.00
			4215-01-800-1702-7301-पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	(मूल) 12.30	11.00	89.43
14	21	लोक सेवा प्रबंधन	4059-01-051-6783-लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	(मूल) 1.00	0.98	98.00
15	23	जल संसाधन विभाग	2702-80-800-0102-6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	(मूल) 6.00	3.70	61.67
			2705-800-0101-6544-सिंचाई समितियों को अनुदान एवं अन्य कार्य	(मूल) 0.64	0.49	76.56

			4700-78-800-0103-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 2.40	2.40	100.00
			4700-78-800-0102-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 2.50	2.50	100.00
			4701-80-800-0102-3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	(मूल) 1.00	1.00	100.00
			4702-101-0702-3828-लघु सिंचाई योजना	(मूल) 10.00	10.00	100.00
			4702-101-0701-3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं	(मूल) 50.00	49.95	99.90
			4702-101-0701-7819-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)	(मूल) 5.00	5.00	100.00
			4711-01-103-0101-5455-ग्वारीघाट से तिलवारा घाट तक घाटों का निर्माण कार्य	(मूल) 1.00	1.00	100.00
			4700-01-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 0.10	0.10	100.00
			4701-25-800-0102-3366-मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	(मूल) 4.41	2.47	56.01
			4701-80-800-0102-1913-हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	(मूल) 7.50	5.53	73.73
16	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0103-3491-माध्यमिक शालायें	(मूल) 51.26	25.84	50.41
			2202-01-101-0103-4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	(मूल) 117.79	74.19	62.98
			2202-01-101-0101-0729-स्काउट गाईड गतिविधियां	(मूल) 0.80	0.65	81.25
			2202-01-102-0101-1235-मदरसा बोर्ड को अनुदान एवं मदरसों का अधोसंरचना विकास	(मूल) 13.00	9.34	71.85
			2202-02-101-0101-1233-वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन	(मूल) 0.60	0.60	100.00
17	28	राज्य विधान मण्डल	2011-02-101-6801-विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए लेपटॉप का क्रय	(मूल) 0.75	0.58	77.33

			2011-02-103-8808-सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	(मूल) 4.00	3.01	75.25
			2011-02-101-0125-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते	(मूल) 0.66	0.38	57.58
18	29	विधि और विधायी कार्य	2014-105-5446-अधीनस्थ न्यायालयों के आवास गृहों का अनुरक्षण कार्य	(मूल) 3.00	1.78	59.33
			2014-105-6211-केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय	(मूल) 8.16	5.22	63.97
			2014-114-6251-उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान	(मूल) 1.16	0.60	51.72
			2052-800-1950-राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन	(मूल) 1.67	1.61	96.41
			2235-60-200-0101-5104-स्थायी लोक अदालत	(मूल) 0.90	0.78	86.67
			2014-102-7702-उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराईजेशन	(मूल) 11.60	7.53	64.91
			2014-102-0101-0573-उच्च न्यायालय (भारित)	(मूल) 6.00	3.25	54.17
			2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	(मूल) 0.20	0.19	95.00
			4059-01-051-0101-9073-महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	(मूल) 10.00	10.00	100.00
			4059-01-051-0101-9074-उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	(मूल) 15.00	15.00	100.00
			4059-01-051-0101-9511-म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी का भवन निर्माण	(मूल) 10.00	10.00	100.00
			4059-01-106-0101-9074-उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	(मूल) 10.00	10.00	100.00
19	30	ग्रामीण विकास	4515-198.0703.6099-मध्यान्ह भोजन–किचन शेड का निर्माण	(मूल) 10.00	10.00	100.00
			4515-198.0702.6099-मध्यान्ह भोजन–किचन शेड का निर्माण	(मूल) 16.00	16.00	100.00

			4515-198-0702-6099-मध्यान्ह भोजन–किचन शेड का निर्माण	(मूल) 35.00	35.00	100.00
20	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	3451-101-0101-5612-विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढ़ीकरण	(मूल) 1.02	1.02	100.00
			3451-101-0101-7613-प्रदेश में क्रियान्वित परियोजनाओं की मानिटरिंग, सलाहकार सेवायें, नवाचार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	(मूल) 10.94	10.01	91.50
			3454-02-201-0512-राज्य सेम्पल सर्वेक्षण	(मूल) 0.60	0.53	88.33
21	33	आदिम जाति कल्याण	2225-01-102-0102-8861-जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति)	(अनु.) 38.00	37.80	99.47
			2225-02-001-0802-5155-योजनाओ का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद-275 (1)	(मूल) 7.00	6.28	89.71
			2225-02-001-0102-9843- अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां	(मूल) 0.99	0.55	55.56
			2225-02-102-0102-2321-नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	(मूल) 1.18	1.18	100.00
			2225-02-102-0102-7215-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	(मूल) 2.20	2.20	100.00
			2225-02-277-1702-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 16.67	13.64	81.82
			2225-02-277-0422-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 16.67	13.64	81.82
			2225-02-277-0102-0494-आश्रम	(मूल) 188.67	112.84	59.81
			2225-02-277-0102-0978-क्रीडा परिसर	(मूल) 16.06	8.44	52.55
			2225-02-277-0102-6175-राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वी	(मूल) 11.00	9.96	90.55
			2225-02-800-0602-5211-आई.टी.डी.पी. /माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मूल) 150.00	78.41	52.27
			2225-02-800-0102-6462-कोल जनजाति विकास अभिकरण	(मूल) 0.50	0.50	100.00
			2225-02-800-0102-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	(मूल) 8.00	6.18	77.25

			2225-02-800-0102-9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	(मूल) 1.00	0.84	84.00
			4202-01-202-0102-0581-शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालायें	(मूल) 330.00	272.84	82.68
			4225-02-277-0422-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 116.00	116.00	100.00
			4225-02-277-0102-1398-सीनियर छात्रावास	(मूल) 200.00	177.01	88.51
			4225-02-277-0102-7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	(मूल) 23.00	23.00	100.00
			4225-02-277-0102-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 118.00	118.00	100.00
22	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	2235-60-102-0703-7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	(मूल) 17.50	9.83	56.17
			2235-60-102-0102-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	(मूल) 4.60	3.29	71.52
23	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	4851-800-0101-7623-वेंचर केपिटल कंपनी	(मूल) 1.00	0.64	64.00
			4851-800-0101-7624-एम.एस.एम.ई वेंचर केपिटल फण्ड में निवेश	(मूल) 1.00	0.64	64.00
24	36	परिवहन	2041-001-7638-स्मार्ट कार्ड योजना	(मूल) 25.95	25.95	100.00
			3055-004-0701-8858-सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फंड)	(अनु.) 2.19	2.19	100.00
			4059-80-201-0101-7311-कार्यालय भवनों का निर्माण	(मूल) 13.60	12.60	92.65
25	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0103-2078-हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	(मूल) 23.40	23.40	100.00
			2202-02-109-0103-7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	(मूल) 15.00	15.00	100.00
			2202-02-109-0101-7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	(मूल) 49.00	49.00	100.00

			2202-80-001-0101-6813-साइकिलों का प्रदाय	(अनु.) 25.00	25.00	100.00
			2202-80-107-0102-5133-विविध छात्रवृत्तिया	(मूल) 2.34	2.26	96.58
			4202-01-202-0101-7128-मुख्यालय / संयुक्त संचालक / जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण	(मूल) 2.00	1.36	68.00
			4202-02-103-0422-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 66.00	66.00	100.00
			4202-02-103-0420-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 68.00	68.00	100.00
			4202-02-103-0103-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 99.00	99.00	100.00
			4202-02-103-0102-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 120.00	120.00	100.00
			4202-02-103-0101-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 331.00	281.00	84.89
			4202-01-202-1701-6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	(मूल) 10.00	6.23	62.30
26	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0102-4699-छात्रों के लिए पुस्तकें / स्टेशनरी आदि का प्रदाय	(मूल) 2.30 (अनु.) 35.50 37.80	33.00	87.30
			2202-03-103-0102-5476-प्रतिभा किरण योजना	(मूल) 0.78 (अनु.) 1.41 2.19	1.25	57.08
			2202-03-104-0103-3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	(मूल) 27.53	22.25	80.82
			2202-03-104-0102-3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	(मूल) 60.43	56.60	93.66
			2202-03-107-0101-5766-प्रोत्साहन योजना	(मूल) 0.50	0.50	100.00
			4202-01-203-0703-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 60.00	57.23	95.38
			4202-01-203-0702-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 58.00	56.14	96.79
			4202-01-203-0701-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 115.70	101.36	87.61
			4202-01-203-0101-9620-छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी	(मूल) 1.00	1.00	100.00

			4202-03-102-0103-2329-नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर को अनुदान	(मूल) 4.80	4.80	100.00
			4202-03-102-0102-2329-नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर को अनुदान	(मूल) 6.90	6.90	100.00
			4202-03-102-0101-2329-नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर को अनुदान	(मूल) 18.30	18.00	98.36
27	46	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी	3425-60-600-0101-9521-राज्य कम्प्यूटर सिक्योरिटी इंसीडेंट/रेस्पान्स आपरेशन सेन्टर की स्थापना	(मूल) 1.50	0.90	60.00
			3425-60-600-0101-9522-नेशकॉम के साथ तकनीकी अनुबंध	(मूल) 1.00	0.76	76.00
28	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-101-0801-5392-स्ट्राइव योजना	(मूल) 20.00	10.78	53.90
29	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-001-0101-2046-चिंकी बौराज बराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रो सिंचाई परियोजना	(अनु.) 5.00	5.00	100.00
			4700-80-800-0801-1953-नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना	(अनु.) 115.78	115.78	100.00
			4700-80-800-0101-1952-नमामि देवी नर्मदे	(अनु.) 0.50	0.50	100.00
			4700-80-800-0101-2333-एन.बी. कम्पनी लिमिटेड का निवेश	(मूल) 300.00 (अनु.) 1,500.00 1,800.00	1,500.00	83.33
30	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-001-0101-9094-समेकित विकास हेतु संर्वेक्षण	(मूल) 1.00	1.00	100.00
			2225-01-277-0706-7764-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	(अनु.) 30.00	21.59	71.97
			2225-01-277-0603-0538-शिक्षित युवकों को स्व–रोजगार हेतु प्रशिक्षण एंव अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	(मूल) 5.00	5.00	100.00
			2225-01-277-0103-8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	(मूल) 50.01	27.10	54.19

			4225-01-277-0103-4717-हरिजन छात्रावास	(मूल) 100.00	54.11	54.11
			4225-01-277-0103-8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	(मूल) 22.00	11.31	51.41
31	51	आध्यात्मिकता	2250-800-1477-संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	(मूल) 2.18	1.41	64.68
			2250-800-5384-रामपथ गमन अंचल विकास योजना	(मूल) 12.01	11.51	95.84
			2250-800-5805-धर्मशालाओं का निर्माण	(मूल) 0.91	0.59	64.84
			2250-800-6273-तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की स्थापना	(मूल) 5.00	2.80	56.00
			2250-800-0101-2104-बोली आंचलिक भाषा एवं धार्मिक प्रकाशन	(मूल) 0.50	0.50	100.00
			2250-800-0101-7227-तीर्थ यात्रा योजना	(मूल) 30.01	29.95	99.80
			4250-800-5384-रामपथ गमन अंचल विकास योजना	(मूल) 18.00	18.00	100.00
32	55	महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0701-2367-महिला शक्ति केन्द्र	(अनु.) 14.30	14.30	100.00
			2235-02-103-0103-5033-जबाली योजना	(मूल) 1.00	0.73	73.00
			2236-02-101-0703-6392-किशोरी बालिका योजना	(मूल) 8.89	8.89	100.00
			2236-02-101-0702-6392-किशोरी बालिका योजना	(मूल) 13.33	13.33	100.00
			2236-02-101-0701-6392-किशोरी बालिका योजना	(मूल) 22.78	22.78	100.00
			4235-02-102-1501-7449-सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	(मूल) 13.52	13.52	100.00
33	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-6276-आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	(मूल) 100.00	68.84	68.84
			4250-101-7667-15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(मूल) 106.00	97.99	92.44
			4250-800-6436-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	(मूल) 1.50	1.50	100.00

34	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	2515-102-0701-6109-जल संरचनाओं का सुधार, पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण	(मूल) 22.40	22.40	100.00
			4515-01-102-1501-2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	(मूल) 33.00	22.00	66.67
35	65	विमानन	5053-80-800-0101-0690-अधोसंरचना एवं विमानपत्तन का विकास	(मूल) 1.00	0.64	64.00
योग				**8,403.10**	**7,152.39**	**85.12**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.7

समर्पित नहीं की गई प्रत्याशित बचतें

(संदर्भ: कंडिका 3.5.2; पृष्ठ 74)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म/ पूंजी. द.म./ पूंजी. भा./ राज. भा.	बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गई
1	CH-I	भारित विनियोग I - लोक ऋण	पूंजी. भा.	2,631.95	8.49	2,623.46
2	CH-II	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज. भा.	5,008.23	11.42	4,996.81
3	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	286.54	240.78	45.76
4	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	35.95	32.04	3.91
5	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.म.	39.59	35.46	4.13
6	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	56.06	5.78	50.28
7	3	पुलिस	राज. द.म.	1,160.07	1,052.95	107.12
8	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	17.39	8.24	9.15
9	5	जेल	राज. द.म.	46.82	46.32	0.50
10	6	वित्त	राज. द.म.	1,706.96	31.37	1,675.59
11	6	वित्त	राज. भा.	124.63	0.04	124.59
12	6	वित्त	पूंजी. द.म.	1,091.45	0.00	1,091.45
13	7	वाणिज्यिक कर	राज. द.म.	382.24	76.91	305.33
14	7	वाणिज्यिक कर	पूंजी. द.म.	11.58	8.50	3.08
15	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज. द.म.	321.11	174.32	146.79
16	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	राज. भा.	3.05	0.98	2.07
17	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूंजी. द.म.	47.37	8.06	39.31
18	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.म.	5.91	0.00	5.91
19	10	वन	राज. द.म.	293.20	2.84	290.36
20	10	वन	पूंजी. द.म.	134.02	0.00	134.02
21	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राज. द.म.	2.40	2.39	0.01
22	12	ऊर्जा	राज. द.म.	9.25	9.27	(-)0.02
23	12	ऊर्जा	पूंजी. द.म.	1,296.62	1,440.54	(-)143.92
24	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राज. द.म.	601.61	600.69	0.92
25	14	पशुपालन और डेयरी	राज. द.म.	192.68	192.64	0.04
26	14	पशुपालन और डेयरी	पूंजी. द.म.	3.56	3.40	0.16
27	15	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राज. द.म.	14.07	0.00	14.07
28	15	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	पूंजी. द.म.	3.05	0.00	3.05
29	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.म.	39.43	0.00	39.43
30	17	सहकारिता	राज. द.म.	144.57	132.38	12.19
31	18	श्रम	राज. द.म.	49.75	39.15	10.60
32	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.म.	663.40	0.00	663.40
33	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी. द.म.	297.86	0.00	297.86
34	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. द.म.	74.47	41.15	33.32
35	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राज. भा.	3.13	2.00	1.13
36	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी. द.म.	1,159.70	1,075.65	84.05
37	22	नगरीय विकास एवं आवास	राज. द.म.	172.68	4.63	168.05
38	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. द.म.	988.89	0.30	988.59
39	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. भा.	10.00	0.00	10.00
40	23	जल संसाधन विभाग	राज. द.म.	245.91	196.29	49.62

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म / पूंजी. द.म. / पूंजी. भा. / राज. भा.	बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गई
41	23	जल संसाधन विभाग	पूंजी. द.म.	745.75	711.21	34.54
42	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	राज. द.म.	262.56	0.00	262.56
43	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	पूंजी. द.म.	503.51	0.00	503.51
44	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	पूंजी. भा.	367.17	0.00	367.17
45	25	खनिज संसाधन	राज. द.म.	21.87	0.00	21.87
46	25	खनिज संसाधन	पूंजी. द.म.	8.50	0.00	8.50
47	26	संस्कृति	राज. द.म.	50.55	6.84	43.71
48	26	संस्कृति	पूंजी. द.म.	95.51	0.00	95.51
49	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राज. द.म.	1,543.39	1,637.48	(-)94.10
50	28	राज्य विधान मण्डल	राज. द.म.	22.05	21.82	0.23
51	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	435.78	428.74	7.04
52	29	विधि और विधायी कार्य	राज. भा.	50.20	49.26	0.94
53	29	विधि और विधायी कार्य	पूंजी. द.म.	95.74	95.77	(-)0.03
54	30	ग्रामीण विकास	राज. द.म.	1,474.73	1,124.28	350.45
55	30	ग्रामीण विकास	पूंजी. द.म.	405.04	404.94	0.10
56	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राज. द.म.	26.32	26.10	0.22
57	32	जनसंपर्क	राज. द.म.	27.18	0.00	27.18
58	32	जनसंपर्क	पूंजी. द.म.	4.78	0.00	4.78
59	33	आदिम जाति कल्याण	राज. द.म.	1,289.46	1,300.44	(-)10.98
60	33	आदिम जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	1,252.26	1,220.29	31.97
61	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	राज. द.म.	75.46	74.90	0.56
62	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राज. द.म.	28.81	30.74	(-)1.93
63	36	परिवहन	राज. द.म.	48.38	47.19	1.19
64	36	परिवहन	पूंजी. द.म.	14.60	12.60	2.00
65	38	आयुष	राज. द.म.	55.10	46.78	8.32
66	38	आयुष	पूंजी. द.म.	1.90	1.35	0.55
67	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.म.	259.37	4.53	254.84
68	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पूंजी. द.म.	67.57	0.09	67.48
69	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	राज. द.म.	1,151.87	1,146.42	5.45
70	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	पूंजी. द.म.	978.66	960.08	18.58
71	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	राज. द.म.	10.75	10.16	0.59
72	43	खेल और युवा कल्याण	राज. द.म.	38.10	0.00	38.10
73	43	खेल और युवा कल्याण	पूंजी. द.म.	5.30	0.00	5.30
74	44	उच्च शिक्षा	राज. द.म.	572.97	529.77	43.20
75	44	उच्च शिक्षा	पूंजी. द.म.	327.06	289.32	37.74
76	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राज. द.म.	213.95	60.97	152.98
77	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.म.	115.28	17.55	97.73
78	48	नर्मदा घाटी विकास	राज. द.म.	2.18	2.13	0.05
79	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी. द.म.	2,087.60	2,086.65	0.95
80	49	अनुसूचित जाति कल्याण	राज. द.म.	204.13	205.50	(-)1.37
81	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	108.47	108.29	0.18
82	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	305.76	0.00	305.76

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म/ पूंजी. द.म./ पूंजी. भा./ राज. भा.	बचतें	कुल समर्पण	बचतें, जो समर्पित नहीं की गई
83	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.म.	27.03	0.00	27.03
84	51	अध्यात्म	राज. द.म.	59.11	58.06	1.05
85	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.म.	98.58	0.00	98.58
86	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.म.	684.40	0.00	684.40
87	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	राज. द.म.	11.00	0.00	11.00
88	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	राज. भा.	1.58	0.00	1.58
89	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	पूंजी. द.म.	70.38	16.34	54.04
90	55	महिला एवं बाल विकास	राज. द.म.	597.19	536.50	60.69
91	55	महिला एवं बाल विकास	पूंजी. द.म.	13.65	13.64	0.01
92	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.म.	22.55	0.00	22.55
93	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	पूंजी. द.म.	1.32	0.00	1.32
94	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राज. द.म.	293.82	286.30	7.52
95	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	पूंजी. द.म.	207.49	196.29	11.20
96	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	49.72	50.59	(-)0.87
97	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	29.20	22.00	7.20
98	62	पंचायत	राज. द.म.	1,825.24	0.00	1,825.24
99	63	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.म.	8.25	0.00	8.25
100	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.म.	159.42	0.00	159.42
101	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	183.01	0.00	183.01
102	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	14.95	0.00	14.95
103	65	विमानन	राज. द.म.	10.48	20.49	(-)10.01
योग				**39,101.14**	**19,347.38**	**19,753.75**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.8

विभिन्न अनुदानो/विनियोगो, जिनमें बचतें (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) थी, परन्तु उनका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया, का विवरण पत्रक

(संदर्भ: कंडिका 3.5.2; पृष्ठ 74)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ पूंजी. भा./ राज. भा.	बचतें
1	6	वित्त	पूंजी. द.म.	1,091.45
2	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राज. द.म.	5.91
3	10	वन	पूंजी. द.म.	134.02
4	15	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राज. द.म.	14.07
5	15	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	पूंजी. द.म.	3.05
6	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.म.	39.43
7	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राज. द.म.	663.40
8	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी. द.म.	297.86
9	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. भा.	10.00
10	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	राज. द.म.	262.56
11	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	पूंजी. द.म.	503.51
12	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	पूंजी. भा.	367.17
13	25	खनिज संसाधन	राज. द.म.	21.87
14	25	खनिज संसाधन	पूंजी. द.म.	8.50
15	26	संस्कृति	पूंजी. द.म.	95.51
16	32	जनसंपर्क	राज. द.म.	27.18
17	32	जनसंपर्क	पूंजी. द.म.	4.78
18	43	खेल और युवा कल्याण	राज. द.म.	38.10
19	43	खेल और युवा कल्याण	पूंजी. द.म.	5.30
20	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	305.76
21	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.म.	27.03
22	52	चिकित्सा शिक्षा	राज. द.म.	98.58
23	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.म.	684.40
24	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	राज. द.म.	11.00
25	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	राज. भा.	1.58
26	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.म.	22.55
27	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	पूंजी. द.म.	1.32
28	62	पंचायत	राज. द.म.	1,825.24
29	63	अल्प संख्यक कल्याण	राज. द.म.	8.25
30	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.म.	159.42
31	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राज. द.म.	183.01
32	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	14.95
योग				**6,936.76**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.9
प्रधान महालेखाकार द्वारा स्वीकार नहीं किये गये समर्पण आदेश
(संदर्भ: कंडिका 3.5.3; पृष्ठ 75)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	स्वीकृतियों की संख्या	अनुदान/विनियोग क्र.	राशि	अनियमितता का विवरण
1	12	1, 15, 19, 22, 43, 47, 50, 57, 63	1,801.70	वित्त वर्ष की समाप्ति या 31 मार्च 2022 के बाद स्वीकृति आदेशों का जारी होना।
2	9	7, 10, 24, 26, 32, 53, 56	2,270.71	नियत दिनांक अर्थात् 10 मई 2022 के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में स्वीकृति आदेशों की प्राप्ति में देरी होना।
3	5	17, 25, 62	1,889.22	स्वीकृति आदेशों में पूर्ण विवरण का प्राप्त न होना।
		योग	**5,961.63**	

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.10

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण पत्रक जहाँ प्रत्येक प्रकरण में बचत ₹10 करोड़ से अधिक और कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक थी

(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 76 एवं 77)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ पूंजी. प्रभा./ राज. प्रभा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)
प्रकरण जहां बचतें ₹10 करोड़ एवं ₹100 करोड़ के मध्य थी							
1	1	सामान्य प्रशासन	राज. भा.	79.35	43.39	35.96	45.31
2	1	सामान्य प्रशासन	पूंजी. द.म.	117.25	77.65	39.60	33.77
3	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	133.50	77.44	56.06	41.99
4	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राज. द.म.	56.01	38.62	17.39	31.05
5	5	जेल	पूंजी. द.म.	70.50	31.57	38.93	55.22
6	7	वाणिज्यिक कर	पूंजी. द.म.	11.72	0.14	11.58	98.80
7	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	पूंजी. द.म.	171.40	124.03	47.37	27.64
8	15	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	राज. द.म.	29.39	15.32	14.07	47.87
9	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राज. द.म.	195.61	156.18	39.43	20.16
10	25	खनिज संसाधन	राज. द.म.	59.24	37.38	21.86	36.92
11	26	संस्कृति	राज. द.म.	209.32	158.77	50.55	24.15
12	26	संस्कृति	पूंजी. द.म.	104.85	9.34	95.51	91.11
13	28	राज्य विधान मण्डल	राज. द.म.	100.23	78.19	22.04	22.00
14	29	विधि और विधायी कार्य	राज. भा.	191.33	141.13	50.20	26.24
15	29	विधि और विधायी कार्य	पूंजी. द.म.	237.50	141.76	95.74	40.31
16	36	परिवहन	राज. द.म.	105.45	57.07	48.38	45.88
17	36	परिवहन	पूंजी. द.म.	15.60	1.00	14.60	93.59
18	43	खेल एवं युवा कल्याण	राज. द.म.	165.48	127.37	38.11	23.02
19	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	पूंजी. द.म.	35.00	7.97	27.03	77.23
20	51	अध्यात्म	राज. द.म.	105.30	46.19	59.11	56.13
21	51	अध्यात्म	पूंजी. द.म.	18.00	0.00	18.00	100.00
22	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	पूंजी. द.म.	97.21	26.83	70.38	72.40
23	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज. द.म.	111.56	89.01	22.55	20.21
24	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राज. द.म.	44.84	22.44	22.40	49.95
25	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	पूंजी. द.म.	101.51	72.31	29.20	28.76
26	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी. द.म.	17.70	2.75	14.95	84.46
	योग			**2,584.85**	**1,583.85**	**1,001.00**	**38.73**
प्रकरण जहां बचतें ₹100 करोड़ एवं ₹500 करोड़ के मध्य थी							
27	1	सामान्य प्रशासन	राज. द.म.	756.89	470.35	286.54	37.86
28	3	पुलिस	पूंजी. द.म.	841.86	637.50	204.36	24.27
29	6	वित्त	राज. भा.	131.16	6.53	124.63	95.02

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	राज. द.म./ पूंजी. द.म./ पूंजी. प्रभा./ राज. प्रभा.	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचतें	बचत (प्रतिशत में)
30	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	पूंजी. द.म.	826.00	533.22	292.78	35.45
31	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	पूंजी. द.म.	651.48	353.62	297.86	45.72
32	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	पूंजी. भा.	504.60	137.43	367.17	72.76
33	29	विधि और विधायी कार्य	राज. द.म.	1,657.53	1,221.74	435.79	26.29
34	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राज. द.म.	1,056.84	797.47	259.37	24.54
35	44	उच्च शिक्षा	पूंजी. द.म.	827.63	500.57	327.06	39.52
36	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	पूंजी. द.म.	335.06	219.78	115.28	34.41
37	49	अनुसूचित जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	212.20	103.73	108.47	51.12
38	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राज. द.म.	760.93	455.17	305.76	40.18
39	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	पूंजी. द.म.	593.90	386.41	207.49	34.94
40	63	अल्प संख्यक कल्याण	पूंजी. द.म.	179.16	19.73	159.43	88.98
		योग		**9,335.24**	**5,843.25**	**3,491.99**	**37.41**
		प्रकरण जहां बचतें ₹500 करोड़ या अधिक थी					
41	CH-II	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राज. भा.	23,454.14	18,445.91	5,008.23	21.35
42	6	वित्त	पूंजी. द.म.	1,963.84	872.39	1,091.45	55.58
43	12	ऊर्जा	पूंजी. द.म.	3,284.43	1,987.81	1,296.62	39.48
44	22	नगरीय विकास एवं आवास	पूंजी. द.म.	4,235.50	3,246.61	988.89	23.35
45	33	आदिम जाति कल्याण	पूंजी. द.म.	1,751.17	498.90	1,252.27	71.51
46	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राज. द.म.	4,332.44	3,180.57	1,151.87	26.59
47	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	पूंजी. द.म.	1,324.13	345.47	978.66	73.91
48	44	उच्च शिक्षा	राज. द.म.	2,809.34	2,236.37	572.97	20.40
49	48	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी. द.म.	6,850.61	4,763.01	2,087.60	30.47
50	52	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी. द.म.	1,270.53	586.13	684.40	53.87
51	62	पंचायत	राज. द.म.	5,267.02	3,441.78	1,825.24	34.65
		योग		**56,543.15**	**39,604.95**	**16,938.20**	**29.96**
		महायोग		**68,463.24**	**47,032.05**	**21,431.19**	**31.30**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.11
बजट से भिन्नता के लिए अनुपलब्ध/अपूर्ण व्याख्या
(संदर्भ: कंडिका 3.6.2; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	कुल लेखा शीर्ष	लेखे जहां विवरण आवश्यक	लेखे जहां विवरण दिया गया
1	CH-I	भारित विनियोग I - लोक ऋण	31	22	0
2	CH-II	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	153	40	3
3	1	सामान्य प्रशासन	56	21	8
4	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	11	5	2
5	3	पुलिस	96	34	32
6	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	21	7	1
7	5	जेल	13	6	4
8	6	वित्त	72	36	6
9	7	वाणिज्यिक कर	31	11	1
10	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	40	19	10
11	9	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	15	4	0
12	10	वन	95	27	8
13	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	11	2	0
14	12	ऊर्जा	53	10	7
15	13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	180	0	0
16	14	पशुपालन और डेयरी	93	21	21
17	15	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	44	6	1
18	16	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	33	10	8
19	17	सहकारिता	45	10	10
20	18	श्रम	18	0	0
21	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	161	52	27
22	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	75	25	16
23	21	लोक सेवा प्रबंधन	12	5	3
24	22	नगरीय विकास एवं आवास	187	27	0
25	23	जल संसाधन विभाग	267	62	59
26	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	91	48	0
27	25	खनिज संसाधन	9	5	0
28	26	संस्कृति	71	13	3
29	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	117	26	11
30	28	राज्य विधान मण्डल	10	5	5
31	29	विधि एवं विधायी कार्य	56	27	17
32	30	ग्रामीण विकास	111	32	29
33	31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	11	5	1
34	32	जनसंपर्क	58	6	0

स. क्र.	अनुदान संख्या	नामावली	कुल लेखा शीर्ष	लेखे जहां विवरण आवश्यक	लेखे जहां विवरण दिया गया
35	33	आदिम जाति कल्याण	100	39	9
36	34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	143	7	6
37	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	34	6	1
38	36	परिवहन	10	6	1
39	37	पर्यटन	22	0	0
40	38	आयुष	49	18	0
41	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	68	22	11
42	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	96	25	23
43	41	प्रवासी भारतीय	1	1	0
44	42	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	18	4	4
45	43	खेल एवं युवा कल्याण	48	15	10
46	44	उच्च शिक्षा	106	21	5
47	45	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	2	2	2
48	46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	47	12	6
49	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	105	33	7
50	48	नर्मदा घाटी विकास	157	34	34
51	49	अनुसूचित जाति कल्याण	67	18	13
52	50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	55	14	0
53	51	अध्यात्म	19	9	0
54	52	चिकित्सा शिक्षा	78	31	19
55	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	29	17	0
56	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	5	0	0
57	55	महिला एवं बाल विकास	94	29	29
58	56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	44	10	1
59	57	पर्यावरण	14	0	0
60	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	33	15	10
61	59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाऐं	3	0	0
62	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	17	3	0
63	61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	16	3	1
64	62	पंचायत	58	17	3
65	63	अल्प संख्यक कल्याण	20	9	2
66	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	26	11	1
67	65	विमानन	6	3	2
		योग	**3,937**	**1,063**	**493**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.12
बजट आवंटन के विरूद्ध अधिक व्यय
(संदर्भ: कंडिका 3.6.2; पृष्ठ 80)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि:पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
1	CH-I	भारित विनियोग I - लोक ऋण	6003-109-1216- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्जे	(मूल) 34.00	42.94	8.94
2			6003-111-6835-केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(मूल) 2,200.00	3,319.08	1,119.08
3			6004-02-101-9086- बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बैक टू बैक ऋण	(मूल) 675.00 (पुनर्वि.) 315.00 990.00	1,150.47	160.47
4	CH-II	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	2049-03-104-4033- विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	(मूल) 80.00	124.39	44.39
5			2049-01-101-7584- 8.95 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	(मूल) 93.98	138.73	44.75
6			2049-01-101-9318- 8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2033	(मूल) 86.40	118.45	32.05
7	1	सामान्य प्रशासन	2052-090-4327-सचिवालय	(मूल) 144.88 (पुनर्वि.) (-) 40.28 104.60	105.44	0.84
8	3	पुलिस	2055-116-3593-मेडीको लीगल इन्स्टीट्यूट	(मूल) 5.57 (पुनर्वि.) (-) 2.32 3.25	3.26	0.01
9			2055-115-0704-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 4.38 4.38	4.67	0.29
10			4055-211-0101-3059- मुख्य मंत्री पुलिस आवास योजना	(मूल) 249.00 (अनु.) 60.00 (पुनर्वि.) (-) 60.00 249.00	274.71	25.71
11	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2235-60-200-3700-राज्य सैनिक बोर्ड	(मूल) 2.62 (पुनर्वि.) (-) 0.44 2.18	2.21	0.03
12			2235-60-200-9262-जिला सैनिक बोर्ड	(मूल) 13.41 (पुनर्वि.) (-) 2.09 11.32	11.43	0.11
13	5	जेल	2056-101-0101-5044-जेलों का आधुनिकीकरण	(मूल) 5.80 (पुनर्वि.) (-) 2.06 3.74	3.76	0.02
14	6	वित्त	2071-01-101-9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 17.57 (पुनर्वि.) 3,000.00 3,017.57	3,699.24	681.67
15			2071-01-104-9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 2,051.98 (पुनर्वि.) 850.00 2,901.98	2,938.60	36.62
16			2071-01-105-9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 550.00 (पुनर्वि.) 425.00 975.00	1,249.71	274.71
17			2071-01-111-9998-मध्य प्रदेश पेंशन	(मूल) 6.00 (पुनर्वि.) 4.00 10.00	12.42	2.42

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि:पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
18	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-1472-जिला खर्च	(मूल) 924.61 (पुनर्वि.) (-) 128.68 795.93	798.60	2.67
19			2052-099-3657-राजस्व बोर्ड	(मूल) 7.13 (पुनर्वि.) (-) 2.84 4.29	4.32	0.03
20			2052-099-3657-राजस्व बोर्ड	(मूल) 1.82 (पुनर्वि.) (-) 0.95 0.87	0.97	0.10
21			4070-800-6846-भू–प्रबंधन	(मूल) 10.00 (पुनर्वि.) (-) 9.00 1.00	2.11	1.11
22	10	वन	2406-02-110-0705-3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	(अनु.) 0.00	10.34	10.34
23			2406-02-110-0704-3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	(अनु.) 0.00	11.98	11.98
24			2406-02-110-0704-8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	(अनु.) 0.00	3.74	3.74
25			2406-02-110-0701-8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 5.54 5.54	5.64	0.10
26	12	ऊर्जा	2801-80-101-0101-7313-टैरिफ अनुदान	(मूल) 250.00 (अनु.) 238.00 488.00	613.00	125.00
27			4801-05-190-0410-7900-उपपारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	(मूल) 125.00	217.43	92.43
28			6801-190-1201-5523- कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	(अनु.) 178.16 (पुनर्वि.) (-) 4.21 173.95	314.32	140.37
29	14	पशुपालन और डेयरी	2403-102-0101-1108-गहन पशु विकास	(मूल) 460.76 (पुनर्वि.) (-) 92.17 368.59	368.82	0.23
30	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-01-110-0706-5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	(अनु.) 0.00	94.81	94.81
31			2210-01-110-0705-5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	(अनु.) 0.00	127.81	127.81
32			2210-01-110-0704-5724-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 118.84 118.84	480.29	361.45
33	22	नगरीय विकास एवं आवास	2217-05-800-0701-1237- हाउसिंग फॉर आल	(मूल) 800.00	1,221.85	421.85
34			2217-05-800-0101-1947-रियल एस्टेट रेगुलेशन एवं विकास,अपीलीय अधिकरण	(मूल) 1.20	3.30	2.10
35			2217-05-800-0701-1238-अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफॉरमेंशन	(मूल) 610.00	689.48	79.48
36			4217-01-051-0101-4339-सड़के एवं पुल का निर्माण	(मूल) 25.00 (पुनर्वि.) 8.00 33.00	34.28	1.28
37	23	जल संसाधन विभाग	2701-80-001-0101-0815- कार्यपालिक स्थापना	(मूल) 386.17 (पुनर्वि.) (-) 78.09 308.08	308.24	0.16

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि:पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
38			4700-60-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 200.00 (अनु.) 75.00 (पुनर्वि.) (-) 152.03 122.97	122.98	0.01
39			4700-01-800-0101-2897-बांध तथा संलग्न कार्य	(मूल) 0.10 (पुनर्वि.) (-) 0.10 0.00	71.64	71.64
40	24	लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	5054-03-101-1403-5225-पुलो का निर्माण (नाबार्ड)	(मूल) 3.00	8.00	5.00
41			5054-03-101-0103-4149-वृहद् निर्माण कार्य	(मूल) 2.00 (अनु.) 10.00 12.00	15.89	3.89
42			5054-03-101-0101-4149-वृहद् निर्माण कार्य	(मूल) 93.00 (अनु.) 25.00 (पुनर्वि.) 13.00 131.00	218.00	87.00
43			5054-03-337-1203- 5337- मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	(मूल) 72.00 (अनु.) 50.00 122.00	160.00	38.00
44			5054-03-337-1201- 5337- मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	(मूल) 235.00 (अनु.) 230.00 465.00	526.90	61.90
45			5054-04-337-1403-5226-ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड)	(मूल) 10.00 (अनु.) 5.00 (पुनर्वि.) 6.00 21.00	33.54	12.54
46			5054-04-337-0102-2457-ग्रामीण सड़कों का निर्माण	(मूल) 84.00 (अनु.) 60.00 (पुनर्वि.) 17.00 161.00	190.02	29.02
47			5054-04-337-0101-2457-ग्रामीण सड़कों का निर्माण	(मूल) 355.00 (अनु.) 300.00 (पुनर्वि.) 138.00 793.00	993.00	200.00
48			5054-80-800-0101-9686-बी.ओ.टी. परियोजना की समाप्ति पर भुगतान	(मूल) 25.00	40.00	15.00
49	29	विधि एवं विधायी कार्य	2015-103-3307- मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	(मूल) 77.28 (पुनर्वि.) (-) 26.24 51.04	51.25	0.21
50			2015-102-1304-एजुकेशन तथा इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन (स्वीप)	(मूल) 6.00 (पुनर्वि.) 1.00 7.00	7.01	0.01
51			2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	(मूल) 5.22 (पुनर्वि.) 12.08 17.30	17.82	0.52
52	30	ग्रामीण विकास	2216-03-198-0706-5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 228.54 228.54	352.00	123.46
53			2216-03-198-0705-5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 325.57 325.57	510.42	184.85
54			2216-03-198-0704-5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 871.30 871.30	1342.00	470.70
55			2501-06-198-0706-6836-राष्ट्रीय	(अनु.) 0.00	33.42	6.90

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि:पुनर्विनियोजन / समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
			ग्रामीण आजीविका मिशन	(पुनर्वि.) 26.52 26.52		
56			2501-06-198-0705-6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 39.65 39.65	50.92	11.27
57			2501-06-198-0704-6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 97.33 97.33	136.44	39.11
58			2505-01-198-0706-6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 50.37 50.37	130.37	80.00
59			2505-01-198-0704-6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 192.05 192.05	497.05	305.00
60			2515-198-0706-6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	(अनु.) 13.50 (पुनर्वि.) 70.66 84.16	137.42	53.26
61			2515-198-0705-6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	(अनु.) 19.41 (पुनर्वि.) 79.47 98.88	166.51	67.63
62			2515-198-0704-6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	(अनु.) 51.48 (पुनर्वि.) 176.61 228.09	395.09	167.00
63			4515-800-0706-7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 156.87 156.87	187.20	30.33
64			4515-800-0705-7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 186.81 186.81	269.10	82.29
65			4515-800-0704-7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	(अनु.) 0.00 (पुनर्वि.) 444.61 444.61	780.52	335.91
66	33	आदिम जाति कल्याण	2202-01-101-0102-2773- प्राथमिक शालाएं	(मूल) 2,986.57 (पुनर्वि.) (-) 378.96 2,607.61	2,616.87	9.26
67			2202-01-101-0102-3496- माध्यमिक शालाएं	(मूल) 1,768.78 (पुनर्वि.) (-) 242.98 1,525.80	1,527.41	1.61
68			2225-01-001-0103-2304-निर्देशन और प्रशासन	(मूल) 2.15 (पुनर्वि.) (-) 0.72 1.43	1.48	0.05
69			2225-02-001-0102-9843- अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईया	(मूल) 0.99 (पुनर्वि.) (-) 0.55 0.44	0.45	0.01
70			2225-02-277-0102-0762-म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	(मूल) 100.45 (पुनर्वि.) (-) 26.17 74.28	74.53	0.25
71			2225-02-800-0334-अनुसूचित जनजाति अन्वेषण संस्था	(मूल) 6.97 (पुनर्वि.) (-) 2.32 4.65	4.66	0.01
72	34	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	2235-02-800-0101-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	(मूल) 12.20 (पुनर्वि.) (-) 0.55 11.65	26.65	15.00
73			2235-60-102-0103-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	(मूल) 3.20	8.20	5.00

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि:पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
74			2235-60-102-0102-6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना	(मूल) 4.60 (पुनर्वि.) (-) 3.29 1.31	6.31	5.00
75	35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2851-111-0101- 9921-मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति	(अनु.) 0.64 (पुनर्वि.) (-) 0.12 0.52	0.53	0.01
76			2851-800-0101-2124-एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना	(मूल) 117.30 (अनु.) 122.00 (पुनर्वि.) (-) 6.82 232.48	234.56	2.08
77	40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-001-9230-संयुक्त संचालक कार्यालयों की स्थापना	(मूल) 26.89 (पुनर्वि.) (-) 5.68 21.21	21.34	0.13
78			2202-02-109-0581-शासकीय हाई /हायर सेकेण्डरी शालायें	(मूल) 2,980.48 (पुनर्वि.) (-) 756.08 2,224.40	2,227.87	3.47
79			2202-02-109-0103-0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	(मूल) 59.50 (पुनर्वि.) (-) 16.21 43.29	43.56	0.27
80			2202-02-109-0102-0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	(मूल) 77.00 (पुनर्वि.) (-) 12.15 64.85	64.94	0.09
81			2202-02-109-0101-0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय	(मूल) 213.50 (पुनर्वि.) (-) 44.46 169.04	169.93	0.89
82			2202-80-001-3858-लोक शिक्षण संचालनालय	(मूल) 36.58 (पुनर्वि.) (-) 9.75 26.83	27.01	0.18
83			2205-105-4395-पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन	(मूल) 12.48 (पुनर्वि.) (-) 1.63 10.85	10.86	0.01
84	43	खेल एवं युवा कल्याण	4202-03-800-0101-6703- स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	(मूल) 12.25 (पुनर्वि.) 6.10 18.35	18.40	0.05
85	47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2230-03-003-0704-2327-संकल्प प्रोजेक्ट	(अनु.) 0.00	1.32	1.32
86	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0801-1953-नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना	(अनु.) 115.78 (पुनर्वि.) (-) 115.78 0.00	8.00	8.00
87	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-800-0103-7763- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	(मूल) 74.00 (अनु.) 57.00 (पुनर्वि.) (-) 40.82 90.18	91.34	1.16
88			2225-01-277-0103-0671-एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवत्तियों के लिए अनुदान	(मूल) 23.16 (पुनर्वि.) 3.31 26.47	26.65	0.18
89	53	लोक निर्माण कार्य–भवन	2059-01-053-3383-विशेष मरम्मत–भवन	(मूल) 4.60 (अनु.) 10.00 14.60	17.93	3.33
90	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-6436- आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	(मूल) 0.50 (पुनर्वि.) 9.07 9.57	9.58	0.01

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा का शीर्ष	प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक पुनर्वि:पुनर्विनियोजन/ समर्पण	वास्तविक व्यय	अंतिम बचत(-)/ आधिक्य(+)
91	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	4515-103-0101-8284- म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	(मूल) 275.65 (पुनर्वि.) (-) 37.34 238.31	239.28	0.97
92	64	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2225-03-800-0101-7065-संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा	(मूल) 0.40	0.43	0.03
93	65	विमानन	2052-091-4043-विमानन संचालनालय	(मूल) 29.28 (अनु.) 29.00 (पुनर्वि.) (-) 17.17 41.11	51.12	10.01
योग				**27,026.58**	**33,486.56**	**6,459.98**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.13
आधिक्य व्यय जिसके नियमितीकरण की आवश्यकता है

(संदर्भ: कंडिका 3.8; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या	आधिक्य राशि
2011-12	04 अनुदान 02 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 33 पूंजीगत (दत्तमत): 15, 52, 74 राजस्व (भारित): 23 पूंजीगत (भारित): 23	135.10
2013-14	02 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 2 पूंजीगत (दत्तमत): 10 पूंजीगत (भारित): 21	34.31
2014-15	03 अनुदान 03 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 2, 6 पूंजीगत (दत्तमत): 42 राजस्व (भारित): 24, 67 पूंजीगत (भारित): 41	446.28
2016-17	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 2	23.77
2018-19	01 अनुदान 01 विनियोग	राजस्व (दत्तमत): 4 पूंजीगत (भारित): लोक ऋण	1,028.62
2020-21	01 अनुदान	राजस्व (दत्तमत): 20	9.92
योग	**12 अनुदान एवं 07 विनियोग**		**1,678.00**

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

परिशिष्ट 3.14
एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ समर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹25 करोड़ से अधिक और कुल बजट प्रावधान का 50 प्रतिशत या उससे अधिक था)

(संदर्भ: कंडिका 3.9; पृष्ठ 81)

(₹ करोड़ में)

स. क.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
1	1	सामान्य प्रशासन	2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	(मूल) 221.00	159.10	71.99
			2051-102-3689-राज्य लोक सेवा आयोग	(मूल) 30.20 (अनु.) 33.60 63.80	31.91	50.02
2	3	पुलिस	4055-800-0101-7346-केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	(मूल) 30.10	29.93	99.44
3	5	जेल	4059-01-051-0101-6405-जेल भवनों का निर्माण	(मूल) 50.00	25.56	51.12
4	11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	4875-60-190-0101-9842-औद्योगिक क्षेत्रों का लैंड पूलिंग योजना अंतर्गत विकास	(मूल) 95.00	95.00	100.00
5	12	ऊर्जा	4801-02-190-0101-6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	(मूल) 100.00	100.00	100.00
			4801-05-190-0103-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	(मूल) 44.00	44.00	100.00
			4801-05-190-0102-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	(मूल) 160.00	160.00	100.00
			4801-05-190-0101-7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	(मूल) 796.00	796.00	100.00
			6801-205-1201-9655-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण	(मूल) 171.00	171.00	100.00
6	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-102-1203-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 140.50	137.00	97.51
			4215-01-102-1202-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 193.00	161.00	83.42
			4215-01-102-1201-2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	(मूल) 544.00	391.00	71.88

स. क.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
7	23	जल संसाधन विभाग	4702-101-0701-3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाए	(मूल) 50.00	49.95	99.90
8	27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0103-3491-माध्यमिक शालायें	(मूल) 51.26	25.84	50.41
			2202-01-101-0103-4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	(मूल) 117.79	74.19	62.98
9	30	ग्रामीण विकास	4515-198-0702-6099-मध्यान्ह भोजन किचन शेड का निर्माण	(मूल) 35.00	35.00	100.00
10	33	आदिम जाति कल्याण	2225-01-102-0102-8861-जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति)	(अनु.) 38.00	37.80	99.47
			2225-02-277-0102-0494-आश्रम	(मूल) 188.67	112.84	59.81
			2225-02-800-0602-5211-आई.टी.डी.पी./माडा पॉकेट/क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	(मूल) 150.00	78.41	52.27
			4202-01-202-0102-0581-शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालायें	(मूल) 330.00	272.84	82.68
			4225-02-277-0422-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 116.00	116.00	100.00
			4225-02-277-0102-1398-सीनियर छात्रावास	(मूल) 200.00	177.01	88.51
			4225-02-277-0102-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 118.00	118.00	100.00
11	36	परिवहन	2041-001-7638-स्मार्ट कार्ड योजना	(मूल) 25.95	25.95	100.00
12	40	स्कूल शिक्षा विगाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0101-7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का उन्नयन एवं संधारण	(मूल) 49.00	49.00	100.00
			2202-80-001-0101-6813-साइकिलों का प्रदाय	(अनु.) 25.00	25.00	100.00
			4202-02-103-0422-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 66.00	66.00	100.00
			4202-02-103-0420-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 68.00	68.00	100.00
			4202-02-103-0103-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 99.00	99.00	100.00

स. क.	अनुदान संख्या	नामावली	लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान मू.: मूल अनु.: अनुपूरक	समर्पित राशि	समर्पण (प्रतिशत में)
			4202-02-103-0102-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 120.00	120.00	100.00
			4202-02-103-0101-9516-सी.एम. राइज	(मूल) 331.00	281.00	84.89
13	44	उच्च शिक्षा	2202-03-103-0102-4699-अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकें आदि प्रदाय	(मूल) 2.30 (अनु.) 35.50 37.80	33.00	87.30
			2202-03-104-0102-3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	(मूल) 60.43	56.60	93.66
			4202-01-203-0703-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 60.00	57.23	95.38
			4202-01-203-0702-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 58.00	56.14	96.79
			4202-01-203-0701-7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	(मूल) 115.70	101.36	87.61
14	48	नर्मदा घाटी विकास	4700-80-800-0801-1953-नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना	(अनु.) 115.78	115.78	100.00
			4700-80-800-0101-2333-एन.बी. कम्पनी लिमिटेड का निवेश	(मूल) 300.00 (अनु.) 1,500.00 1,800.00	1,500.00	83.33
15	49	अनुसूचित जाति कल्याण	2225-01-277-0103-8829-शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	(मूल) 50.01	27.10	54.19
			4225-01-277-0103-4717-हरिजन छात्रावास	(मूल) 100.00	54.11	54.11
16	51	अध्यात्म	2250-800-0101-7227-तीर्थ यात्रा योजना	(मूल) 30.01	29.95	99.80
17	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-102-6276-आपदा प्रबंधन योजना	(मूल) 100.00	68.84	68.84
			4250-101-7667-15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	(मूल) 106.00	97.99	92.44
योग				**7,420.80**	**6,331.43**	**85.32**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.15
योजनाएं जिनमें कुल प्रावधान ₹10 करोड़ एवं अधिक अप्रयुक्त रहा
(संदर्भ: कंडिका 3.10; पृष्ठ 83)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	द.म. /भा.	कुल बजट	व्यय	बचत
1	भारित विनियोग-I	6003		101		0716	66	भा.	70.34	0.00	70.34
2	भारित विनियोग-I	6003		110		0637	66	भा.	1,685.00	0.00	1,685.00
3	भारित विनियोग-I	6003		110		0779	66	भा.	2,000.00	0.00	2,000.00
4	भारित विनियोग-II	2049	01	101		9320	52	भा.	32.12	0.00	32.12
5	भारित विनियोग-II	2049	01	101		9321	52	भा.	43.27	0.00	43.27
6	भारित विनियोग-II	2049	01	101		9931	52	भा.	140.00	0.00	140.00
7	भारित विनियोग-II	2049	60	701		0716	52	भा.	1,679.00	0.00	1,679.00
8	भारित विनियोग-II	2049	60	701		6587	52	भा.	80.00	0.00	80.00
9	6	2054		095		5329	51	द.म.	888.41	0.00	888.41
10	6	2054		095		5329	53	भा.	100.00	0.00	100.00
11	6	2070		800	0101	0224	51	द.म.	100.00	0.00	100.00
12	6	6075		800		6787	66	द.म.	600.91	0.00	600.91
13	6	6075		800		6788	66	द.म.	10.00	0.00	10.00
14	10	4406	01	102	0703	3730	54	द.म.	23.10	0.00	23.10
15	10	4406	01	102	0706	3730	54	द.म.	15.40	0.00	15.40
16	12	2801	80	101	0101	7837	44	द.म.	3,849.04	0.00	3,849.04
17	12	2801	80	101	0102	7837	44	द.म.	612.68	0.00	612.68
18	12	2801	80	101	0103	7837	44	द.म.	198.27	0.00	198.27
19	12	4801	02	190	0101	5332	65	द.म.	53.90	0.00	53.90
20	12	4801	02	190	0101	7254	65	द.म.	38.53	0.00	38.53
21	19	4210	04	107	0101	1070	63	द.म.	10.46	0.00	10.46
22	22	2217	05	192	1302	9638	42	द.म.	58.30	0.00	58.30
23	22	2217	05	193	1301	9638	42	द.म.	98.40	0.00	98.40
24	22	2217	05	800	0701	7839	42	द.म.	200.00	0.00	200.00
25	22	4217	01	050	0101	3115	62	भा.	10.00	0.00	10.00
26	23	4700	C3	800	0101	2897	64	द.म.	71.64	0.00	71.64
27	24	5054	80	800	0101	5701	62	द.म.	20.00	0.00	20.00
28	24	5054	80	800	0103	3115	62	भा.	80.00	0.00	80.00
29	26	2205		102	0101	7060	45	द.म.	20.00	0.00	20.00
30	26	4202	04	800	0101	0749	64	द.म.	90.00	0.00	90.00
31	30	2515		800	0550	9216	33	द.म.	213.50	0.00	213.50
32	30	2515		800	0552	9216	33	द.म.	80.50	0.00	80.50
33	30	2515		800	0553	9216	33	द.म.	56.00	0.00	56.00
34	30	4515		800	0701	7467	42	द.म.	150.00	0.00	150.00
35	33	4225	02	277	0422	0762	64	द.म.	33.38	0.00	33.38
36	39	2408	01	102	0701	1299	44	द.म.	139.91	0.00	139.91
37	39	2408	01	102	0702	1299	44	द.म.	51.31	0.00	51.31

स. क्र.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	समूह शीर्ष	योजना शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	द.म. /भा.	कुल बजट	व्यय	बचत
38	39	2408	01	102	0703	1299	44	द.म.	35.69	0.00	35.69
39	39	6408	02	190	1401	7272	67	द.म.	30.50	0.00	30.50
40	39	6408	02	190	1402	7272	67	द.म.	11.50	0.00	11.50
41	43	2204		103	0101	7662	31	द.म.	10.00	0.00	10.00
42	50	2401		109	0701	7692	42	द.म.	10.94	0.00	10.94
43	50	2401		119	0101	5153	42	द.म.	31.83	0.00	31.83
44	50	4401		119	0101	5474	64	द.म.	12.20	0.00	12.20
45	52	4210	03	105	0101	6335	64	द.म.	10.00	0.00	10.00
46	52	4210	03	105	0101	7296	63	द.म.	10.00	0.00	10.00
47	52	4210	03	105	0101	7853	64	द.म.	183.00	0.00	183.00
48	52	4210	03	105	0102	7853	64	द.म.	69.00	0.00	69.00
49	52	4210	03	105	0103	7853	64	द.म.	48.00	0.00	48.00
50	52	4210	03	105	0701	1210	63	द.म.	23.56	0.00	23.56
51	52	4210	03	105	0701	2064	63	द.म.	19.00	0.00	19.00
52	52	4210	03	105	0701	6460	63	द.म.	69.92	0.00	69.92
53	52	4210	03	105	0704	2061	63	द.म.	15.29	0.00	15.29
54	52	4210	03	105	0704	2061	64	द.म.	23.04	0.00	23.04
55	52	4210	03	105	0704	6460	63	द.म.	22.08	0.00	22.08
56	52	4210	03	105	0705	2061	64	द.म.	12.18	0.00	12.18
57	53	4059	01	051	0101	9494	64	द.म.	15.00	0.00	15.00
योग									**14,266.10**	**0.00**	**14,266.10**

स्रोतः विनियोग लेखे 2021–22

परिशिष्ट 3.16
व्यय की अधिकता
(संदर्भ: कंडिका 3.12; पृष्ठ 87)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी–मार्च 2022 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2022 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी –मार्च 2022	मार्च 2022
1	भारित विनियोग I - लोक ऋण	5437	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	100.00
2	भारित विनियोग I - लोक ऋण	6622	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00
3	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9932	59.90	59.90	59.90	100.00	100.00
4	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9323	42.59	42.59	42.59	100.00	100.00
5	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9623	71.30	71.30	71.30	100.00	100.00
6	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9928	82.80	82.80	82.80	100.00	100.00
7	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9929	190.85	190.85	190.85	100.00	100.00
8	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9933	274.00	274.00	274.00	100.00	100.00
9	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9326	50.17	50.17	50.17	100.00	100.00
10	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7824	550.00	550.00	550.00	100.00	100.00
11	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9930	142.28	142.28	142.28	100.00	100.00
12	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	7245	87.30	87.30	87.30	100.00	100.00
13	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9926	41.00	41.00	41.00	100.00	100.00
14	भारित विनियोग II - ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	9925	45.00	45.00	45.00	100.00	100.00
15	3-पुलिस	8333	14.15	10.41	14.62	96.76	71.17
16	3-पुलिस	1416	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00
17	6-वित्त	6857	26.59	26.59	26.59	100.00	100.00
18	6-वित्त	1005	212.23	212.23	212.23	100.00	100.00
19	7-वाणिज्यिक कर	817	457.57	457.57	457.57	100.00	100.00
20	10-वन	8859	20.85	20.85	20.85	100.00	100.00
21	11-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2123	955.45	946.49	1587.35	60.19	59.63
22	12-ऊर्जा	5381	3,423.25	3,415.25	3,423.25	100.00	99.77
23	12-ऊर्जा	7255	140.33	140.33	140.33	100.00	100.00
24	12-ऊर्जा	3218	884.45	884.45	884.45	100.00	100.00
25	12-ऊर्जा	7313	385.00	385.00	760.00	50.66	50.66
26	12-ऊर्जा	5855	3,419.00	3,419.00	3,615.00	94.58	94.58
27	12-ऊर्जा	5523	170.42	170.42	325.02	52.43	52.43
28	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	8768	2,126.36	1,109.91	2,211.37	96.16	50.19

स. क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी–मार्च 2022 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2022 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी –मार्च 2022	मार्च 2022
29	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1227	13.80	13.80	13.80	100.00	100.00
30	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7494	57.45	48.85	78.37	73.30	62.33
31	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7451	28.27	18.03	29.72	95.13	60.68
32	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास	7847	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00
33	17-सहकारिता	9937	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
34	17-सहकारिता	2341	90.07	69.35	90.07	100.00	77.00
35	17-सहकारिता	2091	48.58	48.58	48.58	100.00	100.00
36	17-सहकारिता	9254	507.22	490.80	937.15	54.12	52.37
37	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9923	31.57	31.57	31.57	100.00	100.00
38	22-नगरीय विकास एवं आवास	7838	89.00	89.00	89.00	100.00	100.00
39	22-नगरीय विकास एवं आवास	9492	32.00	32.00	32.00	100.00	100.00
40	22-नगरीय विकास एवं आवास	7039	7.57	7.56	14.91	50.78	50.71
41	22-नगरीय विकास एवं आवास	9640	302.50	302.50	452.00	66.92	66.92
42	25-खनिज संसाधन	6606	738.44	738.44	738.44	100.00	100.00
43	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	9675	62.36	46.32	62.36	100.00	74.28
44	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6344	12.22	12.22	14.40	84.87	84.87
45	27-स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	6716	60.00	60.00	60.00	100.00	100.00
46	29-विधि और विधायी कार्य	4311	13.44	9.52	17.82	75.39	53.40
47	30-ग्रामीण विकास	5206	432.56	289.50	500.00	86.51	57.90
48	33-आदिम जाति कल्याण	6502	9.13	7.98	12.47	73.26	64.03
49	33-आदिम जाति कल्याण	8805	54.00	54.00	62.71	86.11	86.11
50	33-आदिम जाति कल्याण	3728	12.15	11.99	15.89	76.48	75.46
51	33-आदिम जाति कल्याण	5211	137.21	131.17	217.52	63.08	60.30
52	33-आदिम जाति कल्याण	4722	48.51	36.41	56.53	85.83	64.42
53	33-आदिम जाति कल्याण	6175	101.77	101.77	114.49	88.89	88.89
54	33-आदिम जाति कल्याण	7881	85.97	76.54	110.03	78.13	69.56
55	33-आदिम जाति कल्याण	8861	38.00	38.00	38.00	100.00	100.00
56	33-आदिम जाति कल्याण	9853	64.31	46.45	79.90	80.49	58.13
57	33-आदिम जाति कल्याण	6500	115.76	93.80	126.82	91.28	73.97
58	35-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	2124	283.63	221.87	395.21	71.77	56.14
59	40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	2078	20.47	20.47	20.60	99.40	99.40
60	40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	5133	11.13	11.08	13.90	80.05	79.72
61	40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा छोड़कर)	9516	79.81	74.82	79.84	99.96	93.71
62	44-उच्च शिक्षा	6916	61.41	60.43	94.19	65.20	64.16
63	45-लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	7656	17.50	17.40	17.77	98.47	97.90
64	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल	7490	10.68	8.29	12.42	85.94	66.74

स. क्र.	अनुदान क्रमांक एवं नाम	योजना क्रमांक	जनवरी–मार्च 2022 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2022 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी –मार्च 2022	मार्च 2022
	विकास एवं रोजगार						
65	47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	2377	8.63	7.32	11.58	74.49	63.21
66	48-नर्मदा घाटी विकास	7369	8.95	8.00	15.00	59.67	53.33
67	49-अनुसूचित जाति कल्याण	5133	103.40	103.40	110.00	94.00	94.00
68	49-अनुसूचित जाति कल्याण	1213	72.67	60.90	90.04	80.71	67.64
69	49-अनुसूचित जाति कल्याण	8844	18.05	18.05	24.00	75.21	75.21
70	49-अनुसूचित जाति कल्याण	8805	58.00	58.00	80.00	72.50	72.50
71	49-अनुसूचित जाति कल्याण	2294	33.03	28.27	41.49	79.60	68.14
72	49-अनुसूचित जाति कल्याण	5635	16.72	13.43	22.52	74.23	59.61
73	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	5116	24.90	23.22	34.01	73.22	68.26
74	50-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	5626	19.26	14.99	27.98	68.85	53.57
75	53-लोक निर्माण कार्य–भवन	3387	11.81	7.94	14.92	79.19	53.20
76	55-महिला एवं बाल विकास	5067	1,035.39	1,028.62	1,128.42	91.76	91.16
77	55-महिला एवं बाल विकास	1291	140.16	135.42	166.00	84.43	81.58
78	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	475	2,427.00	2,427.00	2,427.00	100.00	100.00
79	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	8030	45.65	28.01	45.65	100.00	61.36
80	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	7024	600.50	600.50	600.50	100.00	100.00
81	61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6080	85.40	85.40	85.40	100.00	100.00
82	62-पंचायत	7668	158.50	158.15	295.68	53.60	53.49
83	62-पंचायत	4610	494.06	482.93	583.73	84.64	82.73
84	63-अल्प संख्यक कल्याण	5617	14.86	14.36	19.73	75.33	72.80
85	64-पिछड़ा वर्ग कल्याण	6175	242.84	242.84	372.00	65.28	65.28
86	64-पिछड़ा वर्ग कल्याण	2676	567.74	490.06	948.19	59.88	51.68
योग			**29,878.81**	**28,333.00**	**33,278.12**	**89.79**	**85.14**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.17
बढ़े हुए प्रावधान
(संदर्भ: कंडिका 3.16.1.2; पृष्ठ 93)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बजट शीर्ष	योजना नामावली	बजट	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
1	010-2406-01-101-0101-0812-V-11-003	(0812) कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	177.02	0.00	177.02	97.76	79.26	44.77
2	010-2406-01-190-0702-5231-V-42-007	(5231) लघु वनोपज संघ को अनुदान	33.00	0.00	33.00	21.81	11.19	33.90
3	010-2406-01-101-0101-0812-V-16-001	(0812) कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	23.61	0.00	23.61	14.55	9.06	38.37
4	010-2406-02-110-0101-2899-V-11-003	(2899) राष्ट्रीय उद्यान स्थापना	18.69	0.00	18.69	10.85	7.84	41.95
5	010-2406-01-001-0101-3555-V-16-001	(3555) मुख्यालय	14.59	0.00	14.59	7.99	6.60	45.23
6	010-2406-01-190-0702-7458-V-42-007	(7458) समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	10.00	(-) 3.26	6.74	1.19	5.55	82.39
7	010-2406-01-190-0703-7458-V-42-007	(7458) समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	9.31	(-) 3.18	6.13	0.88	5.25	85.69
8	010-2406-01-101-0102-0812-V-12-003	(0812) कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	24.98	0.00	24.98	19.76	5.21	20.87
9	010-4406-01-102-0703-3730-V-54-000	(3730) वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	38.50	(-) 15.40	23.10	0.00	23.10	100.00
10	010-4406-01-102-0706-3730-V-54-000	(3730) वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	0.00	15.40	15.40	0.00	15.40	100.00
11	010-4406-01-800-9999-9667-V-31-007	(9667) निवल वर्तमान मूल्य (केम्पा)	43.83	0.00	43.83	29.05	14.78	33.72
12	010-4406-01-101-0102-7882-V-34-001	(7882) कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन (संरक्षण समूह)	48.93	(-) 5.18	43.75	30.48	13.26	30.32
13	010-4406-01-800-9999-9664-V-34-000	(9664) प्रतिपूरक वनीकरण (केम्पा)	85.55	(-) 45.00	40.55	29.62	10.93	26.96
14	010-4406-01-101-0705-7488-V-42-007	(7488) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00

		(ग्रीन इंडिया)						
15	010-4406-01-101-0704-7488-V-42-007	(7488) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	0.00	5.05	5.05	0.00	5.05	100.00
	योग		**528.01**	**(-) 45.57**	**482.44**	**263.94**	**218.48**	**45.29**

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.18
सारभूत बचतें

(संदर्भ: कंडिका 3.16.1.4; पृष्ठ 94)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बजट शीर्ष	योजना नामावली	बजट	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
1	010-2406-01-101-0101-0812-V-11-003	(0812) कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	177.02	0.00	177.02	97.76	79.26	44.77
2	010-2406-01-101-0101-0812-V-11-001	(0812) कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	737.56	(-) 15.10	722.46	672.94	49.52	6.85
3	010-4406-01-102-0703-3730-V-54-000	(3730) वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	38.50	(-) 15.40	23.10	0.00	23.10	100.00
4	010-2406-01-190-0702-5231-V-42-007	(5231) लघु वनोपज संघ को अनुदान	33.00	0.00	33.00	21.81	11.19	33.90
5	010-2406-01-101-0101-0812-V-16-001	(0812) कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	23.61	0.00	23.61	14.56	9.05	38.33
6	010-2406-02-110-0101-2899-V-11-003	(2899) राष्ट्रीय उद्यान स्थापना	18.69	0.00	18.69	10.85	7.84	41.95
7	010-2406-01-001-0101-3555-V-16-001	(3555) मुख्यालय	14.59	0.00	14.59	7.99	6.60	45.24
8	010-2406-01-190-0702-7458-V-42-007	(7458) समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	10.00	(-) 3.26	6.74	1.19	5.55	82.39
9	010-2406-01-190-0703-7458-V-42-007	(7458) समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन) (केन्द्रीय प्रवर्तित)	9.31	(-) 3.18	6.13	0.88	5.25	85.69
10	010-2406-01-101-0102-0812-V-12-003	(0812) कार्यकारी संगठन एवं वृत्तों की स्थापना	24.98	0.00	24.98	19.76	5.21	20.87
11	010-4406-01-102-0706-3730-V-54-000	(3730) वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	0.00	15.40	15.40	0.00	15.40	100.00
12	010-4406-01-800-9999-9667-V-34-000	(9667) केम्पा निवल वर्तमान मूल्य	173.18	(-) 8.00	165.18	149.85	15.33	9.28
13	010-4406-01-800-9999-9667-V-31-007	(9667) केम्पा निवल वर्तमान मूल्य	43.83	0.00	43.83	29.05	14.78	33.72
14	010-4406-01-101-0102-7882-V-34-001	(7882) कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन (संरक्षण समूह)	48.93	(-) 5.18	43.75	30.48	13.26	30.32

15	010-4406-01-800-9999-9664-V-34-000	(9664) प्रतिपूरक वनीकरण (केम्पा)	85.55	(-) 45.00	40.55	29.62	10.93	26.96
16	010-4406-01-101-0705-7488-V-42-007	(7488) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	100.00
17	010-4406-01-101-0704-7488-V-42-007	(7488) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (ग्रीन इंडिया)	0.00	5.05	5.05	0.00	5.05	100.00
		योग	**1,438.75**	(-) **68.67**	**1,370.08**	**1,086.74**	**283.32**	**20.68**

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.19
₹ पांच करोड़ और उससे अधिक सारभूत बचतों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 3.16.2.3; पृष्ठ 100)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वर्ष	योजना क्र. एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	पुनर्विनियोजन राशि	योग	बजट वितरण	व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)
1	2021-22	(2333) एन.बी. कम्पनी लिमिटेड का निवेश	300.00	1,500.00	0.00	1,800.00	300.00	300.00	1,500.00	83.33
2	2021-22	(1406) काली सिंध लिंक परियोजना	275.00	282.20	(-) 5.00	552.20	435.00	435.00	117.20	21.22
3	2021-22	(1953) नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना	400.00	515.78	(-) 44.00	871.78	756.00	756.00	115.78	13.28
4	2021-22	(9838) कालीसिंध उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना	100.00	90.00	(-) 1.00	189.00	103.97	103.97	85.03	44.99
5	2021-22	(2428) निष्पादन स्थापना (यूनिट–एक एवं यूनिट–दो)	101.91	0.30	1.09	103.30	75.94	75.94	27.36	26.48
6	2021-22	(9091) ओंकारेश्वर परियोजना	101.80	71.50	35.18	208.39	183.48	183.48	24.91	11.95
7	2021-22	(5013) मोरान्ड गंजाल परियोजना	24.11	15.84	(-) 13.00	26.95	7.27	7.27	19.68	73.02
8	2021-22	(4406) सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन तथा अन्य कार्यो पर खच	127.95	20.00	13.17	161.13	140.85	140.85	20.28	12.58
9	2021-22	(1250) अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	200.00	0.00	(-) 159.30	40.70	25.00	25.00	15.70	38.57
10	2021-22	(2336) किल्लौद उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना	40.00	15.00	18.00	73.00	59.50	59.50	13.50	18.49
11	2021-22	(3561) मुख्यालय स्थापना	33.74	0.00	(-) 0.52	33.22	19.84	19.84	13.38	40.27
12	2021-22	(8191) मुख्यालय स्थापना (यूनिट–II)	44.37	0.00	0.01	44.38	32.46	32.46	11.92	26.87
13	2021-22	(2872) बरगी नहर डायवर्जन परियोजना	120.96	137.50	175.70	434.16	409.01	409.01	25.16	5.79
14	2021-22	(5344) खालवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना	28.00	10.00	(-) 26.00	12.00	3.24	3.24	8.76	73.00
15	2021-22	(2335) पाटी उद्वहन माइक्रों सिंचाई परियोजना	10.00	15.00	46.80	71.80	63.46	63.46	8.34	11.61
16	2021-22	(0822) जावर उद्वहन सिंचाई योजना	60.00	25.00	0.20	85.20	77.80	77.80	7.40	8.69
17	2021-22	(1408) बिस्टान उद्वहन सिंचाई	25.00	18.00	8.00	51.00	44.00	44.00	7.00	13.73

		परियोजना								
18	2021-22	(1925) नर्मदा नदी के किनारे घाट निर्माण	8.00	8.00	7.50	23.50	16.73	16.73	6.77	28.81
19	2021-22	(2046) चिंकी बौराज बराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना	50.00	5.00	(-) 48.50	6.50	0.14	0.14	6.36	97.87
20	2021-22	(2884) नहर तथा संलग्न कार्य	30.00	20.00	58.15	108.15	104.02	102.41	5.74	5.30
		योग	**2,080.84**	**2,749.12**	**66.48**	**4,896.36**	**2,857.71**	**2,856.10**	**2,040.27**	**41.67**

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 3.20
वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(संदर्भ: कंडिका 3.16.2.6; पृष्ठ 102)

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	चरणबद्ध जारी की गयी राशि						जारी किए गए उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि						बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग	2017-22
इन्दिरा सागर परियोजना-I&II	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
इन्दिरा सागर परियोजना -III	51.29	14.97	0.00	0.00	0.00	66.26	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	12.89	53.37
इन्दिरा सागर परियोजना -IV	24.55	31.70	0.00	0.00	0.00	56.25	24.55	31.70	0.00	0.00	0.00	56.25	0.00
योग	83.18	46.67	0.00	0.00	0.00	129.85	24.55	44.59	0.00	0.00	0.00	69.14	60.71
ओंकारेश्वर नहर परियोजना-II	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92	3.25	0	0.00	0.00	0.00	3.25	2.67
ओंकारेश्वर नहर परियोजना-III	12.87	2.50	2.50	0.00	0.00	17.87	7.32	2.50	2.50	0.00	0.00	12.32	5.55
ओंकारेश्वर नहर परियोजना-IV	4.50	1.74	2.07	0.00	0.00	8.31	4.50	1.74	2.07	0.00	0.00	8.31	0.00
योग	23.29	4.24	4.57	0.00	0.00	32.10	15.07	4.24	4.57	0.00	0.00	23.88	8.22
बरगी डायवर्सन परियोजना–I	0.00	1.93	0.96	0.00	0.00	2.89	0.00	1.93	0.96	0.00	0.00	2.89	0.00
बरगी डायवर्सन परियोजना–II	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00
बरगी डायवर्सन परियोजना–III	0.00	28.19	16.48	8.21	59.47	112.35	0.00	28.19	0.00	8.21	29.74	66.14	46.21
योग	0.00	30.12	18.03	8.21	59.47	115.83	0.00	30.12	1.55	8.21	29.74	69.62	46.21
महायोग	106.47	81.03	22.6	8.21	59.47	277.78	39.62	78.95	6.12	8.21	29.74	162.64	115.14

स्रोत: बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी

परिशिष्ट 4.1
सिंगल नोडल एजेंसी को जारी राशि का विवरण
(संदर्भः कंडिका 4.6; पृष्ठ 110)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	नियंत्रक का नाम	योजना का नाम	सिंगल नोडल एजेंसी को कोषालय द्वारा जारी कुल राशि	सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में शष राशि
1	कृषि	2009-वर्षा आधारित क्षेत्र एवं जलवायु परिवर्तन	0.00	0.00
2		2010-कृषि वानिकी पर राष्ट्रीय परियोजना	0.00	0.00
3		3031-बीज एवं रोपण सामग्री	10.76	0.54
4		3540-राष्ट्रीय बांस मिशन	3.81	21.84
5		9005-कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी	0.00	0.00
6		9120-बागवानी का एकीकृत विकास	4.82	0.91
7		9140-खाद्य एवं पोषण सुरक्षा	318.70	106.43
8		9144-कृषि विस्तार	25.79	11.08
9		9145- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	123.45	55.45
10		9347-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)– प्रति बूंद अधिक फसल	0.00	0.00
11		9422-परम्परागत कृषि विकास योजना	13.80	40.43
12		9423-डिजिटल कृषि	0.00	0.00
13		9503-मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना	0.00	0.00
14		9505-कृषि यंत्रीकरण पर प्रस्तुति	20.82	14.12
15	नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन	3974-महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	7.91	1.94
16	पर्यावरण एवं वन	0257-वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना	0.00	0.00
17		0260-प्रोजेक्ट ऐलीफेन्ट	0.08	0.04
18		3095-जलीय ईको सिस्टम का संरक्षण	0.00	0.00
19		9153-ग्रीन इंडिया मिशन–राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	4.98	5.20
20		9155-प्रोजेक्ट टाइगर	9.23	0.89
21		9186-वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास	3.08	1.43
22	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3887-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण	0.00	0.00
23	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2035-तृतीयक देखभाल कार्यक्रम	0.00	0.00
24		3663-राज्य औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढीकरण	0.00	31.07
25		3991-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन	0.00	0.00
26		9156-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	0.00	721.31
27		9157-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन	17.58	0.00
28		9158-राष्ट्रीय आयुष मिशन	107.66	117.49
29	उच्च शिक्षा	9170-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	18.50	59.88
30	गृह मंत्रालय	3194-पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	13.27	0.00
31	विधि एवं न्याय	3690-महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन (फास्ट टैक स्पेशल कोर्ट्स–निर्भया फंड)	0.00	0.00
32		9174-न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं	38.58	38.17
33	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	9150-जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल मिशन	4,244.06	3,067.07
34		9151-स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)–ग्रामीण (डी.डब्ल्यू.एस.)	415.80	108.75

35	मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय	3890-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	80.52	42.52
36		9008-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	18.03	0.00
37		9978-पशुधन जन गणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	0.00	0.00
38	आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय	1989-राज्य/केन्द्रशासित राज्य क्षेत्र की अन्य मदें–प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	1,838.39	190.78
39		2000-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन–राज्य घटक	72.72	105.08
40		3666-नवोन्मेष, एकीकरण और निरंतरता के लिए शहरी निवेश	32.00	8.43
41		9556-शहरी कायाकल्प मिशन–500 शहर	639.48	1,030.78
42		9757-स्वच्छ भारत मिशन शहर	54.50	117.13
43	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3674-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	0.00	0.00
44		9169-मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	12.22	6.76
45	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3212-कौशल विकास	7.78	0.00
46		3640-संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढ़ांचे का सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00
47		3821-आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता	4.42	6.54
48	पंचायती राज्य	3617-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	76.89	162.83
49	ग्रामीण विकास	2049-श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी मिशन	0.00	68.41
50		3163-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	4.68	0.00
51		3166-राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना	0.00	11.69
52		3167-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	3.18	0.00
53		3169-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी.एन.डी.पी.एस)	13.07	1.56
54		9179-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	2,385.23	0.07
55		9180-प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	5,500.00	63.98
56		9181-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	468.38	207.04
57		9183-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास घटक	162.72	70.30
58		9219-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम	3,749.33	330.39
59	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	1903-शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा	7.41	0.00
60		3667-समग्र शिक्षा	3,818.64	907.52
61		3927-राज्यों के लिए टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट को मजबूत करना (स्टार्स)	62.36	16.04
62		9165-प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (स्कूलों में मध्याह्न भोजन का पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कार्यक्रम)	1,382.12	44.49
63	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2063-पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससीएस)	0.00	0.00
64		3967-प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना	68.66	121.96
65		9185-राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	0.00	0.00
66		9488-नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के प्रवर्तन के लिए तंत्र का सुदृढ़ीकरण (डी.ए.एम.ए)	0.00	0.00
67		9492-अनुसूचित जाति छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	0.00
68		9494-ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप–पीएम यशस्वी	0.00	72.35
69		9495-ओबीसी लड़कों और लड़कियों के छात्रावास	0.00	0.00
70	जनजातीय मामले	1111-लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य	0.00	7.04

71		2068-विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास	85.39	128.79
72		3380-आदिवासी उप–योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	122.69	0.00
73		3548-जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	0.48	0.00
74		9272-प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति–आदिवासी	0.00	0.00
75	जल संसाधन	2027-सिंचाई जनगणना	0.00	0.00
76		2052-हर खेत को पानी	0.00	0.00
77		3993-पीएमकेएसवाई–त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	0.00	0.00
78		3994-पीएमकेएसवाई–कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	0.00	3.72
79	महिला एवं बाल विकास	3975-सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (छाता आईसीडीएस– आंगनवाड़ी सेवाएं किशोरियों के लिए पोषण अभियान योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना)	291.45	0.00
80		3976-मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएं और बाल कल्याण सेवाएं)	11.10	0.00
81		3979-संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस स्वयंसेवी, महिला हेल्पलाइन नारी अदालत इत्यादि)	0.13	0.13
82		3980-सामर्थ्य (शक्ति सदन (स्वाधार उज्जवला विधवा गृह) सखी निवास पालना, पी.एम.एम.वी. वाई राष्ट्रीय महिला अधिकारिता, जेंडर बजटिंग, रिसर्च स्किलिंग ट्रेनिंग मीडिया, आदि के लिए हब)	22.48	1.96
		योग	**26,399.13**	**8,132.33**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.2
लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की विभाग–वार स्थिति
(संदर्भः कंडिका 4.8; पृष्ठ 112)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की संख्या	राशि
1	संसदीय कार्य	2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	30	1.29
2	सामान्य प्रशासन	2013	मंत्री परिषद	37	0.74
		2014	न्याय प्रशासन	375	1.55
		2015	निर्वाचन	02	0.16
		2052	सचिवालय–सामान्य सेवाएं	93	87.72
		2053	जिला प्रशासन	05	12.52
3	राजस्व विभाग	2029	भू–राजस्व	104	1.20
4	वाणिज्यिक कर	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	04	0.17
5	वित्त	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	04	0.01
		2075	विविध सामान्य सेवाएं	532	4.95
6	खेल एवं युवक कल्याण	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	91	21.04
7	संस्कृति	2205	कला एवं संस्कृति	34	34.24
8	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	03	617.69
9	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	जलपूर्ति तथा सफाई	552	441.97
10	नगरीय विकास एवं आवास	2216	आवास	22	2,628.48
		2217	शहरी विकास	35	422.30
11	जन संपर्क	2220	सूचना एवं प्रचार	35	1.50
12	अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	83	306.62
13	श्रम	2230	श्रम तथा रोजगार	1,269	44.61
14	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,147	748.14
15	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401	फसल कृषि–कर्म	3,138	450.27
		4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	11	1.25
16	पशुपालन	2403	पशुपालन	527	256.79
17	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	2405	मछली पालन	3,359	10.48
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	2408	खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	1,453	2,186.80
19	सहकारिता	2425	सहकारिता	722	278.69
20	ग्रामीण विकास	2505	ग्रामीण विकास	18	1,156.03
		2501	ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	32	386.49
		2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	03	0.89
21	जल संसाधन	2702	लघु सिंचाई	280	12.55
22	ऊर्जा	2801	ऊर्जा	51	11,283.75
23	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	2810	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	28	23.36
24	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	704	222.96
25	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	2852	उद्योग	2,988	191.07
26	खनिज संसाधन	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	871	234.49

27	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	02	2.24
28	पर्यटन	3452	पर्यटन	198	113.92
29	पंचायती राज विकास	3604	स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	1272	8,737.55
योग				**20,114**	**30,926.48**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.3
31 मार्च 2022 को अप्रचलित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 4.10; पृष्ठ 114)

(₹ लाख में)

स.क्र.	कोषालय का नाम	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
1	अलीराजपुर	01	2.81
2	अनूपपुर	02	-74.93
3	अशोकनगर	01	13.01
4	बड़वानी	05	-465.62
5	बालाघाट	07	67.56
6	बैतूल	08	-122.36
7	भिण्ड	02	-34.26
8	भोपाल	04	331.06
9	बुरहानपुर	02	0.46
10	छतरपुर	07	-211.06
11	छिंदवाड़ा	07	958.78
12	दतिया	04	1,272.76
13	धार	03	147.72
14	डिंडोरी	02	16.05
15	गुना	03	6.13
16	ग्वालियर	02	-0.77
17	हरदा	05	48.92
18	होशंगाबाद	10	40.00
19	इंदौर शहर	13	16,867.73
20	इंदौर	06	4,932.55
21	जबलपुर शहर	04	119.88
22	जबलपुर	04	18.40
23	झाबुआ	06	233.15
24	खरगौन	07	-247.12
25	खण्डवा	03	-359.23
26	मंडला	05	4,052.24
27	मंदसौर	04	7.71
28	मुरैना	02	7.54
29	नरसिंहपुर	10	59.16
30	पन्ना	01	0.13
31	राजगढ़	04	-35.97
32	रतलाम	08	-145.33
33	रीवा	06	65.80
34	रायसेन	12	1,489.03
35	सागर	03	7.75
36	शाजापुर	05	4.14
37	सतना	07	10.97
38	सिवनी	05	12.21
39	शहडोल	06	184.62
40	शिवपुरी	01	0.13
41	सीधी	03	3.29
42	सिंगरौली	05	-22.36
43	टीकमगढ़	02	32.76

44	उज्जैन	03	94.01
45	उमरिया	02	-2.61
46	वल्लभ भवन	12	-16,949.80
47	विदिशा	02	48.62
48	विन्ध्यांचल भवन	08	788.20
योग		**234**	**13,273.86**

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रदाय जानकारी

परिशिष्ट 4.4

लघु शीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां' के अन्तर्गत पुस्तांकन

(संदर्भः कंडिका 4.11; पृष्ठ 115)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्ति	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्ति	प्रतिशत
1	0029	भू–राजस्व	444.12	732.72	60.61
2	0059	लोक निर्माण कार्य	59.18	62.38	94.88
3	0211	परिवार कल्याण	0.30	0.30	99.98
4	0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	15.93	19.78	80.52
5	0217	शहरी विकास	14.55	15.32	94.98
6	0220	सूचना तथा प्रचार	0.09	0.09	97.61
7	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	9.20	10.01	91.93
8	0403	पशुपालन	1.34	2.36	56.55
9	0404	डेयरी विकास	0.03	0.03	98.59
10	0408	खाद्य, भंडारण एवं भांडागार	0.08	0.12	67.11
11	0435	अन्य कृषि कार्यक्रम	6.81	6.97	97.83
12	0700	मुख्य सिंचाई	67.02	85.74	78.17
13	0702	लघु सिंचाई	235.46	238.87	98.57
14	0801	बिजली	996.95	996.95	100.00
15	0852	उद्योग	0.11	0.12	99.05
16	1452	पर्यटन	0.00*	0.00*	100.00
17	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	7,519.90	1,83,704.09	4.09
योग			**9,371.07**	**1,85,875.85**	**5.04**

स्रोतः वित्त लेखे 2021–22

* ₹150

परिशिष्ट 4.5

लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकन

(संदर्भ: कंडिका 4.11; पृष्ठ 115)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	प्रतिशत
1	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	112.05	170.97	65.54
2	2217	शहरी विकास	3,397.17	4,729.10	71.84
3	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	46.35	46.35	100.00
4	2702	लघु सिंचाई	143.84	146.04	98.49
5	2705	कमान क्षेत्र विकास	7.70	7.70	100.00
6	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	574.05	748.91	76.65
7	2852	उद्योग	1,407.89	1,407.89	100.00
8	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	59.94	114.12	52.53
9	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.07	6.07	100.00
10	4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4.27	6.62	64.45
11	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	568.36	981.69	57.90
12	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,831.18	4,232.34	90.52
13	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	6,907.82	8,575.14	80.56
14	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,209.80	1,237.85	97.73
15	4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	6.90	6.90	100.00
16	4875	अन्य उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय	333.22	333.22	100.00
17	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1.41	1.41	100.00
18	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	50 प्रतिशत से कम अन्य मुख्य शीर्ष	13,316.21	1,99,042.09	6.69
योग			**31,934.23**	**2,21,794.41**	**14.40**

स्रोत: वित्त लेखे 2021–22

परिशिष्ट 4.6

लघु शीर्ष 800 के बजाय उपयुक्त लघु शीर्ष खोजने के लिए मैन्युअल रूप से और यादृच्छिक रूप से चुने गए प्रमाणकों की सूची

(संदर्भ: कंडिका 4.11; पृष्ठ 116)

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	प्रमाणक संख्या/कोषालय	वर्गीकरण	राशि	इकाई नाम	एल.एम.एम.एच के सामान्य दिशानिर्देशों के अनुसार लघु शीर्ष का उपयोग किया जाना
1	04/08–2021/ जेबीपी–जबलपुर शहर कोषालय	13 -2801 -06 -800 -0101 -5381 -42 -007- V	300.00	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
2	09/10–2021/ जेबीपी–जबलपुर शहर कोषालय	13 -2801 -06 -800 -0103 -5381 -00000000 -42 -007- V	133.00	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
3	10/10–2021/ जेबीपी–जबलपुर शहर कोषालय	13 -2801 -06 -800 -0102 -5381 -00000000 -42 -007- V	133.00	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
4	11/10–2021/ जेबीपी–जबलपुर शहर कोषालय	13 -2801 -06 -800 -0101 -5381 -00000000 -42 -007- V	238.00	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
5	12/10–2021/ जेबीपी–जबलपुर शहर कोषालय	13 -2801 -06 -800 -0101 -5381 -00000000 -42 -007- V	300.00	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
6	03/2801/11–2021/ जेबीपी–जबलपुर शहर कोषालय	13 -2801 -06 -800 -0101 -5381 -00000000 -42 -007- V	300.00	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
7	04/2801/11–2021/ जेबीपी–जबलपुर जिला कोषालय	13 -2801 -06 -800 -0101 -5381 -00000000 -42 -007- V	300.00	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
8	05/2801/11–2021/ जेबीपी–जबलपुर शहर कोषालय	13 -2801 -06 -800 -0101 -5381 -00000000 -42 -007- V	204.00	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
		योग	**1,908.00**		
9	146/09–2021/ वीआईएन–भोपाल कोषालय	13 -2401 -00 -800 -0703 -5626 -00000000 -42 -007- V	3.00	मध्य प्रदेश राज्य कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	195–'कृषि सहयोग के लिए सहायता
10	147/09–2021/ वीआईएन–भोपाल कोषालय	13 -2401 -00 -800 -0701 -5626 -00000000 -42 -007- V	3.67	मध्य प्रदेश राज्य कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	195–'कृषि सहयोग के लिए सहायता
11	148/09–2021/ वीआईएन–भोपाल कोषालय	13 -2401 -00 -800 -0703 -5626 -00000000 -42 -007- V	4.00	मध्य प्रदेश राज्य कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	195–'कृषि सहयोग के लिए सहायता
12	151/09–2021/ वीआईएन–भोपाल कोषालय	13 -2401 -00 -800 -0701 -5626 -00000000 -42 -007- V	5.85	मध्य प्रदेश राज्य कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	195–'कृषि सहयोग के लिए सहायता
		योग	**16.52**		
13	02/08–2021/वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60 -800 -1201 -7336 -00000000 -67 -001- V	2.75	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
14	1/6217/07–2021/ वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60 -800 -1201 -7336 -00000000 -67 -001- V	63.45	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
15	9/2217/06–2021/ वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -2217 -05 -800 -0101 -7664 -00000000 -42 -00- V	5.03	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'

16	54 / 2217 / 06–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -2217 -05 -800 -1201 -7336 -00000000 -31 -002- V	4.84	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
17	2 / 6217 / 05–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1201 -5374 -00000000 -67 -001- V	60.90	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
18	1 / 6217 / 05–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1201 -7711 -00000000 -67 -001- V	70.00	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
19	1 / 6217 / 10–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1201 -7336 -00000000 -67 -001- V	97.50	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
20	1 / 6217 / 12–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1201 -7336 -00000000 -67 -001- V	22.90	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
21	2 / 6217 / 12–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1201 -7711 -00000000 -67 -001- V	65. 00	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
22	04 / 6217 / 02–2022 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1203 -7336 -00000000 -67 -001- V	67.00	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
23	05 / 6217 / 02–2022 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1202 -7336 -00000000 -67 -001- V	46.00	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
24	06 / 6217 / 02–2022 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1202 -7336 -00000000 -67 -001- V	53.10	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
25	01 / 6217 / 11–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1201 -5374 -00000000 -67 -001- V	70.00	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
26	02 / 6217 / 11–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1201 -7711 -00000000 -67 -001- V	47.00	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
27	03 / 6217 / 11–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1201 -1262 -00000000 -67 -001- V	8.01	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
28	04 / 6217 / 11–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -1202 -1262 -00000000 -67 -001- V	3.00	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
		योग	**686.48**		
29	1 / 6217 / 06–2021 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -0801 -2043 -00000000 -67 -002- V	9.90	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
30	03 / 4217 / 02–2022 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -4217 -60-800 -1201 -2043 -00000000 -65 -000- V	150.00	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश'
31	03 / 6217 / 02–2022 / वीआईएन–भोपाल कोषालय	022 -6217 -60-800 -0801 -2043 -00000000 -67 -002- V	1.10	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण'
		योग	**161.00**		
32	115 / 2403 / 11–2021 / वीएएल–भोपाल कोषालय	014 -2403 -00 -800 -0701 -5626 -00000000 -45 -000- V	3.20	मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुकुट विकास निगम	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
33	02 / 2403 / 12–2021 / वीएएल–भोपाल कोषालय	014 -2403 -00 -800 -0702 -5626 -00000000 -42 -007- V	2.20	मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम	190–'सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता'
	योग		**5.40**		

परिशिष्ट 5.1
मध्य प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सूची
(सन्दर्भः कंडिका 5.4; पृष्ठ 126)

स. क्र.	सरकारी कंपनियाँ
	इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
	ऊर्जा क्षेत्र
1	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
2	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
5	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
6	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
7	मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
	कृषि तथा संबद्ध
8	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
9	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन
	सेवा
10	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड
11	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
13	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड
15	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित
17	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
	अधोसंरचना
18	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	बी–नेस्ट फाउंडेशन
	निर्माण
27	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड
28	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
29	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड
30	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड
31	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड
	वित्त
32	मध्य प्रदेश वित्त निगम
	इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
	ऊर्जा क्षेत्र
1	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
2	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
3	श्री सिंगाजी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड (एस.एस.पी.पी.एल.)
	कृषि तथा संबद्ध
4	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड

स. क्र.	सरकारी कंपनियाँ
	सेवा
5	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
6	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड
7	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
8	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
9	मध्य प्रदेश राज्य एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
10	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड
11	रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम
12	सागर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
13	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड
14	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
	अधोसंरचना
15	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड
16	सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड
17	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
19	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड
20	इंदौर आइडिया फैक्ट्री फाउंडेशन
	निर्माण
21	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
22	मध्य प्रदेश एएमआरएल (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड
23	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड
24	मध्य प्रदेश एएमआरएल (बिचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड
25	मध्य प्रदेश एएमआरएल (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड
26	मध्य प्रदेश जेपी कोल लिमिटेड
27	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड
28	मध्य प्रदेश जेपी कोल फील्ड्स लिमिटेड
29	मध्य प्रदेश जेपी मिनरल्स लिमिटेड
30	मध्य प्रदेश सैनिक कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
31	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
32	मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड
	वित्त
33	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
34	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
35	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
36	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
37	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड
38	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड
39	मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड
40	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड

परिशिष्ट 5.2
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या, जिनके लेखे 30 सितम्बर 2022 तक बकाया थे, को दर्शाने वाला विवरण

(सन्दर्भः कंडिका 5.5; पृष्ठ 127)

स. क्र.	कंपनी का नाम	तक प्राप्त लेखे	बकाया लेखों की संख्या
(अ) सरकारी कंपनियाँ			
1	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2020–21	1
2	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड	2020–21	1
3	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चुरिंग पार्क लिमिटेड	2020–21	1
4	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड	2020–21	1
5	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
6	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड	2020–21	1
7	मध्य प्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2020–21	1
8	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2020–21	1
9	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2020–21	1
10	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	2020–21	1
11	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2020–21	1
12	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड	2020–21	1
13	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2020–21	1
14	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2020–21	1
15	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
16	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2019–20	2
17	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	2
18	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	2019–20	2
19	मध्य प्रदेश होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20	2
20	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2019–20	2
21	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड	2019–20	2
22	मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	2019–20	2
23	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2019–20	2
24	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2019–20	2
25	सागर सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड	2019–20	2
26	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2018–19	3
27	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2018–19	3
28	द प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2018–19	3
29	संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2018–19	3
30	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2018–19	3
31	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017–18	4
32	मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड	2017–18	4
33	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2017–18	4
34	मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017–18	4
35	रतलाम बस सर्विसेज लिमिटेड, रतलाम	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2017–18 से बकाया)	5
36	मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2015–16	6
37	बुरहानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2014–15 से बकाया)	8

स. क्र.	कंपनी का नाम	तक प्राप्त लेखे	बकाया लेखों की संख्या
38	सिंगरौली एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए (2014–15 से बकाया)	8
39	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011–12	10
40	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009–10	12
41	मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009–10	12
42	मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005–06	16
43	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003–04	18
44	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खनिज एवं रसायन लिमिटेड	2001–02	20
45	मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड	1989–90	32
	(अ) सरकारी कंपनियों का योग		**213**
(ब) सांविधिक निगम			
1	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	2020–21	1
2	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2007–08	14
	(ब) सांविधिक निगमों का योग		**15**
(स) सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ			
1	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
2	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
3	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
4	सागर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
5	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
6	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
7	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020–21	1
8	बी–नेस्ट फाउंडेशन	2020–21	1
	(स) सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का योग		**8**
	महायोग (अ+ब+स)		**236**

परिशिष्ट 5.3
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ पर जानकारी

(सन्दर्भ: कंडिका 5.9.1; पृष्ठ 133)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया	
1	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन
2	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
3	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
4	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड
5	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
6	मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिन्होंने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया	
1	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड
2	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड
3	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड
4	मध्य प्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड
5	जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
6	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड
7	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड

परिशिष्ट 5.4
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित अनिवार्य लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानक का अनुपालन न करना

(सन्दर्भः कंडिका 5.13.2; पृष्ठ 141)

स. क्र.	कंपनी का नाम	भारतीय लेखा मानक/ लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक/लेखा मानक पर संक्षिप्त टिप्पणी
1	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (2020–21)	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' का पालन न करना, दिनांक 19.02.2010 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने रोजगार के बाद के लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ प्रदान किये हैं जो कि भारतीय लेखा मानक 19 अनुसार नहीं है।
2	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी (2020–21)	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक 7 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' का पालन न करना। प्रतिष्ठान नकदी और नकद समकक्ष के घटक का खुलासा करेगा और नकदी प्रवाह विवरण में राशि का समाधान प्रस्तुत करेगा हालांकि कंपनी ने ऐसा खुलासा नहीं किया है।
			सांविधिक लेखा परीक्षक भारतीय लेखा मानक 36 के प्रावधानों को आश्वस्त करने की स्थिति में नही है।
			कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान के अनुसार, न तो शामिल राशि की मात्रा निर्धारित की है और न ही कोई प्रावधान किया है।
			भारतीय लेखा मानक-108: "ऑपरेटिंग सेगमेंट", एक इकाई उक्त भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 32 से 34 के तहत आवश्यक जानकारी का खुलासा करेगी, भले ही इकाई के पास एक रिपोर्ट करने योग्य खंड हो। हालांकि, नोट संख्या 38 में ऐसा कोई खुलासा नहीं किया गया है।
			भारतीय लेखा मानक –109: वित्तीय साधनों, कंपनी ने लेखा पुस्तकों में लागत पर सहायक कंपनियों में निवेश बनाए रखा है। हालांकि, सहायक कंपनियों में निवेश की लागत सहायक कंपनियों के निवल मूल्य से अधिक है और सहायक कंपनियां भारी घाटे में चल रही हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, भारतीय लेखा मानक 36 के साथ पठित, सहायक कंपनियों में निवेश को हानि के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। कंपनी को अपने खातों में निवेश को ₹14,411.03 करोड़ (अधिग्रहण तिथि के अनुसार सहायक कंपनियों के निवल मूल्य से अधिक निवेश मूल्य से अधिक) से कम करना चाहिए।
3	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (2019–20)	लेखा मानक	लेखा मानक–11 विदेशी मुद्रा लेनदेन के संबंध में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव।
4	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2020–21)	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक–8: पूर्व अवधि की त्रुटियों के संबंध में "लेखांकन नीतियों, लेखा अनुमान में परिवर्तन और त्रुटियां'।
			भारतीय लेखा मानक–16: कंपनी के संबंध में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण बैलेंस शीट की तारीख तक अपनी सभी संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया।
			भारतीय लेखा मानक–19: 'कर्मचारी लाभ' के सम्बन्ध में कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और कंपनी ने प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया।
			भारतीय लेखा मानक–20: सरकारी अनुदान के लि, लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी ने सरकारी अनुदान के रूप में सरकारी ऋण के लाभ को मान्यता नहीं दी। इसके अलावा, कंपनी ने न तो इसके खिलाफ कोई प्रावधान किया है और न ही कोई आकस्मिक देनदारी दर्ज की है। साथ ही, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक की प्रकटीकरण आवश्यकता का अनुपालन भी नहीं किया है।
			भारतीय लेखा मानक–21: विदेशी मुद्रा से लाभ या हानि के लिए लेखांकन के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा के कारण हुये लाभ/हानि के

			संबंध में कोई समायोजन नहीं किया।
			भारतीय लेखा मानक–23: उधार लेने की लागत के सम्बन्ध में।
			भारतीय लेखा मानक–36: संपत्ति की हानि, कंपनी ने वर्ष के दौरान यह आकलन नहीं किया और न ही कोई संकेत दिया कि संपत्ति खराब हो सकती है। संपत्ति की हानि के लिए कोई कार्य नहीं किया इसलिए सांविधिक लेखा परीक्षक उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।
			भारतीय लेखा मानक– 37: आकस्मिक देयताओं के संबंध में प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां।
			भारतीय लेखा मानक–105: बिक्री के लिए धारित चल संपत्ति के संबंध में कंपनी द्वारा बंद परिचालन, बिक्री के लिए रखे गए इसके अनुपयोगी/क्षतिग्रस्त/अप्रचलित पूंजी भंडार को भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित मूल्यांकन नहीं किया गया।
5	मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (2020–21)	लेखा मानक	संपत्ति की हानि, लेखा मानक 28 संपत्तियों की हानि के लिए दिए गए निर्देशों/प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई हैं।
			लेखा मानक 10: अचल संपत्तियों के लिए लेखांकन कंपनी के रूप में लेखा मानक के अनुसार सेवानिवृत्त संपत्ति नहीं दर्शायी गई है।
			लेखा मानक 6: 'मूल्यह्रास लेखांकन', कंपनी ने सम्पत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन नहीं किया हैं।
6	मध्य प्रदेश वित्त निगम (2021–22)	लेखा मानक	निगम ने अपनी आस्थगित कर संपत्तियों या देनदारियों का मूल्याँकन लेखा मानक 22 के अनुसार नहीं किया है।

परिशिष्ट 5.5
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी टिप्पणियां
(सन्दर्भः कंडिका 5.14.1; पृष्ठ 142)

स. क्र.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के नाम	टिप्पणी जारी करने की अवधि
1	मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2019–20
2	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल	2019–20
3	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल	2020–21
4	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल	2021–22
5	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20
6	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2020–21
7	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020–21
8	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019–20
9	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2019–20
10	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2020–21
11	बी–नेस्ट फाउंडेशन, भोपाल	2018–19
12	बी–नेस्ट फाउंडेशन, भोपाल	2019–20
13	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल	2020–21
14	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल	2020–21
15	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर	2020–21
16	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर	2020–21
17	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2020–21
18	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2011–12

परिशिष्ट 5.6
प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई व्यापक प्रकृति की अनियमितताएं
(सन्दर्भः कंडिका 5.16; पृष्ठ 150)

स. क्र.	कंपनी का नाम
1	मध्य प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड (2019–20)
2	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (2019–20)
3	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (2020–21)
4	मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल (2021–22)
5	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019–20)
6	इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (2020–21)
7	उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2020–21)
8	जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (2020–21)
9	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019–20)
10	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (2019–20)
11	सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (2020–21)
12	बी–नेस्ट फाउंडेशन भोपाल (2018–19)
13	बी–नेस्ट फाउंडेशन भोपाल (2019–20)
14	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड (2019–20)
15	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (2020–21)
16	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल (2020–21)
17	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर (2020–21)
18	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर (2020–21)
19	मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर (2020–21)
20	मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (2020–21)
21	मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (2011–12)

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in